लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 4 सितम्बर, 1991/13 भाद्र, 1913(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
34	नीचे से 9	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
93	4	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
104	नीचे से 2	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
163	नीचे से 2	"श्री सैयद शहाबुद्दीन" के स्थान पर "श्री सैयद शाहबुद्दीन" पढ़िये।
168	9	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
176	नीचे से पंक्ति 8	शीर्षक में "गाडगिल" के स्थान पर "गाडगिल" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 38, बुधवार, 4 सितम्बर, 1991/13 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 671, 673 और 674	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—210
तारांकित प्रश्न संख्या : 672, और 675 से 690	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5571 से 5578, 5580 से 5598, 5600 से 5612, 5614 से 5661, 5663 से 5675 और 5677 से 5736	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	210—212
कार्य-मंत्रणा समिति	213
चौथा प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	213—216
(एक) महानगरों में, विशेष रूप से दिल्ली में, गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री के० तुलसिऐया वांडायार	213
(दो) सेतु समुद्रम नहर परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
डा० वी० राजेश्वरन	213—214
(तीन) भरतपुर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)	214

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) गुजरात के कैरा जिले के थासरा तालुक में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	214—215
(पांच) बिहार के चम्पारण जिले में डॉन नहर के दक्षिण तट बंध को शीघ्र पक्का करने की आवश्यकता	
श्री महेन्द्र बैठा	215
(छः) मद्रास में व्यापार मेला परिसर के निर्माण हेतु इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कब्जे वाली भूमि में से कुछ हिस्से को देने के लिए निर्देश की आवश्यकता	
डा० राजागोपालन श्रीधरण	215
(सात) पश्चिम बंगाल के बेसिन में तट से दूर और तट पर तेल की खुदाई के कार्यों को पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	215—216
(आठ) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने की आवश्यकता	
कुमारी विमला वर्मा	216
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	216—290
रक्षा मन्त्रालय	
श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी	218—236
राव राम सिंह	236—245
श्री चन्द्रजीत यादव	245—251
श्री सुधीर सावंत	251—265
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	265—268
श्री अमल दत्त	268—2 8
श्री अयूब खां	278—285
श्री एस० कृष्ण कुमार	285—290
आधे घंटे की चर्चा	291—305
पेप्सी खाद्य परियोजना का कार्य निष्पादन	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	291 294
श्रीमती गीता मुखर्जी	296
श्री संतोष कुमार गंगवार	297
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	297—298
श्री बसुदेव आचार्य	298—299
श्री गिरिधर गोमांगो	299—305

लोक सभा

बुधवार, 4 सितम्बर, 1991/13 भाद्र, 1913 (शक)

लोकसभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या

[अनुवाद]

*671. **श्री अनादि चरणदास : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 1987-88 में 48 प्रतिशत ग्रामीण लोग और 30 प्रतिशत शहरी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे थे जबकि योजना आयोग के अनुसार यह प्रतिशतता क्रमश: 32 और 19 थी;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण/शहरी गरीबों की उक्त अनुपातों की प्रतिशतता निकालने में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ग) योजना आयोग और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने किन-किन आधारों पर ग्रामीण/शहरी गरीबों की प्रतिशतता की गणना की थी; और

(घ) ग्रामीण/शहरी गरीबी का अनुपात निकालने के लिए एक समान कार्यविधि अपनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण घरेलू खपत व्यय के बारे में आंकड़े एकत्रित करता है। इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तथा न्यूनतम आवश्यकताओं तथा वास्तविक खपत मांग के अनुमानों से संबंधित टास्क फोर्स द्वारा संस्तुत पद्धति के आधार पर योजना आयोग देश में गरीबों की संख्या तथा अनुपात का अनुमान लगाता है। वर्ष 1987-88 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात के संशोधित अनुमान क्रमश: 33.4% तथा 20.1% है। इस समय गरीबी का केवल यही सरकारी अनुमान उपलब्ध है तथा केवल एक पद्धति पर आधारित है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया है इससे ऐसा लगता है कि प्लानिंग कमीशन की जो वही वह सही। यह क्वेश्चयन मैंने इस आधार पर किया था कि इण्डियन इकोनोमी जो किताब निकलती है वह भी गवर्नमेंट की तरफ से है, इससे जो फिगर्स आयी हैं उससे यह दिखाई देता है कि नेशनल सर्वे वाले कहते हैं कि बिलो पावर्टी लाईन 1987-88 में रूरल में 48 परसेंट और अर्बन में 38 परसेंट हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन कहता है, अभी जवाब दिया गया है कि 33.4 परसेंट और 20.1 परसेंट। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी फिगर्स सही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया।

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है वह तथ्यों के आधार पर दिया है। जो नेशनल सैम्पल सर्वे ने डाटा इकट्ठा किया है और प्लानिंग कमीशन ने मैथोडोलाजिकल टास्क फोर्स बनायी थी, 1979 में, उसे आधार पर जो आंकड़े दिए हैं 33.4 परसेंट और 20.1 परसेंट वे सही हैं और वही सही आंकड़े मैंने अपने उत्तर में दिए हैं।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, ये तो गुमराह करेंगे। क्योंकि किताब में जो लिखा है वह सही है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह इनकी किताब में लिखा है।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, दूसरे डिपार्टमेंट वाले अलग-अलग फिगर्स देते हैं। बिलो पावर्टी लाइन जो आपने दिखाया

[अनुवाद]

योजना आयोग ने भिन्न गरीबी रेखा बताई है जिसके अनुसार 1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक आय थी और शहरी क्षेत्र में 75 रु० थी।

[हिन्दी]

अभी जो बढ़ोत्तरी हुई है, जो डिवैल्यूएशन हुआ है, क्या इस आधार पर आपने पावर्टी लाईन का फिगर दिया है ? अभी जो बढ़ोत्तरी हुई है पर केपिटा इनकम में पर केपिटा एक्सपेंडीचर में, फेमिली एक्सपेंडीचर में, क्या उसके आधार पर दिया है ? किस आधार पर फिगर्स दिए गए हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : ये जो आंकड़े दिए हैं वे 1973-74 में पावर्टी लाइन में रहने वालों में रूरल एरिया में 49.9 और अर्बन एरिया में 56.64, उसके बाद चार-चार, पांच-पांच सालों के बाद इनमें बढ़ोत्तरी हुई है। 1977-78 में 60.60 रूरल एरिया में और 69.19 अर्बन एरिया में, 1983-84 में 101 रूरल एरिया में और 117.50 अर्बन एरिया में, 1984-85 में 109.24 रूरल एरिया में, और 126.9 अर्बन एरिया में महंगाई के अनुसार ये आंकड़े बढ़ा दिये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अध्यक्ष ने योजना

आयोग के आंकड़ों की आलोचना की है । मैं नहीं जानता कि क्या आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन, फिर भी मैं यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा । उन्होंने कहा है कि उनकी गणना 1.30% से कम है । इसका क्या कारण है ? योजना आयोग की गणनाएं सबको पता होनी चाहिए । इन्हें गोपनीय नहीं रखना चाहिए । आप वह आर्थिक पत्रिकाएं पढ़िए, जो पहले प्रकाशित हो चुकी हैं । उनका कहना है कि योजना आयोग ने जो बताया है, उसके आधार पर गणना करने से भी भिन्न आंकड़े आते हैं । जो लोग आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं वे योग्य लोग हैं और वे आपकेमानदंड जानते हैं और उसी आधार पर आंकड़ों की गणना करते हैं । उनका कहना है कि योजना आयोग के आंकड़े सही नहीं हैं । इसके दो कारण हैं । मैं आपको उनके तर्क बता सकता हूं । एक तो यह है कि राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और दूसरे आप गरीब लोगों का व्यय 1.30% बढ़ा रहे हैं । तीसरे, गरीबी रेखा की गणना भी गलत की गई है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अधिकारियों तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है ।

क्या आप हमें विस्तार मे बता सकते हैं कि आपने वे गणनाएं कैसे की हैं ? यदि आप हमें यह बता दें तब हम सब आपके आभारी होंगे ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, यदि आप मुझे दो मिनट दें, तो मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा । जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध हैं मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि हमने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से आंकड़े लिए थे जिसके लिए कार्यबल की पद्धति 1979 में तय की गई थी । उन आंकड़ों की सहायता से हम गरीबी की रेखा का निर्धारण करते हैं । इसके मानदंड ज्ञातव्य हैं । लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि पौष्टिकता-आवश्यकता तथा गरीबी की रेखा का निर्धारण करने संबंधी संकल्पना के बारे में विद्वानों तथा विशेषज्ञों के विचारों में भिन्नता है । लेकिन, हमें विचारों में भिन्नता होने की कोई जानकारी नहीं है । हम निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कार्य करते हैं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एक नया संगठन नहीं है । यह एक सुस्थापित संगठन है । वे जो आंकड़े देते हैं, उनके आधार पर योजना आयोग वास्तविक आंकड़े देता है । बाद में इस संबंध में एक विवाद उत्पन्न हो गया और विशेष कार्यबल को इसकी जांच करने के लिए गठित किया गया कि क्या गरीबी का निर्धारण करने के लिए कोई और मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं । उन मुद्दों पर विचारों में भिन्नता उत्पन्न हो ही सकती है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य जिस विशेषज्ञ का उल्लेख कर रहे हैं, वह कौन है **(व्यवधान)**

क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? अनेक विद्वान हैं । मैं नहीं जानता कि वह किस विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं । लेकिन, हम केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करते हैं । मेरा निवेदन है कि मैंने स्वयं कुछ पुस्तकें देखी हैं और मैंने पाया है कि इसकी और जांच भी की जा सकती है । यदि किसी अन्य आधार पर गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जा सकता है, तब हम अवश्य इस पर विचार करेंगे । यह पहलू अभी भी विचाराधीन है ! जब भी रिपोर्ट मिल जायेगी और कोई बेहतर तरीका उपलब्ध होगा तब हम इसे स्वीकार कर लेंगे लेकिन, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको और अधिक उदार पद्धति बनानी चाहिए ।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गरीबी की रेखा के बारे में मार्च, 1989 में राज्य सभा में उत्तर दिया गया था जो······

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में 1989 में दिए गए उत्तर के बारे में कैसे जानते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे यह जानने की आशा कैसे करते हैं ?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या मार्च 1989 में नमूना सर्वेक्षण किया गया था और यह बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 131 रु० है और शहरी क्षेत्र में 153 रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नही ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। शायद वर्ष गलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 131.80 रुपये थी और शहरी क्षेत्रों में यह राशि 152.13 रुपये थी। मेरे पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं नहीं जानता कि 1989 में किसने उत्तर दिया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे एक तो आपत्ति है कि मंत्री महोदय से जो अपेक्षा थी कि खुलकर सफाई से इसका जवाब देंगे, वह नहीं दिया है। प्रधान मन्त्री जो यहां बैठे हुए हैं। अगर उनके बस का नहीं है तो प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष जी, हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे का जो मापदण्ड होता है, वह राजनीति स्तर पर तय किया जाता है और असल में जो गरीब है, उसको लेकर नहीं होता है। सन् 1980 में सियासी फैसला हुआ था कि अब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाना है और आंकड़ों में उठाने का काम वक्त से शुरू हो गया। आपका चन्द हफ्तों पहले सदन में जो एक्नॉमिक सर्वे पेश किया गया था उसमें सन् 1972-73 में जहां 51.5 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वहां 1988 में 29.9 प्रतिशत तक लाकर पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया और यह राजनीति फैसला, जो जमीन पर रहते हैं, उसका और इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जहां वे कहते हैं कि 29.9 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे हिन्दुस्तान में लोग हैं वहां अभी जो युनाईटेड नेशन्स की ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट आई है और जो चन्द हफ्ते पहले आई है, उसमें 1990 के लिए हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे के रहने वाले लोगों की तादाद 48 प्रतिशत बताई गई है। यह युनाईटेड नेशन्स की रिपोर्ट है जहां इस सरकार का नुमाइन्दा बैठता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहर में 9 करोड़ लोग और ग्रामीण इलाकों में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह 41 करोड़ लोग बतलाये गए हैं। इस प्रकार युनाईटेड नेशन्स का आंकड़ा 48 प्रतिशत है और आपका आंकड़ा है लगभग 30 प्रतिशत। वहां आप्रेशन रिसर्च ग्रुप जो खोज करता है और यहां आपका नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा होता है। अप्रेशन रिसर्च ग्रुप का सर्वे और आपके प्लानिंग कमीशन और अन्य मन्त्रालयों के पास आता है। उन्होंने यह बताया है :

[अनुवाद]

"मार्च, 1990 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 52.9 प्रतिशत थी।"

[हिन्दी]

जिसमें से ग्रामीण इलाके में 61.8 प्रतिशत ओर शहरी इलाके में 25 प्रतिशत और इनमें भी गरीब से गरीब कुल मिलाकर हिन्दुस्तान में 20 करोड़ हैं जो रोज अपने ऊपर दो रुपए भी खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय इन तीन तरह के आंकड़ों पर, जो यहां सामने आए हैं, किसी तरह से री-कंसाईल करने का काम करेंगे ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा और यू०एन० ओ० के बारे में तथा यहां के बारे में जो आंकड़े बताये, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य बाहर की जानकारी में ज्यादा रुचि रखते हैं बनिस्बत अपने देश की जानकारी में और······

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरी एक आपत्ति है। यूनाईटेड नेशन्स में आपका आदमी ही बैठा हुआ है, उसमें मेरा आदमी नहीं बैठा हुआ है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं भारत राष्ट्र की बात करता हूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने देश के जो आकड़े मेरे पास हैं, वह मैंने दिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शायद संयुक्त राष्ट्र संघ एक भिन्न मानदंड अपना रहा है।

श्री एच०आर० भारद्वाज : शायद, संयुक्त राष्ट्र संघ आज जो तरीका अपना रहा है, उसके बारे में सभी जानते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो कर रहा है·········

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमारे देश में जितनी कैलोरी चाहिए उससे भिन्न अन्य देशों में आवश्यकता है।

(**व्यवधान**)

श्री एच०आर० भारद्वाज : वह इसका स्पष्टीकरण होगा। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कर रहा है, उसके बारे में सभी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है 'मेरे विरुद्ध तर्क मत दीजिए'।

श्री एच०आर० भारद्वाज : नहीं, नहीं, वह भारत से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ में रुचि ले रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**) आप मुझे संरक्षण दें और सभा की गरिमा की रक्षा करें। (**व्यवधान**)

श्री एच०आर० भारद्वाज : महोदय, मेरा निवेदन है कि संयुक्त प्रतिशत 29.9 प्रतिशत है

और मेरे पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अभिकरणों ने भारत के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मैंने अपने मानदंडों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। दुर्भाग्यवश हम अपनी ही प्रणाली को गलत बता रहे हैं। हमारा मानदंड ली जाने वाली कैलोरी तथा उस पर व्यय किए जाने वाले धन का है। इससे गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। यदि यह गलत है, तब हमें इसमें सुधार करना होगा। लेकिन, यदि वह यह कहते हैं कि हम भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानदंडों का पालन करें, तब हम इस पर विचार करें, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बेहतर सुझाव दिए गए हैं, तब हम उन पर विचार करें। लेकिन, मेरे मन्त्रालय के अधीन हमारा अपना संगठन है। अधिकारी मेहनत से काम कर रहे हैं और वे बहुत सक्षम हैं। उनके साथ मतभेद रखने का कोई कारण नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, 'ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप' एक भारतीय संगठन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सरकारी संगठन है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह एक ऐसा संगठन है जिसके साथ भारत सरकार, इसके सभी मन्त्रालय और देश की सभी राज्य सरकारें संबद्ध हैं और योजना आयोग इसकी रिपोर्ट लेता है। वह उस संगठन के बारे में भी नहीं जानते, जो सरकार को आंकड़े उपलब्ध करा रहा है। वे गरीबी के विरुद्ध कैसे संघर्ष करेंगे यदि वे गरीबी के बारे में नहीं जानते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसमें लिए जाने वाले वेतन का कोई महत्व नहीं है

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम भ्रम पैदा नहीं करें। हम एक संगठन अथवा दूसरे संगठन द्वारा दी गई रिपोर्ट का पालन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा-सा सवाल है कि अभी मन्त्री जी ने जो बतलाया है, उसके मुताबिक ऐवरेज यदि पांच रुपया प्रतिदिन कोई आदमी कमाता है तो वह गरीबी की रेखा से नीचे होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो दो रुपया भी प्रतिदिन कमा नहीं पा रही है, दो रुपया प्रतिदिन से कम कमाने वाले कितने लोग हैं ?

श्री एच०आर० भारद्वाज : इस किस्म की दो रुपए और चार रुपए की तो मैं जानकारी दे नहीं सकता हूं। (**व्यवधान**) जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसका एक क्राइटिरिया है। अब ये दो-चार रुपए का हिसाब कौन करेगा। (**व्यवधान**) जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, इस बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उनके पास अति गरीब, गरीब और कम गरीब लोगों के लिए कुछ मानदंड हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है, तब वह आप दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एच०आर० भारद्वाज : महोदय, मेरे पास गरीबी रेखा से नीचे के मानदंडों के बारे में जानकारी है। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे प्रति व्यक्ति आय 131.80 रुपए है और शहरी क्षेत्रों में 152.30 रुपए है और इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे रहते हुए माना जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। प्रधान मन्त्री जी, मैं समझता हूं कि इस मामले में आपका मंत्री इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, दो-चार रुपए का हिसाब नहीं है, प्रश्न यह है कि इस देश में आज भी एक रिसर्च ग्रुप है जिसने बतलाया है कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं बल्कि मरणासन्न अवस्था में हैं। एक हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे किसी तरह से अपना जीवन-यापन कर सकते हैं, एक हैं जो मरने के कगार पर हैं। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मरने के कगार पर हैं और आप कहते हैं कि दो-चार रुपए का हिसाब नहीं रखते हैं। आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उस कगार पर पहुंचे हुए हैं, दो रुपए से कम जिनकी आमदनी है ? आपके पास जानकारी नहीं है तो वह बात अलग है लेकिन क्या मन्त्रालय में आंकड़े हैं, मैं प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहूंगा।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि इस देश में इतने अधिक लोग गरीब हैं। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कितने गरीब हैं। यह स्वाभाविक है कि मानदंड के अनुसार यह संख्या बदल जाएगी। बात यह है कि हमारे यहां बड़ी संख्या में तो गरीब लोग हैं। आप जो भी मानदंड अपनायें, आप सबसे कम आंकड़े से शुरू करें, इससे कोई अन्तर नहीं आता। हमें उच्चतर आंकड़ों को बदलना नहीं है, जब आप 30 और 32 के बीच पहुंच जाएं तब हम इसका समाधान करेंगे। मैं जानता हूं कि इस देश में गरीब लोगों की यह संख्या स्वीकार्य नहीं है।

मुझे भी इसका कुछ अनुभव है। कभी-कभी हम कुछ लेख और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जो हमें परेशान कर देते हैं। हाल ही में मैंने एक शिक्षाशास्त्री का एक लेख पढ़ा था जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे गांव हैं जहां 80 प्रतिशत जनसंख्या के पास 10 पैसे प्रतिदिन भी नहीं हैं। मैं हैदराबाद में था। तत्काल मैंने उसे बुलाया। वह मेरा पुराना मित्र है। मैंने उसे कहा था कि "क्या आप मेरे साथ आयेंगे ? मैं किसी व्यक्ति को इसकी जांच के लिए नियुक्त करूंगा क्योंकि मैं इस बारे में बहुत चिन्तित हूं कि ऐसे गांव हैं जहां 80 प्रतिशत लोग 10 पैसे प्रतिदिन भी नहीं कमा रहे हैं।" तब उसने कहा कि वह अगले एक सप्ताह के लिए व्यस्त हैं। उसके बाद उसने मुझसे सम्पर्क नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ वह लिख रहा है, वह उसकी जानकारी के अनुसार सही नहीं है।

लेकिन, मेरा यह कहना है कि जब ऐसी बातें लिखी जाती हैं, तब हमें विस्तार से उनका अध्ययन करना चाहिए न कि यूं ही उन्हें लिख देना चाहिए ।

इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि क्या यह सच है या नहीं, यह तथ्य तो रहता ही है कि युद्ध स्तर पर हमें गरीबी का मुकाबला करना है और सदन के सारे वर्गों को इसमें रुचि लेनी चाहिए ।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि गरीबी का अनुमान लगाने का कोई बेहतर तरीका है, तब हम किस स्तर की गरीबी की ओर ध्यान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम अति गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान देंगे । यदि हम किसी तरीके से, उनका वर्गीकरण करें और उनका पता लगायें, जिसका अभी तक पता नहीं लगा है, तब मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं ।

मैंने अपनी अनेक सांख्यिकी गणनाओं को देखा है और मैंने पाया है कि जिन आधारों पर गणनायें की जाती हैं, उनमें सुधार किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में कोई भी माननीय सदस्य जो सुझाव देना चाहते हैं, उन्हें मानने के लिए मैं तैयार हूं । मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूं क्योंकि कोई इसे 52 प्रतिशत कहे तो भी ठीक नहीं है और हम इसे 48 प्रतिशत कहें तो इसका कोई फायदा नहीं है । यह चाहे 48 प्रतिशत हो अथवा 52 प्रतिशत हो या 20 प्रतिशत हो यह इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है । हमें गरीबी हटाने के लिए पूर्ण प्रयास करने चाहिए । चाहे वह सरकार द्वारा किए जाएं, चाहे लोगों द्वारा ।

आंकड़ों में कुछ भिन्नता हो सकती है लेकिन, हमें उनकी ओर ध्यान न देकर कार्य करते जाना चाहिए । यदि माननीय सदस्य वर्तमान पद्धति से कोई बेहतर पद्धति बताना चाहते हैं, तब मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : योजना आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से आप वह आंकड़े हमें उपलब्ध करा सकते हैं ।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : हम जानते हैं । पिछले 40 सालों से इस देश में योजना प्रक्रिया चल रही है । एक निकाय द्वारा दिए गए आंकड़े दूसरे निकाय द्वारा दिए गए आंकड़ों से मिलते नहीं हैं । हमें तथ्यों का निपटान करने के मामले में नहीं पड़ना चाहिए । सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यह 48 प्रतिशत हो या 52 प्रतिशत इसका समाधान किया जाना चाहिए । हमें इस ओर ध्यान देना है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप खाली आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में सर्वेक्षण करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पर हेड क्या इन्कम है । उन लोगों के साथ खिलवाड़ न हो, गरीबी हटाने वाली बात अलग है, उस पर अलग बहस हो, परन्तु आंकड़ों के साथ राजनीति न हो, यही हमारा कहना है ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा एक अनुरोध है । क्या योजना आयोग देश को यह बताएगा कि इन आंकड़ों की गणना किस प्रकार की गई ? यह हमारे लिए पर्याप्त है ।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : आप जानते हैं कि ये मानदंड गोपनीय नहीं हैं। इनका पता लगाना सम्भव है चाहे यह कीमतों के हों, गरीबी के हों अथवा गरीबी निर्धारित करने के हों। जो मेरे विचार से ज्ञातव्य हैं सब ज्ञातव्य होने चाहिए। यदि किसी प्रकार के आंकड़ों अथवा मानदंडों का विवरण प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हैं, तब मैं सभा अथवा सदस्यों के साथ उस बारे में बात करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा की आय की जो सीमा है वह शहर के लिए क्या है और गांव के लिए क्या है तथा रुपए के अवमूल्यन के बाद क्या नई आय की सीमा भारत सरकार की तरफ से तय की गई है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मैंने हर साल की गरीबी रेखा के बारे में बताया है।

[अनुवाद]

यह समायोजित है।

	1987-88
ग्रामीण	131.80
शहरी	152.30

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, जब प्रधान मन्त्री बोल रहे थे, तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। उससे पहले कि मैं उनसे प्रश्न पूछूं, आपका ध्यान इसी सदन में 28 वर्ष पूर्व हुई गरीबी रेखा के सिलसिले में पहली बार बहस की ओर खींचना चाहता हूं, जैसे इस समय बहस हो रही है, ठीक उसी तरह 28 वर्ष पूर्व इसी सदन में गरीबी रेखा के ऊपर हुई बहस के समय डा० लोहिया ने कहा था कि इस देश के 27 करोड़ लोगों की दैनिक आय 3 आने और स्व० पं० जवाहर लाल नेहरू का कहना था कि उनकी आय 15 आने थी, यह सैम्पल सर्वे के तहत बात पता लगी थी, मैं आज फिर वही सवाल उठाना चाहता हूं कि ऐसा कौन-सा फूलप्रूफ तरीका है, जिससे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सही गणना का पता चल सके ? प्लानिंग कमीशन का क्या मतलब होता है, हम लोगों को क्या पता नहीं है कि हमारे देश में गरीबी की स्थिति क्या है ? अगर प्रधान मन्त्री जी के सामने और सरकार के सामने कोई फूलप्रूफ चीज नहीं है, तो क्या वे यह सोच रहे हैं कि देश के अर्थशास्त्री और इस क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य लोगों का एक सम्मेलन बुलाकर के कम से कम यह जानने की कोशिश करें कि हिन्दुस्तान की गरीबी को जानने के लिए क्या नार्म्स होने चाहिए ?

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मेरा सुझाव है कि सभा में एक दिन की चर्चा करें। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभा भारत में फैली गरीबी पर चर्चा करें ।···(**व्यवधान**)···

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं इस विषय की सभी उपशाखाओं पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार हूं । इसमें कोई समस्या नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इनकी अध्यक्षता में यह चीज हो जाए, अच्छा है ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बेरोजगारी के आंकड़े देना बंद कर दिया है । अब बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दिए जाते । पंचवर्षीय योजना तक, बेरोजगारी आंकड़े दिए जाते थे । उसके पश्चात् ये आंकड़े देना बंद कर दिया गया (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक व्यक्ति बोल सकता है ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आंकड़े क्यों नहीं दिए जाते ? (**व्यवधान**)

श्री ए० चारलेस : जब प्रधान मन्त्री इस मामले पर स्पष्ट चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं तो मेरे विचार से इस समय इस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष जी, क्या सरकार को यह जानकारी है कि जेलों में पखाना साफ करने वाले मेहतर, हजामत बनाने वाले नाई और कपड़े धोने वाले धोबी की तनख्वाह दो रुपए प्रतिदिन है ?

[अनुवाद]

श्री एच०आर० भारद्वाज : मैं तथ्यों से अवगत नहीं हूं ।

[**हिन्दी**]

श्री कड़िया मुंडा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह उनके अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट उन्हें दी गई है, उसके आधार पर वे बोल रहे हैं । हम लोग जो उन क्षेत्रों से आते हैं, हमको जानकारी है कि कहां कितनी गरीबी है और उस गरीबी को मिटाने के लिए और गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए जो पैसा दिया गया और उसके बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई और उनका जीवनस्तर ऊंचा नहीं उठा, तो क्या मंत्री जी यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो सहायता उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए दी गई थी वह उनको ठीक ढंग से नहीं मिली, तो इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब आप पुनरीक्षण करने जा रहे हैं । मैं इसको अलाऊ नहीं करता हूं ।

[अनुवाद[

श्री शंकर राव काले : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री शंकर राव काले : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे *रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बहुत देर से एक ही सवाल चल रहा है और इस पर प्रधान मन्त्री जी ने भी गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गरीबी के जो तीन आंकड़े हैं, जैसा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बताया कि तीन जगह तीन हैं, उसका आपने क्या क्राईटेरिया निर्धारित किया है ? कौन से ऐसे मानदंड हैं जिनके अनुसार आप गरीबी की रेखा को नापते हैं और जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, रुपए का अवमूल्यन होने के बाद गरीबी रेखा का आपने जो आंकड़ा दिया है वह यही है या कोई और आंकड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है, आपने सुना नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मेरे विचार से माननीय मंत्री ने कुछ सूचना दी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास राज्यवार गरीब व्यक्तियों के आंकड़े हैं ? कुल आंकड़ों में से, क्या आपके पास राज्यवार आंकड़े हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरे पास आंकड़े हैं और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह लिखित रूप में दे सकते हैं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हां, महोदय, मैं इसे लिखित रूप में दे सकता हूं ।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, माननीय मंत्री ने आंकड़े देते हुए वर्ष 1987-88 को उद्धृत किया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या और प्रतिशत के बारे में जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अगर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा क्यों है ? आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए क्या ये आंकड़े उपलब्ध करवाए जायेंगे ।

श्री एच०आर०भारद्वाज : ये आंकड़े जनगणना के आधार पर नहीं दिए जाते हैं । यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर दिए जाते हैं जो हर पांच वर्ष पश्चात् किया जाता है प्रतिवर्ष, छोटे सर्वेक्षण किए जाते हैं जिनमें राज्यवार आंकड़े नहीं दिए होते । यह एक स्वीकृत मानदण्ड है, अभी नहीं बनाया गया । प्रत्येक सरकार इसका पालन करती है । 1989 में भी, जब जनता दल सरकार सत्ता में थी, उन्होंने कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई । उन्होंने इसे ही अपनाया और एक विशेष कार्य बल का गठन किया जो अब इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं ।

श्री ए० चारलेस : यह एक ज्ञात तथ्य है कि इस देश में काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं । संपूर्ण सभा सर्व सम्मति से सहमत है कि इन लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ करना होगा । माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए कि इस पर एक पूरे दिन की बहस होगी,

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने में अन्य देशों विशेषकर सोवियत संघ में अपनाए गए दिशा निर्देशों को उपलब्ध करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के लिए हमें समय ढूंढना होगा। मेरे विचार से, आप सभी प्रबुद्ध सदस्य हैं। आप जानते हैं कि भोजन और अर्जित आय पर विचार किया जाता है। इन दो मापदण्डों पर विचार किया जाता है। कई बार, मौसम के अनुसार, कम या अधिक भोजन खाया जाता है। आय के बारे में भी यही बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधानमंत्री का ध्यान एक विशिष्ट मुद्दे की ओर आकृष्ट किया गया था कि जो लोग गरीबी-रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो लगभग अमानवीय गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। जब आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है। क्या प्रधानमंत्री इस पर विचार करेंगे कि उन लोगों की स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाए जो लगभग अमानवीय गरीबी के स्तर पर जी रहे हैं? आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय क्या इस बात पर विचार किया जाएगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, सभा जानती है कि पहली बार श्रीमती इंदिरा जी के समय में, गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला करने के उपाय अपनाए गए थे। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम इसके लिए बनाए गए थे। गरीबों के भी कई स्तर हैं। स्वभावतः बुद्धि और समय की मांग है कि हमें सबसे गरीब की सहायता करनी चाहिए। किन्तु, कई बार यह अत्यन्त मुश्किल हो जाता है कि समाज के सर्वाधिक गरीब लोगों को पहचाना जाये। ये गणना-विषयक मामला है। किन्तु मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि गरीबी में भी विभिन्न स्तर हैं तो योजना आयोग को गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब को प्राथमिकता देनी होगी और मेरे विचार से, यह हो रहा है। हम इसकी दोबारा जांच कर सकते हैं और देखें कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पूअरेस्ट आफ दी पूअर इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या आपने कोई एक प्लान के लिए सर्वे किया है कि गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं। मान लीजिए पांच रुपया पाते हैं लेकिन सबसे नीचे गरीब से गरीब आदमी एक रुपया अगर पाता है, जो आपने अगले पांच सालों में उठाना है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका दर कितना है तो एक रुपया वाले और आठ आने वालों की संख्या कितनी है। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुश्किल यह है कि हम आंकड़ों में अपने आपको खो रहे हैं। आकड़ों में खो जाना ठीक नहीं है। आज अगर एक मजदूर को पांच रुपया मिलता है तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं मिलता। पांच रुपये में आयेगा या शून्य में आयेगा, इन बातों में जाना नहीं है। हम जानते हैं कि यहां गरीबी है। आप गांवों में चले जाइए। हम सब गांवों से आते हैं। हम जानते हैं कि गरीबी वहां है। अंडर एम्पलायमेंट बहुद ज्यादा है। अन-एम्पलायमेंट से भी ज्यादा अंडर एम्पलायमेंट है। हम एम्पलायमेंट नहीं कह सकते सही मायनों में और उससे बेहतर नहीं है कुछ उसके पास, वही करता है। प्लानिंग कमीशन ने जो करना है, वह तो कराया जायेगा। आंकड़ों के बारे में जो अभी पूछा गया तो कोई भी साफ, कोई भी स्पष्ट और असंदिग्ध इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास गरीब लोग हैं और गरीबी की जो परतें हैं, यह अलग-अलग परतें हैं। हम

को सबसे नीचे जाना पड़ेगा, यह हमारा उद्देश्य है और मैं समझता हूं कि इससे सभी सहमत होंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर 35 मिनट ले लिए हैं इसलिए अब दूसरे प्रश्न पर जायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। किन्तु आप उठे नहीं।

(व्यवधान)

मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री

*673. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की एक वर्ष की कुल बिक्री में शीतल पेय कन्सेन्ट्रेट की बिक्री 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या "कम्पनी का कारोबार" परिभाषा में इसके द्वारा बेची गई सभी मदें शामिल हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) "कम्पनी का कारोबार" परिभाषा में शामिल मदों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंत्रालय के विचार से कम्पनी का कारोबार कम्पनी को मंजूर किए गये आशय-पत्र/विदेशी सहयोग अनुमोदन में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित होना चाहिए, परन्तु कम्पनी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया था कि ऐसे "कुल कारोबार" में शामिल किये जाने वाले उत्पादों को उक्त करार परिभाषित अथवा सूचीबद्ध नहीं करता अतः इसके द्वारा बेचे गये/निर्यात किये गये सभी उत्पाद इसमें शामिल होने चाहिए। "कम्पनी का कुल कारोबार" शब्द की व्याख्या में अन्तर को देखते हुए इस मामले को विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है और जब तक इसकी कानूनी जांच पूरी नहीं हो जाती और कोई निर्णय नहीं लिया जाता, आशय पत्र/विदेशी सहयोग अनुमोदन में उल्लिखित "कम्पनी का कुल कारोबार" शब्द में कारोबार की गणना करते समय शामिल की जाने वाली शामिल न की जाने वाली वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताना इस स्तर पर संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय मेरे बहुत पुराने साथी हैं। ऐसा लग रहा है कि वे इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ······

** ······ (व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रकार का आरोप है। इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : पहले आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइये मगर गालियां मत दीजिए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको समझाना होगा कि आप मंत्री महोदय के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : हमारे अधिकारों का संरक्षण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप ही का कर रहा हूं।

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि पेप्सी कोला कंपनी ने अनेकों बार हमारी शर्तों का उल्लंघन किया है। लैटर आफ इंटेंट/फारेन कोलेवरेशन उन सभी चीजों के अन्दर यह कम्पनी बनाती है। उसमें टोटल टर्न-ओवर को जान बूझकर नहीं जोड़ा गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि पेप्सीकोला कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिये उसे नहीं जोड़ा गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा मामला लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है और वहां इसलिए भेजा गया है ताकि उसमें देर हो। जब देर होगी तो कम्पनी को फायदा होगा। हमारी शर्तों के मुताबिक इस कम्पनी के जो अनुबंध हैं, उनके मुताबिक पेप्सी कोला ने कहा था कि यह नये कृषि अनुसंधान कार्य की स्थापना करेगी लेकिन वह बात इस कम्पनी ने पूरी नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसे लॉ डिपार्टमेंट के पास सलाह के लिए या राय के लिये भेजा गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी जबकि आप स्वयं भी और आपका मंत्रालय भी इस मामले में सजग था, लॉ डिपार्टमेंट से कितने दिन में राय आ जायेगी और इस मामले में आप कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री गिरिधर गोमांगो : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3-4 सवाल पूछे हैं। मैं तीनों सवालों का जवाब दे दूं या एक का दे दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जितने का चाहें उतने का दे दें।

श्री गिरिधर गोमांगो : पहले तो मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जिस ढंग से सवाल किया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसको छोड़ दीजिये।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था तो मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया था। आज भी, आपने आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दी है। हम शाम को इस पर चर्चा करेंगे। मेरे पास जो उत्तर पहले से ही है और प्रश्नों का उत्तर देते समय, मैंने सभा में पहले जो भी कहा है, उस पर हम शाम को आधे घन्टे की चर्चा में चर्चा करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समस्त कारोबार पर कम्पनी की व्याख्या से सहमत नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : हम से आपका तात्पर्य क्या है ?

[हिन्दी]

आपने अभी कहा है ?

[अनुवाद]

क्या यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है ?

[हिन्दी]

यह आपके मंत्रालय की भूमिका है।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। हमने पाया कि कम्पनी की व्याख्या आशय पत्र के आधार पर की गई मंत्रालय की व्याख्या से बिल्कुल अलग है। जब तक विधि मंत्रालय से मुझे कानूनी मत नहीं मिलता, मेरे लिए इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देना मुश्किल हो जाएगा। कि उन्होंने जो कुल कारोबार दिया है वह सत्य है या असत्य।

[हिन्दी] :

श्री फूलचन्द वर्मा : लैटर आफ इंटेंट पर क्या व्याख्या किया है ? ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है, हम जो आशय पत्र में जो कुल कारोबार दिखाया गया है, हम उससे असहमत नहीं हैं। मैं आशय पत्र में दिए गए तथ्यों को पढ़ूंगा।

> "शीतल पेय सान्द्र उत्पादन का कुल कारोबार किसी भी वर्ष में कम्पनी के उस वर्ष के कुल कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

किन्तु कम्पनी जो कारोबार बता रही है वह आशय पत्र के अनुसार नहीं है ? हमने इसे कानूनी सलाह के लिए विधि मंत्रालय को सौंप दिया है। अन्त: मंत्रालय समिति की इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए 6 सितम्बर को बैठक हो रही है और उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि क्या कार्य-वाही की जाए।

[हिन्दी] :

श्री फूलचन्द वर्मा : मैंने जो बात स्पैसिफिक पूछी है, उसका यह जवाब नहीं दे रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि विधि मंत्रालय से कानूनी सलाह मिलने में आप को कितना समय चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो : अन्त: मंत्रालत समिति की बैठक 6 सितम्बर को हो रही है और वहां इन सभी मुद्दों पर और कम्पनी की विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा होगी।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण प्राप्त करके मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और मैंने स्पष्ट पूछा है कि कम्पनी के कारोबार में लैटर ऑफ इंटेंट/फारेन कोवेवरेशन में जो साफ तौर पर व्याख्या की जाती है, वह क्यों नहीं की और वह किस की गलती है? इसके बारे में मंत्री जी ने अभी कुछ बताया नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो टोटल टर्न-ओवर है उसमें पेप्सी कोला और भारत सरकार के बीच मतभेद था। उस मतभेद को दूर करने के लिए आपने ला डिपार्टमेण्ट को भेजा है तो यह किस नीचर के मतभेद थे? जब अनुबंध की शर्तें आपने प्रस्तुत की थीं, जब अनुबंध हुआ था, तब इन बातों का ध्यान नहीं दिया गया था? इसमें देश का कई तरह का नुकसान हुआ है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि आपने समझौते पर सामान्य व्याख्या क्यों नहीं की।

श्री गिरिधर गोमांगो : हमने सामान्य व्याख्या प्रस्तुत की, इसीलिए व्याख्या पर मतभेद हुए हैं। मुख्य बात यह है कि हम आशय पत्र से बंधे हुए हैं। हम कम्पनी की व्याख्या से बंधे हुए नहीं हैं। विधि मंत्रालय को एक निर्णय लेना होगा जिसमें उन्हें कहना होगा कि क्या कुल कारोबार की व्याख्या वही है जो आशय पत्र में है। जब तक मुझे विधि मंत्रालय का मत प्राप्त नहीं होता, तब तक मैं कारोबार के बारे में ठीक ठीक कैसे बता सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : यह मेरा सैकेण्ड सप्लीमेण्टरी है, पहले मैंने क्लेरीफिकेशन पूछा था। मैंने कृषि अनुसन्धान की बात कही थी, वह बात भी मंत्री महोदय ने नहीं बताई।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हमने इस विदेशी कम्पनी से यह समझौता किया तो समझौते में एक शर्त होती है कि विदेशी ब्राण्ड नाम का वह कम्पनी प्रयोग नहीं करेगी। उसकी भारत सरकार कभी अनुमति नहीं देती, यह कंवेंशन है और नियम है। यह जो पेप्सी-कोला कम्पनी है, इसने जो लहर पेप्सी नाम का पेय पदार्थ बनाया है, इसकी पब्लिसिटी तो बहुत कम होती है लेकिन पेप्सीकोला का नाम बार-बार आता है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सारा मामला ऐसा है कि लहर तो एक तरफ दब जाती है, लहर तो उठने नहीं पाती है लेकिन पेप्सी कोला ऊपर आ जाता है तो इस सम्बन्ध में क्या आपने कम्पनी को कोई हिदायत दी है, क्या कोई पत्र लिखा है, क्या कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही आप करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी मैं चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो मैं भी समझ नहीं सका।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय यदि आपने प्रश्न समझ लिया है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : समझौते में और आशय पत्र में भी यह उल्लेख था कि घरेलू बाजार

में वे विदेशी ब्राण्ड के नाम प्रयोग नहीं करेंगे । किन्तु अब सी० सी० जी० ए० से अनुमति मिलने के बाद वे भिश्रित नाम का प्रयोग कर रहे हैं लहर पेप्सी । यह आशय पत्र में नहीं था । किन्तु वे लहर पेप्सी का प्रयोग कर रहे हैं-उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की अनुमति से 'लहर' जोड़ दिया है । उस आधार पर दो नामों के लिए छूट दी गई है कि लहर और पेप्सी का प्रयोग होगा ।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

[अनुवाद[

श्री प्रफुल पटेल : आशय पत्र में उन्होंने यह वादा किया था अपने उत्पादों के कुल कारोबार का 40 प्रतिशत निर्यात करेंगे और 10 प्रतिशत उन उत्पादों की सूची में से होगा जो इस देश से निर्यात होंगी । यह देखा गया है कि वे समुद्री केकड़ा, चावल और चाय जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं जो उनके द्वारा निर्मित नहीं हैं या जो विशेष सूची में नहीं हैं । क्या सरका. .ो .ि.दत है कि पेप्सी फूड द्वारा कौन-कौन सी चीजें निर्यात की जा रही हैं । क्या ये चीजें चयनित सूची में शामिल हैं । यदि ऐसा है तो सरकारी ब्यौरा क्या है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : सरकार इससे अवगत है । हमने एक सरकारी दल का गठन किया था, जो कम्पनी का दौरा कर चुका है । दल ने यह पाया था कि निर्यात संबंधी शर्त इसने पूरी नहीं की है । इस आधार पर हमने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था । इस नोटिस का जवाब मिल चुका है । हमने पाया कि 40% निर्यात की वचनबद्धता इस कम्पनी ने पूरी नहीं की है, क्योंकि जिन वस्तुओं का निर्यात कम्पनी ने किया है, वे वस्तुएं कम्पनी के द्वारा स्थापित एकको द्वारा नहीं बचायी जाती हैं । वाणिज्य मंत्रालय भी इस उल्लंघन की जांच कर रहा है कि पेप्सीफूड ने निर्यात की वचनबद्धता क्यों नहीं पूरी की है । (**व्यवधान**) उनका आशय पत्र यहां मौजूद है । हम कम्पनी तथा इसकी निर्यात संबंधी वचनबद्धता से सम्बन्धित सभी मुद्दों की जांच कर रहे हैं । अन्तर-मंत्रालय समिति की बैठक परसों होने वाली है। उसके बाद से कोई निर्णय लिया जायेगा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अब हम दूसरे प्रश्न को लेंगे । (**व्यवधान**)

मारुति कारों का निर्यात

***674. श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सुजुकी का विभिन्न प्रकार की कारों का निर्माण करने के लिए हंगरी में एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ताकि यूरोप में कारों की मांग पूरी की जा सके;

(ख) क्या इससे यूरोप को मारूति कारों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) सुजुकी मोटर कारपोरेशन 1 लिटर तथा 1.3 लिटर कारों के विनिर्माण हेतु हंगरी में एक संयंत्र लगा रही है ।

(ख) और (ग) हंगरी स्थित सुजुकी संयंत्र ऐसी कारों का निर्माण करेगा जो मारूति उद्योग

लिमिटेड से यूरोप को निर्यात की जाने वाली कारों से भिन्न होगी । ये विभिन्न विपणन खण्डों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : अन्ना जोशी महोदय, क्या आप पूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते ?

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मैं पूरक प्रश्न बाद में पूछूंगा ।

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मारूति मोटर उद्योग की वजह से हमें निर्यात से कितनी आय हुई है और इसके ऊपर फॉरेन करेन्सी हमने कितने करोड़ रुपये की खर्च की है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास यह सूचना है ?

श्री पी० के० थुंगन : हां महोदय, मेरे पास वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 तक की जानकारी है ।

अब तक मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड ने 674.36 मिलियन अमरीकी डालर खर्च कर चुकी है । और इसे 103.50 मिलियन अमरीकी डालर की आय हुई है । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हेरिन पाठन : अध्यक्ष महोदय, मारूति कार जो हिन्दुस्तान में बनती है, उसको हंगरी सरकार हमसे खरीदना चाहती है ? उसके संदर्भ में हमारे कुछ अधिकारी भी हंगरी गए । उसके बाद सुजुकी कम्पनी ने हंगरी जाकर, हंगरी हिन्दुस्तान से मारूति कार न खरीदे, इसलिए हंगरी में कारखाना डालने का संकल्प किया है । मान्यवर मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह सारी घटना हमारे मारूति उद्योग को बड़े घाटे में लाने के लिए की जा रही है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार यह बताना चाहेगी कि कौन से अधिकारी हंगरी गये थे और उनसे क्या वार्तालाप किया ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उस वार्तालाप में हंगरी सरकार ने जो प्रथम निर्णय लिया था, वह क्यों बदला ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मूल उत्तर में हमने यह कहा था कि हंगरी में मैसर्स सुजुकी द्वारा जो संयंत्र लगाया जा रहा है, वह उन कारों से भिन्न तरह की कारें बनाएगा जो मारूति उद्योग द्वारा यूरोपीय बाजार के लिए बनायी जा रही हैं । जैसा कि मैंने कहा है कि सुजुकी हंगरी में 1 लिटर और 1.3 लिटर वाली कारें बनायेगी । यह वहां छोटी कारों में एक उच्च किस्म की कार होगी । जबकि मारूति उद्योग केवल 800 सी. सी. और 1000 सी. सी. वाली कारें बनाता है । हम छोटी कारों की इस हल्की श्रेणी का ही निर्यात करेंगे । हमने यह पता लगाया है कि इससे यूरोप में हमारे बाजार पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं । अब तक के हमारे अनुमान से इतना पता चला है कि स्थापित होने वाले मैसर्स सुजुकी उद्योग से पश्चिमी देशों में हमारे बाजार को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी ।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि बातचीत के लिए अब तक कोई अधिकारी वहां गया है अथवा नहीं । यह सही है कि मारूति उद्योग लि० के चेयरमैन व प्रबन्ध-निदेशक हंगरी गए थे और वहां

बातचीत भी हुई थी। बातचीत का उद्देश्य निर्यात के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त करना था और वहां बेहतर बाजार प्राप्त करने के लिए अपने एजेन्टों की नियुक्ति भी की जा सके।

तीसरे, माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु मैं कहना चाहूंगा कि मैसर्स सुजुकी ने पहली बार पूरे यूरोपीय बाजार को मारूति उद्योग के लिए छोड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं। वे यह विक्रय संगठन द्वारा वे सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगी जो इसके पास यूरोप में हैं। इसलिए हमें वहां नये विक्रय संगठनों की स्थापना की जरूरत नहीं है। मैसर्स सुजुकी द्वारा जो कुछ भी सुविधाएं और विक्रय संगठन स्थापित हैं, उन सभी का लाभ मारूति उद्योग ले सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हेरिन पाठक : हमारे सी० एम० डी० इस सम्बन्ध में हंगरी नहीं गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप बैठ जाएं। मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

आपने सुनाही नहीं कि उन्होंने क्या कहा।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, 1 लिटर, 1.3 लिटर, 800 सी. सी. और 1000 सी. सी. कारों में अन्तर क्या है ? यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

दूसरे, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वे दूसरे बाजारों के लिए उत्पादन करेंगे। क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि हंगरी में मैसर्स सुजुकी जो कारें उत्पादित कर रहा है, वे कारें उन बाजारों को नहीं जाएंगी, जहां मारूति सुजुकी कारें बेची जा रही हैं, और जिस बाजार में उनका बेचने का विचार है।

श्री पी० के० थुंगन : शायद, माननीय सदस्य महोदय जानना चाहते हैं कि वाहनों की किस्मों के बारे में। एक किलो लीटर का मतलब 1000 सी. सी. और 1.3 लीटर का मतलब 1,300 सी. सी. है।

दूसरा मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। जहां तक विपणन का सवाल है, भिन्न भिन्न किस्मों से मेरा मतलब मूल्यों में भिन्नता से हैं। कीमत में भिन्नता से मतलब है निम्न दर्जे और उच्च दर्जे वाली कारें। हमारी मंशा है यूरोप में निम्न दर्जे वाली कारें सप्लाई करना। वास्तव में सुजुकी द्वारा उत्पादित होने वाली बड़ी कारों से यूरोप में छोटी कारों की मांगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी का उत्पादन और उसका निर्यात

672. **श्री एस०बी० सिदनाल :** क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग से चीनी का उत्पादन बढ़ाने तथा चीनी का और अधिक मात्रा में निर्यात करने का अनुरोध किया है ताकि इससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चीनी उद्योग को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) सरकार चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के द्वारा चीनी उद्योग की बराबर सहायता करती आ रही है जिससे यह चीनी का और अधिक निर्यात करने में सक्षम हो सके। 1991-92 के अगले चीनी मौसम में चीनी फैक्ट्रियों को जल्दी पेराई हेतु प्रोत्साहित करने, जिससे कि चीनी का अधिकतम उत्पादन हो सके, के लिए सरकार ने 1 अक्तूबर, 1991 से 15 नवम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।

सरकारी विभागों में रिक्त पद

*675. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1991 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में प्रत्येक ग्रुप के कितने-कितने पद रिक्त थे; और

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनके कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) चूंकि रिक्तियों को भरने तथा भर्ती नियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भर्ती की कार्रवाई में हुई प्रगति की निगरानी रखने का उत्तरदायित्व बहुत बड़ी संख्या में सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों में बांटा हुआ है, इसलिए किसी विशिष्ट तारीख को रिक्तियों की कुल संख्या तथा उस तारीख, जिस तक रिक्तियां भरे जाने की संभावना है, से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

सरकारी विभागों में पदों का सृजन

[हिन्दी]

*676. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद बनाए गए;

(ख) नव सृजित पदों में से अब तक कितने पद भरे गए हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन रिक्त पदों को भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) सामान्य श्रेणी, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) नए पदों के सृजन की शक्तियां वित्त मंत्रालय में केन्द्रीकृत नहीं है। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय समूह "ख", "ग" तथा "घ" में कतिपय शर्तों के अध्यधीन योजना पदों के सृजन के लिए तथा वाहन आदि जैसी नई परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के सम्बन्ध में आवश्यक पदों को सृजित करने में सक्षम हैं। अत. गत तीन वर्षों के दौरान सृजित विभिन्न समूहों के पदों की कुल संख्या तथा अब तक भरे गए ऐसे पदों की संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग, जो केन्द्रीय सरकार के मुख्य भर्ती संगठन हैं, द्वारा जारी विज्ञापनों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

किया गया व्यय (रुपयों में)

वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग	कर्मचारी चयन आयोग	कुल
1988-89	1,32,76,376	44,80,559	1,77,76,935
1989-90	1,69,09,649	1,11,31,347	2,80,40,997
1990-91	2,14,51,527	71,30,851	2,85,82,378

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार के मुख्य भर्ती संगठनों, संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन किए गए/नामित उम्मीदवारों से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई हैं :

संघ लोक सेवा आयोग

वर्ष	नामित उम्मीदवारों की संख्या			
	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	योग
1987-88	6407	569	315	7291
1988-89	6147	429	287	6863
1989-90	(अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं)			6457

टिप्पणी : संघ लोक सेवा आयोग समूह "क" तथा "ख" पदों पर भर्ती करता है। चूंकि भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह "क" तथा "ख" पदों पर

नियुक्ति के मामले में कोई आरक्षण नहीं है अतः इन श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है।

कर्मचारी चयन आयोग

नामित उम्मीदवारों की संख्या

वर्ष	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग	योग
1987-88	13665	2294	1319	311	526	18115
1988-89	12507	3139	1951	320	365	18282
1989-90	10418	3963	2606	321	278	17586

अन्य भर्ती संगठनों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित सूचना कन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

स्वदेशी इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां

[अनुवाद]

*677. **श्री भाय्ये गोवर्धन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हुई प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से उत्पादकता में अधिकतम कितना सुधार हो सकता है; और

(ग) इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने की कितनी क्षमता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों की दृष्टि से इसकी प्रमुख स्वदेशी उपलब्धियां इस प्रकार हैं : श्याम तथा श्वेत और रंगीन टी०वी० सेट, राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क, रेलवे तथा एअर लाइन आरक्षण प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण, समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर (परम), ग्राफिक्स तथा बुद्धि पर आधारित लिपि प्रौद्योगिकी (जिस्ट) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र नेटवर्क (निकनेट), पृथ्वी, नाग, अग्नि और त्रिशूल जैसे प्रक्षेपास्त्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां, कैंसर के उपचार के लिए सरल त्वरक (लीनियर एक्सीलरेटर), उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा सम्प्रेषण तथा वस्त्र उद्योग, लुगदी तथा कागज उद्योग आदि के लिए इलेक्ट्रानिक यंत्रीकरण।

(ख) उत्पादकता में अधिक से अधिक कितनी बढ़ोतरी हासिल हो सकेगी, यह कई बातों पर

निर्भर करेगा, जैसे कि उद्योग का स्वरूप, स्वचालन का स्तर तथा संभावित इलेक्ट्रानिकीकरण और ऊर्जा की मात्रा ।

(ग) प्रायोगिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी में रोजगार की संभावनाएं" विषय पर की गई जांच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान प्रति 1 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश से 146 रोजगार के अवसर पैदा हुए, जो अपेक्षाकृत उच्च रोजगार/पूंजीनिवेश का अनुपात है । इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में निर्यात की संभावना रखने वाली वस्तुओं के रूप में साफ्टवेयर, श्याम तथा श्वेत और रंगीन टी०वी० सेट, श्रव्य प्रणालियां तथा कुछ संघटक-पुर्जों को चुना गया है ।

दिल्ली में उचित दर दुकानें

[हिन्दी]

*678. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम" : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर दुकानों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो एक उचित दर दुकान के लिए कितने यूनिट राशन निर्धारित होता है; और क्या एक दुकान के लिए यूनिटों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह अधिकतम सीमा पूरी दिल्ली में समान रूप से लागू है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्धारित मानदंड के अनुसार पूर्वी दिल्ली और बाह्य दिल्ली में उचित दर दुकानों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) लोगों के हितार्थ उचित दर की कुछ और दुकानें खोलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उपभोक्ता की सुविधा तथा दुकान की आर्थिक आत्मनिर्भरता को यथोचित रूप से ध्यान में रखते हुए एक उचित दर की दुकान के साथ आमतौर पर 5000 अनाज यूनिटें संबद्ध होती हैं ।

(घ) दिल्ली में पूर्वी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 46 लाख टन तथा 26 लाख टन अनाज यूनिटों के लिए क्रमश: 847 व 451 उचित दर की दुकानें हैं ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वे अपने आप तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनुरोध करने पर अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलने की आवश्यकता की नियमित रूप से पुनरीक्षा करते रहते हैं ।

फूलबनी और कालाहांडी में आकाशवाणी केन्द्र तथा दूरदर्शन रिले केन्द्र

*679. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में फूलबनी और कालाहांडी में आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां. तो ये केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी की एक अनुमोदित योजना है, जिसके तहत कालाहांडी जिले में भवानी पटना में एक नया केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस स्कीम के 1992-93 के दौरान तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की योजना है। फूलबनी के लिए इस समय ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, भवानी पटना और बोलनगीर में स्थापित किए जा रहे आकाशवाणी केन्द्रों के चालू हो जाने और जैपोर के 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 100 कि.वा. कर दिए जाने से इन दोनों जिलों में रेडियो सिग्नल पूरी तरह से प्राप्त होने लगेंगे।

इन दोनों में से किसी भी एक जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इन जिलों में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करना, इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राज्यों को आवंटित किया गया चावल

[अनुवाद]

*680. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों को राज्यवार और महीना-वार कितना-कितना चावल आवंटित किया गया है; और

(ख) क्या यह आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है अथवा उनकी मांग के अनुरूप किया गया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं। आवंटन की प्रणाली पिछले कई वर्षों के दौरान तैयार की गई है और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर की गई मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और मौसमी उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर आवंटन किए जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

विवरण

जनवरी से सितम्बर, 1991 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को चावल के लिए गए आवंटन के राज्यवार और मासवार ब्यौरे

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. आंध्र प्रदेश	130.0	165.0	185.0	217.0	217.0	217.0	217.0	230.0	230.0
2. अरुणाचल प्रदेश	8.0	8.0	8.0	12.0	12.4	8.0	8.0	11.0	11.0
3. असम	35.3	35.3	35.3	35.3	40.3	35.3	40.3	40.3	40.3
4. बिहार	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	15.0	15.0
5. गोआ	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5
6. गुजरात	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	28.0	31.0	31.0
7. हरियाणा	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
8. हिमाचल प्रदेश	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.15	7.15
9. जम्मू तथा कश्मीर	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	40.0	43.5	43.5
10. कर्नाटक	45.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	56.0	56.0
11. केरल	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	142.5	162.5	150.0
12. मध्य प्रदेश	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	25.0	34.0	34.0
13. महाराष्ट्र	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	52.0	52.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14. मणिपुर	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	10.0	10.0
15. मेघालय	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	13.0	13.0
16. मिजोरम	7.5	9.0	9.0	9.0	9.0	7.5	7.5	10.5	10.5
17. नागालैंड	9.25	9.25	9.25	12.25	15.25	15.25	11.25	12.25	12.25
18. उड़ीसा	18.0	18.0	18.0	24.0	24.0	26.0	29.0	40.5	45.5
19. पंजाब	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
20. राजस्थान	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4.2	4.2
21. सिक्किम	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5
22. तमिलनाडु	65.0	65.0	75.0	99.48	75.0	75.0	75.0	81.0	81.0
23: त्रिपुरा	12.85	12.85	12.85	12.85	22.85	12.85	12.85	15.85	15.85
24. उत्तर प्रदेश	25.0	25.0	25.0	25.0	32.5	27.5	30.0	35.0	35.0
25. पश्चिम बंगाल	60.0	65.0	65.0	65.0	65.0	69.0	69.0	81.0	85.0
26. अ० तथा नि० द्वीपसमूह	4.5	—	—	4.5	—	—	4.5	—	—
27. चंडीगढ़	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0	2.0
28. दादर तथा नगर हवेली	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
29. दमन और दीव	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	1.0	1.0
30. दिल्ली	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	27.0	27.0
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
32. पांडिचेरी	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

*681. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में जहां जिला परिषदें हैं, वहां समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम उनके माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं;

(ख) क्या असम में करबी अंगलांग और नार्थ कछार हिल्स की जिला परिषदों को ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को आमतौर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाता है।

तथापि, कर्नाटक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल में जवाहर रोजगार योजना को जिला परिषदों की मार्फत कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) असम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधित जिलों की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों की मार्फत कराया जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की शासी निकाय में जिला कौंसिल का प्रतिनिधित्व इसके मुख्य कार्यकारी सदस्य तथा पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास के प्रभारी सदस्य द्वारा किया जाता है।

सुदूर संवेदी केन्द्र

*682, **श्री प्रतापराव बी० भौंसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(क) क्या देश में कुछ सुदूर संवेदी केन्द्र (रीमोट सेंसिंग सेन्टर्स) स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों में स्थित है;

(ग) क्या ये केन्द्र उपयोगी सिद्ध हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (च) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राष्ट्री सुदूर संवेदन एजेंसी, हैदराबाद, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र अहमदाबाद तथा अन्तरिक्ष विभाग के बंगलौर, देहरादून जोधपुर, खड़गपुर और नागपुर स्थित पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों (आर० आर० एस० एस० सी०) के अति रिक्त 21 राज्य सरकारों ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र हैदराबाद, गोवाहाटी, पटना, बड़ौदरा, हिसार, शिमला, श्रीनगर, बंगलौर, तिरुवन्तपुरुम, भोपाल, नागपुर, एजवाल, इम्फाल, भुवनेश्वर, लुधियाना, जोधपुर, गंगटोक, मद्रास, अगरतला, लखनऊ और कलकत्ता में स्थित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इन सुदूर संवेदन केन्द्रों ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर अनेक परियोजनायें आयोजित की हैं। इन परियोजनाओं को कृषि फसलों का एकड़वार और पैदावार का आंकलन, सूखा मानीटरन और आंकलन, कृषि जलवायु क्षेत्र आयोजना के लिए भूमि उपयोग/भू-आवरण मानचित्रण, परती भूमि प्रबंध, जल संसाधन प्रबंध, महासागर/समुद्री संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंध, शहरी विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वन संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंध इत्यादि क्षेत्रों में आयोजित किया गया है।

(ङ) और (च) : अन्तरिक्ष विभाग अपने क्रियाकलापों के भाग के रूप में देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की स्थापना की दिशा में केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेन्सियों को, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक सुदूर संवेदन सुविधाओं की स्थापना के लिए उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं।

कम्प्युटर वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

*683, **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शास्त्रीय संस्कृत में प्रयुक्त व्याकरण एवं शब्दार्थ निर्वचन तकनीकों से कम्प्युटर वैज्ञानिकों को अवगत कराने के लिए सरकार ने कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा प्रशिक्षण कहां-कहां दिया जाएगा;

(ग) कम्प्युटर विज्ञान में बैचलर आफ टेक्नोलॉजी अथवा बैलचर आफ इन्जीनियरिंग के निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय के रूप में इस प्रकार का प्रशिक्षण शुरू करने की यदि कोई योजना है, तो वह क्या है; और

(घ) कम्प्युटर विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में ऐसा विषय पढ़ाने के लिए किन-किन तकनीकी संस्थाओं को चुना गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती मार्गरेट अल्वा**) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने अपने भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषा वैज्ञानिकों तथा कम्प्युटर वैज्ञानिकों तथा कम्प्युटर वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण, न्याय, मीमांसा तथा निरूक्त का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांतों तथा पाठें सामग्री तैयार करने की एक योजना शुरू की है।

(ख) यह कार्यक्रम निम्नलिखित चार संस्थानों में शुरू किया गया है :—

(i) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति।

(iii) गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

(iv) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

(ग) और (घ) : कम्प्युटर विज्ञान में औपचारिक प्रौद्योगिकी स्नातक (बी० टेक)/इन्जीनियरी स्नातक (बी० ई०) पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

कम्प्युटरों और इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों के लिए मानक संकेत

*684. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्युटरों और इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों के लिए मानक संकेतों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) द्विभाषी आंकड़ों को रखने के लिए संकेतों को बदलने में कितना समय लगेगा तथा पुराने संकेतों वाली मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लाने के संबंध में क्या नीति अपनाई गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरों ने सूचना के आदान-प्रदान के लिए 'भारतीय लिपि कोड' (आई एस सी आई आई) का एक मसौदा तैयार किया है, जिसे कम्प्युटरों तथा टेलीप्रिंटरों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ये कोड अंग्रेजी के अलावा सरकारी तौर से मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विशिष्टियों के मसौदे को अन्तिम रुप देने से पहले उन्हें सम्बंधित प्राधिकारियों को उनकी तकनीकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दिया गया है।

(घ) मानक कोड का लागू करने के लिए मशीनों के प्रतिस्थापन का कोई विचार नहीं है। वैयक्तिक कम्प्युटरों में द्विभाषी आंकड़ा संसाधन के लिए कोड का कार्यान्वयन पहले से ही उपलब्ध विशेष रूप से डिजाइन किए गए हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी जनशक्ति को उपयोग में लाना

*685. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलिक अनुसन्धान, इन्जीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के उपयोग के बारे में आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुशल जनशक्ति का अधिकाधिक उप्योग करने के लिए कौन-सी मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, वर्ष 1981 में जनगणना के साथ-साथ तकनीकी कार्मिकों और उपाधिकारियों (डिग्री होल्डर्स) का सर्वेक्षण किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का उपयोग बढाने के लिए सरकार ने समय-समय पर उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप (व्यय) में बढ़ोतरी;

ii) नवीन वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सर्जन;

iii) विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में विशिष्ट/एडवान्स्ड (उच्च) अध्ययनों के और अधिक केन्द्रों की स्थापना;

iv) विज्ञान के नवीन और प्रमुख (सीमान्त) क्षेत्रों में अनुसंधान बढ़ाने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यवसायकों के कोर दलों का सर्जन;

v) वैज्ञानिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को बढ़ाए गए प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों (शक्तियों) का प्रत्यायोजन ।

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पुनरावृत्ति

686. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा समर्थित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में हो रही पुनरावृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार ने विभिन्न तकनीकी विभागों के द्वारा समर्थित की जा रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पुनरावृत्ति का निर्धारण करने के लिए एक विश्लेषण किया है ताकि अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की जा सके ।

अनेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों ने उनके आबंटित कार्य के अनुसार विशिष्ट अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कक्षेतर अनुसंधान और विकास वित्त पोषण कार्यक्रम चलाए हुए हैं । इन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को जहां आवश्यक होता है प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अन्य सम्बन्धित तकनीकी विभागों के परामर्श से तैयार किया जाता है । अनेक मामलों में, परियोजनाएं सम्बन्धित तकनीकी विभागों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं । बिल्कुल हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने "अनुसंधान और विकास वित्त-पोषण प्रबन्ध पर अन्तर एजेंसी समिति" नामक एक क्रियाविधि भी स्थापित की है जिसकी बैठकें अक्सर होती हैं जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार करने के समग्र उद्देश्य से सभी तकनीकी विभागों की अनुसन्धान और विकास परियोजनाओं से सम्बन्धित सामान्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए राष्ट्रीय प्रबन्ध सूचना प्रणाली

कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सभी तकनीकी विभागों के द्वारा समर्थित कक्षेत्तर अनुसन्धान और विकास परियोजनाओं का एक सम्पूर्ण आंकड़ा-आधार रखा जाता है।

मारुति कारों की मांग

[हिन्दी]

*687. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** ; क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार विभिन्न मॉडलों की कितनी-कितनी मारुति कारों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या भारत में मारुति वाहनों की मांग बढ़ी है तथा ये कारें अफ्रीकी देशों में काफी लोकप्रिय हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों में और भारत में इन कारों की वार्षिक मांग का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों में उत्पादित मारुति वाहनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मारुति-800	ओमनी	जिप्सी /	मारुति-1000	योग
1988-89	67,547	31,171	6,829	—	105,547
1989-90	73,410	35,058	9,053	—	117,521
1990-91	74,149	33,834	10,023	5,077	123,083

(ख) **और (ग)** भारत में मारुति कारों की मांग बढ़ती जा रही है। जहां तक अफ्रीकी देशों का सम्बन्ध है, निर्यात अपेक्षाकृत कम है। पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए वाहनों की कुल संख्या, अफ्रीकी देशों में बेचे गए वाहनों की संख्या और स्वदेशी बिक्री का विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्ष	निर्यात	अफ्रीकी देशों को निर्यात	स्वदेशी बिक्री
1988-89	1408	153	1,04,184
1989-90	5223	317	1,12,032
1990-91	4908	122	1,15,394

खाद्य तेल उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता

[अनुवाद]

*688. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष खाद्य तेलों/तिलहनों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण खाद्य तेल उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता की कितने प्रतिशत क्षमता उपयोग में लाई जा रही है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान खाद्य तेलों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(घ) वर्ष : 1991-92 के दौरान अनुमानित मांग की तुलना में खाद्य तेलों और तिलहनों की कितनी कमी होने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में खाद्य तेलों का आयात करने का है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) : जी नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1989-90 के दौरान क्षमता-उपयोग 62% रहा।

(ग) फरवरी, 1991 की तुलना में खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में (10-8-1991) को 3.1% की वृद्धि हुई है।

(घ) तेल वर्ष 1991-92 में तिलहनों और खाद्य तेलों की मांग की तुलना में तिलहनों में 22 लाख मी० टन तथा खाद्य तेलों में 7 लाख मी० टन की संभावित कमी होने का अनुमान है।

(ङ) यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता हुई तो खाद्य तेलों का आयात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यूरिया की मांग और सप्लाई

689. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रतिवर्ष यूरिया का कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) यूरिया की प्रतिवर्ष मांग कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) देश में गत तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में उत्पादित यूरिया की मात्रा और कृषि सहकारिता विभाग द्वारा अनुमानित यूरिया की मांग निम्न प्रकार है :—

(लाख मी० टन में)

वर्ष	उत्पादित मात्रा	मांग
1988-89	118.58	128.72
1989-90	124.81	141.23
1990-91	128.35	147.37
1991-92	62.00	73.86
(अप्रैल-सितम्बर)	(अनुमानित)	

टिप्पणी : उपरोक्त मांग में पाइप-लाइन स्टाक भी शामिल है जो प्रत्याशित खपत का लगभग 10 प्रतिशत है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विजयपुर, आंवला और जगदीशपुर स्थित वर्तमान संयंत्रों की क्षमता को दुगुना करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रतिवर्ष 21.78 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त क्षमता दी जा सके । प्रतिवर्ष 26.73 लाख टन की कुल क्षमता के साथ चार नये संयंत्र शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) बबराला (उत्तर प्रदेश) गडेपन (राजस्थान) और काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं । 2.54 लाख टन की क्षमता वाला एक और संयंत्र कृष्णा गोदावरी थाले में लगाये जाने की संभावना है ।

राजीव गांधी पर फिल्म का प्रसारण

690. **श्री रवि राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिमी ग्रेवाल द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी पर तैयार किए गए वृत्तचित्र का हाल ही में प्रसारण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त फिल्म के प्रत्येक भाग के लिए निर्माता को कितनी धन-राशि का भुगतान किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां । दूरदर्शन ने सुश्री सिम्मी ग्रेवाल द्वारा निर्मित "इंडियाज राजीव" नामक तीन घण्टे 6 मिनट का एक तीन खंडों का वृत्तचित्र प्रसारित किया है । इसके पहले खंड का प्रसारण 20 अगस्त' 1991 को, दूसरे का 25 अगस्त, 1991 को और तीसरे का 1 सितम्बर, 1991 को किया गया ।

(ग) दूरदर्शन ने निर्माता को कोई भुगतान नहीं किया क्योंकि इसे प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया गया था ।

ठेका आधार पर चलने वाली उचित मूल्य की दुकानें

5571. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी उचित मूल्य की दुकानें अभी भी ठेका आधार पर चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का इस ठेका प्रणाली को समाप्त करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई उचित दर दुकान ठेके के आधार पर नहीं चलाई जाती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"भूमि सेना" योजना का कार्यान्वयन

5572, **श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "भूमि सेना" योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने का है जो कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वीहड़ों को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) : इस समय अखिल भारतीत स्तर पर "भूमि सेना" जैसी किसी स्कीम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव नहीं है। रोजगार के अवसर पैदा करना, जो कि "भूमि सेना" स्कीम का मुख्य लक्ष्य है, की प्राप्ति विकास कार्यक्रमों तथा विशेष रोजगार कार्यक्रमों के जरिए की जाएगी।

नई वित्तीय व्यवस्था प्रारम्भ करना

[अनुवाद]

5573. **श्री राम नरेश सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नान-वोटिंग शेयर्स" के रुप में एक नई वित्तीय व्यवस्था प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय में सरकार ने श्री एम० जे० फरवानी की अध्यक्षता में एक अध्ययन-दल का गठन किया हैं। इस अध्ययन-दल के विचारार्थ विषयों मैं अन्य बातों के साथ-साथ "नये वित्तीय उपकरण जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों का पता लगाना जैसे गैर-वोटिंग शेयर, जीरो कूपन बान्ड्स और वॉरेंट्स"। अध्ययन-दल को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

[हिन्दी]

5574. **श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक कारखाने के कार्य निष्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक कारखाने को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने बेगों में कम मात्रा में तथा घटिया स्तर का उर्वरक भर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डा० चिन्ता मोहन**) (क) और (ख) : सहकारी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक उर्वरक कारखाने के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे और उनको दी गई राज सहायता की राशि संलग्न विवरण 1 और विवरण 2 में दर्शायी गई है।

(ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

विवरण-I

इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) का कार्यनिष्पादन

("000 टन)

	1988-89	1989-90	1990-91
कलोल			
अमोनिया	297.5	283.0	294.9
यूरिया	420.5	375.8	388.5
फूलपुर			
अमोनिया	342.0	319.9	330.0
यूरिया	589.7	546.2	590.0
आंवला			
अमोनिया	296.8	473.3	519.2
यूरिया	503.2	824.0	868.4
कांडला			
एन० पी० के० 10 : 26 : 26	235.3	257.3	280.8
एन० पी० के० 12 : 38 : 16	252.0	273.7	197.2
डी० ए० पी० 18 : 46 : 0	335.6	150.6	210.7

इफ्को-पी 205	296.2	223.8	233.0
इफको-एन	802.3	884.2	931.2

कृषक भारती कोआपरेटिव (कृभकों) का कार्यनिष्पादन

हजीरा

अमोनिया	768.2	1001.2	1051.4
यूरिया	1281.3	1667.3	1717.7

विवरण-2

इफको को दी गई राज सहायता की राशि

(रु० लाखों में)

उत्पाद/एकक	1987-88	1989-90	1990-91
यूरिया कलोल	5281	2922	2997
यूरिया फूलपुर	15444	10052	11595
यूरिया आंवला	10154	15445	16403
एन पी के-10 : 26 : 26	4115	4239	4547
एन पी के-12 : 32 : 16	4146	4883	3529
डी ए पी-18 46 : 0	9131	4013	5582
योग	48271	41554	44653

*इफको का लेखा वर्ष बदल गया है; परिणामस्वरूप कम्पनी के लेखों को अन्तिम रूप देने के लिए 1.7.1987 से 31.3.1989 तक की अवधि शामिल की गई है।

कृभको को दी गई राज सहायता की राशि

	1988-89	1989-90	1990-91
यूरिया हजीरा	15624	23573	19316

गुजरात में पेय जल सप्लाई की योजनायें

5575. **श्री एस०एन० बेकारिया :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए कितनी छोटी और बड़ी परियोजनायें भेजी हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कितनी परियोजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गुजरात सरकार ने राज्य में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को तकनीकी अनुमोदन हेतु 467 छोटी तथा बड़ी परियोजनायें भेजी थीं।

(ख) भारत सरकार ने अब तक 256 योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है तथा 30 सितम्बर, 1991 तक शेष 211 योजनाओं के अनुमोदित हो जाने की सम्भावना है।

(ग) केन्द्रीय सहायता योजना-वार आधार पर रिलीज नहीं की जाती है। पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1988-89 से लेकर 1990-91 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य कार्यक्रम के साथ-साथ सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों, कच्छ, जामनगर, डांग तथा धरमपुर तालुका की मिनी मिशन परियोजनाओं तथा जल एकत्रीकरण ढांचों के लिए गुजरात राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुल रिलीजों में से 1395.43 लाख रुपए उपरोक्त योजनाओं के लिए रखे गये हैं।

उड़ीसा में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

[अनुवाद]

5576. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितनी जनसंख्या को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया तथा इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कितनी जनसंख्या को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया; और

(ख) राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में अनुमान और उपलब्धि का प्रतिशत कितना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सातवीं योजना में, करींव 84 प्रतिशत के राष्ट्रीय योजना औसत की तुलना में, उड़ीसा राज्य की करीब 77 प्रतिशत जनसंख्या (ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के किनारे पर रहने वाली जनसंख्या सहित) को दूरदर्शन सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 1990 को करीब 76.3 प्रतिशत. जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उड़ीसा को करीब 65.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध थी।

मारुति उद्योग लिमिटेड का विस्तार

5577. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मारुति उद्योग लिमिटेड के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए विस्तार और निर्यात संवर्धन-उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। यह प्रस्ताव, मारुति उद्योग लिमिटेड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 70,000 वाहनों की बढ़ोतरी के लिए है। परियोजना लागत 614 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 1991-92 में मारुति उद्योग लिमिटेड 30,000 से अधिक 800 सी.सी. कारों का निर्यात करने की आशा करता है। इस विस्तार परियोजना के एक भाग के रूप में, 1.1.1993 से लागू होने वाले ई.ई.सी. मानकों के अनुरूप इस कार का एक नया मॉडल निकाला जाएगा। इस कार को यूरोप और अन्यत्र, मुख्यतः सुजुकी के विश्वव्यापी बिक्री नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाएगा।

दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों के प्रारम्भ में आने वाली धुन

5578. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर रात्रि 8·40 बजे हिन्दी समाचारों और 9.30 बजे अंग्रेजी समाचारों के प्रारम्भ में बजने वाली धुन विदेशी मूल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन के लिए समाचारों से पहले उपयुक्त भारतीय धुन प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस धुन की रचना एक भारतीय संगीतकार श्री लूइस बैंक्स ने की है और इसे मैसर्स कम्प्यूटर ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने तैयार किया है।

आलप्पूझा आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण-क्षमता बढ़ाना

5580. **श्री टी.जे. अंजलोज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में आलप्पूझा आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण-क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय आलप्पूझा रेडियो स्टेशन की प्रसारण-क्षमता में वृद्धि करने की कोई स्कीम नहीं है।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

5581. **श्री के.वी. आर. चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में कोई आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां । आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल और मार्कापुरम में 2 × 3 कि.वा. क्षमता वाले एफ.एम. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो, संगहण पुविधाओं तथा स्टाफ क्वार्टर सहित एक-एक अर्थात् दो नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

नये भाण्डागारों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

5582. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू बित्तीय वर्ष के दौरान नये भाण्डागार स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने भाण्डागार स्थापित करने का प्रस्ताव है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गोदामों/भांडागारों का निर्माण करने में जुटी हुई प्रमुख केन्द्रीय एजेंसियां हैं—भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम। इनके द्वारा जिन स्थानों पर नये गोदामों/भांडागारों का निर्माण किया जा रहा है और जिनके मार्च, 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा नए गोदामों/भांडागारों का निर्माण किया जा रहा है और जिन्हें मार्च, 1992 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है ।

भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भंडारण निगम	
क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
1.	पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	1.	धुवरी (असम)
2.	घेवरा (दिल्ली)	2.	करनाल (हरियाणा)
3.	करुणागापल्ली (केरल)	3.	गुलबर्गा (कर्नाटक)
4.	बाजपुर (उत्तर प्रदेश)	4.	गडाग (कर्नाटक)
5.	लावेंगतलाई (मिजोरम)	5.	नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
6.	मान (नागालैंड)	6.	सोहागपुर (मध्य प्रदेश)
7.	बारन (राजस्थान)	7.	चिलकलथाना (महाराष्ट्र)
8.	बाड़मेर (राजस्थान)	8.	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
9.	चंदेरिया (राजस्थान)	9.	पुणे (महाराष्ट्र)
10.	हनुमानगढ़ (राजस्थान)	10.	अकोला (महाराष्ट्र)
11.	केशोरामपट्टनम (राजस्थान)	11.	जे०एन० पोर्ट (महाराष्ट्र) नई बम्बई
12.	श्रीविजयनगर (राजस्थान)	12.	वलुज (महाराष्ट्र)
13.	कुमारघाट (त्रिपुरा)	13.	बरहामपुर (उड़ीसा)
14.	बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	14.	जैपुर (उड़ीसा)
15.	कोसीकलां (उत्तर प्रदेश)	15.	संबलपुर (उड़ीसा)
16.	मथुरा (उत्तर प्रदेश)	16.	मोगा (पंजाब)
17.	परतापुर (उत्तर प्रदेश)	17.	रानीनगर (पश्चिम बंगाल)
18.	मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	18.	बरहामपुर (पश्चिम बंगाल)
19.	बाराणसी (उत्तर प्रदेश)	19.	तारागांव (पश्चिम बंगाल)
20.	रोजा (उत्तर प्रदेश)		
21.	धामकुनी (पश्चिम बंगाल)		

लघु औद्योगिक एककों के संबंध में सर्वेक्षण

5583. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत अथवा अपंजीकृत लघु उद्योगों के संबंध में अखिल भारतीय सर्वेक्षण पिछली बार किस तारीख को पूरा किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक एककों का अस्तित्व कागजों पर है अथवा बन्द हो गए हैं अथवा अप्राप्य हैं;

(ग) देश में पंजीकृत एवं विद्यमान लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या कितनी है तथा 1 अप्रैल, 1991 को वास्तव में इनमें से कितने एकक कार्य कर रहे थे; और

(घ) जो औद्योगिक एकक बंद हो गए हैं अथवा जो अस्तित्व में नहीं हैं, उनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेश की गई सरकारी धनराशि वसूल करने क लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) लघु उद्योग (एस.आई.डी.ओ.) एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना हो गई है जिसमें 31.3.1988 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत 9.87 लाख एककों को कवर किया गया है। क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) जुलाई 1991 में पूरा हो चुका है।

(ख) आंकड़ों की सारणी बनाने (टैबुलेशन) का काम चल रहा है, जब यह काम पूरा हो जाएगा तब बन्द एककों या अप्राप्य एककों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(ग) पता लगा है कि 31.12.1990 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास पंजीकृत लघु उद्योगों (एस.आई.डी.ओ.) की कुल संख्या 13.80 लाख थी।

(घ) औद्योगिक एककों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश किए गए सार्वजनिक धन की वसूली सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

उत्तर प्रदेश के लिए विकास योजनाएं

5584. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर की गई विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : योजना आयोग द्वारा स्कीमवार अनुमोदन नहीं किए जाते हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए केवल शीर्ष/उपशीर्षवार परिव्यय अनुमोदित किए गए हैं। स्कीमवार आबंटन स्वयं राज्य सरकारों (उत्तर प्रदेश सहित) द्वारा किए जाते हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ी गई खाद्य वस्तुएं

5585. **श्री अर्जुनसिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पश्चिमी दिल्ली में विशिष्ट खाद्य वस्तुओं का एक ट्रक पकड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पहले ऐसे कितने मामले हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने तथा इस प्रकार की हेराफेरी में लिप्त उन उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल डिपुओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रवर्तन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कितनी उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल डिपुओं पर अचानक छापे मारे गए और उनके क्या परिणाम निकले ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत खाद्यान्न के 60 बोरे, जो उचित दर दुकान संख्या-5723 से कथित रूप से अन्यत्र भेजे जा रहे थे, पकड़े गए थे।

(ग) जून, 1991 से दिल्ली प्रशासन की जानकारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों को अन्यत्र भेजने के 9 मामले आए हैं और इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे अपने प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता की परिवीक्षा करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें, ताकि इन वस्तुओं को अन्यत्र भेजे जाने, इनकी जमाखोरी तथा अन्य कदाचारों को रोका जा सके।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच करता है/छापे मारता है और अपराधियों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्यवाही करता है। गत 3 महीनों के दौरान (1.6.91—23.8.91) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 93 उचित दर की दुकानों और 65 मिट्टी के तेल के डिपुओं की जांच की है। 6 उचित दर की दुकानों तथा एक मिट्टी के तेल के डिपू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

जयपुर में हुई रेल दुर्घटना को दूरदर्शन पर दिखाना

[हिन्दी]

5586. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में रेलवे क्रासिंग पर हुई दुर्घटना के दूरदर्शन से हाल ही में तथ्यों को तोड़ मरोड़कर किए गए प्रसारण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

5587. **श्री कालका दास :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) दिल्ली के आनन्द पर्वत, करौल बाग क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली मास्टर प्लान के उपबन्धों के अधीन उद्योगों की स्थापना हेतु आनन्द पर्वत एक अनधिकृत क्षेत्र है। इसे देखते हुए समय-समय पर उन एककों को लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत किया गया है जिनके पास दिल्ली नगर निगम का म्युनिसिपल लाइसेंस है। इन उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए इस समय उस प्रशासन के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु आनन्द पर्वत, करौल बाग क्षेत्र में जो एकक स्थाई आधार पर पहले से पंजीकृत हैं उन्हें ठीक वैसी ही सुविधाएं दी जाती हैं जो दिल्ली में कहीं भीं अन्यत्र पंजीकृत लघु उद्योग एककों को मिलती हैं।

जूता उद्योग में प्रशिक्षित कामगार

[अनुवाद]

5588. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूता उद्योग में प्रशिक्षित कामगारों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो जूता उद्योग को चलाने के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पूंजीनिवेश राज सहायता की प्रतिपूर्ति

5589. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को पूर्व-पंजीयन के बिना पिछले लगभग दो वर्षों से केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता की प्रतिपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब सरकार किस तिथि से और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत पूर्व-पंजीयन के लिए आग्रह कर रही है;

(ग) केरल को आज तक कुल कितनी धनराशि की केन्द्रीय पूंजी निवेश राज सहायता देना शेष है;

(घ) क्या केरल सरकार के उक्त शर्त को हटाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हा, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और यह मामला किस चरण में है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (ङ) भारत सरकार को केन्द्रीय निवेश राज सहायता की मंजूरी के लिए पूर्व-पंजीयन की शर्त को हटाने के लिए केरल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। जबकि इस योजना के अधीन पंजीकरण एक अपेक्षा थी, राज्य सरकारों को इस शर्त को हटाने की अनुमति दे दी गई थी।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1.10.88 से समाप्त कर दी गई थी। इसके अनुसरण में केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी थी कि गैर-विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 30.9.1989 तक और विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 31.12.1989 तक राजसहायता का वितरण किया जाए बशर्ते कि परियोजनायें राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30.9.1988 को अथवा इससे पहले अर्थात् इस योजना की वैधता अवधि के भीतर मंजूर की गई हों। केरल सरकार ने 11.16 करोड़ रु० की राशि की प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए थे। क्योंकि इन दावों में जिन एककों के सम्बन्ध में राजसहायता की प्रतिपूर्ति शामिल थी उन्हें राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30.9.1988 को अथवा इससे पहले मंजूरी नहीं दी गई थी। अतः इन दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी। पूर्व-पंजीयन की शर्त पर जोर नहीं दिया जा रहा है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5590. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री बलराज पासी :

श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में केन्द्रीय भण्डागार निगम की इस बात के किए आलोचना की है कि वह सीमा शुल्क विभाग से भण्डागारों की बकाया देय राशि की वसूली न कर पाने के कारण भारी घाटा उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुख्यतया बम्बई क्षेत्र में केन्द्रीय भण्डारण निगम के कस्टम बांडेड भाण्डागारों में जमा करवाए गए लावारिश आयातित सामान से सम्बन्धित 662.21 लाख रुपए के भण्डागार प्रभारों को वसूल न कर पाने के बारे में टिप्पण किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने यह दृष्टि कोण अपनाया है कि उनका कोई भी अधिकारी बकाया राशि वसूल न करने के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि कालबाधित बांडो को नीलामी द्वारा वसूल करने की जिम्मेदारी सीमा शुल्क प्राधिकारियों की होती है।

अर्जित अवकाश का संचय

6591. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश संचय करने की सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी अर्जित छुट्टियां संचित कर सकते हैं और क्या उत्पादक और गैर-उत्पादक विभागों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के संचय करने की अवधि में बहुत अधिक अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो कितनी अवधि का अन्तर है;

(घ) क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैर-औद्योगिक क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं तथा वे 240 दिन तक अर्जित अवकाश संचय करने के हकदार हैं। रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य औद्योगिक कर्मचारी 60 दिन का अर्जित अवकाश संचय करने के हकदार हैं।

(घ) से (च) सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश संचय करने की अधिकतम सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने सम्बन्धी विर्वाचन बोर्ड द्वारा दिनांक 26.4.91 को दिए गए अधिनिर्णय की संयुक्त परामर्श तंत्र योजना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, जांच की जा रही है।

ग्रामीण गोदामों का निर्माण

[हिन्दी]

5592. **श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ख) क्या गोदामों के निर्माण हेतु किसी विदेशी बैंक से कोई ऋण मांगा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने गोदामों का निर्माण किया गया है और ये किन-किन स्थानों पर हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की स्थापना के लिए एक योजना 1979-80 से पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण के लिए किसी विदेशी बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को 7,65 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में अभी तक 528 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 425 गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं और शेष 103 गोदाम निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन गोदामों के स्थान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

जिला	स्थान
आगरा	1. अतरौली, 2. भटसाना, 3. फिरोजाबाद, 4. जौधरी, 5. किरावली, 6. कहीरागढ़, 7. कोटला, 8. नागलौदिया 9. नागलौदिया, 10. रहलाक, 11. शाहदरा
अलीगढ़	1. मौखमपुर, 2. बिच्चरी, 3. बीमा नगर, 4. दादो, 5. घनीपुर, 6. गभाना, 7. गढ़ी-तमन्ना, 8. हाथरस, 9. इकबालपुर, 10. ककुआ, 11. खैर, 12. नागला-जलाल, 13. नरही, 14. सकरामपुर, 15. सकरामपुर, 16. सासनी, 17. सिकन्दरा, 18. सिकन्दरापुर, 19. सिकन्दराराऊ, 20. सिकन्दराराऊ-2
इलाहाबाद	1. बुरावा, 2. चैल, 3 भूमगंज, 4. हंडिया, 5. जरी, 6. जसरा, 7. मेभानपुर, 8. मुन्डेरा, 9. फुलपुर, 10. फुलपुर, 11. सिराथु, 12. सोरौन, 13 सोरौन
अल्मोड़ा	1. खटयाडी
आजमगढ़	1. अतरौलिया, 2. दुबावली, 3. बुधा, 4. करमाहा, 5. लाल गंज, 6. मऊ, 7. फुलपुर, 8. सगरी
बदायूं	1. बदायूं, 2. बिसावली, 3. बिसावली, 4. बिसावली, 5. दातेगंज, 6. पढ़ौवर, 7. वजीरगंज, 8. वजीरगंज
बहराइच	1 छीलवारिया, 2. छिलवारिया, 3. केसरगंज, 4. माहि, 5. मावपेरा, 6. संदेर
बलिया	1. बलिया, 2. बलथारा रोड, 3. वांसदिह, 4. चितबरागांव, 5. चितबरागांव, 6. फिरोजपुर, 7. माल्हनवान, 8 रसरा, 9. सीयेर, 10. सीयेर

जिला	स्थान
बांदा	1. अटारा, 2. आटरा, 3. बबेरू, 4. बांदा, 5. बिलसंदा, 6. चित्रकूट, 7. इमाबियागोगी, 8. कलूकूबान, 9. कार्वी, 10. कार्वी, 11. राज
बाराबंकी	1. फतेहपुर, 2. हैदरगढ़, 3. नवाबगंज, 4. प्यारेपुर, 5. सफदरगंज, 6. सफदरगंज, 7. सफेदाबांद
बरेली	1. आंवला, 2. आंवला, 3. आंवला, 4. बहेरी, 5. बहेरी, 6. बिहरमन नंगला, 7. मोहम्मदपुर, 8. नागौरा, 9. पारसखेड़ा, 10. शीरगढ़
बस्ती	1. बांकटा, 2. बस्ती, 3. भवनापुर, 4. चिल्लीहिया, 5. ढूमरीगंज, 6. ढूमरीगंज, 7. मेहोसा, 8. नावगढ़, 9. पत्थरबाजार, 10. साहपुर, 11. टेटरीबाजार
बिजनौर	1. बासी, 2. बस्ता, 3. धामपुर, 4. हलूर, 5. जब्तागंज, 6. कालाखेंद, 7. कालारेडा, 8. नूरपुर
बुलन्दशहर	1. अहमदनगर, 2. अनूपशहर, 3. बुलन्दशहर, 4. देबई, 5. देबई, 6. मोबिन्द नगर, 7 गुलाहवटी, 8. गुलाहवटी, 9. जोहानागढ़, 10. जंगीराबाद, 11. खुर्जा, 12. खुर्जा, 13. पहसू, 14. पुथरीकलां, 15. सैदपुर, 16. सिकन्दराबाद, 17. शिकारपुर, 18 शिकारपुर
देहरादून	1. बुआरलगा, 2. जौहादपुर, 3. डोईबाला, 4. डोईबाला, 5. दुईबाला, 6. कोटद्वार, 7. मुनी-की-रेती, 8. नकरोदा, 9. सहसपुर, 10. सहसपुर, 11. विकासनगर, 12. विकासनगर
देवरिया	1. बाजपुर श्रीनगर, 2. फलीजनगर, 3. गीधाघंवा, 4. आटा, 5. केटवा, 6. पदरौनी, 7. राघवपुर, 8. तरूकुला (इजरोली)
एटा	1. धोले-शहर, 2. फैजोक, 3. जवाहरपुर, 4. जवाहरपुर, 5. कासगंज, 6. कासगंज, 7. माली, 8. सरोन, 9. शीतलपुर
इटावा	1. अहेवरा, 2. औरैया, 3. बरलोकपुर, 4. बेला, 5. बिधवा, 6. भरथाना, 7. इटावा, 8. हेवारा, 9. जगसमा, 10. उदरकोट, 11. रूरूगंज, 12. सहर, 13. याकूबपुर

जिला	स्थान
फैजाबाद	1. अकबरपुर, 2. बिकापुर, 3. खन्डसा, 4. कोटसराय, 5. पिलखां, 6. पुरबजार, 7. रहरगंज, 8. टांडा, 9. टांडा
फरूखाबाद	1. छिबरामाओ, 2. गुरसहायगंज, 3. मोहम्मदबाद, 4. नारायणपुर, 5. कासीमगंज, 6. राजेसुल्तानपुर, 7. सदर, 8. शमशाबाद, 9. शमशाबाद, 10. तलग्राम
फतेहपुर	1. अलीपुर, 2. अमोली, 3. अमोली, 4. असोथर, 5. असोथर, 6. बिंदकी, 7. जहानाबाद, 8. किश्नपुर, 9. खगा, 10. खकौली, 11. मालवा, 12. मोहर, 13. सदेर, 14. सलालपुर
गाजियाबाद	1. अगौता, 2. बक्सर, 3. ढासना, 4. दादरी, 5. दादरी, 6. दादरी, 7. गढ़, 8. हापुड़, 9. झंडापुर, 10. खेरलीहफीजपुर, 11. मेराई, 12. सरना मुरादनगर, 13. साहिबाबाद
गाजीपुर	1. अंधाव, 2. अंधाव, 3. फतेहपुर, 4. फतेहपुर, 5. जलालाबाद, 6. जलालाबाद, 7. जंगीपुर, 8. जंगीपुर, 9. जंगीपुर, 10. कल्याणपुर, 11. किरतपुर, 12. किरतपुर, 13. मोहम्मदाबाद, 14. सादत, 15. सईदपुर, 16. यूसफपुर, 17. यूसफपुर, 18. जमनिया
गोरखपुर	1. बालबुजर्ग, 2. बसदिला, 3. बसदिला, 4. विश्नुपुरी, 5. दूबोली, 6. करमाह, 7. महाराजगंज, 8. महाराजगंज. 9. निचलौल, 10. फरेन्दा, 11. सदर (मेथीट)
गौंडा	1. बैरमपुर, 2. इमिलिया-गुरूदयाल, 3. इमिलिया-खुर्द, 4. मनकापुर
हम्मीरपुर	1. कवराई, 2. कुरारा, 3. मोहबा, 4. मोहबा, 5. मैदाहा, 6. रथ, 7. रथ
हरदोई	1. भगवानपुर, 2. भगवानपुर, 3. बिलग्राम, 4. छतेर, 5. पिहानी, 6. पिहानी, 7. सेनदिला, 8. शाहबाद, 9. तनदियावन,
जालौन	1. एइत, 2. बकेवर, 3. खंदोरा, 4. कालपी, 5. कालपी, 6. कौंच, 7. कौंच, 8. कटरा, 9. लखना, 10. माधोगढ, 11. ओराई,

जिला	स्थान
जोनपुर	1. बीकापुर, 2. धर्मापुर, 3. धर्मापुर, 4. केरकट, 5. मछलीशहर, 6. शाहगंज
झांसी	1. बनूरोली, 2. चिरगांव, 3. चिरगांव, 4. चिरगांव, 5. गुरसराय, 6. मोरनीपुर, 7. मोरनीपुर, 8. मोरनीपुर, 9. मोठ, 10. रानीपुर
कानपुर	1. अकबरपुर, 2. अरमलनाई, 3. बेरीपाल, 4. बेरीपाल, 5. घटमपुर, 6. घटमपुर, 7. घटमपुर, 8. झींझक, 9. झींझक, 10. कलोसर, 11. मूसानगर, 12. मूसानगर, 13. नौबस्ता, 14. नौबस्ता, 15. नौबस्ता, 16. नौरंगा, 17. नौरंगा, 18. पुखरायन, 19. पुखरायन, 20. पुखरायन, 21. राजपुर, 22. रूरा, 23. रूरा, 24. सदर, 25. ससोल
लखीमपुरखीरी	1. मानसरिया, 2. चन्दनचौकी, 3. धर्मखेरी, 4. धर्मखेरी, 5. गोला, 6. गोला-गोकारन, 7. खेरी, 8. लखीमपुर, 9. लखीमपुर, 10. लखीमपुर, 11. महेबागडी, 12. महेबागडी, 13. मेंगलगंज, 14. मोहमदी, 15. परियाकलान, 16. परियाकलान, 17. राजापुर, 18. राजापुर, 19. सम्पूर्णापुर, 20. तिकूनिया, 21. तिकूनिया
ललितपुर	1. सदर
लखनऊ	1. मलिहाबाद, 2. सरोजिनी नगर
मैनपुरी	1. कुशमरा, 2. नादुइया, 3. नादुइया, 4. शिकोहाबाद
मथुरा	1. अरूआ, 2. औरंगाबाद, 3. बहादुराबाद, 4. चंमुहा, 5. छठा, 6. चटीकारा, 7. गीरीराज, 8. झन्डागई, 9. करहेरी, 10. कोसी-कलां, 11. नन्दगांव, 12. नवझील, 13. पलीखेरा, 14. पलीखेरा, 15. सदर (वृन्दा) 16. सपोली, 17. सौंख, 18. शेरगढ़, 19. सुरीर
मऊ	1. कसीमाबाद, 2. कोपागंज
मेरठ	1. बागपत, 2. बडौत, 3. हाइउदीनपुर, 4. कैली, 5. मंवाणा, 6. पांचली, 7. परीक्षतगढ़, 8. सखौत, 9. सरधना, 10. सरधना
मिर्जापुर	1. घनोरा, 2. डरावना, 3. दूधी, 4. घोरावाल, 5. मिर्जापुर, 6. रोबटसगंज

मुरादाबाद	1. अमरोहा, 2. बदोंतोला, 3. बिजोही, 4. बिजोही, 5. गुमथला, 6. कंठ, 7. कंठ, 8. मझौला, 9. मझौला, 10. मन्डी (बिजोई), 11. सम्मल, 12. सम्भल, 13. ठाकुरद्वारा
मुज़फ्फरनगर	1. इसानगर खुर्द, 2. इसानगर खुर्द, 3. कैराना, 4. खतौली
नैनीताल	1. बाजपुर, 2. बाजपुर, 3. गदरपुर, 4. गुलरभोज, 5. गुलरभोज, 6. हल्दवानी, 7. हल्दवानी, 8. हल्दवानी, 9. हल्दवानी, 10. काशीपुर, 11. काठगोदाम, 12. काठगोदाम, 13. खतीमा, 14. खतीमा, 15. किच्छा, 16. कुसुमखेडा, 17. रुद्रपुर, 18. सितारगंज, 19. सितारगंज, 20. सिवलालपुर, 21. तीनपाणी
प्रतापगढ़	1. कुंडा, 2. पट्टी, 3. रंजीतपुर, 4. रंजीतपुर
पीलीभीत	1. अमरिया, 2. बिसालपुर, 3. बिथमाकलां, 4. बिथुराकलां, 5. चौसरपढ़िया, 6. जहांबाद, 7. पकारिया नवगांव, 8. पर्ववेश, 9. कोटा, 10. पुरनपुर, 11. पुरनपुर
रायबरेली	1. बछरावन, 2. बछरावन, 3. चौबारी, 4. दलमाओ, 5. दलमाओ, 6. फतेहपुर, 7. खुरसतगढ़, 8. सरचनोपुर, 9. जगतपुर, 10. जयास, 11. जयास, 12. जयास, 13. लालगंज, 14. लालगंज, 15. लालगंज, 16. लालगंज, 17. महाराजगंज, 18. नवीराबाद, 19. बरसादेपुर, 20. राही, 21. रायबरेली शहर, 22. रूपामाओ, 23. सलवान, 24. सरेनी, 25. शिवागढ़, 26. सुमेरी, 27. तिलोही, 28. उंचाहर
रामपुर	1. विलासपुर, 2. विलासपुर, 3. सदर
सहारनपुर	1. बरगावन, 2. भइलाखुर्द, 3. छतेषा, 4. झबरेरा, 5. मंगलोर, 6. मोरा, 7. नागल, 8. रामपुर मनीहरन, 9. रामपुर मजवता, 10. रुड़की, 11. सदर

जिला	स्थान
शाहजहांपुर	1. जाफेरगंज, 2. जइतीपुर, 3. जलालाबाद, 4. पुरनपुर, 5. पुवायेन, 6. रुस्तमपुर चक्र, 7. रोजा, 8. तिलहर
सीतापुर	1. लालपुर, 2. लालपुर, 3. महमूदाबाद, 4. महमूदाबाद, 5. मीशरीखा, 6. सीतापुर, 7. ताम्बूर
सुल्तानपुर	1. अमेठी, 2. आमहट, 3. जगदीशपुर, 4. केडीपुर, 5. मगरोरा, 6. मंडी (अहमद) 7. मुजफीरखोद, 8. रामपुर फुलवाडी, 9. सदर
उन्नाव	1. अहरामपुरवा, 2. हसनगंज, 3. पुरवा, 4. पुरवा
वाराणसी	1. चकीया, 2. चकीया, 3. चइया, 4. चंदौली, 5. ग्यानपुर, 6. गोपीगंज, 7. गोपीगंज, 8. कल्याणपुर, 9. सदर

लेवी की चीनी के मूल्य निर्धारित करने के मानदण्ड

5593. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में लेवी की चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या चीनी उत्पादक राज्यों में ये मूल्य उत्पादन की लागत से भी कम निर्धारित किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) लेवी चीनी के निकासी मूल्य निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 3 के उप-खण्ड 3-ग के अधीन निर्धारित किए जाते हैं :

(1) गन्ने का अधिसूचित किया गया सांविधिक न्यूनतम मूल्य;

(2) चीनी बनाने की लागत;

(3) उस पर अदा किया गया अथवा देय शुल्क अथवा कर, यदि कोई हो; और

(4) चीनी बनाने के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर उपयुक्त लाभ ।

इस प्रकार लेवी चीनी के निर्धारित किए गए निकासी मूल्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा

निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर उत्पादन लागत को भी हिसाब में लिया जाता है। तथापि, जहां फैक्ट्रियां गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य अदा कर रही है, यदि उत्पादन लागत अधिक होती है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कुल उत्पादन के 55 प्रतिशत की मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री द्वारा प्राप्त हुई धनराशि से अपनी क्षतिपूर्ति कर लें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ को वैधानिक मान्यता

[अनुवाद]

5594. **श्री मुकुल वासनिक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ को मंत्रालयों तथा विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी संगठनों में वैधानिक मान्यता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ सेवा संगठनों को मान्यता देने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरा नहीं करते हैं।

भारत में कोका कोला

5595. **प्रो० के० वी० थामस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोको-कोला किसी अन्य नाम से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी को आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी को अनुमति देते समय क्या शर्तें रखी गई थीं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कोका कोला द्वारा भारतीय बाजार में किसी अन्य नाम से प्रवेश करने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में तकनीकी कार्यों हेतु समिति की नियुक्ति

5596. **श्री अरविन्द नेताम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में तकनीकी कार्यों आदि हेतु समितियों में किन्हीं विभागीय अथवा बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को तकनीकी विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण सिलाई, रंगाई और छपाई आदि तकनीकी कार्यों हेतु निविदायें उच्च दरों पर स्वीकार किए जाने सम्बन्धी कदाचारों के कुछ मामलों का पता चला है; और

(घ) इन कदाचारों को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्रीय समिति खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में सिलाई, रंगाई तथा छपाई जैसे तकनीकी कार्यों को तय करने का कार्य करती है। समिति में भवन के प्रबन्धक, ग्रामशिल्प, नई दिल्ली के प्रबन्धक सिले-सिलाए वस्त्र प्रभारी-अधिकारी, रंगाई एवं छपाई खंड के प्रभारी-अधिकारी तथा भवन के लेखा अनुभाग के वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं—जो सभी विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं। पार्टियों द्वारा पेश की गई निविदा दरों के अनुसार सभी दरें स्वीकार की जाती हैं उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए मनमाने ढंग से उच्च दरों वाली निविदाओं को स्वीकार करके कदाचार का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न नहीं उठता।

फालतू भूमि

[अनुवाद]

5597. **श्री पी०पी० कलियापेरुमल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी भूमि को फालतू घोषित किया गया है;

(ख) इसमें से कितने क्षेत्र का कब्जा लेकर सरकार ने इसे ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों में बांट दिया है; और

(ग) राज्यवार अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मार्च 1991 तक)

क्रमांक	राज्यों का नाम	क्षेत्र (लाख एकड़ में)			लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
		फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.01	5.33	4.19	3.59
2.	असम	6.10	5.45	4.28	3.75
3.	बिहार	4.75	3.88	2.67	3.08
4.	गुजरात	2.52	1.55	1.25	0.28
5.	हिमाचल प्रदेश	2.84	2.81	0.03	0.04
6.	हरियाणा	1.21	1.13	1.13	0.38
7.	जम्मू व कश्मीर	4.56	4.50	4.50	4.50
8.	कर्नाटक	2 77	1.56	1.14	0.29
9.	केरल	1.33	0.93	0.63	1.34
10.	मध्य प्रदेश	2.97	2.55	1.72	0.65
11.	महाराष्ट्र	7.04	6.24	5.25	1.32
12.	मणिपुर	0.02	0.02	0.02	0.004
13.	उड़ीसा	1.74	1.59	1.46	1.24
14.	पंजाब	1.39	1.04	1.01	0.26
15.	राजस्थान	6.19	5.46	4.32	0.75
16.	तमिलनाडु	1.77	1.71	1.40	1.15
17.	त्रिपुरा	0.02	0.02	0.02	0.01
18.	उत्तर प्रदेश	5.29	4.98	3.58	3.06
19.	पश्चिम बंगाल	12.61	11.43	8.99	18.91

केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता का भुगतान

5598. श्री सुधीर सावन्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूंजी-निवेश-सम्बन्धी राजसहायता के भुगतान के अनेक मामले केन्द्रीय सरकार के पास अभी भी लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विशेषतया कोंकण क्षेत्र से आने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1.10.1988 से समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान 127.4 करोड़ रुपए के अधिकतर उचित दावों की राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति कर दी गई है। औचित्य के दिशा-निर्देशों के भीतर न आने वाले दावे राज्य सरकारों को लौटा दिए गए हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[हिन्दी]

5600. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को पूरी तरह भरा नहीं गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 244 अधिकारी हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) समूह (क) और समूह (ख) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
समूह (क)	18	7	25
समूह (ख)	24	5	29
(राजपत्रित)	42	12	54

अराजपत्रित कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सूखा प्रवण क्षेत्रों की घोषणा करना

[अनुवाद]

5601. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र को "सूखा प्रवण क्षेत्र" घोषित करने सम्बन्धी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मानदंडों में कोई परिवर्तन किए हैं;

(ग) यदि हां, ता इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) डा० बी.एस. मिन्हास की अध्यक्षता वाले समन्वित ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यदल की जून 1973 में पेश की गई रिपोर्ट में सूखा प्रवण क्षेत्रों को 3 श्रेणियों अर्थात् अत्यधिक शुष्क, अर्द्धशुष्क तथा अर्द्धनमी वाले क्षेत्रों, जिनमें क्रमश: 375 मि०मी०, 375 से 750 मि०मी० तथा 750 मि.मी. से 1125 मि.मी. तक वर्षा होती हो, में विभक्त किया गया था।

इस समय सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों की कवरेज के लिए डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यदल की रिपोर्ट में निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण किया जा रहा है।

कार्यदल ने सुझाव दिया है कि वर्षा तथा सिंचाई के पहलू के संयुक्त आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणी के क्षेत्रों को सूखा प्रवण क्षेत्रों की परिभाषा से अलग रखा जाए।

1) जहां सुझाए गए क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा 1125 मि.मी. अथवा अधिक होती है तथा इसके सकल बुआई क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है।

2) जहां सुझाए गए क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 750-1125 मि.मी. होती है तथा इसके सकल बुआई क्षेत्र के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा

3) जहां सुझाये गए क्षेत्र में 750 मि.मी. से कम वर्षा होती है तथा सकल बुआई क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है।

इस मानदण्ड में परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इनके शुरू होने से लेकर मार्च, 1991 तक की वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां

कार्यक्रम	अवधि	शुरू होने से लेकर मार्च, 1991 तक उपलब्धियां			
		वित्तीय (करोड़ रु. में)	भौतिक-मुख्य क्षेत्रों के संबंध में (क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)		
			भूमि विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण तथा चारागाह विकास
1	2	3	4	5	6
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1973-74 से 1990-91	1223.41	24.87	8.54	14.55
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1977-78 से 1990-91	350.60	1.04	0.41	1.93

विशाखापटनम में पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स

5602. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के नेप्था पर आधारित पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स इस समय किस चरण पर है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी "डाउन स्ट्रीम" उद्योग का पता लगाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) मे. यू.बी. पेट्रोकेमिकल्स को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. से प्राप्त नेप्था पर आधारित विशाखापत्तनम में एक क्रैकर काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिया गया है। इस पार्टी ने कुछ डाउनस्ट्रीम उद्योगों की भी पहचान की है और एच.डी.पी.ई./एल.एल.डी.पी.ई., पी.वी.सी. पालिप्रोपिलिन, कास्टिक सोडा एवं क्लोरीन के विनिर्माण के लिए आवेदन दिया है।

सचिव और अपर सचिव के रूप में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

5603. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े

वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान चयन के द्वारा सचिव और अपर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : अपेक्षित सूचना केवल अनु.जाति तथा अनु. जन जाति के अधिकारियों के सम्बन्ध में रखी जाती है। अनुसूचित जाति के सदस्य श्री माता प्रसाद, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश : 1962) इन वर्गों के ऐसे अकेले अधिकारी हैं जिन्हें 14.7.1990 से कल्याण मन्त्रालय में अपर सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था।

बिहार में उद्योगों की स्थापना

5604. **श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला और लोहरदग्गा जिले उद्योग रहित जिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो गुमला और लोहरदग्गा जिलों में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं। ये उद्योग रहित जिलों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(ख) किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को रियायतें/प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में मदद पहुंचाती है।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में लम्बित अनुशासनात्मक मामले

[अनुवाद]

5605. **श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में लम्बित अनुशासनात्मक मामलों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या अनुशासनात्मक मामलों और सतर्कता के मामलों के नियमों में, जो फिलहाल दोनों श्रेणियों में एक ही हैं, को अलग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों का बचाव करने के लिए सौंपे गए उत्तरदायित्वों का वहन करने वाले सरकारी अधिकारियों को मानदेय राशि दी जाती है; यदि हां, तो किस दर पर और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मामलों का प्रतिवाद करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती इसलिए उन्हें मानदेय देने का प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक उद्योग का कार्य-निष्पादन

5606. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान उर्वरकों के वास्तविक उत्पादन और संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोगिता के रूप में उर्वरक उद्योग के कार्य-निष्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने की अनुमति

[हिन्दी]

5607. **श्री राम नगीना मिश्र :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कितनी चीनी मिलों को अपनी क्षमता 2500 टन तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है और क्या देवरिया जिले में लक्ष्मीगंज, बेतालपुर और भटनी चीनी मिलों को अपनी क्षमता 2500 टन तक बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या लक्ष्मीगंज चीनी मिल के विस्तार के लिए भूमि आदि के बारे में सभी अनौपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्षमता 2500 टन तक बढ़ाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) 2.1.87 को सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता में 2500 टी.सी.डी. तक विस्तार के लिए 31.7.1991 तक 54 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इनमें लक्ष्मीगंज, बेतालपुर और भटनी चीनी फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता में 2500 टी.सी.डी. तक विस्तार के लिए जारी किए गए आशय-पत्र भी शामिल हैं। तथापि, अभी तक इन तीनों चीनी फैक्ट्रियों से अपनी विस्तार परियोजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

[अनुवाद]

5608. **डा. जी.एल. कनौजिया :**

श्री बलराज पासी :

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से विभिन्न भारतीय भाषाओं में किस-किस 'वेव लेंथ' मीटर बैंडों पर और किस-किस समय समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं; और

(ख) दिल्ली से विभिन्न भारतीय भाषाओं में दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका क लिए किस-किस "वेव लेंथ" और "मीटर बैंडों" पर विदेश प्रसारण सेवा के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय भाषाओं में दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिन

समाचार सेवा	प्रसारण की अवधि	आवृति (कि. हर्ट्स)	वेव लेंथ (मीटर)
1	2	3	4
हिन्दी	0600-0605	819	366.3
		1215	246.9
	0700-0705	4860	61.73
		7110	42.19
		11830	25.36
		11870	25.27
		15120	19.84
		15220	19.71
		819	366.3
	0800-0815	594	505.0
		3945	76.05
		4860	61.73
		6045	49.63

1	2	3	4
(7260/41.32 और 9535/31.46		7110	42.19
(और इस पर भी उपलब्ध)		7210	41.61
		9590	31.28
		11830	25.36
		15120	19.84
		15220	19.71
		17875	16.78
		1368	219.3
		819	366.3
		1017	294.9
	0900-0905	4860	61.73
		6045	42.63
		17110	42.19
		11830	25.36
		15120	19.84
		15220	19.71
		17875	16.78
		819	366.3
	0925-0930	4860	61.73
	(रविवार)	6045	4063
		11830	25.36
		15120	19.84
		15220	19.71
	1000-1005	819	366.3
	1100-1105	819	366.3
	1305-1310	15165	19.78
		15250	19.67
		17850	1681
		819	366.3
	1410-1420	7210	4161
		9610	31.22

1	2	3	4
		11970	25.86
		15165	19.78
		15250	19.67
	1440-1500	17705	16.94
	(धीमी गति)	17795	16.86
	1505-1510	178-50	16.81
		819	366.3
	1700-1705	819	366.3
		1368	219.3
	1700-1710	1134	264.5
		7210	41.61
		9675	31.01
		11620	25.82
		15250	19.67
		15420	19.46
		17705	16.94
		17815	16.81
	1805-1810	3925	76.43
		6015	49.63
		9615	31.20
		11770	25.49
		15145	19.81
		15275	19.61
		17387	17.25
		17830	16.83
		819	366.3
	1900-1905	3925	76.43
		4860	61.73
		6045	49.63
		7160	41.90

1	2	3	4
		7225	41.52
		7412	40.47
		9950	30.15
		10330	29.04
		819	366..3
		1368	219.3
		1215	246.9
	1905-1910	3925	76.43
		4860	61.73
		6045	49.63
		7412	40.47
		819	366.3
	1930-1935	1017	294.9
	1950-2000	819	366.3
	2045-2100	1134	264.5
		3925	76.43
		3945	76.05
		6140	48.86
		7160	41.90
		7412	40.47
		9715	30.88
		9950	30.15
		10330	29.04
		819	366,3
		1368	219.3
	2200-2205	666	450.5
	2305-2310	3905	76.82
		3925	76.43

1	2	3	4
		6140	48.86
		7160	41.90
		7290	41.15
		9715	33.88
		10330	29.04
		319	366.3
		1215	246.9
	0005-0010	819	366.3
	0600-0605	3925	76.43
		6045	49.63
		11920	25.17
		15120	19.84
असखिया	0705-0715	11870	25.27
		15220	19.76
	1340-1350	15165	19.78
		17850	16.81
	1905-1915	7225	41,52
		10330	29.04
बंगला	0725-0735	11870	25.27
		15220	19.17
	1330-1340	11735	25.56
		15165	19.78
	1935-1945	7225	41.52
		10330	29.04
डोगरी	0830-0840	6045	49.63
		7110	42.19
	1915-1925	3925	76.43
		4860	61.73

1	2	3	4
गुजराती	0745-0755	11830	25.36
		15120	19.84
	1320-1330	15250	19.67
		17850	16.81
	1950-2000	7160	41.90
		9950	30.15
कश्मीरी	0745-0755	4860	61.73
		7110	42.19
	1825-1840	3935	76.44
		9615	31.22
कन्नड़	0735-0745	11840	25.36
		15120	19.84
	1310-1320	15250	19.67
		17850	16.81
	1935-1945	7140	41.90
		9950	30.15
मलयालम	0725-0735	11830	25.36
		15120	19.84
	1250-1300	15250	19.67
		17850	16.81
	1925-1935	7160	41.90
		9950	30.15
मराठी	0830-0840	11830	25.36
		15120	19.84
	1330-1340	9610	31.20
		15250	19.67
	2005-2015	6085	49.30
		9950	30.15
नेपाली	1925-1935	7225	41.52
		10330	29.04

1	2	3	4
उड़िया	0715-0725	11870	25.27
		15220	19.76
	1350-1400	15165	19.78
		17850	16.81
	1915-1925	7225	41.52
		10330	29.04
पंजाबी	0830-0840	4860	61.73
		4960	60.48
		666	450.5
	1340-1350	9610	31.22
		819	366.3
	1930-1940	3365	89.15
		666	450.5
संस्कृत	0655-0700	4860	61.73
		6045	49.16
		7110	49.19
		11830	25.36
		11870	25.27
		15120	19.84
		15220	19.71
		666	450.5
	1810-1815	3925	76.43
		6045	49.63
		9615	31.20
		11770	25.49
		15145	20.81
		15275	19.64
		17387	17.25

1	2	3	4
•		17830	16.83
		666	450.5
सिंधी	0840-0850	4860	61.73
		6045	40.65
		7110	42.19
		11830	25.36
		15120	19.84
	1815-1825	3925	76.43
		6045	49.63
		9615	31.20
तमिल	0715-0725	11830	25.36
		15120	19.84
	1240-1250	15250	19.67
		17850	16.81
	1915-1925	7160	41.92
		9950	30.15
तेलुगु	0715-0715	11830	25.36
		15120	19.84
	1230-1240	15250	19.67
		17850	16.81
	1905-1915	7160	41.90
		9950	30.15
उर्दू	0850-0900	4860	61.73
•		6045	49.63
		7110	42.19
		11830	25.36
		11870	25.27
		15120	19.84

1	2	3	4
		15220	19.71
		666	450.5
	1350-1400	9610	31.22
		11970	25.06
		15250	19.67
		819	366.3
	2116-2130	3925	76.43
		7290	41.15
		9715	30.88
		9950	30.15
		819	366.3

भारतीय भाषाओं में दिल्ली से प्रसारित विदेश सेवा

दक्षिण-पूर्व-एशिया के लिए

सेवा	प्रसारण की अवधि (मा० मा० समय)	आवृत्ति (कि० हर्टस)	वेव लेंथ (मीटर)
हिन्दी	0430-0530	1134	264.5
		9950	30.15
		11880	25.25
		15165	19.80
तमिल	0530-0615	1134	264.5
		4990	60.12
		9950	30.15
		11815	25.39
		11880	25.25
		15165	19.78
	1645-1745	15275	19.64
		15335	19.56

1	2	3	4
		17387	17.25
		17850	16.80
तेलुगु	0415-0445	11745	25.55
		15110	19.85
		17830	16.83
पूर्वी-अफ्रीका के लिए			
हिन्दी	0845-0945	15165	19.78
		17805	16.85
	2145-2230	11830	25.36
		15080	19.89
गुजराती	0944-1000	15165	19.78
		17805	16.85
	2230-2315	11830	25.36
		15080	19.89

भारतीय सीमेंट निगम को अर्थक्षम बनाना

5609. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम बनाने के उपायों की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक कार्य सम्बन्धी केबिनेट समिति ने इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले एकमुश्त उपाय प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सीमेंट निगम सहित सरकारी क्षेत्र की घाटे में चल रही कंपनियों के लिए वित्तीय पुनर्गठन के उपायों को स्वीकृति दे दी है;

(घ) तत्सम्बन्धी एकमुश्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्यक्रम कितना उपयोगी सिद्ध होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के हानिग्रस्त उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन पर, अलग-अलग मामलों की स्थिति के आधार पर, समय-समय पर विचार करती रही है। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने सी० सी० आई० के सम्बन्ध में एक बित्तीय पुनर्गठन पैकेज का अनुमोदन कर दिया है।

(घ) सी० सी० आई० के सम्बन्ध में ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) वित्तीय पुनर्गठन कम्पनी के ऋण-इक्विटी अनुपात में असन्तुलन तथा लाभ में वृद्धि को ध्यान में रख कर किया गया है ताकि ऋण-इक्विटी अनुपात 1 : 1 का हो जाये। वित्तीय पुनर्गठन से जैव्यता में सुधार होगा तथा सरकार और लोक वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक युक्तिसंगत ऋण सेवा कवरेज अनुपात को बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

विवरण

(1) 130.09 करोड़ रुपये के समग्र बकाया योजनागत ऋणों में से 41.75 करोड़ रुपये के योजना ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि 1 : 1 का ऋण-इक्विटी अनुपात सुनिश्चित किया जा सके।

(2) निगम को शेष 88.34 करोड़ रुपये के बकाया योजनागत ऋण पर छः वर्ष की अवधि हेतु ऋण स्थगन तथा इन ऋणों के पुनर्भुगतान के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी जा सकती है। पुनर्निर्धारण के कारण, योजनागत ऋणों के पुनर्भुगतान की सम्पूर्ण अवधि 20 वर्षों तक बढ़ जाएगी।

(3) निगम को वर्ष 1988-89 में स्वीकृत 22.37 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋणों पर भी दो वर्ष की अवधि के लिए ऋण-स्थगन स्वीकृति दी जा सकती है।

(4) सरकारी ऋण पर यथा 31-3-1989 को बकाया 3.84 करोड़ रु० के ब्याज को बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

(5) निगम को शेष योजनागत ऋणों पर एक वर्ष की अवधि अर्थात 1989-90 के लिए ब्याज सम्बन्धी छूट की स्वीकृति भी दी जा सकती है। इसमें अन्तर्ग्रस्त ब्याज 12.03 करोड़ रुपये हैं।

अखबारी कागज के उत्पादन को 'कोर सेक्टर' में सम्मिलित करना

[हिन्दी]

5610. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले उद्योग को 'कोर सेक्टर' में सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस उद्योग को 'कोर सेक्टर' में शामिल न करने से अखबारी कागज के उत्पादन और इसके वितरण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को 'कोर सेक्टर' में सम्मलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकारी अखबारी कागज उद्योग की समस्याओं पर लगातार नजर रखती है। जब कभी जरूरी होता है तब इस उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए सुधार की कार्रवाई की जाती है। अखबारी कागज आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक आवश्यक वस्तु है। सामान्यतया इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि

अखबारी कागज उद्योग के एक कोर सेक्टर का उद्योग न होने के कारण अखबारी कागज के उत्पादन और वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कम्प्यूटरों का निर्यात

5611. **श्री राम शरण यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कम्प्यूटरों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कम्प्यूटरों का निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश में कम्प्यूरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990-91 के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात का मूल्य 297.8 करोड़ रु० था जिसमें कम्प्यूटर प्रणालियां भी शामिल हैं। जिन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, वे हैं : वैयक्तिक कम्प्यूटर पी सी/एक्स टी, पी सी/ए टी, वैयक्तिक कम्प्यूटरों के मदर बोर्ड, एड-आन-कार्ड तथा कम्प्यूटर उपांत उपस्कर (पेरिफरल) जैसे कि रंगीन मानीटर तथा कुन्जी पटल नियमित रूप से ऐसी कम्प्यूटर हार्डवेयर वस्तुओं का निर्यात करने वाली कुछ प्रमुख कम्पनियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(i) मोदी ओलिवेट्टी लिमिटेड

(ii) जेनिथ कम्प्यूटर्स लि०

(iii) यूनीकार्प कम्प्यूटर्स लि०

(iv) एच० सी० एल० लि०

(v) विप्रो इन्फोर्मेशन टेक्नोलांजी लि०

(vi) एलांस इण्डिया लि०

(vii) डी० सी० एम० डेटा प्रोडक्ट्स लि०

(viii) नैमटेक सिस्टम्स प्रा० लि०

(ix) एलो इलेकम लेबोरेटरीज प्रा० लि०

(x) ईस्टर्न पेरीफरल्स

(xi) स्टर्लिंग कंप्यूटर लि०

(xii) मिनीकाम्प

(ग) सरकार ने देश में कंप्यूटरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए हैं, नीचे दिए गए :—

(i) हाल ही में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग को अधिक उदार बनाया गया हैं, जिसमें विदेशी सहयोग का अनुमोदन भी शामिल है।

(ii) 51 प्रतिशत तक की विदेशी साम्यापूंजी के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) कंप्यूटर विनिर्माणकर्त्ताओं के समक्ष बड़े शहरी क्षेत्रों में यूनिटों की स्थापना करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर दिया गया है।

(iv) लघु क्षेत्र की इकाइयों के मामले में संयंत्र तथा मशीनरी पर अधिकतम ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 35 लाख रु० से बढ़ाकर 60 लाख रु० कर दिया गया है तथा अपने उत्पादन का कम से कम 30 प्रतिशत का निर्यात करने वाली लघु क्षेत्र की इकाइयों के मामले में इसे बढ़ाकर 75 लाख रु० कर दिया गया है।

(v) प्रतिष्ठापित पूंजीगत उपकरणों के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत अनेक वस्तुओं के विनिर्माण की अनुमति (ब्रांड बैंडिंग) प्रदान की गई है।

(vi) दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्रों में निर्यात में तेजी लाने के लिए निर्यात में मूल्य संवर्धन के न्यूनतम प्रतिशत को घटाकर 15% कर दिया गया है।

(vii) अग्रिम लाइसेंस प्रदान करने की कार्य विधि को सरल बनाया गया है। सरकार ने निर्यात करने वाली इकाइयों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रस्ताव किया है।

(viii) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, जिसमें कंप्यूटर शामिल हैं, के निर्यात के मामले में एक्जिम स्क्रिप को जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 40% कर दिया है।

(ix) अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत 'एक्जिम स्क्रिप' को भी अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के 30% तक बढ़ा दिया है। यह निर्यात संसाधन क्षेत्रों तथा निर्यात उन्मुखी इकाइयों के मामले में लागू है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

5612. **श्री राम बदन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्योग/कारखाने शुरू करने से पहले पर्यावरण और वन मन्त्रालय की पहले स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) उक्त मन्त्रालय मे स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण गत दो वर्षों में कितने नये उद्योगों में उत्पादन विलम्ब से शुरू हुआ था; और

(ग) इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु कौन से सुझाव सरकार के विचाराधीन है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार, उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं, यदि वे स्थापना-स्थल नीति के अनुरूप हों, के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना-स्थल के लिए क्षेत्रीयकरण तथा भूमि उपयोग विनियम और पर्यावरण कानून लागू होते रहेंगे।

जब किसी औद्योगिक एकक की स्थापना के लिए, जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक होता है, कोई आशय पत्र जारी किया जाता है तब एक मानक शर्त यह शामिल की जाती है कि उन्हें राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। आशय पत्र में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाने के बाद ही आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदला जाता है।

(ख) और (ग आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में तब बदला जाता है जब प्रशासनिक मन्त्रालय अपनी सिफारिश दे देते हैं। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति न होने के कारण आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने में हुई देरी से सम्बन्धित सूचना औद्योगिक विकास विभाग में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

दुर्ग, मध्य प्रदेश में विकास केन्द्र

[अनुवाद]

5614 श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्ग, मध्य प्रदेश में विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसको अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दुर्ग को प्रदान की गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस केन्द्रके विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गयी है और वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) जून 1988, में घोषित नई विकास केन्द्र योजना के तहत मध्य प्रदेश को आवंटित छह विकास केन्द्रों में से दुर्ग जिले में विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। विकास केन्द्र को विशेषरूप से विद्युत, जल, दूर-संचार तथा बैंकिंग की पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान दुर्ग विकास केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को 1 करोड़ रु० की धनराशि दी गई थी।

केबल टी० वी० प्रणाली का संचालन करना

5615. श्री रमेश चेन्निसला : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सारे देश में केबल टी० वी० प्रणाली के संचालन के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या इस क्षेत्र में कोई विदेशी कम्पनियां कार्य कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में नई चीनी मिलें

5616. श्री उत्तमराव देवराव पाटिल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से तथा व्यक्तिगत रूप से भी, सीधे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन प्रस्तावित चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया; और

(ग) सरकार की आवेदकों को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए चालू चीनी मौसम (अर्थात 1 अक्तूबर, 1990 के बाद) के दौरान 31-8-1991 तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या व नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) शर्करा उद्योग में लाइसेंस नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है । लंबित आवेदन पत्रों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के उक्त आवेदन पत्र भी शामिल हैं, पर उपरोक्त समीक्षा के बाद तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में 2500 टी० सी० डी० क्षमता की नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और नाम

(31-7-91 की स्थिति)

क्रमसं०	प्रस्ताव का नाम
1	2
1.	मै० राजऋषि साहू महाराज, मागस्वर्गीय एस० एम० के० लि०, पूयानी, ता० गंगाभेद जिला परभानी
2.	मै० तोपई एस० एस० के० लि०, कुरून्डा, ता० बास्मतनगर, जिला परभानी
3.	मै० गोदावरी बोरना एस० एम० के० लि०, खादवा, ता० गंगाभेद, जिला परभानी
4.	मै० टाबू भवानी एस० एस० के० लि०, कुरून्डा, ता० बास्मतनगर, जिला परभानी
5.	मै० बाल्मीकि एस० एम० के० लि०, वालूर, ता० पथरी, जिला परभानी
6.	बैरिस्टर नाथ पाई एस० एम० के० लि०, कवाद, ता० चांदगढ़, जिला कोल्हापुर
7.	मै० श्री सरस्वती एस० एस० के० लि०, घोसरवाडी, तह० शिरोल, जिला कोल्हापुर

1	2
8.	मै० शिरोल ता० मानगंगा एस० एस० के० लि०, सैनिक तकली ता० शिरोल, जिला कोल्हापुर
9.	मै० ज्योतिर्लिंग एस० एस० के० लि०, गोगसे, ता० साहुवाडी, जिला कोल्हापुर
10.	मै० बलीराजा एस० एस० के० लि०, रंजेगांव, ता० बीड़, जिला बीड़
11.	मै० केशनराज एस० एम० के० लि०, सवारगांव, ता० माजलगांव, ज़िला बीड़
12.	मै० एम० फूला अम्बेडकर एस० एस० के० लि०, फुले पिम्पलगांव, ता० अमजगांव, जिला बीड़
13.	मै० महात्मा ज्योतिबा फुले एस०एस के० लि०, धर्मपुरी, ता० अम्बाजोगाई, जिला बीड़
14	मै० पन्धारीनाथ एस० एस०के० लि०, ढाकेफल, ता० पैथन, जिला औरंगाबाद
15.	मै० ओम मोरेश्वर एस० एस० के० लि०, गिरिजानगर, ता० सिल्लोड, जिला औरंगाबाद
16.	मै० शिउना एस० एस० के० लि०, देवगांव रंगारी, ता० कन्नड़, जिला औरंगाबाद
17.	मै० प्रतिष्ठान एस० एस० के० लि०, बिदकिन, तह० पैथन, जिला औरंगाबाद
18.	मै० श्री एस० एस० के० लि०, खुलताबाद, ता० खुलताबाद, जिला औरंगाबाद
19.	श्री कृष्णा एस० एस० के० लि०, दोनगांव, ता० गंगापुर, जिला औरंगाबाद
20.	मै० महात्मा फुले मांगस्वर्गीय एस० एस० के० लि०, कादरबाद, ता० व जिला औरंगाबाद
21.	मै० संत बहिनाबाई एस०एस० के० लि०, वाकला, ता० बैजापुर, जिला औरंगाबाद
22.	श्री त्रिविक्रम महाराज एस० एस० के० लि०, वारखेड़ी (सुदाम) ता० सोगांव, जिल औरंगाबाद
23.	यसवन्त राव चव्वान एस० एस० के० लि०, खुलताबाद, ता० खुलताबाद, जिला औरंगाबाद
24.	काशीनाथ महाराज एस० एस० के० लि०, शेनगांव, ता० चन्द्रापुर, जिला चन्द्रापुर
25.	मै० जय जवान जय किसान मागस्वर्गीय एस० एस० के० लि०, उपलई, ता० कल्लम, जिला उसमानाबाद
26.	खंडेश्वा शेतकारी एस० एस० के० लि०, मांडवा, तह० कल्लम, जिला उसमानाबाद

1	2
27.	मै० शम्भु महादेव शेतकारी एस० एस० के० लि०, कस्ती (बीके) ता० ओमेरगा, जिला उसमानाबाद
28.	मै० मारकण्डेश्वर एस० एस० के० लि०, चमोरसी, ता० मचोरसी, जिला गडचिरोली
29.	श्री राजीव शेतकारी एस० एस० के० लि०, टका, ता० औसा, जिला लटूर
30.	मै० धानेश्वरी एस० एस० के० लि०, उमादी, तह० जट, जिला सांगली
31.	मै० बाबासाहेब अम्बेडकर एस० एस० के० लि०, कुन्डलवाडी, तह० वाल्वा, जिला सांगली
32.	मै० शेतकारी एस० एस० के० लि०, तह० कवाठे, महांकाल, जि० सांगली
33.	मै० तसगांव ता० पूर्वा भाग एस० एस० के० लि०, मोलाले (पैड) ता० तसगांव, जिला सांगली
34.	मै० निनाई देवी एस० एस० के० लि०, अराला, ता० सिराला, जिला सांगली
35.	मै० नन्दा देवी एस० एस० के० लि०, नन्नाज, ता० जामखेड, जिला अहमदनगर
36.	मै० किसान क्रांति एस० एस के० लि०, श्रीगौंडा, ता० श्रीगौंडा, जिला अहमदनगर
37.	मै० जय बजरंग एस० एस० के० लि०, शेवगांव, जिला अहमदनगर
38.	मै० श्री हनुमान एस० एस० के० लि०, धामपुरी, ता० मार्लशिरस, जि० सोलापुर
39.	मै० श्री चंद्राभाग एस० एस० के० लि०, भालवई, ता० परधारपुर, जि० सोलापुर
40.	मै० श्री माकई एस० एस० के० लि०, भगतवाडी, रामवाडी, डा० जांटी ता० करमाला, जिला सोलापुर
41.	मै० बलीराजा एस० एस० के० लि०, रोपाले (बीके) ता० पन्धारपुर जि० सोलापुर
42.	मै० विकास एस० एस० के० लि०, सालमुखवाडी, ता० मालशिरस, जि० सोलापुर
43.	मै० मोहाल तालुका एस० एस० के० लि०, मलिकपेठ, ता० मोहोल, जि० सोलापुर
44.	मै० अंबीश भगवंत शेतकारी एस० एस० के० लि०, उपलई (टी० एच० ओ०) ता० बरषी, जिला सोलापुर
45.	मै० शेतकारी एस० एस० के० लि०, दिगरास, जिला यवतमाल
46.	श्री दत्ता एस० एस० के० लि०, मारोली, ता० घाटंगी, जि० यवतमाल
47.	महा आडम्बर एस० एस० के० लि०, कुलसंगाई, ता० महागांव, जि० यवतमाल
48.	मै० भीमा शंकर एस० एस० के० लि०, वाकी, ता० खेड, जि० पुणे
49.	मै० इन्दरानी एस० एस० के० लि०, जफराबाद, जि० जालना

1	2
50.	मै० नारायणदेवबाबे एस० एस० के० लि०, जफराबाद, ता० जफराबाद, जि० जालना
51.	श्री महालक्ष्मी गोगर एस० एस० के० लि०, बदनापुर, ता० जालना, जि० जालना
52.	मै० प्रतापगढ़ एस० एस० के० लि०, मधा, ता० जवाली, जि० सतारा
53.	मै० शिवदर्शन एस० एस० के० लि०, ता० कराड, जि० सतारा
54.	मै० शिवशक्ति एस० एस० के० लि०, पिम्परी, ता० गोरेगांव, जि० सतारा
55.	मै० यसवंतराव चौहान एस० एस० के० लि०, दिवाड, ता० मान, जि० सतारा
56.	मै० तुलजाभवानी देवी एस० एस० के० लि०, धवल, तह० फाल्टन, जि० सतारा
57.	मै० किसान वीर एस० एस० के० लि०, खंडाला, जि० सतारा
58.	मै० वेदवती एस० एस के० लि० वदुज, ता० खाटव, जि० सतारा
59.	मै० नीलबन्त एस० एस० के० लि०, जलगांव (के० एच०) ता० व जि० जलगांव
60.	मै० लाल बहादुर शास्त्री एस० एस० के० लि०, डीघी, ता० पचारा, जि० जलगांव
61.	मै० मधुकर एस० एस० के० लि०, न्हावीमार्ग, फैजपुर, तह० यवाल, जि० जलगांव
62.	मै० यवाल तालुका एस० एम० के० लि०, वडोडे, ता० यवन, जि० जलगांव
63.	मै० राजर्षि साहू मागस्वर्गीय एस०एस०के० लि०, मुभेड, ता० मुभेड, जि० नांदेड
64.	मै० यसवंतराव चव्हाण एस० एस० के० लि०, भानपुर, ता० व जि० नांदेड
65.	मै० सिद्धार्थ सुगर को० फैक्ट्री लि०, पोरला, तह० गढचिरोली, जि० गढचिरोली
66.	मै० बाकेश्वरी देवी एस० एस० के० लि०, देवगांव वायसा/अजीसपुर, तह० लोनार, जि० बुलढाना
67.	मै० श्री संत गुलाब बाबा एस० एस० के० लि०, संग्रामपुर, जि० बुलढाना
68.	मै० इन्दिरा एस० एस० के० लि०, तिताई, ता० लोनार, जि० बुलढाना
69.	मै० नलगंगा शेतकारी एस० एस० के० लि०, नलगंगापुर, ता० मोटाला जि० बुलढाना
70.	मै० कमलजा देवी एस० एस० के० लि०, सुल्तानपुर, तह० लोनार, जि० बुलढाना
71.	मै० भारतरत्न डा० बाबासाहेब अम्बेडर एस० एस० के० लि०, देवलगांव माही, ता० देवलगांव राजा, जिला बुलढाना।

भारतीय वन सेवा के चयन ग्रेड और सुपरटाइम वेतनमान

5617. **डा० एस० पी० यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए समान चयन ग्रेड और सुपरटाइम वेतनमानों की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय भारतीय वन सेवा के चयन ग्रेड और सुपरटाइम वेतनमान भारतीय पुलिस सेवा के उक्त वेतनमानों से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार के विचार में भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के वर्तमान चयन ग्रेड तथा अधि समय वेतनमानों में कोई असगति नहीं है। भारतीय वन सेवा के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते समय सरकार ने सुविचारित रूप से यह निर्णय लिया था कि भारतीय पुलिस सेवा का चयन ग्रेड तथा अधि-समय वेतनमान अधिक होना चाहिए। देश में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और परिणामस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के ऊंचे वेतनमानों को बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही यह तथ्य कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले भारतीय पुलिस सेवा के वेतनमान भारतीय वन सेवा के वेतनमानों से अधिक थे, इस निर्णय के कारण थे।

हल्दिया पेट्रो काम्प्लेक्स योजना

5618. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पेट्रो काम्प्लेक्स योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ख) इसके लिए विदेशी मुद्रा किस प्रकार प्राप्त की जायेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एच० डी० पी० ई०, एल० एल०डी० पी० ई०, पालिप्रोपिलीस्टीरीन/पालिस्टीरीन, पी० बी० आर० आदि के विनिर्माण के लिए डाउनस्ट्रीम एककों सहित प्रतिवर्ष 300,000 टन इथाइलीन क्षमता के नैफ्था क्रेकर के लिए पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यु० बी० आई० डी० सी०) को अगस्त, 1990 में एक आशय पत्र दिया गया है। 650 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित काम्पलेक्स की कुल पूंजीगत लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) आशय पत्र की एक शर्त के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं के आयात, जानकार के आयात, विदेशी इक्विटी, विदेशी ऋण की आवश्यकता पूरी करने के लिए और फीड स्टाक के आयात के लिए, यदि कोई हों, कम्पनी अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को विदेशी इक्विटी भागीदारी के द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा, गैर प्रत्यर्पण के आधार पर एन० आई० आर० इक्विटी, स्वीकृति की जाने वाली वित्तीयन योजनानुसार सरकार द्वारा अनुमत वाणिज्यिक उधार द्वारा वित्तपोषित करेगी, जिसके लिए ऋण आवश्यकता

की देनदारी और अन्य किसी विदेशी मुद्रा लागत को कम्पनी की निर्यात आय से पूरा किया जाना चाहिए।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार की धनराशि

[हिन्दी]

5619. **श्री राम टहल चौधरी** :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिलों के पिछड़ेपन और उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्हें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विशेष धनराशि आवटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक जिले की कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इससे कितने श्रम दिवसों के लिए कार्य सृजन किया गया; और

(ग) बिहार जिलों और अन्य राज्यों के जिलों को आबंटित की गई धनराशि में क्या अन्तर है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को देश में कुल ग्रामीण गरीब लोगों की तुलना में एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। राज्य से जिलों को आबंटन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य श्रमिकों में कृषि श्रमिकों के प्रतिशत, कुल ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत और कृषि उत्पादकता को 20:60:20 के अनुपात में और समग्र रूप से ग्रामीण जनसंख्या को तरजीह देने के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार किया जाता है। बिहार और इसके जिलों को निधियों का आबंटन इसी मानदण्ड के आधार पर किया गया है।

(ख) 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार के जिलों में आबंटित राशि और सृजित रोजगार को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) बिहार के जिलों को आबंटित राशि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दर्शायी गई निधियों के आबंटन को मानदण्ड को देखते हुए, अन्य राज्यों में जिलों को निधियों के आबंटन की बिहार के जिलों के साथ तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	दस लाख कुओं की योजना सहित आबंटन (लाख रुपये में)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन) (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	पटना	793.31	20.93
2.	नालन्दा	704.91	27.47

1	2	3	4
3.	नवादा	648.04	15.43
4.	गया	1485.80	35.82
5.	औरंगाबाद	687.34	16.37
6.	रोहतास	1137.04	28.34
7.	भोजपुर	780.27	22 68
8.	सारन	575.66	16.40
9.	सिवान	485.74	13.94
10.	गोपालगंज	399.85	12.02
11.	पश्चिम चम्पारन	778.78	16.63
12.	पूर्वी चम्पारन	856.32	21.92
13.	सीतामढ़ी	589.56	18.22
14.	मुजफ्फरपुर	900.56	26.32
15.	वैशाली	670.71	19.10
16.	बेगुसराय	540.91	20.40
17.	समस्तीपुर	894.52	26.13
18.	दरभंगा	761.86	25.93
19.	मधुबनी	876.38	22.75
20.	सहरसा	813.02	24.31
21.	पूर्णियां	639.02	17.42
22.	अररिया	494.00	12.62
23.	किशनगंज	257.43	9.09
24.	कटिहार	564.37	16.55
25.	मुंगेर	9193.66	31.92
26.	भागलपुर	1128.26	26.29
27.	धनबाद	915.49	29.12
28.	गिरडीह	1170.98	38.17
29.	हजारीबाग	1562.94	46.73
30.	पालामू	2240.36	61.91

1	2	3	4
31.	रांची	1980.69	58.50
32.	सिंहभूम (पूर्व)	1016.49	21.22
33.	सिंहभूम (पश्चिम)	2147.16	66.03
34.	जहानाबाद	399.26	13.02
35.	दुमका	1726.92	80.67
36.	देवगढ़	567.89	22.43
37.	साहेबगंज	1385.71	39.83
38.	माधेपूरा	406.78	10.54
39.	खगड़िया	288.74	13.39
40.	गोडा	752.84	17.43
41.	लोहार डग्गा	342.32	12.04
42.	गुमला	1905.59	42.18
	योग :	38466.78	1112005

कलकत्ता में फिल्म प्रमाणन बोर्ड

[अनुवाद]

5620. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थिति फिल्म प्रमाणन बोर्ड की क्षेत्रीय समिति में सलाहकारों के पैनल में शामिल किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक सदस्य ने बोर्ड में कितने वर्ष सेवा की है;

(ग) 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1991 की अवधि के दौरान प्रत्येक सदस्य ने फिल्म निरीक्षण के कितने सत्रों में भाग लिया; और

(घ) सदस्यों को फिल्म निरीक्षण सत्र में भाग लेने के समान अवसर न दिये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल के सदस्यों की सूची दी गई है जिनमें उन सदस्यों के पैनल में रखे जाने की तारीख और उनके द्वारा अवलोकन सत्रों में भाग लिए जाने का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) सदस्यों द्वारा फिल्म अवलोकन सत्रों में उपस्थित रहने की संख्या सत्र के लिये सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर करती है क्योंकि ये सत्र अधिकांशतः अल्पकालिक नोटिस पर आयोजित किये जाते हैं। फिल्म प्रमाणन एक समयबद्ध कार्य है जबकि अधिकांश सदस्य व्यस्त पेशेवर लोग होते हैं और उन्हें अन्य कार्य भी करने होते हैं।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कलकत्ता सलाहकार पैनल
के सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम	वह तारीख जब से पैनल में कार्य कर रहे हैं	जिन सत्रों में भाग लिया उनकी संख्या
1	2	3	4
1.	श्री देव प्रसाद चटर्जी		72
2.	श्री हीरेन घोष		10
3.	श्री मिहिर भट्टाचार्य		2
4.	सुश्री गौरी अय्यूबदत्त		—
5.	मो० खालिद चौधरी		—
6.	श्री रुद्रप्रसाद सेनगुप्ता		5
7.	सुश्री सावली मित्र		—
8.	डा० एस० कुन्डू		4
9.	सुश्री सुचित्रा मित्रा		—
10.	सुश्री नवनिता देव सेन		4
11.	सुश्री आलोक मित्रा		27
12.	श्री सेनकर चौधरी	16-4-90	50
13.	सुश्री महास्वेता देवी		—
14.	श्रीमती अदिति शाम		11
15.	श्री सुकुमार राय चौधरी		77
16.	सुश्री सुबर्ना घोष		26
17.	सुश्री तनुश्री शंकर		—
18.	श्री निर्मल्या आचार्य		16

1	2	3	4
19.	श्री तपस सेन		—
20.	श्रीमती ममता शंकर		1
21.	श्री प्रबृत चौधरी		117
22.	श्री सत्यजीत चौधरी		—
23.	फादर गैस्टन रोबर्ग		17
24.	श्री प्रफुल्ल राय		21
25.	श्री बिबहास चक्रवर्ती		—
26.	श्री सुनिल गांगुली		—
27.	श्रीमती देवजानी चालिहा		30
28.	श्री प्रलाय सुर		21
29.	श्री प्ररितोष सेन		2
30.	श्री बुद्धदेव गुहा	30-7-90	4
31.	श्री अबुल बशर		1
32.	श्री वसंत चौधरी		10
33.	श्री चिदानन्द दासगुप्त		—
34.	श्रीमती अरुण बोस		—
35.	श्री एस० वी० रमण		11
36.	श्री पूर्णेन्दु पात्रा		1
37.	श्री मधु नेवतिया	12-2-91	—

उड़ीसा में केन्द्रीय निवेश

5621. **श्री ब्रिज किशोर त्रिपाठी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजना निवेश सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्यों से प्राप्त स्कीमों के आधार पर नियोजित किया जाता है। अधिकांश मामलों में इन कार्यक्रमों/परि-योजनाओं का राज्य की सीमाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता है (उदाहरणार्थ: रेलवे लाइनें राजमार्ग

आदि)। कभी-कभार ही वे किसी विशेष राज्य के लिए होती हैं, इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलता है।

आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों के लिए बीमा योजना

5622. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह ही कोई बीमा योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां। आकाशवाणी के विभागीय कलाकार "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 1977" के अन्तर्गत कवर होते हैं। इस स्कीम के तहत उन्हें 5,000/- रुपये के बीमा कवच (इंश्योरेन्स कवर) का लाभ दिया जाता है।

रंगीन टी० वी० ट्यूबों की मांग

5623. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रंगीन टी० वी० ट्यूबों की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) भारत में कौन-कौन सी कम्पनियां रंगीन टी० वी० ट्यूबों का निर्माण कर रही है; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी की लाइसेंसयुक्त क्षमता तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) भारत में वर्ष 1991 के लिए रंगीन टी० वी० ट्यूबों की अनुमानित वार्षिक मांग 11 लाख है।

(ख) और (ग) रंगीन टी० वी० ट्यूबों का विनिर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम तथा उनकी उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	फर्म का नाम	लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता (प्रति वर्ष लाख की सं० में)
1.	मैसर्स जे० सी० टी० इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	5
2.	मैसर्स अप्ट्रान पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड	7.5
3.	मैसर्स सम्टेल कलर लिमिटेड	5

बिहार को आवश्यक वस्तुएं अधिक मात्रा में आबंटित करना

5624. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, खाद्य तेल, कोयला और डीजल अधिक मात्रा में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) हाल के एक पत्र में बिहार सरकार ने अगस्त, 1991 के लिए 13000 मी० टन गेहूं तथा 7000 मी० टन चावल की अतिरिक्त मात्रा देने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य को अगस्त, 1991 के लिए चावल की 7000 मी० टन मात्रा आवंटित की है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त मांगों पर, केन्द्रीय पूल में स्टाक, विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांग तथा विभिन्न राज्यों की परस्पर आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए किए जाने वाले सभी आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और वे राज्य की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

लेवी चीनी का आवंटन 1-10-1986 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति महीना 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान पर आधारित है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 91 से दिसम्बर, 91 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी का 5% तदर्थ आवंटन देने का निर्णय किया है। इसके बाद स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।

मिट्टी के तेल का आवंटन, गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आवंटन में उपयुक्त दर से वृद्धि करके किया जाता है। मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि, उसके आयात के लिए निर्मुक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर करती है।

आयात की कमी के कारण मार्च, 1991 के बाद से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का कोई नियमित मासिक आवंटन नहीं किया गया है।

नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

5625. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाणे बेलापुर काम्पलैक्स में नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजना मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ होगा;

(ग) इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पूरी की जाने वाली विभिन्न शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अरविन्द मफतलाल समूह को इथीलीन की वार्षिक क्षमता 63,000 टन से बढ़ाकर 3,00,000 टन करने एवं प्रोपिलीन की वार्षिक क्षमता 37,000 टन से बढ़ाकर 1,40,000 टन करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विस्तार परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) अरविन्द मफतलाल ग्रुप की कम्पनी नोसिल को इसकी विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के थाणे बेलापुर रोड पर इसके नैफथा क्रैकर काम्पलैक्स की क्षमता को इथाइलीन के वर्तमान 63,000 टी पी ए के स्तर से 3,00,000 टीपीए तक और प्रोपिलीन के 37,000 टीपीए से 1,40,000 टीपीए तक बढ़ाने के लिए 16-11-89 को एक आशय-पत्र प्रदान किया गया था।

मानक शर्तों के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ आशय-पत्र में निम्नलिखित विशिष्ट शर्तें शामिल की गई हैं :—

1. कम्पनी राज्य के उद्योग निदेशक से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगी कि परियोजना का स्थान राज्य प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

2. यह कम्पनी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क नहीं करेगी किन्तु अपेक्षित स्वीकृतियों के अधीन पूंजी बाजार से धन एकत्र करने में आपत्ति नहीं होगी।

3. आशय-पत्र की एक शर्त के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं के आयात, जानकारी के आयात, विदेशी इक्विटी, विदेशी ऋण, आवश्यकता पूरी करने के लिए, और फीड स्टाक के आयात के लिए, यदि कोई हों, कम्पनी अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को विदेशी इक्विटी भागीदारी के द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा, गैर प्रत्यर्पण के आधार पर एन० आर० आई० इक्विटी स्वीकृत की जाने वाली वित्तीय योजनानुसार सरकार द्वारा अनुमत्त वाणिज्यिक उधार द्वारा वित्त पोषित करेंगी। जिसके लिए ऋण आवश्यकता की देनदारी और अन्य किसी विदेशी मुद्रा लागत को कम्पनी की निर्यात आय से पूरा किया जाना चाहिए। कम्पनी को ऐसे प्रयोजनों के लिए निर्बाध विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। (नोसिल के लिए बढ़ोत्तरी के आधार पर नैफ्था के फीडस्टाक के आयात और इसके अलावा विजाग से स्वदेशी रूप में उपलब्ध सामग्री को भी इसी प्रकार उनकी विदेशी मुद्रा आय उपार्जन के माध्यम से पूरा करना होगा।

4. यह कम्पनी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मन्त्रालय से पर्यावरण सम्बन्धी और प्रदूषण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करेगी और प्रस्तावित विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं किया जायेगा जब तक कम्पनी पर्यावरण स्वीकृति और प्रस्तावित विस्तार के कार्यक्रमों की किसी सम्बन्धित गतिविधियों के लिए स्वीकृति पर्यावरण और वन मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो जाती है।

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित साप्ताहिक व पाक्षिक पत्रिकायें और दैनिक समाचार-पत्र

[हिन्दी]

5626. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से कितनी साप्ताहिक व पाक्षिक पत्रिकायें और दैनिक समाचार-पत्रों का प्रकाशन होता है;

(ख) उन साप्ताहिकों पाक्षिकों और दैनिक समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं जिनका प्रसार व्यापक रूप से होता है; और

(ग) इनका प्रकाशन किन-किन स्थानों से होता है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय के चालू रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31-12-89 को उत्तर प्रदेश से 407 दैनिक, 1847 साप्ताहिक और 467 पाक्षिक प्रकाशित हो रहे।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उन समाचार-पत्रों के नाम और उनका प्रकाशन स्थान जिनकी प्रति प्रकाशन दिवस प्रसार संख्या 25,000 प्रतियों से अधिक है।

समाचार पत्र का नाम	भाषा/आवधिकता	प्रकाशन स्थान	प्रसार
1. जागरण	हिन्दी/दैनिक	कानपुर	1,71,328
2. आज	हिन्दी/दैनिक	वाराणसी	1,26,007
3. आज	हिन्दी/दैनिक	कानपुर	1,06,532
4. स्वतन्त्र भारत	हिन्दी/दैनिक	लखनऊ	89,941
5. अमर उजाला	हिन्दी/दैनिक	कानपुर	76,270
6. माया	हिन्दी/पाक्षिक	इलाहाबाद	2,26,722
7. मनोरमा	हिन्दी/पाक्षिक	इलाहाबाद	2,17,095
8. पायनीयर	अंग्रेजी/दैनिक	लखनऊ	67,138
9. जागरण	हिन्दी/दैनिक	लखनऊ	65,577
10. अमर उजाला	हिन्दी/दैनिक	मेरठ	58,683
11. अमर उजाला	हिन्दी/दैनिक	बरेली	55,153
12. दैनिक जागरण	हिन्दी/दैनिक	मेरठ	51,644
13. जागरण	हिन्दी/दैनिक	गोरखपुर	50,532
14. आज	हिन्दी/दैनिक	गोरखपुर	43,122
15. आज	हिन्दी/दैनिक	लखनऊ	41,888
16. नार्दन इण्डिया पत्रिका	अंग्रेजी/दैनिक	इलाहाबाद	38,028

1	2	3	4
17. दैनिक जागरण	हिन्दी/दैनिक	आगरा	37,104
18. नेशनल हेराल्ड	अंग्रेजी/दैनिक	लखनऊ	36,856
19. बिजनौर टाइम्स	हिन्दी/दैनिक	बिजनौर	36,600
20. जागरण	हिन्दी/दैनिक	बरेली	33,504
21. हिमाचल टाइम्स	हिन्दी/दैनिक	मेरठ	33,475
22. उत्तर उजाला	हिन्दी/दैनिक	नैनीताल	33,426
23. स्वतन्त्र भारत	हिन्दी/दैनिक	वाराणसी	32,700
24. विश्व मानव	हिन्दी/दैनिक	बरेली	32,521
25. पायनीयर	अंग्रेजी/दैनिक	वाराणसी	32,324
26. हिमाचल टाइम्स	अंग्रेजी/दैनिक	देहरादून	32,129
27. कौमी आवाज	उर्दू/दैमिक	लखनऊ	31,736
28. टाइम्स आफ इण्डिया	अंग्रेजी/दैनिक	लखनऊ	28,749
29. आज	हिन्दी/दैनिक	आगरा	27,927
30. जागरण	हिन्दी/दैनिक	झांसी	26.350
31. जनमोर्चा	हिन्दी/दैनिक	फैजाबाद	26,007
32. नवजीवन	हिन्दी/दैनिक	लखनऊ	25,383

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5627. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुक्त, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, उप-राज्यपाल, दिल्ली तथा मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन को गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की ओर से उपायुक्त (प्रशासन), सर्किल अधिकारी, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के सर्किल निरीक्षकों तथा मण्डल अधिकारियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) इनमें प्रत्येक शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है; तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जून, 1991 तक 195 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मोटे तौर पर ये शिकायतें तंग करने (99) अनियमितताओं (63) तथा गैर-कानूनी भेंट (33) से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

शिकायतों की श्रेणी	मामलों की संख्या तथा की गई कार्यवाही का स्वरूप			
	प्राथमिक जांच के बाद दर्ज किए गए	अन्तर्ग्रस्त अधिकारी जिन्हें आगाह किया गया है/चेतावनी दी है।	नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही	जिनकी जांच की जा रही है
तंग करना (99)	80	5	4	10
अनियमितताएं (63)	46	4	5	8
गैर कानूनी भेंट (33)	20	3	3	7

राशन की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं का आबंटन

5628. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित राशन की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की कोई जांच कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान 463 उचित दर की दुकानों और 100 मिट्टी के तेल के डिपुओं का आबंटन किया गया है।

(ख) से (ङ) जी, हां। इस अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन को 8 शिकायतें प्राप्त हुई। 8 शिकायतों में से चार तथ्यों पर आधारित नहीं पाई गई और शेष की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में कम शक्ति के दूरदर्शन केन्द्र

[अनुवाद]

5629. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किये गए "कम शक्ति के दूरदर्शन केन्द्रों" का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने केन्द्र उड़ीसा के आदिवासी लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाते हैं;

(ख) और अधिक आदिवासी लोगों तक दूरदर्शन के कार्यक्रम पहुंचाने के लिए प्रस्तावित ऐसे दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक आदिवासी गांव में दूरदर्शन सेट उपलब्ध कराने का विचार है क्योंकि उड़ीसा के 70 प्रतिशत से अधिक आदिवासी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय उड़ीसा में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 21 अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और एक टी० वी० ट्रांसपोजर कार्य कर रहे हैं जिनमें से एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर, 19 अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर तथा टी० ट्रांसपोजर राज्य के जनजातीय उप-योजना जिलों में स्थित हैं ।

(ख) भवानी पटना में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर बदल कर लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर कालाहाण्डी, कोरापुर और फूलबनी के जनजातीय उपयोजना जिलों में टी० वी० कवरेज बढ़ जाएगी ।

(ग) और (घ) चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सेट लगाने और उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सब्जी, फल और मोटे अनाज की भंडारण सुविधाएं

5630. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे जिलों का पता लगाया है जहां सब्जी, फल और मोटे अनाज के भंडारण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में सब्जी, फल और मोटे अनाज के भंडारण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वहां भंडारण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) देश में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए एजेंसियां जुटी हुई हैं। तालुक/ब्लाक/ग्राम स्तर पर भण्डारण सुविधाएं कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आने वाली सहकारी समितियों द्वारा मुहैया की जाती हैं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय भी राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिये ब्लाक/ग्राम स्तर पर ग्रामीण गोदामों का निर्माण करने की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के लिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता का जायजा लेना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गंजम जिले में 2 शीत गृहों, 141 ग्रामीण गोदामों और 10 विपणन गोदामों की स्थापना करने के लिए उड़ीसा सरकार की सहायता की है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने भी इस जिले में 3 गोदामों का निर्माण करने के कार्यक्रमों को अपनी स्वीकृत प्रदान की है । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगम ने उक्त जिले में काफी भण्डारण क्षमता का निर्माण कर लिया है ।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

5631. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के विकास हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य में शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की खराब स्थिति की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस राज्य में सहकारी स्टोरों को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मंजूर की गई राज्यवार, वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता उन सामान्य योजना संसाधनों के प्रति योज्य और अनुपूरक स्वरूप की होती है जो राज्य सरकारें उपभोक्ता सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के वास्ते अपनी सहकारिता योजना से प्रदान करती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान उड़ीसा सरकार को 17.05 लाख रुपए की वित्तीय सहायता विभिन्न आकार के 14 बिक्री केन्द्र स्थापित करने तथा 2 कमजोर और रुग्ण उपभोक्ता भंडारों के पुनर्वास के लिए मंजूर की गई थी।

इसके अलावा 1990-91 के दौरान 4 बिक्री केन्द्र स्थापित करने के वास्ते भी 4.65 लाख रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 4 सोसाइटियों की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राज्यवार
वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आंध्र प्रदेश	4.50	12.55	15.72
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	9.00	3.35	7.05

1	2	3	4	5
4.	बिहार	3.60	—	0.60
5.	गुजरात	3.30	17.50	10.85
6.	गोवा	—	6.00	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू तथा कश्मीर	—	10.00	10.00
10.	कर्नाटक	3.23	28.27	11.70
11.	केरल	—	2.55	4.50
12.	मध्य प्रदेश	11.30	—	2.55
13.	महाराष्ट्र	9.35	62.31	11.45
14.	मणिपुर	—	0.60	1.35
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	30 00
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	4.65
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	5.70	13.45	9.30
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	0.60	10.30	17.05
23.	त्रिपुरा	13.73	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	9.20	19.35	17.15
25.	पश्चिम बंगाल	1.95	6.00	15.25
संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	5.00	9.10
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—
29.	दमन व दीव	—	—	3.90
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	योग	75.46	197.23	182.17

केरल में तटीय क्षेत्र में पाए गए खनिज रेत का विदोहन

5632. **श्री टी० जे० ए. जलोज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली खनिज रेत का विदोहन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसमें पाए जाने वाले खनिज के कच्चे माल में से उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, इल्मेनाइट, रूटाइल, जरकान, सिलिमेनालट आदि जैसे खनिजों का उत्पादन करने के लिए चवारा में खनिज बालु पृथक्करण संयंत्र को पहले से ही चला रहा है। केरल राज्य सरकार का एक उपक्रम केरल खनिज एवं धातु लिमिटेड भी पुलिन बालु में से खनिज निकालने के लिए खनन कार्य कर रहा है और इसके अलावा टाइटेनियम डाई ऑक्साइड के उत्पादन के लिए एक संयंत्र का प्रचालन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त कम्पनी अयैरामथेंगू नाम से जाने जाने वाले कायमकुलम क्षेत्र में से खनिजों को निकालने की संभाव्यता की जांच कर रही है। इंडियन रेअर अर्थ्स नीन्दकारा क्षेत्र में से भारी खनिजों को निकालने का काम संयुक्त रूप से शुरू करने के केरल सरकार के प्रस्ताव का भी अध्ययन कर रहा है।

(ग) और (घ) टाइटेनियम ऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए केरल राज्य में संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को इन यूनिटों में होने वाले उत्पादन से पहले से ही पूरा किया जा रहा है। केरल राज्य में स्थित मुख्य संबद्ध उद्योगों में चवारा का टाइटेनियम डाई ऑक्साइड संयंत्र तथा त्रिवेन्द्रम का टाईटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और आल्वे का विरल मृदा संयंत्र शामिल हैं। अपने देश में किसी और स्थान पर स्थित मौजूदा संबद्ध उद्योग भी पुलिन बालु खनिज सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएं इंडियन रेअर अर्थ्स से ही पूरी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, टाइटेनियम स्पंज के उत्पादन की सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय भण्डार में प्रतिनिधियों का चुनाव

5633. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव पिछली बार कब हुए थे;

(ख) इनका चुनाव पुन: कब किया जाना था और समय पर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) चुनाव करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय भण्डार में प्रतिनिधियों के चुनाव पिछली बार अगस्त तथा सितम्बर, 1983 में हुए थे।

(ख) और (ग) पुराने उपनियमों (बाय लाज) में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार चुनाव हर चार वर्ष

बाद होने थे जबकि संशोधित उपनियम जोकि 10-4-1987 को लागू हुए थे, के अनुसार यह चुनाव हर तीन वर्ष बाद होने चाहिए थे चूंकि संशोधित उप नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है अत: सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय ने यह सलाह दी है कि प्रतिनिधियों के चुनाव उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित उप-नियमों के मामले पर निर्णय दिए जाने के बाद ही करवाये जाये।

इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश एकक में अनियमितताएं

5634. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का ऋषिकेश एकक घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इसकी स्थापना के समय से अब तक इसे कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या संयंत्र की क्षमता का उपयोग करने के बजाय गैर-सरकारी कम्पनियों को उत्पादन लाइसेंस मंजूर करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह एकक कच्चे माल एवं मशीनों की खरीद में वित्तीय अपयोजन तथा डिपो से उत्पादों की देर से बिक्री से भी प्रभावित है, यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की ऋषिकेश इकाई को 31-3-91 तक 183.47 करोड़ रुपये (अस्थाई) की संचित हानि होने का अनुमान है। आई० डी० पी० एल० को इस इकाई में हानि होने के लिये मुख्य कारण हैं —क्षमता का कम उपयोग, उच्च वेतन बिल, भारी ब्याज भार, बिजली का बार-बार बन्द होना, कच्चे माल की अनुपलब्धता और कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी रुकावटें।

(ग) विभिन्न भेषज और औषध मदों के विनिर्माण के लिये अन्य कम्पनियों को सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नीति के अनुसार लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(घ) कच्चे माल और मशीनों की खरीद के बारे में अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। स्वदेशी माल के पर्याप्त उठान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेनिसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल का उपयोग करने वालों के लिए अब यह अपेक्षित है कि वे 50:50 के अनुपात में आयातित माल का पात्र बनने के लिए पहले स्वदेशी पेंसिलिन जी का उठाने करेंगे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी अधिकारियों के मकानों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अधिकारियों द्वारा छापे

[हिन्दी]

5635. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

श्री राम बदन : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, कितने सरकारी अधिकारियों के मकानों पर छापे मारे;

(ख) ये छापे किन-किन स्थानों पर मारे गये;

(ग) उनके पास से कितने मूल्य की अवैध परिसम्पत्तियां जब्त की गई; और

(घ) कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया तथा कितने अधिकारी निर्दोष सिद्ध हुए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या
1989	226
1990	181

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा देश भर में सम्बन्धित कर्मचारियों के घरों/कार्यालय परिसरों में 1989 में 96 स्थानों पर तथा 1990 में 77 स्थानों पर छापे मारे गए ।

(ग) इन छापों के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियां पाई गई :—

चल :	432.32 लाख रुपये
अचल :	351.48 लाख रुपये

(घ) (i) जिन कर्मचारियों को सजा दी गई—1

(ii) दोषमुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या—शून्य

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

5636. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीनी के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चीनी के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इन निदेशों का पालन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) चालू 1990-91 मौसम (अर्थात 1 अक्तूबर, 1990 के बाद) के दौरान खुले बाजार में चीनी की कीमतें अप्रैल, 1991 तक काफी हद तक स्थिर रही तथा उसके बाद इन कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी कीमतों में वृद्धि की इस प्रवृत्ति का कारण गर्मी के महीने में बढ़ी मांग, शादियों के मौसम, आम चुनावों के कारण ट्रांसपोर्ट की कठिनाई आदि कहे जा सकते थे ।

(ग) से (ङ) खुले बाजार में जून, 1991 के बाद खुली बिक्री चीनी की रिलीज बढ़ा दी गई है। राज्यों के लेवी चीनी आबंटन कोटे में अगस्त से दिसम्बर, 1991 के महीनों के लिए 5 प्रतिशत की तदर्थ मासिक वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त आने वाले त्यौहार के लिए लेवी चीनी रिलीज की जा रही है। उम्मीद है कि इन उपायों के द्वारा चीनी की कीमतें नियन्त्रण में रहेंगी।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले

5637. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले छः महीनों के दौरान सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने राजपत्रित अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा फरवरी, 1991 से जुलाई, 1991 के दौरान 348 सरकारी कर्मचारियों, जिनमें 149 अधिकारी राजपत्रित स्तर के हैं, के विरुद्ध ज्ञात आय स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने, अनुचित सरकारी पक्षपात दर्शाने तथा आपराधिक दुराचार आदि के आरोपों में 103 मामले दायर किए गए हैं।

(ग) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध बाकायदा मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

[अनुवाद]

5638. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून, 1991 में 58 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून, 1991 के दौरान 57 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले (न कि 58 जैसा कि प्रश्न में निर्दिष्ट है) दर्ज किए हैं।

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए गए हैं।

साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना

5639. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत को साफ्टवेयर की क्षमता बढ़ाने में सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने साफ्टवेयर का निर्यात बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित करने पर सरकार ने सहमति व्यक्त की है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी, हां। साफ्टवेयर की क्षमताओं का विकास करने के क्षेत्रों में अर्थात ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियों (के० बी० सी० एस०), कम्प्यूटर नेनवर्किंग में शिक्षण तथा अनुसंधान (अर्नेट), कम्प्यूटर साधित प्रबन्ध (सी० ए० एम०) और कम्प्यूटर साधित डिजाइन (सी० ए० डी०) कार्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत को सहायता प्रदान कर रहा है।

ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसंधान, डिजाइन तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास करना तथा इनमें विशेषज्ञता हासिल करना है और चिकित्सा-देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक उत्पादकता तथा विभिन्न भाषाओं के बीच सम्प्रेषण के क्षेत्रों में ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली प्रौद्योगिकी के आधार पर चुनिन्दा समस्याओं के समाधानों का प्रदर्शन करना है।

कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण तथा अनुसंधान (अर्नेट) का उद्देश्य कम्प्यूटर नेटवर्किंग की समकालीन प्रवृत्तियों के क्षेत्र में डिजाइन, विकास, शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास करना और प्रयोगात्मक शैक्षणिक तथा अनुसंधान नेटवर्किंग की स्थापना करना है।

कम्प्यूटर साधित डिजाइन (सी० ए० डी०) कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक डिजाइन तथा प्रक्रिया नियन्त्रण को अनुकूलतम बनाना है जिनमें रासायनिक इंजीनियरी संयंत्र, सेमीकण्डक्टर तथा सम्बद्ध इलेक्ट्रानिक प्रणालियां, उद्योग तथा भारी इंजीनियरी संयंत्र आदि शामिल हैं।

कम्प्यूटर साधित प्रबन्ध (सी० ए० एम०) का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रबन्ध तकनीकों में सुधार करने के जरिए अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्रों में साधन-स्रोतों तथा जनशक्ति के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देना है।

(ग) तथा (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने साफ्टवेयर निर्यात के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। किन्तु, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने उद्योग के साथ साफ्टवेयर निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए नवम्बर, 1990 में बम्बई में एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में उठाए गए अधिकांश मामलों परसरकार द्वारा विभिन्न नीति विषयक उपायों तथा साफ्टवेयर के निर्यात के लिए समय-समय पर प्रदान किए गए अनेक प्रोत्साहनों के जरिए कार्रवाई की गई।

प्लास्टिक उद्योग

5640. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में घोषित औद्योगिक नीति से प्लास्टिक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो प्लास्टिक उद्योग की सहायता के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव हैं ?

रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ग) नई औद्योगिक नीति हाल ही में घोषित की गई है और प्लास्टिक उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों पर इसका प्रभाव कुछ समय व्यतीत होने पर ही मालूम होगा। यह उम्मीद की जाती है कि नई औद्योगिक नीति से उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5641. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है और 1991-92 के दौरान राज्य में ऐसे कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करने के बाद उन्हें इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था कि योजना सहायता प्रदान करने के लिए वे इस मन्त्रालय के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों को फिर से तैयार करें। कर्नाटक सरकार से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में सीधे कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित नहीं करता, अत: 1991-92 में कर्नाटक राज्य में सम्भवतया स्थापित किये जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का स्थानान्तरण

5642. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का प्रत्येक पदोन्नति पर दायित्वों के हस्तांतरण अथवा स्थान परिवर्तन करने की कोई प्रणाली नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का विशेषकर उनकी पदोन्नति होने पर स्थानान्तरण आरम्भ करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वैज्ञानिक और तकनीकी अपनी पदोन्नतियां नम्नीय सम्मानार्थ स्कीम के तहत पाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत पदावास की निर्धारित अवधि को पूरा करने तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने के पश्चात स्वस्थाने पदोन्नतियां दी जाती हैं।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री पश्चात् सेवा

5643. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री राम प्रकाश चौधरी :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० लिमिटेड विशेषरूप से दिल्ली और हरियाणा में अपनी घड़ियों की बिक्री पश्चात् सेवा स्वयं नहीं करता है बल्कि उसने यह कार्य प्राधिकृत डीलरों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिक्री पश्चात् सेवा कम्पनी द्वारा ही उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एच० एम० टी० उन घड़ियों की मरम्मत करती है जो गारण्टी अवधि के भीतर हों और सीधे उन्होंने बेची हों। प्राधिकृत सर्विस एजेन्ट उन घड़ियों की मरम्मत करते हैं जो गारन्टी अवधि के भीतर हों और सीधे उन्होंने बेची हों। तथापि, अपवादस्वरूप, यदि प्राधिकृत सर्विस एजेन्ट उनकी मरम्मत करने में असमर्थ हों अथवा यदि ग्राहक जोर देता है तो, एच० एम० टी० इस प्रकार का मरम्मत कार्य स्वीकार कर लेती है। दिल्ली और हरियाणा में ये सुविधाएं एच० एम० टी० के प्राधिकृत सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) बाजार में एच० एम० टी० घड़ियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, प्राधिकृत एजेन्टों की संख्या बढ़ाने का एक प्रस्ताव है।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण

[हिन्दी]

5644. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री राम प्रकाश चौधरी :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों को विश्व की सर्वोत्तम घड़ियों में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांग की तुलना में इन घड़ियों का निर्माण कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण करने वाले एककों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर है और उनकी प्रतिदिन निर्माण क्षमता कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) एच० एम० टी० घड़ियों

का कार्य-निष्पादन, विदेश में बनी इसी प्रकार की घड़ियों के समान ही होता है। अब तक एच० एम० टी० ने 65 मिलियन से अधिक घड़ियां बेची हैं और अपनी घड़ियों की मांग को पूरा करने में समर्थ हुई है।

(घ) एच० एम० टी० के पांच घड़ी कारखानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

मात्रा लाख में

स्थान	क्षमता प्रतिदिन	1990-91 में उत्पादन
घड़ी कारखाना-1 और 2 बंगलौर, कर्नाटक	5,000	15
घड़ी कारखाना-3 श्रीनगर, कश्मीर	666	2
घड़ी कारखाना-4 तुमकुर, कर्नाटक	10,667	32
घड़ी कारखाना-5 रानीबाग, उ०प्र०	4,667	14
जोड़ :	21,000	63

गैस पर आधारित नए उर्वरक संयंत्र

[अनुवाद]

5645. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पर आधारित तीन नये उर्वरक संयंत्रों का निर्माण कार्य रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रति महीने कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि बबराला, गडेपन और शाहजहांपुर स्थित, गैस पर आधारित तीन उर्वरक परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो गया है क्योंकि अभी कुछ मंजूरियां दी जानी बाकी हैं।

(ग) विलम्ब के प्रत्येक माह में इन परियोजनाओं द्वारा गंवाई गयी विदेशी मुद्रा का औसतन मूल्य लगभग 35 मिलियन डालर है।

राजस्थान और हरियाणा में औद्योगिक विकास केन्द्र

[हिन्दी]

5646. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का इन राज्यों में कुछ नए सरकारी उपक्रम अथवा औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) नयी विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत राजस्थान तथा हरियाणा राज्य सरकारों को क्रमश: 5 तथा 2 विकास केन्द्र आबंटित किए गए थे । 5 विकास केन्द्रों के चयन हेतु राजस्थान सरकार ने 9 प्रस्ताव भेजे थे जो इस प्रकार थे— भरतपुर, सवाई, माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सिरोही, अजमेर, अलवर तथा धौलपुर । इनमें से चार विकास केन्द्र भीलवाड़ा, झालावाड, बीकानेर तथा सिरोही जनपदों के लिए एक विकास केन्द्र है । पांचवें विकास केन्द्र के चयन हेतु राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।

हरियाणा सरकार ने राज्य में दो विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु जिलों, अर्थात् अम्बाला, जींद, रोहतक और रिवाड़ी (प्रारंभ में महेन्द्रगढ़) के चुनाव हेतु 4 प्रस्ताव भेजे थे । इनमें से रिवाड़ी और जींद जनपद में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए दो विकास केन्द्रों का चयन कर लिया गया है ।

सरकार ने 85 लाख रु० कुल पूंजीगत परिव्यय से राजस्थान के उदयपुर में मैसर्स मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग द्वारा "पोषाहार" संयंत्र लगाने की स्वीकृत दे दी है जिसकी वार्षिक क्षमता 3600 मी० टन होगी ।

पायरीट्स फॉसफेट एण्ड कैमिकल्स लि०, सरकारी क्षेत्र की कम्पनी ने सलादीपुरा, सिकार में सिंगल सुपर फॉसफेट परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है । इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं पर कमीशन में वृद्धि

5647. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं के मालिक आवश्यक वस्तुओं और मिट्टी तेल की सप्लाई पर मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने के लिए गत कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका कमीशन न बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का कमीशन बढ़ाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि उचित दर की दुकान चलाने वालों की मांग पर विचार करने के बाद उन्होंने मई, 1990 में उचित दर की दुकान चलाने वालों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं तथा चावल की बिक्री पर कमीशन में वृद्धि कर दी है। जहां तक मिट्टी के तेल पर मार्जिन का सम्बन्ध है, भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति द्वारा उसे प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर विभिन्न विषयों के बारे में, जिसमें मिट्टी के तेल पर डीलरों का कमीशन शामिल है, विचार कर रहा है।

जहां तक उचित दर की दुकानों के जरिये लेवी चीनी के वितरण पर मार्जिन का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन से इसके संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में बन्द उद्योगों को पुनः चालू करना

5648 **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में बंद पड़े कुछ उद्योगों को पुनः चालू करने सम्बन्धी मामलों की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए अनिवासी भारतीयों से कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूंजी की कमी तथा कुप्रबन्ध के कारण बन्द पड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बैंक में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार तथा राष्ट्रीकृत बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण एककों के नाम और ब्यौरे प्रकट करना सम्भव नहीं होगा।

उड़ीसा में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

5649. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र, दूरदर्शन केन्द्र, रिले केन्द्र, टावर और स्टुडियो स्थापित किए गए ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

		विवरण	
क्रम सं०	वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1.	1988-89	क्योंझरगढ़ में कि०वा०मी० वे० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं तथा स्टाफ क्वार्टर सहित एक रेडियो स्टेशन।	1. बालेश्वर 2. बोलनगीर 3. फूलबनी प्रत्येक में एक अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर
2.	1989-90	शून्य	1. आनन्दपुर 2. अंगुल 3. बलियापाल 4. बृजराजनगर 5. भजननगर 6. भद्रक 7. बारगढ़ 8. जोदा 9. परलाखेमुन्डी 10. क्योंझरगढ़ 11. रायगढ़ प्रत्येक में एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर के अतिरिक्त सुनबेड़ा में एक ट्रांसपोजर स्थापित किया गया।
3.	1990-91	बारीपड़ा में कि०वा० एफ०एम० ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो, संग्रहण सुविधाएं तथा स्टाफ क्वार्टर सहित एक रेडियो स्टेशन।	शून्य

भारतीय समाचार पत्र पंजीकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आवेदन

5650. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समाचारपत्र पंजीकार कार्यालय में भाषा-वार नई पत्रिकाओं, समाचारपत्रों आदि के नामों का पंजीकरण कराने हेतु उड़ीसा से वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक ऐसे कितने नामों का पंजीकरण किया गया है और उक्त अवधि में पंजीकार के पास कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) कितने नामों का पंजीकरण प्रकाशन न होने के कारण नहीं किया गया; और

(घ) कितने आवेदन रद्द कर दिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा राज्य

वर्ष 1990-91 के दौरान समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के पंजीयन के बारे में जिलावार विवरण

जिला	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत	प्रकाशित न होने के कारण पंजीयन नहीं किया गया	क्लोजिंग लेटर्स	जारी किए गए ऐसे पत्र जिनमें विसंगति थी	1-4-91 की स्थिति के अनुसार आर० एन० आई० में लम्बित पत्र
भुवनेश्वर	37	14	5	4	12	2
बेरहामपुर	5	—	1	2	1	1
बारीपाड़ा	3	—	1	—	2	—
बालासोर	8	5	1	1	1	—
बोलनगीर	2	—	—	—	2	—
कटक	35	12	4	3	13	3
ढेनकनाल	8	2	1	1	3	1
गंजम	8	1	3	2	2	—
कालाहांडी	2	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7
क्योंझर	3	1	1	—	1	—
कोरापुट	8	1	4	1	1	1
मयूरभंज	2	—	1	—	1	—
पुरी	7	4	2	—	1	—
फूलबनी	2	—	1	—	1	—
राउरकेला	5	2	1	—	1	1
संबलपुर	9	5	2	1	1	—
सुदरगढ़	4	—	2	—	1	1
कुल	148	47	31	15	45	10

वर्ष 1990-91 के लिए समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों का भाषावार ब्यौरा देने वाला विवरण :—

भाषा	1990-91 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या
उड़िया	97
अंग्रेजी	9
हिन्दी	5
द्विभाषी	13
बहुभाषी	19
अन्य भाषा	5
जोड़ :	148

उड़ीसा में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

[अनुवाद]

5651. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय साधनों की तंगी के भीतर दूरदर्शन का यथासम्भव यह प्रयास है कि राज्य के कवर न हुये भागों में टी० वी० का यथाशीघ्र विस्तार किया जाये।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5652. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और कार्यक्रम वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या ये कार्यक्रम समयबद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आगे चलते रहने वाले कार्यक्रम है और इनके लिए आबंटन वर्ष दर वर्ष के आधार पर तय किए जाते हैं।

विवरण

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित धनराशि निम्न प्रकार है :—

1991-92 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आबंटन

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम*	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	2588.76	15332.96	1203.00	—	2754.00	205.00	58.60
अरुणाचल प्रदेश	234.72	264.54	—	—	496.00	6.00	4.90
असम	707.03	4091.67	—	—	1491.00	71.00	16.00
बिहार	5180.90	30773.42	828.00	—	3283.00	363.00	117.50
गोआ	48.90	285.82	—	—	211.00	5.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	1066.06	6472.57	746.00	225.09	1926.00	160.00	24.20
हरियाणा	255.10	1541.46	135.00	425.00	1035.00	34.00	5.80
हिमाचल प्रदेश	91.33	908.22	—	200.00	925.00	33.00	2.10
जम्मू व कश्मीर	127.55	1289.21	214.50	300.00	2262.00	40.00	2.90
कर्नाटक	1620.34	9647.76	1249.00	—	2492.00	164.00	36.70
केरल	880.24	5116.95	—	—	1230.00	148.00	20.00
मध्यप्रदेश	3432.78	21122.00	809.00	—	2968.00	243.00	77.80
महाराष्ट्र	2773.00	16339.88	1343.00	—	3527.00	264.00	62.80
मणिपुर	20.47	339.06	—	—	319.00	8.00	0.50
मेघालय	61.41	396.73	—	—	565.00	10.00	1.40
मिजोरम	97.80	167.12	—	—	141.00	5.00	2.10
नागालैंड	102.69	425.26	—	—	422.00	9.00	2.00
उड़ीसा	1695.92	10475.94	621.00	—	1719.00	126.00	38.40
पंजाब	215.73	1340.52	—	—	459.00	37.00	4.90
राजस्थान	1653.41	10244.22	514.09	3800.00	4936.00	133.00	37.40
सिक्किम	19.56	154.83	—	—	388.00	5.00	0.40
तमिलनाडु	2324.22	13778.93	657.00	—	2073.00	223.00	52.60
त्रिपुरा	72.43	440.39	—	—	478.00	17.00	1.60

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	6928.56	40874.62	1386.00	—	4818.00	530.00	157.00
पश्चिम बंगाल	2895.83	17429.55	:17.50	—	2050.00	219.00	65.60
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48.90	156.56	—	—	40.00	5.00	1.00
चंडीगढ़	—	38.81	—	—	—	5.00	0.20
दादर व नगर हवेली	9.78	84.99	—	—	13.00	5.00	0.20
दमन और दीव	19.56	50.07	—	—	22.00	—	0.40
दिल्ली	48.90	184.18	—	—	14.00	5.00	1.00
लक्षद्वीप	5.00	78.49	—	—	10.00	5.00	1.00
पांडिचेरी	39.12	153.25	—	—	26.00	5.00	0.80
अखिल भारत	35266.00	210000.00	1023.00	4950.00	43093.00	3028.00	800.00

* आबंटन को केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के लिए भावी प्रगति संबंधी योजनाएं

5653. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वैज्ञानिक विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के लिए भावी प्रगति सम्बन्धी योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य प्रशासनिक प्रबन्धन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कितनी अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है; और

(घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु मानदण्ड क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) वैज्ञानिक विभाग अपने कार्मिकों के कैरियर में उन्नतियों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हैं। सेवावधि के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को उनकी विशेषज्ञता तथा विभागों की आवश्यकता के आधार पर विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनायें

5654. **श्री वीरेन्द्र सिंह** :

डा० जी० एल० कनोजिया :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य से वर्ष 1990 और 1991 के दौरान प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य की अब तक स्वीकृत की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) राज्य-वार अब तक कितनी राशि जारी की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) गुजरात और मध्य प्रदेश के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

क्रमांक	राज्य	राज्य सरकार से प्राप्त योजनाएं	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजनायें
1	2	3	4
1.	गुजरात 1990	25.08 लाख रुपए की लागत वाली 34 गांवों में पेयजल में वृद्धि करने की 5 योजनायें।	अनुमोदित
	1991	कोई योजना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं मंजूर करने की शक्तियां कुछेक शर्तों के आधार पर राज्य सरकार को सौंपी गई है।	शून्य
2.	मध्य प्रदेश	(1) 14.50 करोड़ रुपए की बस्तर समन्वित जल सप्लाई परियोजना	(1) 11.92 करोड़ रु० की बस्तर समन्वित जल सप्लाई परियोजना।
		(2) मंदसौर जिले के सूखा प्रवण गांवों के लिए 131.00 लाख रुपये की कुकदेश्वर ग्रुप स्वच्छ जल सप्लाई योजना।	(2) 179.00 लाख रुपए की कुकदेश्वर ग्रुप योजना।
		(3) नर्मदा जल सप्लाई परियोजना के ट्रान्समिशन मेन से 65 गांवों को जल सप्लाई करने की 536.87 लाख रुपए की योजना।	(3) नर्मदा परियोजना 65 गांवों को पेयजल पहुंचाने की 390.69 लाख रुपए की ग्रुप योजना।

अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत रिलीज की गयी राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गयी है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीन जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई धनराशि	
		1990-91	1991-92 (आज की तारीख तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23.110	12.740
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.140	2.310
3.	असम	10.270	10.270
4.	बिहार	20.330	20.010
5.	गोआ	0.500	0.280
6.	गुजरात	14.010	7.740
7.	हरियाणा	4.786	8.884
8.	हिमाचल प्रदेश	6.400	3.210
9.	जम्मू व कश्मीर	14.250	14.250
10.	कर्नाटक	21.418	11.700
11.	केरल	10.760	5.960
12.	मध्य प्रदेश	20.272	19.467
13.	महाराष्ट्र	33.654	17.420
14.	मणिपुर	3.080	1.540
15.	मेघालय	4.200	2.100
16.	मिजोरम	1.170	0.645
17.	नागालैंड	4.420	2.110
18.	उड़ीसा	18.374	6.680
19.	पंजाब	3.840	2.120
20.	राजस्थान	37.530	21.920

1	2	3	4
21.	सिक्किम	3.740	1.860
22.	तमिलनाडु	18.240	10.100
23.	त्रिपुरा	2.530	2.717
24.	उत्तर प्रदेश	42.680	32.160
25.	पश्चिम बंगाल	13.384	13.240
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.825	0.200
27.	दमन व द्वीव	0.528	0.740
28.	लक्षद्वीप	0.000	0.820
29.	पांडिचेरी	0.130	0.000
30.	दिल्ली	0.130	0.000
31.	दादरा व नगर हवेली	0.000	0.001
	योग :	338.801	233.203

नोट : केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की रिलीजों में मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के लिए रिलीजें भी शामिल है ।

हिन्दी पुस्तकों/पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण

5655. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों और उनके उपक्रमों में पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देवनागरी लिपि में हिन्दी पुल्तकों को कम्प्यूटरीकरण करने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा सेवा प्राप्त सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण के एक हिस्से के रूप में बड़े पुस्तकालयों को कम्प्यूटर आधारित सहायता दी जा रही है । सरकारी विभागों के अधीन उपक्रमों के पुस्तकालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण की कोई स्कीम नहीं है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सेवा प्राप्त सरकारी विभागों की यह केन्द्र

देवनागरी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी कम्प्यूटर हार्डवेयर की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रावधान से विभाग के पुस्तकालय कर्मचारी हिन्दी पुस्तकों को देवनागरी लिपि में कम्प्यूटरीकृत करने में समर्थ होते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सरकारी विभागों में कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के लिए हिन्दी कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित आवधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में बड़े उद्योग की स्थापना

[हिन्दी]

5656. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किसी बड़े उद्योग की स्थापना के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) किसी जिला विशेष के उद्योगीकरण का प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार लाइसेंसीकरण में प्राथमिकता, रियायती वित्त आदि जैसे अनेक प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में सहायता करती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया जिले पिछड़े होने के कारण उपर्युक्त प्रोत्साहनों के पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों में इन तीन जिलों को 16 आशय पत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं।

इसके अलावा, विकास केन्द्र योजना के अधीन, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकासार्थ जौनपुर में मुंगरा-सथारिया नामक क्षेत्र को विकास केन्द्र के लिए चुना गया है।

साप्ताहिक "आंचलिक क्रांति" के विस्तार हेतु सहायता

5657. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से प्रकाशित साप्ताहिक "आंचलिक क्रांति" की ओर से इसका विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र के विस्तार तथा विकास हेतु सहायता प्रदान करने सम्बन्धी यह अभ्यावेदन कब प्राप्त किए गए;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या प्रेस काउन्सिल आफ इण्डिया भी इसे कुछ सहायता देने पर विचार कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह राशि कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 20 अगस्त, 1991 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) प्रेस की स्वतन्त्रता बनाए रखने की सरकार की नीति के अनुरूप सरकार इस प्रकार के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती।

(घ) भारतीय प्रेस परिषद (पी० सी० आई०) की स्थापना भारत में, प्रेस की स्वतन्त्रता के संरक्षण तथा समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर के अनुरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी। वित्तीय सहायता के अनुरोध का भारतीय प्रेस परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है। भारती प्रेस परिषद ने इस बारे में "आंचलिक क्रान्ति" को उत्तर दे दिया है।

(ङ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

बिहार में रुग्ण औद्योगिक एकक

[अनुवाद]

5658. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में गत दो वर्षों के दौरान जिलावार कितने रुग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाया गया और उनका विस्तार किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में दिसम्बर, 1988 के अन्त में जीव्य-क्षम एककों के रूप में 13 गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एकक थे। इनमें से नौ एककों को उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1988 के अन्त में सम्भावित जीव्यक्षम एककों के रूप में 329 रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का पता लगाया गया था। इनमें से 300 रुग्ण एककों को उपचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रखा गया है।

विवरण

बिहार राज्य में दिसम्बर 1988 के अन्त में पता लगाए गए जीव्यक्षम गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एककों सम्बन्धी जिलेवार आंकड़े

जिले का नाम	गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एककों की संख्या
देवघर	1
भोजपुर	1
पटना	4

1	2
रोहतास	1
धनबाद	1
पलामू	1
रांची	4
कुल :	13(9)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गए एककों को दर्शाते हैं।

वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणपत्र देना

5659. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राम टहल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान वाणिज्यिक प्रदर्शन हेतु भाषावार कितनी फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र दिये गये;

(ख) उनमें से कितनी फिल्में केवल वयस्कों के लिए थीं;

(ग) कितनी फीचर फिल्मों को वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए अब तक प्रमाणपत्र नहीं दिए गए; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1989 तथा 1990 की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कैलेण्डर वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान 3 हिन्दी फिल्मों, एक अंग्रेजी फिल्म तथा एक मराठी फिल्म तथा 2 मलयालम फिल्मों को शुरू में प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था क्योंकि इन फिल्मों द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के लिए जारी सरकारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया गया था।

विवरण

कैलेण्डर वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का भाषावार ब्यौरा

क्रम सं०	भाषा	1989	1990
1.	हिन्दी	176(63)	2000(86)
2.	तेलुगु	152(52)	204(57)
3.	तमिल	148(39)	194(36)

1	2	3	4
4.	मलयालम	96(47)	126(60)
5.	कन्नड़	75(12)	81(03)
6.	बंगला	50(5)	50(8)
7.	मराठी	30(3)	25(2)
8.	उड़िया	13(1)	13(4)
9.	भोजपुरी	10(1)	5(—)
10.	गुजराती	9(—)	14(—)
11.	राजस्थानी	7(—)	5(—)
12.	असमिया	4(—)	8(2)
13.	पंजाबी	2(—)	7(—)
14.	अंग्रेजी	3(1)	4(1)
15.	हरियाणवी	3(—)	2(—)
16.	कामतापुरी	1(—)	—
17.	कर्बी	1(—)	—
16.	तुलू	1(—)	1(—)
19.	नेपाली	—	4(1)
20.	मणिपुरी	—	2(1)
21.	बोडो	—	1(—)
22.	गढ़वाली	—	1(—)
23.	कश्मीरी	—	1(—)
	कुल :	781(224)	948(261)

प्रत्येक भाषा के सामने कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े उन फिल्मों की संख्या को दर्शाते हैं, जिन्हें "ए" प्रमाणपत्र दिया गया है।

रसायनों/कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

5660. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में पेश किये गये बजट के कारण रसायनों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) क्या कीटनाशकों के मूल्यों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा रसायनों/कीटनाशकों की कीमतें न तो निर्धारित की जाती हैं और न मानीटर की जाती हैं ।

उपग्रह का छोड़ जाना

5661. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में पृथ्वी की कक्षा में कोई उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा;

(ग) इसके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी; और

(घ) उपग्रह के छोड़ने का प्रयोजन क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । निकट भविष्य में प्रमोचन के लिए प्रस्तावित उपग्रह इस प्रकार हैं : भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-I ई० (आई० आर० एस०-I ई०), विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखला-सी (श्रोस-सी०), भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2 ए० (इन्सैट-2 ए०) और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2 बी० (इन्सैट-2बी०) । भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1 बी० (आई० आर० एस०-1 बी०) को 29 अगस्त, 1991 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया है ।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार हैं :

उपग्रह	प्रमोचन तिथि	निर्माण की कुल लागत (अनुमानित)	प्रमोचन का उद्देश्य
आई आर० एस०-1 बी०	अगस्त 29, 1991	15.00 करोड़ रुपए	कृषि, वानिकी, महासागर, भूमि, जलसंसाधन, मत्स्य-पालन, परती भूमि मानचित्रण सूखा तथा बाढ़ प्रबन्ध और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्रों में देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन को जारी रखना ।

आई० आर० एस०-1 ई०	1992	3.33 करोड़ रुपए	ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) की प्रथम विकासात्मक उड़ान में एक प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह।
स्रोस-सी०	1991 अन्त	0.90 करोड़ रुपए	गामा किरण स्फोट नीतभार तथा विमन्दित संभाव्य विश्लेषित्र का प्रयोग करते हुए उपग्रह आधारित अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण करना।
इन्सैट-2 ए० इन्सैट-2 बी०	1992 प्रारम्भ 1993 प्रारम्भ	125.00 करोड़ रुपए	राष्ट्रव्यापी आधार पर दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञानीय आंकड़ा रिले के सम्बन्ध में प्रचालनात्मक उपग्रह सेवाएं जारी रखना।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

5663. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली में भी क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक कितनी प्रगति हुई है और इन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग भूमि खरीदने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से बातचीत कर रहा है। भूमि प्राप्त कर लेने के बाद कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा, जो निधि उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

फिल्मों का प्रसारण

[अनुवाद]

5664. **डा० जी० एल० कनोजिया** :

श्री बलराज पासी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले दो महीनों के दौरान शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिनों प्रसारित की जाने वाली फिल्मों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों की सूची एक बार चार सप्ताह के लिए मासिक आधार पर तैयार की जाती है। 6-9-1991 से 29-9-1991 तक शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार को प्रसारण के लिए फिल्मों की अनन्तिम सूची नीचे दी गई है :

(1) आशियाना (हिन्दी)

(2) करमदाता (हिन्दी)

(3) भराइविंग ट्यूसडे (अंग्रेजी)

(4) घूंघट (गुजराती)

(5) लव मैरिज (हिन्दी)

(6) प्रिजीज आनर (अंग्रेजी)

(7) अपेक्षा (हिन्दी)

(8) नामा मक्कालू (कन्नड़)

(9) नाग पंचमी (हिन्दी)

(10) समुन्दर (हिन्दी)

(11) कस्बा (हिन्दी)

(12) कवि कालिदास (कन्नड़)

(13) शिरड़ी साई बाबा (मराठी)

(14) माई-बाप (हिन्दी)

(15) ओवर दि ब्रुकलिन ब्रिज (अंग्रेजी)

(16) सोहनी महिवाल (हिन्दी)

(17) इमंज-निंग थेह (मणिपुर)

(18) रेलवे प्लेटफार्म (हिन्दी)

उपग्रह को अन्तरिक्ष में भेजना

5665. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और अमरीका दोनों भारतीय उपग्रह को अन्तरिक्ष में भेजने के लिए सुविधायें देने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सोवियत संघ और अमरीका दोनों ही भारतीय उपग्रहों के लिए प्रमोचन सुविधायें प्रदान

करते आ रहे हैं तथा कर रहे हैं। आर्यभट, भास्कर-I, भास्कर-II तथा दो भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, आई० आर० एस० Iए० और आई० आर० एस० Iबी० को सोवियत संघ से छोड़ा गया था। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-Iसी०(आई०आर०एस०-Iसी०) के प्रमोचन के लिए पहले से ही सोवियत संघ के साथ करार विद्यमान है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-ए० (इन्सैट-Iए०), भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-Iबी० (इन्सैट-Iबी०) और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-Iडी० (इन्सैट-Iडी०) उपग्रहों को अमरीका से छोड़ा गया था।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्रयादेशों सम्बन्धी स्थिति

5666. **श्रीमती बासवाराजेश्वरी :**

श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को प्राप्त होने वाले क्रयादेशों की संख्या में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में क्रयादेशों सम्बन्धी उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्यतः इंजीनियरी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों ने प्राप्त होने वाले क्रयादेशों की संख्या में कमी की सूचना दी है। क्रयादेशों सम्बन्धी उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए उठाये गए कदमों में उपयोगकर्ता क्षेत्रों के साथ अनुबन्धों को सुदृढ़ करना, नये उत्पाद क्षेत्रों में विविधता लाना तथा निर्यात प्रयासों को तेज करना शामिल है।

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

5667. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1991-92 में राजस्थान में नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की गई हैं। 24 जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति विवरण में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उनकी मशीनरी और पैकिंग सामग्री सहित प्राथमिकता सूची में रखा है और प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए विदेशी सहयोग प्रक्रिया को सरल बनाया है। सरकार ने चालू बजट प्रस्ताव में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिए अनेक वित्तीय राहतें शामिल की हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान में बीयर तैयार करने के लिए 16 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी

जांच की जा रही है। जिला अलवर के भिवाड़ी स्थान पर फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना का एक प्रस्ताव राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त हुआ था और लाइसेंसमुक्त उद्योग के रूप में पंजीकरण के लिए इसकी सिफारिश की गई थी।

गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम के मानदण्ड

5668. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इनके निर्माण हेतु कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो बरसात और सर्दी के मौसम में इन पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर रुकावटें आने पर भारतीय खाद्य निगम किस प्रकार आपूर्ति बनाये रखता है;

(ङ) मासिक आवश्यकताओं की दृष्टि से पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली जिलों में गोदामों की अलग-अलग क्षमता क्या है;

(च) क्या सरकार खाद्यान्नों की कमी से बचने के लिए पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बनाने का विचार रखती है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम कुछेक नोडल स्थलों पर भण्डारण क्षमता का निर्माण करता है। इन नोडल स्थलों का चयन भारतीय खाद्य निगम की जरूरतों और परिचालन के महत्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक का उठान करने, तदुपरान्त उसका भण्डारण और वितरण करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम की फिलहाल चमोली और पौड़ी गढ़वाल जिलों में कोई भण्डारण क्षमता नहीं है। इन इलाकों को खाद्यान्नों की आपूर्ति निगम के देहरादून, विकास नगर, ऋषिकेश और कोटद्वार में स्थित गोदामों से की जा रही है।

(च) से (ज) भारतीय खाद्य निगम का हरावला में 10,000 मीटरी टन क्षमता का गोदाम बनाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम द्वारा गढ़वाल डिवीजन में भी अतिरिक्त क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है।

भुवनेश्वर में डी० बी० स्टूडियो

5669. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कटक स्थित दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने

वाले कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार करने के लिए भुवनेश्वर में निर्माणाधीन टी० वी० स्टूडियो को शीघ्र पूरा करने एवं चालू करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस परियोजना के वर्ष 1991-92 के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

भुवनेश्वर में आकाशवाणी और दूरदर्शन का क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान खोलना

5670. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में आकाशवाणी और दूरदर्शन का क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी और उत्तरपूर्वी क्षेत्र के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत कुछ वर्गों के, इंजीनियरिंग कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है।

क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर केन्द्र

[हिन्दी]

3671. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा एक केन्द्र बिहार में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र बिहार में कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सुपर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

[अनुवाद]

5672. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो गठित की जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किन क्षेत्रों से संबंधित हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग

5673. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग के लिए कोई योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञता की उपयोगिता" नामक एक स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों को समर्थन दिया जाता है :

1. एकीकृत ग्रामीण विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी/भागीदारी ।
2. शैक्षणिक सामग्री, पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री और श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री के विकास जैसी विज्ञान/शैक्षिक परियोजनाओं में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की प्रतिभा और सेवाओं का उपयोग करना ।
3. सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों द्वारा प्रास्थिति रिपोर्टें, समीक्षाएं और मोनोग्राफ आदि तैयार करना ।
4. व्याख्यान, रेडियो और दूरदर्शन केन्द्रों तथा सार्वजनिक मंचों आदि के माध्यम से विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का परामर्शदाताओं अथवा सलाहकार के रूप में उपयोग करना ।

इस स्कीम ने वर्ष 1986 की अन्तिम तिमाही से कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके अधीन क्रियान्वित की जाने वाली कुछेक परियोजनाएं ग्रामीण निर्धनों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण से सम्बद्ध हैं। विज्ञान के उन क्षेत्र में जहां पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं, पुस्तकें और मोनोग्राफों को प्रकाशित करने के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित भी किया जा रहा है ।

अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक स्कीम

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेवानिवृत्त उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य करने, उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पुस्तकें/मोनोग्राफ लिखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

यह योजना उन वैज्ञानिकों के लिए है जो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में जाने-माने हैं और अपनी सेवा-निवृत्ति से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में सक्रिय रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्यरत रहे हैं।

आई०एन०एस०ए० वरिष्ठ वैज्ञानिक स्कीम

आई०एन०एस०ए० वरिष्ट वैज्ञानिक स्कीम नामक एक योजना भी है जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा चलाई जा रही है और इसके पुरस्कार प्राप्त करने वालों को "आई०एन०एस० ए० वरिष्ठ वैज्ञानिक" कहा जाता है।

इस स्कीम का उद्देश्य आई०एन०एस०ए० फैलोज की सेवानिवृत्ति के बाद विशेषज्ञता का उपयोग करना है। वैज्ञानिकों को कुछ मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास केन्द्र/विश्वविद्यालय/संस्थान में अनुसंधान करने के लिए अपना अधिकांश समय लगाना होता है। यदि वे चाहे तो अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में मोनोग्राफ लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। 58 से 70 वर्ष तक की आयु समूह के फैलोज विचार किए जाने के पात्र होते हैं।

बिहार में पंजीकृत कम्पनियां

[हिन्दी]

5674. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 20 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाली कितनी कम्पनियां पंजीकृत है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक कम्पनी को अब तक कितनी राशि का ऋण दिया गया है; और

(ग) उक्त कम्पनियों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 31 मार्च 1989 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बिहार में 20 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश (चुकता पूंजी रिजर्व एवं ऋण) वाली 21 कम्पनियां पंजीकृत थीं।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थान तथा बैंक कम्पनियों को ऋण देती हैं। कम्पनियों को दी गई ऋण राशि के आंकड़े और उनमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से संबंधित ब्यौरे केन्द्र द्वारा नही रखे जा रहे हैं।

राज्यों को सप्लाई किए खाद्यान्न की मात्रा

[अनुवाद]

5675. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री विजय कुमार यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को 1 जनवरी, 1991 से जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए प्रतिमाह कुल कितनी मात्रा में चावल, अन्य खाद्यान्न, पामोलीन और चीनी का आबंटन किया गया और उनकी कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए कहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मदों की मात्रा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) ब्यौरों का एक सेट संलग्न विवरण पर दिया गया है, जिसमें जनवरी, 91 से जुलाई, 91 तक राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित तथा उनके द्वारा उठाई गयी चावल, गेहूं, लेवी चीनी तथा आयातित खाद्य तेल को माहवार मात्रा दर्शाई गयी है।

(ख) जी, हां। बिहार सरकार ने अगस्त, 1991 के लिए खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध किया था।

(ग) से (ङ) खाद्यान्न का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक, बाजार में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुई मासिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने चालू महीनों के दौरान अल्पता की अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 91 के लिए चावल का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन देने का निर्णय किया है। बिहार सरकार को अगस्त, 91 के लिए 7000 मी० टन का तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

वस्तु : चावल वर्ष : 1991

	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	130000	117200	165000	139000	185000	204600	217000	205700
अरुणाचल प्रदेश	8000	7200	8000	7300	8000	7600	12000	9500
असम	35300	31800	35300	32300	35300	30600	35300	31200
बिहार	8000	2000	8000	2500	8000	3100	8000	3400
गोवा	4000	3800	4000	3600	4000	3900	4000	4300
गुजरात	24000	21800	24000	22200	24000	22100	24000	26200
हरियाणा	3000	1000	3000	600	3000	1200	3000	1300
हिमाचल प्रदेश	6500	5400	6500	6500	6500	5600	6500	4300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू व कश्मीर	35000	10100	35000	13500	35000	17600	35000	14900
कर्नाटक	45000	40600	48000	41300	48000	41500	48000	39600
केरल	142500	118000	142500	124700	142500	131100	142500	136000
मध्य प्रदेश	21000	10000	21000	11200	21000	15500	21000	18900
महाराष्ट्र	45000	54700	45000	47300	45000	48100	45000	48100
मणिपुर	7000	1000	7000	4600	7000	5600	7000	6900
मेघालय	9500	9200	10000	7400	10000	6300	10000	9000
मिजोरम	7500	8800	9000	7600	9000	6600	9000	6900
नागालैंड	9250	11500	9250	7200	9250	8800	12250	10000
उड़ीसा	18000	15100	18000	17700	18000	15700	24000	18000
पंजाब	1500	400	1500	200	1500	600	1500	200
राजस्थान	3200	1300	3200	1900	3200	1300	3200	1000
सिक्किम	4500	1900	4500	4100	4500	300	4500	4000
तमिलनाडु	65000	51900	65000	43900	75000	88400	99480	100700
त्रिपुरा	12850	9900	12850	6200	12850	8900	12850	14700
उत्तर प्रदेश	25000	22000	25000	18200	25000	21200	25000	24000
पश्चिम बंगाल	60000	46000	65000	53900	65000	53200	65000	50100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4500	200	शून्य	500	शून्य	शून्य	4500	शून्य
चण्डीगढ़	400	300	400	300	400	300	400	400
दादरा व नागर हवेली	500	शून्य	500	शून्य	500	शून्य	500	शून्य
दमन व दीव	450	शून्य	450	शून्य	450	100	450	शून्य
दिल्ली	20000	14000	20000	14000	20000	15400	20000	14300
लक्षद्वीप	शून्य	1000	शून्य	1100	शून्य	600	शून्य	200
पांडिचेरी	2000	300	2000	400	2000	300	2000	300

(आंकड़े मी० टनों में)

मई		जून		जुलाई	
आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
10	11	12	13	14	15
217000	188900	217000	234100	217000	उ०न०
12400	9000	8000	7200	8000	उ०न०
40300	33100	35300	36800	40300	उ०न०

10	11	12	13	14	15
8000	3900	8000	6500	8000	उ०न०
4500	4300	4500	4400	4500	उ०न०
24000	26100	24000	24500	28000	उ०न०
3000	1600	3000	1300	3000	उ०न०
6500	5600	6500	5300	6500	उ०न०
35000	20600	35000	1800	40000	उ०न०
48000	44500	48000	43600	48000	उ०न०
142500	148700	142500	140700	124500	उ०न०
21000	19200	21000	18600	25000	उ०न०
45000	38900	45000	43800	45000	उ०न०
7000	2500	7000	3200	7000	उ०न०
10000	13000	10000	5900	10000	उ०न०
9000	7700	7500	6300	7500	उ०न०
15250	8800	15250	14800	11250	उ०न०
24000	22500	26000	18800	29000	उ०न०
1500	300	1500	400	1500	उ०न०
3200	**1600**	**3200**	**900**	**3200**	**उ०न०**

10	11	12	13	14	15
4500	4000	4500	3300	4500	उ०न०
75000	73800	75000	63400	75000	उ०न०
22850	12700	12850	10900	12850	उ०न०
32500	24100	27500	27900	3000	उ०न०
65000	50900	69000	55400	69000	उ०न०
शून्य	200	शून्य	शून्य	4500	उ०न०
400	400	400	300	400	उ०न०
500	100	500	शून्य	500	उ०न०
450	100	450	200	450	उ०न०
20000	13300	11000	11000	20000	उ०न०
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ०न०
2000	300	2000	300	2000	उ०न०

आ० = आबंटन

उ० = उठाई गई मात्रा

उ०न० = उपलब्ध नहीं ।

(आंकड़े मी० टनों में)

वस्तु : गेहूं वर्ष : 1991

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	40000	13400	40000	9600	40000	8400
अरुणाचल प्रदेश	800	500	1000	500	1000	900
असम	25000	19300	30000	17900	30000	25300
बिहार	42000	39000	50000	51600	50000	47800
गोवा	3500	3500	3500	2700	3500	2600
गुजरात	75000	92300	95000	83500	95000	80800
हरियाणा	10000	18100	30000	23900	30000	23500
हिमाचल प्रदेश	10000	8500	12000	10900	12000	10100
जम्मू व कश्मीर	20000	6800	20000	10600	20000	8600
कर्नाटक	40000	30800	45000	37500	45000	36608
केरल	30000	28000	20000	20200	25000	23800
मध्य प्रदेश	30000	31700	50000	48300	60000	37900
महाराष्ट्र	100000	105500	115000	107800	120000	118200

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	3000	2100	3000	3000	3000	3400
मेघालय	2500	2600	2500	2600	2500	1000
मिजोरम	1250	800	1250	1000	1250	1000
नागालैंड	6250	5900	4000	2100	5000	5200
उड़ीसा	25000	25200	30000	24500	30000	25600
पंजाब	5000	4200	20000	16700	20000	14400
राजस्थान	70000	83700	80000	79500	100000	89400
सिक्किम	600	300	600	1300	600	200
तमिलनाडु	30000	10700	30000	16700	30000	22300
त्रिपुरा	2500	1300	2500	1800	2500	1700
उत्तर प्रदेश	90900	82500	75000	61400	75000	72100
पश्चिम बंगाल	90000	84500	10000	78700	10000	82700
अण्डमान व निकोबार दीप समूह	2100	900	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	1800	1900	3000	3000	3000	3000
दादर व नगर हवेली	200	शून्य	200	शून्य	200	शून्य
दमन और दीव	150	शून्य	150	100	150	100
दिल्ली	72000	75600	75000	67300	75000	97300
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	750	शून्य	750	शून्य	740	शून्य

(आंकड़े मी० टनों में)

8	9	10	11	12	13	14	15
40090	12400	40000	6100	20000	9900	20000	उ०न०
1000	900	1000	1200	800	400	800	उ०न०
35000	23800	35000	23000	20000	10700	20000	उ०न०
55000	42900	55000	36300	42000	43500	42000	उ०न०
5000	3200	5000	2700	3500	3000	3500	उ०न०
100000	61700	125000	84200	65000	69200	65000	उ०न०
30000	7900	30000	300	10000	600	10000	उ०न०
12000	10900	12000	12000	10000	9400	10000	उ०न०
20000	11200	20000	5400	20000	11600	20000	उ०न०
45000	34000	45000	37400	40000	34000	40000	उ०न०
30000	28000	30000	29500	30000	28000	30000	उ०न०
60000	26200	60000	23400	30000	20900	30000	उ०न०
120000	110200	120000	104500	105000	110200	120000	उ०न०
3000	3200	3000	2400	3000	1300	3000	उ०न०
2500	1600	2500	4100	2500	1500	2500	उ०न०
1250	1300	1250	900	1250	1300	1250	उ०न०
7000	11400	8000	5800	10000	3400	6000	उ०न०
35000	24400	35000	28700	26000	20400	25000	उ०न०

8	9	10	11	12	13	14	15
25000	0	25000	100	5000	100	5000	उ०न०
105000	72700	100000	66200	70000	55900	70000	उ०न०
600	400	600	600	400	200	600	उ०न०
30000	19100	30000	9100	30000	14400	30000	उ०न०
2500	400	2500	800	2500	700	2500	उ०न०
85000	47500	85000	41200	50000	28800	50000	उ०न०
100000	67000	100000	81500	90000	77900	90000	उ०न०
2100	300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2100	उ०न०
3000	3000	3000	600	1800	1600	1800	उ०न०
200	शून्य	200	शून्य	200	शून्य	200	उ०न०
150	शून्य	150	शून्य	150	100	150	उ०न०
75000	60700	75000	53800	72000	46800	72000	उ०न०
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उ०न०
150	शून्य	750	शून्य	750	शून्य	750	उ०न०

आ०=आबंटन

उ०=उठाई गई मात्रा

उ०न०=उपलब्ध नहीं ।

वस्तु : ले ी चीनी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	25281	*	25281	*	25281	*	25281
अरुणाचल प्रदेश	314	*	314	*	314	*	314
असम	9617	*	9617	*	9617	*	9617
बिहार	33459	*	33459	*	33459	*	33459
गोआ	500	*	500	*	500	*	500
गुजरात	16194	*	16194	*	16164	*	16194
हरियाणा	6386	*	6386	*	6386	*	6386
हिमाचल प्रदेश	2019	*	2019	*	2019	*	2019
जम्मू व कश्मीर	2884	*	2884	*	2884	*	2884
कर्नाटक	17769	*	17769	*	17769	*	17769
केरल	11953	*	11953	*	11953	*	11953
मध्य प्रदेश	25031	*	25031	*	25031	*	25031
महाराष्ट्र	29938	*	29938	*	29938	*	29938
मणिपुर	694	*	694	*	694	*	694

1	2	3	4	5	6	7	8
मेघालय	662	*	662	*	662	*	662
मिजोरम	261	*	261	*	261	*	261
नागालैंड	426	*	426	*	426	*	426
उड़ीसा	12393	*	12393	*	12393	*	12393
पंजाब	7945	*	7945	*	7945	*	7945
राजस्थान	1691	*	16914	*	16914	*	16914
सिक्किम	165	*	165	*	165	*	165
तमिलनाडु	22547	*	22547	*	22547	*	22547
त्रिपुरा	1001	*	1001	*	1001	*	1001
उत्तर प्रदेश	52926	*	52926	*	52926	*	52926
पश्चिम बंगाल	25888	*	25888	*	25888	*	25888
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	247	*	247	*	247	*	247
चण्डीगढ़	372	*	372	*	372	*	372
दादरा तथा नागर हवेली	51	*	51	*	51	*	51
दमन और दीव	39	*	39	*	39	*	39
दिल्ली	8721	*	8721	*	8721	*	8721
लक्षद्वीप	71	*	71	*	71	*	71
पांडिचेरी	400	*	400	*	400	*	400

9	10	11	12	13	14	15
*	25281	*	25281	*	25281	*
*	314	*	814	*	314	*
*	9617	*	9617	*	9617	*
*	33459	*	33459	*	33459	*
*	500	*	500	*	500	*
*	16194	*	16194	*	16194	*
*	6386	*	6386	*	6386	*
*	2019	*	2019	*	2019	*
*	2884	*	2884	°	2884	*
*	17769	*	17769	*	17769	*
*	11953	*	11953	*	11953	*
*	25031	*	25031	*	25031	*
*	29938	*	29938	*	29938	*
*	694	*	694	*	694	*
*	662	*	662	*	662	*
*	261	*	261	*	261	*
*	426	*	426	*	426	*
*	12393	*	12393	*	12393	*

9	10	11	12	13	14	15
*	7945	*	7945	*	7945	*
*	16914	*	16914	*	16914	*
*	165	*	165	*	165	*
*	22547	*	22547	*	22547	*
*	1001	*	1001	*	1001	*
*	52926	*	52926	*	52936	*
*	25888	*	25888	*	25888	*
*	247	*	247	*	247	*
*	372	*	372	*	372	*
*	51	*	51	*	51	*
*	39	*	39	*	39	*
*	8721	*	8721	*	8721	*
*	71	*	71	*	71	*
*	400	*	400	*	400	*

*चीनी की लगभग शतप्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है ।

वस्तु : खाद्य तेल (कुल)

वर्ष : 1901 (आंकड़े मी० टन में)

राज्य/संघ	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल	
राज्य/क्षेत्र	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	शून्य	508	1200	115	1700	1107	शून्य	1201
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	50	7	50	15	शून्य	24
असम	शून्य	शून्य	200	शून्य	200	193	शून्य	शून्य
बिहार	शून्य	596	1000	शून्य	1500	895	शून्य	406
गोवा	शून्य	11	500	335	500	448	शून्य	217
गुजरात	शून्य	शून्य	3600	2564	3600	1627	शून्य	1421
हरियाणा	शून्य	238	700	316	900	187	शून्य	304
हिमाचल प्रदेश	शून्य	682	800	384	800	546	150	209
जम्मू तथा कश्मीर	शून्य	251	400	69	600	340	शून्य	193
कर्नाटक	शून्य	415	1600	1182	2100	1954	शून्य	222
केरल	शून्य	8	1200	420	1700	2188	शून्य	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	शून्य	1502	2000	शून्य	2500	742	शून्य	1692
महाराष्ट्र	शून्य	278	5000	2211	5000	5920	शून्य	1773
मणिपुर	शून्य	40	200	शून्य	200	20	शून्य	200
मेघालय	शून्य	शून्य	200	149	200	51	शून्य	200
मिजोरम	शून्य	शून्य	300	100	300	192	शून्य	शून्य
नागालैंड	शून्य	शून्य	400	400	400	200	400	244
उड़ीसा	शून्य	250	1200	184	1500	1000	शून्य	1335
पंजाब	शून्य	252	700	301	700	650	शून्य	420
राजस्थान	शून्य	80	870	620	870	115	शून्य	260
सिक्किम	शून्य	शून्य	150	शून्य	150	201	शून्य	101
तमिलनाडु	शून्य	1450	1200	1008	1700	1627	400	374
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	200	शून्य	200	200	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	8	2000	293	2000	1436	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	1001	3000	216	3000	2883	शून्य	2079
अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	200	200	200	शून्य	200	200
चंडीगढ़	शून्य	54	100	43	100	18	शून्य	54
दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	60	50	60	70	शून्य	शून्य
दमन व दीव	शून्य	10	90	70	90	84	शून्य	16
दिल्ली	शून्य	493	1500	791	1500	885	शून्य	906
लक्षदीप	शून्य	शून्य	30	30	30	20	75	10
पांडिचेरी	शून्य	50	100	100	100	100	शून्य	शून्य

(आंकड़े मी० टन में)

मई		जून		जुलाई	
आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
10	11	12	13	14	15
शून्य	285	860	160	100	560
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	30	शून्य	शून्य	शून्य	125
शून्य	365	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	359	शून्य	636
शून्य	171	शून्य	95	शून्य	शून्य
शून्य	263	500	63	शून्य	शून्य
शून्य	213	शून्य	100	300	शून्य
शून्य	शून्य	560	194	शून्य	359
शून्य	16	560	300	शून्य	234
शून्य	1214	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	7	600	600	शून्य	1112
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	शून्य
शून्य	21	200	शून्य	400	200
400	20	200	220	शून्य	300

10	11	12	13	14	15
शून्य	39	220	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	166	शून्य	46	शून्य	शून्य
शून्य	70	शून्य	75	शून्य	शून्य
100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	353	275	शून्य	शून्य	275
शून्य	188	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	102	शून्य	306	शून्य	357
600	282	शून्य	194	शून्य	78
शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60	शून्य
शून्य	शून्य	90	शून्य	शून्य	75
शून्य	161	500	164	शून्य	289
शून्य	55	75	20	शून्य	शून्य
100	शून्य	100	100	शून्य	100

आ० = आवंटन

उ० = उठाई गई मात्रा

उड़ीसा के गंजम जिले में चीनी मिलें

5677. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम ज़िले में परलखेमुन्डी चीनी मिल स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान है;

(ख) क्या इस स्थान पर चीनी मिल लगाने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो परलखेमुन्डी में चीनी मिल लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) किसी विशेष क्षेत्र/स्थान पर नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव उद्यमियों द्वारा ही भेजे जाते हैं। तथापि, उड़ीसा के गजम जिले में परलखेमुन्डी में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना हेतु आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई भी आवेदन-पत्र सरकार के विचारार्थ लंबित नहीं है।

ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं

5678. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय ग्रामीण विकास संस्थानों, व्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश हेतु आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक योग्यता क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त संस्थाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में भी सम्मिलित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) उपरोक्त संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

5679. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने हमारी उर्वरक कम्पनियों को वर्तमान प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी है और इनकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी कुछ अन्य विदेशी कम्पनियां भी हैं जो इससे बेहतर और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) देश में गैस पर आधारित आधुनिकी संयंत्रों में इस समय इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकी अमोनिया संयंत्रों के के लिए मै० हाल्दर टोप्सो (डेन्मार्क) और मै० एम० डब्ल्यू० क्लोग (यू० एम० ए०) और यूरिया संयंत्रों के लिए मै० स्नैम प्रोगेटी (इटली) द्वारा आपूर्ति की गयी थी। इन प्रौद्योगियों को प्रयोग में लाने के लिए अपेक्षित शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी है। इन प्रौद्योगिकियों का चयन विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर 1980 में किया गया था और वे निविदाएं विश्वसनीयता, ऊर्जा दक्षता, लागत आदि के रूप में उस समय अत्यन्त प्रतियोगी थी।

विवरण

विभिन्न उर्वरक परियोजनाओं के लिए विदेशी प्रक्रिया लाइसेंसरों/इंजीनियरिंग ठेकों के लिए भुगतान की गई/भुगतान योग्य फीस

(हजारों में)

विवरण	थल		हजीरा		विजयपुर		आंवाला		जगदीशपुर	
1. लाइसेंस शुल्क										
अमोनिया शुल्क	डी० क्रोन	7267	डा०	1706	डी० क्रो०	5840	डी० क्रो०	4593	डी० क्रो०	4668
यूरिया	डालर	675	डा०	660	डालर	364	डालर	396	डालर	396
2. मूल इंजीनियरिंग										
अमोनिया	डालर	3118	डा०	4126	डालर	1490	डालर	1527	डालर	3300
यूरिया	डालर	1460	डा०	1504	डालर	1178	डालर	1313		
3. विस्तृत इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति, निरीक्षण एवं **निपटान**										
अमोनिया	डालर	2760	डा०	3082	डालर	2195	डालर	2250	डालर	4600
यूरिया	डालर	378	डा०	432						

1		2		3		4		5		6
4. विस्तृत इंजीनियरिंग का पर्यवेक्षण										
अमोनिया	डालर	1150	डा०	1204	डालर	920	डालर	920	डालर	3800
यूरिया	डालर	288	डा०	234	डालर	260	डालर	260		
5. निर्माण पर्यवेक्षण										
अमोनिया	डालर	3930	डा०	2667	डालर	3018	डालर	2767	डालर	7525
यूरिया	डालर	468	डा०	740	डालर	630	डालर	630		
6. प्रारम्भण										
अमोनिया	डालर	5000	डा०	688	डालर	572	डालर	532	डालर	1451
यूरिया	डालर	1180	डा०	1336	डालर	931	डालर	640		
	डालर	17250	डा०	18390	डालर	12389	डालर	11919	डालर	21769
										आपूतियों के जमा डालर 984 मिलियन
										*2910 मिलियन

(हजारों में)

नागार्जुना		गडेपन		बबराल		शाहजहांपुर		
डी० क्रो०	5368	डी० क्रो०	5084	डी० क्रो०	5084	डी० क्रो०	5364	सभी अमोनिया संयंत्र हल्डौर टोप्सो द्वारा केवल हजीरा संयंत्र को छोड़कर जिसके लिए एम० डब्ल्यू० कैलोरा प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई, 'सभी यूरिया संयंत्रों के लिए स्नैम प्रौद्योगिकी। शाहजहांपुर परियोजना में पी० डी० आई० एल० मुख्य ठेकेदार है।
डालर	300	डालर	396	डालर	396	डालर	396	
डालर	5477	डी० एम०	8700	डी० एम०	8700	डी० क्रो०	13900	
						डी० एम०	3000	
डालर	8121	डी० एम०	12800	डी० मए०	12900	शून्य		

7		8	9	10	11
डालर	4282	डी० एम० 22555 + रु० 2.75 करोड़ (स्थानीय खर्च के लिए)	डी० एम० 22555 + रु० 2.75 करोड़ (स्थानीय खर्च के लिए)	डी० एम० 3817 (अमोनियम डी० एम० 2082 (यूरिया) + रु० 49 लाख (स्थानीय खर्च के लिए)	
डालर	8120				
डालर	1899				
डालर	2900	डी० क्रो० 5084 + डालर 396 + डी० एम० 44055	डी० क्रो० 5084 + डालर 396 + डी० एम० 44055	डी० क्रो० 19264 + डालर 396 + डी०एम० 8699	

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा केरल को गंधक के अम्ल की सप्लाई

5680. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, केरल में लघु एककों को गंधक के अम्ल की काफी समय से सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या गंधक के अम्ल की यह सप्लाई एकाएक बन्द कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) फास्फोरिक एसिड और उर्वरकों के निर्माण के लिए एफ० ए० सी० टी० सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करती है । वर्ष 1990-91 में आयातित सल्फर और फास्फोरिक एसिड की उपलब्धता में अनिश्चितता और उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने की आवश्यकता के कारण एफ० ए० सी० टी० में सल्फ्यूरिक एसिड की उपलब्धता नाजुक हो गयी थी । चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड का कैप-टिक उत्पादन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था अतः एफ० ए० सी० टी० को स्वयं अन्य स्रोतों से सल्फ्यूरिक एसिड खरीदना पड़ा । इन परिस्थितियों के कारण एफ० ए० सी० टी० को दूसरों के लिए बिक्री में कटौती करनी पड़ी ।

(घ) फिलहाल एफ० ए० सी० टी० अन्य उपयोगकर्ताओं को सल्फ्यूरिक एसिड की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन और उपलब्धता उनके अपने उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है । तथापि, कैवल्ट एसिड के पहले उपभोक्ताओं ने आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था कर ली है इसलिए उपचारी उपायों की आवश्यकता नहीं है ।

उड़ीसा में ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम

5681. **श्री व्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने फूलबनी, गंजम जिले के 5 खण्डों, कोरापुट और मयूरभंज जिलों के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए 4.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के संशोधित अनुमान भेजे हैं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की 1000 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) इन योजनाओं की जांच की जा रही है ।

दूरदर्शन द्वारा धारावाहिकों का चयन

5682. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन विभाग ने कुछ श्रेणियों के अन्तर्गत नये प्रायोजित कार्यक्रम के लिए धारावाहिकों के प्रस्ताव आमन्त्रित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और कौन-कौन से धारावाहिकों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने नई प्रायोजकता स्कीम के अन्तर्गत, निम्नलिखित वर्गों के लिए धारावाहिकों के वास्ते प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं :

(1) पारिवारिक धारावाहिक

(2) हास्य धारावाहिक

(3) गौरव ग्रंथों/उपन्यासों पर आधारित धारावाहिक

(4) लघु कहानियां

(5) जासूसी धारावाहिक

(6) सामाजिक रूप से पर्यावरण सम्बन्धी प्रासंगिक धारावाहिक

(7) वैज्ञानिक कथाएं

(8) ऐतिहासिक/सांस्कृतिक

(9) प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

(10) बच्चों के लिए धारावाहिक
(कार्टून/बच्चों के लिए धारावाहिक/एनिमेशन)

(11) वृत्तचित्र।

इन वर्गों के प्रस्तावित धारावाहिकों में से प्रसारण के लिए अभी तक किसी भी धारावाहिक का चयन नहीं किया गया है।

तेलगु विदेश प्रसारण सेवा

5683. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से तेलगु विदेश सेवा कार्यक्रम के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के लिए समय बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी में तेलगु विदेश सेवा का विस्तार कर उसका लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले अनेक तेलगु लोगों को पहुंचाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी की विदेश सेवा में तेलगु को प्रतिदिन आधे घंटे का समय दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) फिलहाल इस सेवा का संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के कवर न हुए भागों के लिए विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

महाराष्ट्र की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं

5684. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग में कार्रवाई के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

1.	कोमीखुर्द (इन्दिरा सागर परियोजना)	
	लागत	रु० 46119 लाख
	कृषी योग्य मकान क्षेत्र (सी० सी० ए०)	2,00,000 है०
	वार्षिक सिंचाई	2,50,8000 है०
2.	बावन पाडी सिंचाई परियोजना	
	लागत	रु० 16,157.5 लाख
	सा० सी० ए०	48848 है०
	वार्षिक सिंचाई	57120 है०
3.	वान	
	लागत	रु० 4685.00 लाख
	सी० सी० ए०	22525 है०
	वार्षिक सिंचाई	19177 है०
4.	कोयना-कृष्णा लिफ्ट स्कीम	
	लागत	रु० 25,910.70 लाख
	सी० सी० ए०	107164 है०
	वार्षिक सिंचाई	85785 है०

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के लिए निवेश मंजूरी के लिए निर्णय राज्य की समग्र संसाधन उपलब्धता तथा आगामी 8वीं योजना में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रको को दी जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए संवर्गों के आबंटन की प्रक्रिया

5685. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए संवर्गों के आबंटन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों और उनकी खंडपीठों तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दायर किए गए उन मामलों का ब्यौरा क्या है; जिनमें संवर्ग आबंटन को चुनौती दी गई है अथवा उस पर संदेह प्रकट किया गया है; और

(ग) न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा उन मामलों में क्या आदेश जारी किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

रोस्टर पद्धति के अधीन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संवर्ग आबंटन के सिद्धांत

(1) प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियां 2 : 1 के अनुपात में "राज्य से बाहर के व्यक्तियों तथा "राज्य के व्यक्तियों" के लिए निर्धारित की जाएगी। अनुपात अंश से सम्बन्धित समस्याओं से बचने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि प्रत्येक आबंटन के दौरान न सही तो कालांतर में राज्य से बाहर के तथा राज्य के व्यक्तियों के बीच, किसी संवर्ग की रिक्तियों के विखंडन की गणना राज्य के बाहर के, "राज्य के" तथा "राज्य के बाहर के" के क्रम में की जाएगी।

(2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां निर्धारित प्रतिशत के अनुसार विभिन्न संवर्गों में आरक्षित होंगी। इस आरक्षण के प्रयोजन से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एक साथ मिला दिया जायेगा तथा प्रतिशतता जोड दी जायेगी। "राज्य से बाहर के व्यक्तियों" तथा "राज्य के व्यक्तियों" के बीच प्रत्येक संवर्ग में आरक्षित रिक्तियो का वितरण 2 : 1 के अनुपात में किया जायेगा। यह अनुपात जैसा कि सामान्य उम्मीदवारों के मामले में किया जाता है, "राज्य से बाहर के व्यक्ति", "राज्य के व्यक्ति" "राज्य से बाहर के व्यक्ति" के क्रमानुसार परिचालित होगा।

(3) "राज्य के व्यक्तियों" पुरुष तथा महिला दोनों का आबंटन पूर्णतः उनके रैंकों के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपने मूल राज्यों मे आबंटित होना चाहे।

(4) "राज्य से बाहर के व्यक्तियों" का आबंटन चाहे वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार है अथवा आरक्षित श्रेणी के, चाहे वे पुरुष है अथवा महिला "राज्य के व्यक्तियों" को बाटं में उनके समुचित स्थान पर रखने के बाद जैसाकि नीचे स्पष्ट किया गया है, रोस्टर पद्धति से अनुसार होगा :—

(i) सभी राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए तथा चार समूहों में बांटे जाने चाहिए जिसमें, कालांतर में प्राप्त औसत के आधार पर, प्रत्येक में प्राय: समान संख्या में अधिकारी लिए जाते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान लिए गए औसत अधिकारियों के आधार पर समूह निम्नानुसार होंगे :

समूह I आंध्र प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार तथा गुजरात।

समूह II हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश।

समूह III महाराष्ट्र, मणिपुर-त्रिपुरा नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा सिक्किम।

समूह IV : तमिलनाडु संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ii) संवर्ग/संयुक्त संवर्ग की सं० 21 है, अत: यह चक्र 1-21, 22-42, 43-63 तथा इसी प्रकार आगे चलेगा।

(iii) तब "राज्य के व्यक्तियों" को राज्यों में बांटा जाना चाहिए तथ आबंटन के विभिन्न चक्रों को सौंप दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि किसी राज्य को 4 "राज्य के" उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं तो वे सम्बन्धित चक्रों में राज्यों के हिस्से में जाएंगे। यदि 2 "राज्य के" उम्मीदवार है और यदि समान चक्र में से 2 "राज्य के" उम्मीदवार आते हैं तो उन्हें उत्तरोत्तर चरणों में राज्य में गया हुआ माना जाना चाहिए तथा इसी प्रकार आगे भी।

(iv) "राज्य के बाहर" के उम्मीदवार वरीयता क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए तथा राज्य संवर्गों में नीचे (v) में निर्धारित किए गए चक्रों में आबंटित किए जाएंगे।

(v) प्रथम चक्र में, राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्गों को, जिनको "राज्य के" उम्मीदवार प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रत्येक को "राज्य से बाहर" के उम्मीदवारों की वरीयता के क्रम में एक-एक उम्मीदवार दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर चक्रों में दोहराई जानी चाहिए, जिनमें प्रत्येक उत्तरोत्तर चक्र अगले उत्तरोत्तर राज्य समूह के साथ आरम्भ होता हो, उदाहरणत:, दूसरा चक्र समूह III राज्यों से शुरू होना चाहिए, तीसरा चक्र समूह III राज्यों से तथा चौथा चक्र समूह IV राज्यों से तथा पांचवां चक्र पुन: समूह I राज्यों से आरम्भ होना चाहिए। कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी उम्मीदवार की बारी इस प्रकार से आ सकती है कि उसका आबंटन उसके अपने मूल राज्य में हो सकता है। जब ऐसा हो, तो उसकी उससे नीचे के उम्मीदवार के साथ अदला-बदली कर दी जानी चाहिए।

(vi) आगामी वर्ष के लिए, राज्य संवर्गों की वर्णक्रम में व्यवस्था की जानी चाहिए परन्तु पिछले वर्ष के समूह I को नीचे रखा जाना चाहिए अर्थात नये सिरे से यह व्यवस्था समूह II के साथ शुरू होगी। तीसरे वर्ष में समूह III प्रथम स्थान पर आ जाएगा और इस प्रकार से आगे प्रक्रिया चलती रहेगी।

(vii) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में ऐसे उन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में जिनकी योग्यता सूची में स्थिति ऐसा है कि उन्हें कोई आरक्षण न होने की स्थिति में भी सेवा में नियुक्त किया जा सकता था, उन्हें आबंटन के प्रयोजन से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बराबर माना जा सकता है हालांकि उनकी गणना आरक्षित रिक्तियों के रूप में की जायेगी। आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित अन्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अपनाई गई क्रियाविधि ही अपनाई जायेगी। दूसरे शब्दों में राज्यों के ऐसे ही समूहीकरण के साथ एक अलग से चार्ट तैयार किया जाना चाहिए और साथ ही ऐसे ही प्रचालन सम्बन्धी ब्यौरों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि "राज्य के" सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के कोटे में कमी हो जाती है तो इसे राज्य के ही आरक्षित उम्मीदवारों में से पूरा किया जा सकता है।

विवरण

क्र० सं	दायर मामले के ब्यौरे	जिस कानूनी अदालत में दायर किया गया	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	कु० रवनीत कौर, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ ए सं० 42/सी एच/89	के०प्र०अ० चण्डीगढ़ न्यायपीठ	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आवेदन की अनुमति दे दी। भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
2.	नरेन्द्र कुमार, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 8(जी)/90	के०प्र०अ० गुवाहाटी न्यायपीठ	के०प्र०अ० ने आवेदन करने की अनुमति दी।
3.	पी०के० बर्थाकुर, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 61(जी)/90	के०प्र०अ० गुवाहाटी न्यायपीठ	न्यायाधीन
4.	अजय श्रीवास्तव, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 792/90	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	न्यायाधीन
5.	संजय पुरोहित, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 199/90	के०प्र०अ० जोधपुर न्यायपीठ	न्यायाधीन

1	2	3	4
6.	राजीव यादव, आई०ए०एम० बनाम भारत संघ ओ०ए० 2557/90	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	न्यायाधीन
7.	बी०के० सिंह आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 256/एचपी/91	के०प्र०अ० चण्डीगढ़ न्यायपीठ	न्यायाधीन
8.	श्रीमती शालिनी, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 197/91	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	न्यायाधीन
9.	मनोज कुमार, आई०ए०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 538/91	के०प्र०अ० इलाहाबाद न्यायपीठ	न्यायाधीन
10.	एन०एस० सर्वडे, आई०पी०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 1352/जेके/89	के०प्र०अ० चण्डीगढ़ न्यायपीठ	न्यायाधीन
11.	आर०एस० यादव, आई०पी०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० 69/90	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	न्यायाधीन
12.	ब० श्रीनिवास, आई०पी०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 39/91	के०प्र०अ० हैदराबाद	न्यायाधीन

1	2	3	4
13.	जे० श्रीनिवास, आई०पी०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 40/91	के०प्र०अ० हैदराबाद न्यायपीठ	न्यायाधीन
14.	एच०एस० सोहल, आई०एफ०एस० बनाम भारत संघ ओ०ए० सं० 1139/89	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	ओ०ए० को रद्द कर दिया गया। एस०एल०पी०(विशेष अनुमति याचिका) को भी उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
15.	टी०वी० रेड्डी, आई०एफ०एस० बनाम भारत संघ, ओ०ए० सं 1321/89	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	न्यायाधीन
16.	एस० कमला सुदर्शन राव, आई०एफ०एस० बनाम भारत संघ, ओ०ए० सं० 1852/89	के०प्र०अ० प्रधान न्यायपीठ	वापस लिए जाने के कारण रद्द कर दिया गया।
17.	एस० श्रीनिवास राव, आई०एफ०एस० बनाम भारत संघ, ओ०ए० सं० 836/90	के०प्र०अ० हैदराबाद न्यायपीठ	ओ०ए० को रद्द कर दिया गया।
18.	एस० श्रीनिवास राव, आई०एफ०एस० बनाम भारत संघ, ओ०ए० सं० 18/91	के०प्र०अ० गुवाहाटी न्यायपीठ	न्यायाधीन
19.	एस०पी० यादव तथा अन्य बनाम भारत संघ, एम०पी० सं० 1539/91	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ	न्यायाधीन

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा संवर्ग में परिवर्तन

5686. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संवर्ग में परिवर्तन करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं तथा कौन सी शर्तें रखी गई हैं; और

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, संवर्ग में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है और यह अनुमति किस-किस आधार पर दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अन्तर-संवर्ग स्थानांतरण की अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जब विभिन्न राज्य संवर्गों के अधिकारी परस्पर विवाह कर लेते हैं। तथापि, जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्य संवर्गों अर्थात असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा तथा नागालैंड में आबंटित एकल महिला अधिकारियों के सम्बन्ध में यह एक अपवाद है। संवर्ग स्थानांतरण की अनुमति देते समय स्थानांतरण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि स्थानांतरण चाहने वाले का स्थानांतरण उसके गृह राज्य में न हो।

(ख) सूचना नीचे सारणी में दी गई है :—

परीक्षा का वर्ष	सेवा	स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या
1989	भारतीय प्रशासनिक सेवा	12
	भारतीय पुलिस सेवा	5
	भारतीय विदेश सेवा	4
1990	भारतीय प्रशासनिक सेवा	12
	भारतीय पुलिस सेवा	2
	भारतीय विदेश सेवा	शून्य
1991	भारतीय प्रशासनिक सेवा	4
	भारतीय पुलिस सेवा	1
	भारतीय विदेश सेवा	1

केरल के क्विलोन जिले में विकिरण का खतरा

5687. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल के क्विलोन में चावरा-तीनदकाड़ा क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे भारी मात्रा में विकिरण आनुवंशिक दोष और कैंसर जैसे विभिन्न शारीरिक विकारों से पीड़ित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कुछ एक समाचारपत्रों में छपी कुछ निजी अनुसंधानकर्ताओं के इस बारे में निष्कर्षों की रिपोर्ट कि केरल के क्विलोन जिले में कुछ ऐसे क्षेत्रों जहां वातावरण में विद्यमान विकिरण की मात्रा अधिक है, में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विकार व्याप्त हैं, की जानकारी है।

परमाणु ऊर्जा विभाग जन सामान्य पर विकिरण से पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई है तो, की मात्रा का पता लगाने के लिए परीक्षण करता आ रहा है। अभी तक, ऐसे कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आए हैं जो सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण हों। ऐसा इसलिए सम्भव है कि जिन प्रभावों की भविष्यवाणी की गई है उनकी मात्रा बहुत ही कम है और उनका उन प्रभावों की तुलना में पता लगाना कठिन है जो सामान्यत: पड़ते हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग इस समय त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को करूणागपल्ली तालुक में स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। आशा है कि स्वतन्त्र रूप से किया गया यह अध्ययन केरल में वातावरण में विद्यमान उच्च विकिरण की वजह से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई है, पर प्रकाश डालेगा।

अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच/मुकदमा

5688. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के सेवा-वार कितने अधिकारियों पर अपनी ज्ञात आय से अधिक परिसम्पत्ति का अर्जन करने अथवा अपने स्वामित्व में रखने पर लगाए गये आरोपों की जांच की जा रही है अथवा मुकदमा चलाया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सेवा-वार कितने अधिकारियों पर आरोप की जांच की गई, इन आरोपों के आधार पर कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया, बरखास्त किया गया अथवा इस्तीफा देने को मजबूर किया गया तथा उक्त जांच किस वर्ष से चल रही थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबन्धक निदेशकों सहित वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों पर भी उसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिस प्रकार की कार्यवाही अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनेक वस्तुओं के अधिक मूल्य लगाना

5689. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधानमन्त्री 14 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों/स्टाकिस्टों/सप्लायरों/निर्माताओं का ब्यौरा क्या हैं, जो भिन्न-भिन्न मूल्य लगा रहे हैं और किन-किन मदों पर ये मूल्य लगाए गए हैं;

(ख) ऐसी एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे व्यापार व्यवहारों का संस्थावार बाजार वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों की विभेदकारी व्यापार नीति पर कोई आपत्ति नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार द्वारा 1 जून, 1990 से 31 मई, 1991 के बीच किए गए उपरिव्यय का ब्यौरा क्या है और यह इससे पहले के तीन वर्षों की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है; और

(च) इनका उपरिव्यय कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) लोक सभा प्रश्न सं० 441 के उत्तर में 14-8-91 को केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लि० द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया गया था। उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा बेचे जाने वाले सामान के मूल्यों में अन्तर, सामान की खरीद की अलग-अलग तारीख होने तथा अन्य घटकों की वजह से था, कम्पनियों/स्टाकिस्टों/सप्लायरों/विनिर्माताओं द्वारा अलग-अलग मूल्य वसूल करने के कारण नहीं।

(ङ) और (च) सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा किए गए ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। चूंकि इन संस्थाओं के लेखा वर्ष जुलाई-जून से बदलकर अप्रैल-मार्च हो गए हैं, अतः ऊपरी खर्चों के आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए हैं।

ऊपरी खर्चों में स्वाभाविक आर्थिक शक्तियों की वजह से सामान्यतः प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो जाती है। खर्चों को नियन्त्रित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य बातें जिनकी वजह से ऊपरी खर्चों में उल्लेखनीय कमी नहीं आती, इन संस्थाओं की गतिविधियों में विस्तार करना है।

विवरण

(लाख रुपए में)

सुपर बाजार	जुलाई, 1987 से मार्च, 1989 (21 महीने)	1989-90 (अप्रैल-मार्च)	1990-91 (अप्रैल-मार्च) (अनन्तिम जिसकी लेखा परीक्षा की जानी है)
(क) स्थापना	748.59	583.77	649.00
(ख) ब्याज	38.56	20.96	19.67
(ग) अन्य विविध व्यय	224.27	165.98	142.19
	1011.42	770.71	810.86

केन्द्रीय भंडार	1988-89 (जुलाई 88 से मार्च, 89) (9 महीनों के लिए)	1989-90	1990-91 (अनन्तिम-जिसकी लेखा परीक्षा की जानी है तथा केवल दिल्ली शाखा हेतु)
(क) स्थापना	73.12	110.32	117.15
(ख) ब्याज	6.29	11.48	13.00
(ग) अन्य विविध व्यय	25.58	40.85	28.34
	104.99	162.65	168.49

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उद्योगों की स्थापना

5690. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में वास्तव में स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में लघु उद्योगों को लाइसेंस जारी करने के कितने मामले लम्बित है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सम्बन्धित राज्य सरकार तथा प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग द्वारा की जाती है । अतः स्थापित उद्योगों की वास्तविक संख्या संबंधी जानकारी केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है । नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा तथा सामरिक विषयों इत्यादि से सम्बद्ध उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची को छोड़ शेष सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) लघु तथा सहायक उपक्रमों को ऐसे विनिर्माण की सभी मदों के लिए लाइसेंस की छूट दी जाती है जो औद्योगिक नीति के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने अथवा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल नहीं हैं । इसके अलावा, उनको विनिर्माण की ऐसी मदों के लिए भी लाइसेंस की छूट दी जाती है जिसका विनिर्माण केवल लघु/सहायक क्षेत्र के लिए आरक्षित होता है चाहे वे अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने की आवश्यकता वाले उद्योगों की सूची में ही शामिल क्यों न हों ।

भूमिहीन श्रमिक

5691. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अनुमानतः कितनी है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, राज्यवार, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितने श्रम दिवस का सृजन किया जाएगा; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानतः कितने प्रतिशत श्रमिकों को लाभ मिल पाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) . (क) चूंकि 1981 की जनगणना में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र नहीं की गयी थी अतः यह सूचना उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए लगभग 900 मिलियन श्रम दिवसों के रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन में भूमिहीन श्रमिकों का हिस्सा लगभग 44 प्रतिशत हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार लक्ष्यों का राज्य-वार निर्धारण

(लाख श्रम-दिवस)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आंध्र प्रदेश	919.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.40
3.	असम	122.75
4.	बिहार	1125.86
5.	गोवा	11.91
6.	गुजरात	242.72
7.	हरियाणा	37.60
8.	हिमाचल प्रदेश	34.06
9.	जम्मू और कश्मीर	61.68
10,	कर्नाटक	433.93
11.	केरल	244.83
12.	मध्य प्रदेश	1156.31
13.	महाराष्ट्र	859 99
14.	मणिपुर	9.83

1	2	3
15.	मेघालय	18.98
16.	मिजोरम	4.48
17.	नागालैंड	21.26
18.	उड़ीसा	306.02
19.	पंजाब	29.57
20.	राजस्थान	338.84
21.	सिक्किम	7.91
22.	तमिलनाडु	688.95
23.	त्रिपुरा	19.81
24,	उत्तर प्रदेश	1703.11
25.	पश्चिम बंगाल	554.96
26.	अण्डमान व निकोबार दीप समूह	4.44
27.	चण्डीगढ़	0.70
28.	दादरा व नगर हवेली	3.47
29.	दमन व दीव	1.61
30.	दिल्ली	3.83
31.	लक्षदीप	2.62
32.	पांडिचेरी	4.06
	अखिल भारत	8988.47

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में विकास केन्द्र

5692. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कितने विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित है;

(ख इन पर्वतीय जिलों को विकास केन्द्रों के लिए प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि आबंटित की गई तथा इनमें हुई प्रगति का अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कितने तथा किन-किन स्थानों पर विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नई विकास केन्द्र योजना के अधीन, उत्तर प्रदेश को आवंटित 8 विकास केन्द्रों में से एक विकास केन्द्र पर्वतीय जिला पौड़ी गढ़वाल के शिवराजपुर-पदमपुर में स्थापित किया जाना है। प्रत्येक विकास केन्द्र को विकसित करने में 25-30 करोड़ रु० की लागत आएगी। विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन होने के बाद वित्तीय सहायता का केन्द्रीय भाग किस्तों में जारी किया जायगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पौड़ी-गढ़वाल में विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है।

रोजगारोन्मुख कार्यक्रम

[हिन्दी]

5693. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या ये सभी कार्यक्रम एक अकेली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाइ०) तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) एवं स्व-रोजगार कार्यक्रम (एस०ई०पी०यू०पी०) तथा शिक्षित बेरोजगारों और अशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार (एस०ई०ई०यू०वाई०) स्कीम को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। कई रोजगार कार्यक्रमों को भी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विशेष रोजगार कार्यक्रमों को किसी एक एजेंसी के जरिए कार्यान्वित नहीं किया जाता है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों में कार्यक्रमों के विस्तार, ढांचे तथा व्यापकता एवं लक्ष्य समूह जिमको वे लाभ प्रदान करती हैं, के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों को प्राप्त होने वाले लाभ

[अनुवाद]

5694. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ कलाकारों को पेंशन संबंधी लाभों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी

के स्टाफ कलाकारों की पेंशन, छुट्टी नकदीकरण तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त हैं।

पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बदले, स्टाफ कलाकार अंशदायी भविष्य निधि और 120 दिनों तक की सेवांत छुट्टी के लाभों के पात्र हैं। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 उन पर लागू नहीं होती है। तथापि, वे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1977 द्वारा कवर होते हैं।

पिछड़े जिलों के लिए मानदण्ड

5695. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किए जाने हेतु मानदण्डों का पुनर्निर्धारण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फोटोग्राफी की सामग्री के मूल्य

5696. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साउथ इण्डियन फोटोग्राफिक एण्ड एलाइड ट्रेड एसोसिएशन द्वारा रंगीन, ग्राफिक आर्ट तथा श्वेत और श्याम फिल्मों सहित फोटोग्राफिक सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि से इस व्यापार के बन्द होने के सम्बन्ध में व्यक्त की गयी चिन्ता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) हालांकि सरकार को फोटोग्राफी की सामग्री इत्यादि के मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में साउथ इण्डियन फोटोग्राफिक एण्ड एलाइड ट्रेड एसोसियेशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है फिर भी अन्य ऐसे संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के जरिए इस समस्या की जानकारी मिली है।

सरकार का फोटोग्राफी की सामग्री के मूल्य पर नियन्त्रण नहीं है। तथापि साइन कलर पोजिटिव रा स्टाक के सम्बन्ध में मूल्य वृद्धि के विषय में, सरकार ने मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, द्वारा लिए जाने वाले इष्टतम मूल्य का ब्यौरा तैयार करने के उद्देश्य से यह मामला हाल में बी०आई०सी०पी० (औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो) को भेज दिया गया है।

उदारीकरण प्रक्रिया का विस्तार

5697. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने हाल ही में सरकार को उदारीकरण प्रक्रिया का कुछ और क्षेत्रों में विस्तार करने के कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) इन्जीनियरी उद्योग महासंघ ने 10 अगस्त, 1991 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में नई आर्थिक नीतियों का स्वागत किया है एवं और उदारीकरण तथा विनियन्त्रण के लिए कार्यसूची प्रस्तुत की है। भिन्न-भिन्न सुझाव निम्नलिखित हैं :—

व्यापार नीति के बारे में इन्जीनियरी उद्योग महासंघ ने प्रमुख निर्यातकों के लिए डालर खातों, 15 दिन के भीतर अग्रिम लाइसेंस जारी करने, पी०एम०पी० कम्पनियों के लिए 40% ई०एक्स०आई०एम० स्ट्रिप दर, आई०पी०आर०एस० की एकल बिन्दु प्रक्रिया, यूरोप, जापान और यू०एस०ए० में कम्पनियां स्थापित करने की स्वतन्त्रता, सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात स्टेटस मानने; और भारत की विपणन एवं इसकी अन्तर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की सिफारिश की हैं। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इसने भारतीय कम्पनियों के लिए भी 51% इक्विटी की अनुमति; औद्योगिक लाइसेंसीकरण को घटाकर उद्योग के 2-3% करने, एक नई औद्योगिक सम्बन्ध नीति; मूल्य और वितरण नियन्त्रणों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है।

सरकारी क्षेत्र के लिए इसने 50% इक्विटी धारिता सरकार के पास और 50% आय जनता के पास रखने; सेवा उद्योगों एवं अन्य दिशा-निर्धारण चुनिन्दा कम्पनियों में धीरे-धीरे निजीकरण करने; मूल्य और खरीद में वरीयता को समाप्त करने तथा "एकाधिकार नहीं" की धारणा अपनाने का सुझाव दिया है।

वित्तीय और आर्थिक नीति के सम्बन्ध में इसने मूल्यह्रास भत्ते की पूर्व दर को बहाल करके निवेश में सहायता के माध्यम से विकास को बनाये रखने; कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती करने और प्रत्यक्ष करों की केवल 3 दरों अर्थात कच्चे माल के लिए कम से कम, उपकरणों के लिए मध्यवर्ती और तैयार वस्तुओं के लिए उच्चतम दर को अपना कर प्रणाली को अत्यन्त सरल बनाने का सुझाव दिया है।

इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने लघु उद्योग नीति को उदार बनाने के बारे में भी सुझाव दिए हैं जिसमें उत्पाद-शुल्क सीमा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये और 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करना, बैंक गारंटी की कार्य-विधियों को सरल बनाना; लघु उद्योग को एक से अधिक बैंकों में जाने की स्वतन्त्रता देना; और लघु उद्योग के बारे में कानूनों और विनियमों की पूरी समीक्षा करना शामिल है।

इसके अलावा, प्रतिस्पर्द्धा नीति, वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार और नये विकास बैंक के संबंध में कुछ और सिफारिशें भी की गयी हैं।

(ग) सरकार ने हाल ही में व्यापार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों के बारे में भिन्न-भिन्न नीति संबंधी उपाय किए है और औद्योगिक क्षेत्र पर इन उपायों के प्रभाव पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, नीति सम्बन्धी उपायों में परिवर्तन पहले से किए गए नीति सम्बन्धी उपायों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

अनुसंधान और विकास के लिए प्रयास

5698. **डा० सी० सिलवेरा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों मे प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास की ओर अधिक ध्यान देने हेतु आग्रह करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में स्वयं ही कुछ प्रयास करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां। उद्योग द्वारा उद्योग में अनुसंधान और विकास का प्रारम्भ भारत में हाल ही में हुआ है और यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान में, यह देश में कुल अनुसंधान और विकास व्यय का लगभग 20 प्रतिशत है। उद्योग की टर्नआवर (कुल बिक्री) की तुलना में भी यह सापेक्षतया कम है। सरकार उद्योगों से इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाने और अनुसंधान तथा विकास के प्रति उनकी वचनबद्धता को बढ़ाने के लिए आग्रह करती रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार प्राइवेट सेक्टर में उनको अपने अनुसंधान और विकास कौशल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को उन्नत और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है।

सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाएं इस प्रकार है : उद्योग में इन-हाउस अनुसंधान और विकास यूनिटों को मान्यता प्रदान करना; औद्योगिक अनुसंधान और विकास यूनिटों को उनकी सर्वोत्तम उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान करना; खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुसंधान और विकास के लिए पायलट प्लांट (प्रारम्भिक संयंत्र) सहित कच्ची सामग्री और उपस्करों का आयात करना; वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय और पूंजीगत परिसम्पत्तियों तथा वैज्ञानिक उपस्करों पर किए गए निवेश पर आयकर की छूट प्रदान करना; स्थापित किए गए प्लांट और मशीनरी पर एनहांस्ड एक्सीलरेटेड डेप्रीसिएशन।

दूरदर्शन धारावाहिक "जय हनुमान" का प्रसारण

5699. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन धारावाहिक "जय हनुमान" का प्रसारण करने का है;

(ख) इस धारावाहिक के निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त धारावाहिक को कब से प्रसारित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन को नई प्रायोजकता स्कीम के अन्तर्गत मैसर्स ए० ए० ए० फिल्म्स से "जय हनुमान" नामक एक टी० वी० धारावाहिक का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ है। दूरदर्शन ने इस स्कीम के अन्तर्गत

प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना आरम्भ कर दिया है। प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद ही इसके प्रसारण का सवाल पैदा होगा।

कर्नाटक में शीतागार

5700. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने शीतागार हैं;

(ख) क्या राज्य में शीतागारों की संख्या बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में शीतागार सुविधायें बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) कर्नाटक में 76 लाइसेंसशुदा शीतागार हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण एककों की मांग

5701. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण एकक प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों को ताजा फलों और सब्जियों के समान मानने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी को ताजे फल एवं सब्जी के समान मानने की मांग के साथ-साथ अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षण संघ फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के कराधान स्वरूप में परिवर्तनों का प्रस्ताव करता आ रहा है।

(ख) इन सुझावों की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग में रुग्णता

5702. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों में रुग्णता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने उद्योग रुग्ण हुए हैं; और

(ग) इन उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

5703. **श्री एस० एन० वेकारिया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) ब्युटाडायने निष्कर्षण संयंत्र का पुनर्नवियन, वड़ोदरा (प्रत्याशित लागत 33.53 करोड़ रुपये)।

(ii) पी० बी० आर० संयंत्र (50000 टन वार्षिक) वड़ोदरा (प्रत्याशित लागत 114.52 करोड़ रुपये)।

(iii) पोली प्रोपेलिन संयंत्र (75000 टन वार्षिक) वड़ोदरा (प्रत्याशित लागत 198.63 करोड़ रुपये)।

(iv) गैस पर आधारित एकीकृत पैट्रोकेमिकल्स क्रैकर कम्प्लैक्स (300000 टन वार्षिक इथीलिन) गंधार।

उपर्युक्त परियोजनाएं इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जानी हैं।

गुजरात की प्रति व्यक्ति आय

5704. **श्री एस० एन० वेकारिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गुजरात की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) गुजरात की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान चालू कीमतों पर गुजरात की प्रति व्यक्ति आय (अर्थात्

चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) क्रमश: 4893/- रु० तथा 5404/- रु० थी। वर्ष 1990-91 के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अनेक कारणों की वजह से राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में अन्तर होता है, इनमें से कुछ है जैसे आधारभूत संरचना विकास, उद्यमशीलता का विकास, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के स्तरों में अन्तर।

(घ) गुजरात राज्य, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में, आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के विकास तथा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी निवेश-परिव्यय शामिल है।

पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र को राजसहायता देना

[अनुवाद]

5705. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार से कोई राजसहायता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का पंजाब में औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य सरकार को 0.30 करोड़ रु० धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत पंजाब को दो विकास केन्द्र आबंटित किए हैं, जिनमें से एक भटिंडा तथा दूसरा पठानकोट में स्थापित किया जाना है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, केरल का अमोनिया प्लांट

5706. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, केरल का अमोनिया प्लांट चालू किए जाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख यदि हां, तो सरकार पूंजी निवेश बोर्ड ने इसके लिए किन-किन शर्तों पर स्वीकृति दी हैं; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में किसी बड़े निवेश के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव की विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है जिनमें सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी० आई० बी०) शामिल है, जो सरकार के सचिवों की एक समिति है। पी० आई० बी० ने इस परियोजना की जांच की है और अपनी सिफारिशें की है। प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ग) वर्तमान मूल्यों पर परियोजना की अनुमानित लागत 525.09 करोड़ रु० है। परियोजना का कार्यान्वयन तभी आरम्भ होगा जब सरकार इसका अनुमोदन कर देगी।

राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना-व्यय

[हिन्दी]

5707. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना-व्यय की राष्ट्रीय औसत क्या है और राजस्थान का प्रति व्यक्ति योजना-व्यय इसकी तुलना में कितना है;

(ख) क्या राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-व्यय के औसत का प्रतिशत प्रति व्यक्ति योजना-व्यय के राष्ट्रीय प्रतिशत की तुलना में लगातार कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति योजना व्यय के प्रतिशत अनुमान की तुलना में राजस्थान राज्य का प्रति व्यक्ति योजना व्यय क्रमश: 83.43 प्रतिशत तथा 67.60 प्रतिशत था।

(घ) राजस्थान सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण में, जनसंख्या न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, विशेष समस्याओं आदि जैसे मानदंड को महत्व दिया जाता है। राज्यों द्वारा समुचित आंतरिक्त संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाता है।

विवरण

प्रति व्यक्ति व्यय—छठी-सातवीं योजना—राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

(रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना (1980-85)	सातवीं योजना (1985-90)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	578	1003
2.	अरुणाचल प्रदेश	3333	7630
3.	असम	612	1090
4.	बिहार	404	760
5.	गोवा	1972	3771
6.	गुजरात	1091	1417
7.	हरियाणा	1149	1673
8.	हिमाचल प्रदेश	1502	2772
9.	जम्मू व कश्मीर	1471	2930
10.	कर्नाटक	686	934
11.	केरल	624	812
12.	मध्य प्रदेश	709	1107
13.	महाराष्ट्र	994	1526
14.	मणिपुर	1626	3040
15.	मेघालय	1836	3422
16.	मिजोरम	2795	5851
17.	नागालैंड	2723	4754
18.	उड़ीसा	572	1076
19.	पंजाब	1080	1885
20.	राजस्थान	589	772
21.	सिक्किम	4322	7168
22.	तमिलनाडु	717	1168

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	1351	2944
24.	उत्तर प्रदेश	563	897
25.	पश्चिम बंगाल	428	727
	जोड	694	1111
संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4803	9330
27.	चंडीगढ़	2212	3414
28.	दादरा और नगर हवेली	2729	3744
29.	दमन और द्वीव	*	4344
30.	दिल्ली	1542	3316
31	लक्षद्वीप	6726	15357
32.	पांडिचेरी	1561	3361
	जोड	1708	3549
	जोड : राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	706	1142
	प्रयोग में लाए गए जनसंख्या अनुमान	1983	1987

* गोवा में शामिल

राजस्थान में निर्माणाधीन केन्द्रीय परियोजनाएं

5708. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम पुनरीक्षा के अनुसार, राजस्थान में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजानाओं को समय पर पूरा करने के लिए इस संबंध में कोई दिशा निर्देश/निदेश जारी किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना की मूल लागत और संशोधित लागत कितनी है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1 अप्रैल, 1991 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं में से प्रत्येक 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली, जिसमें अन्तर्राज्यी परियोजनाएं शामिल नहीं हैं; जैसे विद्युत संचरण लाइन आदि, राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन केवल एक परियोजना अर्थात् अजमेर कार्यशाला (रेलवे) का आधुनिकीकरण निर्धारित समय-सीमा से पीछे है।

(ख) उपर्युक्त परियोजना की बड़ी शालाओं में उत्पादन पहले से ही आरम्भ है। सिविल कार्यों के पिछड़ जाने के कारण परियोजना को पूरा करने में विलम्ब है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने परियोजना कार्यान्वयन पर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में एक मैनुअल जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बल दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त परियोजना के लिए मूल स्वीकृत तथा नवीनतम प्रत्याशित लागत क्रमशः 26.05 करोड़ रुपये तथा 33.64 करोड़ रुपये है और पूरा होने की प्रत्याशित तिथि मार्च 1992 है।

राजस्थान के लिए केन्द्रीय योजनायें

5709. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान में इसके पिछड़ेपन को देखते हुए नयी विकास योजनायें चालू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब तक चालू हो जायेंगी;

(ग) उन पर कितना व्यय होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) विकास के लिए केन्द्रीय स्कीमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन सहित चालू विकास की स्थिति और राज्यों से प्राप्त विभिन्न स्कीमों अथवा परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए तैयार की जाती है।

गाडगिल फार्मूला में संशोधन के सुझाव

5710. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वितरित किये जा रहे धन के संबंध में अपना रोष व्यक्त किया है;

(ख) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं सुझाव दिये हैं तथा इनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) आशोधित गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करने वाले राज्यों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। कुल-मिलाकर राज्य ये चाहते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन, प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत में अंतर तथा प्रति व्यक्ति कर-प्रयास के अनुसार केन्द्रीय निवेश इत्यादि जैसे तथ्यों को विशेष महत्व दिया जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। इस फार्मूले में कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जा सकता है, जिसके सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं।

विवरण

आशोधित गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन के लिए अनुरोध करने वाले राज्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. जम्मू तथा कश्मीर
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. उड़ीसा
10. राजस्थान
11. उत्तर प्रदेश
12. तमिलनाडु

सुपर कम्प्यूटरों की खरीद

5711. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान सुपर कम्प्यूटरों की खरीद की गई है;

(ख) इन कम्प्यूटरों का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) इनकी खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से एक सुपर कम्प्यूटर की खरीद की गई है। इसका प्रयोग मध्यम रेंज के मौसम के पूर्वानुमान के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। इस सुपर कम्प्यूटर की कुल लागत अनुमानतः 12.38 करोड़ रुपए है।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

[अनुवाद]

5712. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह गड़बड़ा गई है और यहां तक कि दुकानों में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं तथा कार्डधारियों को अनेक बार अपने हिस्से का राशन लेने के लिए जाना पड़ता है;

(ख) क्या दिल्ली में और अधिक उचित दर की दुकानें, मिट्टी के तेल के डिपो खोलने तथा दुकानों/डिपुओं में अधिकतम कार्ड संख्या निर्धारित करने की अत्यावश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कुछ क्षेत्रों में मजदूर-समस्या के कारण जून, 1991 में कुछ अवधि के लिए नरेला, चेवड़ा और शक्तिनगर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल, गेहूं और चीनी की उपलब्धता में विलम्ब हुआ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल डिपुओं के साथ सम्बद्ध कार्डों की संख्या तथा दुकानों/डिपुओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की गई समीक्षा के आधार पर जहां कहीं आवश्यक होता है, नई उचित दर दुकानें और मिट्टी के तेल के डिपो खोले जाते हैं।

सुपर बाजार के कर्मचारियों की मांग

5713. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन-मानों और अन्य मांगों के संबंध में लम्बे समय से चल रहे विवाद का समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विवाद का समाधान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान और महंगाई भत्ते के ढांचे में नया संशोधन करने, छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाएं प्रदान करने तथा कर्मचारियों को रियायती मूल्य पर सामान बेचे जाने से संबंधित सुपर बाजार, दिल्ली के कर्मचारी संघों को महत्वपूर्ण मांगें माननीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल, दिल्ली में न्याय-निर्णयन के लिए लम्बित पड़ी हैं।

कर्मचारी संघों की अन्य मांगें सुपर बाजार के कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश देने, सभी "पीस रेट" पर और दिहाड़ी पर पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने, "पेकिंग क्लीनरों" के पद को उच्च वेतनमान में "पैकर" के स्तर पर अपग्रेड करने, सुपर बाजार के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जैसी बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने आदि के संबंध में है।

(ग) सुपर बाजार के प्रबंधकों ने कर्मचारियों की कुछ मांगों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया और एकपक्षीय तौर पर उनके लिए अनेक लाभ घोषित/लागू किए हैं, जिनमें से कुछेक इस प्रकार हैं—

(1) औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय किए जाने तक सभी कर्मचारियों को 20 रु० प्रति माह के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ते सहित 100 रु० का "एक समायोज्य अग्रिम भुगतान" करना।

(2) 1 जनवरी, 91 से कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश को 15 से बढ़ाकर 24 करना।

(3) "पैकिंग क्लीनरों" के पदों को उच्च वेतनमान में अपग्रेड करना।

कर्मचारियों की उचित मांगों के प्रति सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति हमेशा काफी सहानुभूतिशील रही है तथा वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करती रही है।

क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को दिया गया समय

[हिन्दी]

5714. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की दूरदर्शन पर राज्यों के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के लिए निर्धारित समय में से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्टीय समाचारों के लिए समय दिये जाने के संबंध में क्या नीति है;

(ख) क्या 15 मिनट के समय में से लगभग 10 मिनट समय अस्थानीय समाचार ले लेते हैं और वही समाचार 8.40 सायं के राष्ट्रीय बुलेटिन के समाचार में पुनः दोहराये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विसंगति को दूर करके क्षेत्रीय समाचारों को महत्व देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। यद्यपि इन समाचार बुलेटिनों में स्थानीय समाचारों को प्रमुख स्थान दिया जाना है, तथापि, ऐसे केवल स्थानीय भाषा जानने वाले दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन समाचार बुलेटिनों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार मदों को शामिल करना आवश्यक समझा जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

[अनुवाद]

5715. श्री के० चोक्का राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल और करीमनगर जिलों तथा अन्य तटीय जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण की मंजूरी देते समय बैंक कर्मचारियों और बिचौलियों ने कुछ अनियमितताएं बरती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई जांच करायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश के त बर्ती जिलों और वारंगल तथा करीमनगर जिलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण मंजूर करते समय बैंक कर्मचारियों तथा अन्य बिचौलियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्र सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल निकालने वाला कारखाना

5716. श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में पुनालुर के निकट "चितहारा आयल पाम एस्टेट" क्षेत्र में खाद्य तेल निकालने वाली एक इकाई स्थापित करना चाहती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पाम आयल निकालने वाली इकाईयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) चितहारा आयल पाम एस्टेट से पाम आयल निकालने के लिए कितनी मात्रा में कच्चा माल लिया गया और पिछले वर्ष उससे कितनी मात्रा में पाम आयल निकाला गया;

(घ) क्या कच्चे माल से निकाले गए तेल की मात्रा किफायती अनुपात में है;

(ङ) क्या चितहारा आयल पाम एस्टेट में खेतों के लिए प्राप्त तिलहन के बीज प्रयोग में लाने के योग्य नहीं पाए गए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) जानकारी मै० आयल पाम इंडिया लि० (भारत सरकार और केरल सरकार का संयुक्त उपक्रम) से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कलाकारों को पारिश्रमिक

5717. प्रो० राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 मिनट के लिए शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को 160/- रुपए का पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि 25 मिनट के लिए लाइट म्युजिक (सुगम संगीत) में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को 400/- रुपए का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस भिन्नता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत के कलाकारों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

कलाकारों का भुगतान आकाशवाणी के संगीत परीक्षण बोर्ड द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुरूप ही किया जाता है।

तथापि, सुगम संगीत, लोक संगीत और आदिवासी संगीत के कलाकारों की तुलना में, शास्त्रीय एवं सुगम शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को, संगीत की विशिष्ट अपेक्षाओं के कारण भावनाओं को निरूपण करने और राग को पूरी तरह से उद्घाटित करने के लिए अपनी कला के प्रदर्शन पर अधिक समय लगता है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

5718. **श्री एम० कृष्ण स्वामी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में तिरूवन्नमलई साम्बुवरयार जिले तथा दक्षिण आरकोट जिले में किन-किन स्थानों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ख) क्या साम्बुवरयार जिले में पोलूर तालुक, वंडावासी तालुक, चेय्यार तालुक, तिरूवन्नमलई तालुक तथा दक्षिण आरकोट जिले में गिनवी तालुक और टिन्डीवनम तालुक को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र घोषित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सम्पूर्ण उत्तर आरकोट तथा दक्षिण आरकोट जिलों, जैसा वे 1-10-1970 को थे, को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित कर दिया गया है। इन जिलों से काटे गये जिलों/क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े माना जाता रहेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना

5719. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए काफी सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के 166 उद्यमों से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि इनमें से 64 उद्यमों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना अपनाई है। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में 15882 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का लाभ उठाया है ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० की बिक्री

5720. **डा० असीम बाला** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा 1990-91 के दौरान कुल कितनी बिक्री की गई और कितना घाटा हुआ;

(ख) 31 मार्च, 1991 तक तैयार माल की सूची क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मदवार और मूल्यवार कितनी बिक्री योग्य मदों को चिकित्सक नमूनों में परिवर्तित किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० ने कुल 170.05 करोड़ रुपए (अस्थायी) का बिक्री कारोबार किया था। वर्ष 1990-91 के दौरान 81-99 करोड़ रुपए (अस्थायी) की हानि हुई थी।

(ख) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार तैयार माल की सूचियों का मूल्य 30.21 करोड़ रुपए था।

(ग) बिक्री योग्य स्टाक/मदों को चिकित्सक नमूनों में परिवर्तित करने के ब्यौरे आई० डी० पी० एल० के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में रखे जाते हैं। वर्ष 1989-90 और 1990-91 की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) आई० डी० पी० एल० की हानियों के प्रमुख कारण हैं क्षमता का कम उपयोग, अधिक मजदूरी बिल, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उच्च ब्याज भार और निर्धारित लागत, कच्चे माल/पैकिंग सामग्रियों की अनुपलब्धता और कार्यशील पूंजी सम्बन्धी कठिनाइयों का होना। आई० डी० पी० एल० के पुनःस्थापन के उपायों से क्षमता उपयोग को बढ़ाना, निर्यात पर अधिक जोर देना व्यापार में और संस्थागत बाजारों में अधिक बिक्री करना, कार्यकुशलताओं में वृद्धि करके और सेवाओं और उपयोगिताओं में बचत करके, लागत में कटौती करना, बकाया राशियों की वसूली पद्धति में सुधार लाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करना, आदि शामिल होगा ।

स्वीकृति के लिए लम्बित राजस्थान/हरियाणा की परियोजनाएं

[हिन्दी]

5721. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी राजस्थान और पंजाब की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक योजना कब से लम्बित पड़ी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इन राज्यों की प्रत्येक परि-योजना/योजना को कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग में निवेश अनुमोदन के लिए राजस्थान की केवल मेजा आधुनिकीकरण तथा मेजा फीडर परियोजना 20-3-91 से लम्बित है। हरियाणा की कोई परियोजना योजना आयोग में लम्बित नहीं है ।

(ख) राजस्थान में उपरोक्त स्कीम के लिए निवेश की मंजूरी के वारे में निर्णय राज्य की समग्र संसाधन उपलब्धता तथा आठवीं योजना जिसे अभी तैयार तथा अन्तिम रूप दिया जाना है, में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों को दी जाने वाली क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

बिहार में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

5722. श्री ललित उरांव : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला-वार सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन परियोजनाओं के पूरा होने तक लागत में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) उन परियोजताओं के नाम क्या हैं जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का विचार इन परियोजनाओं के लिए धनराशि देने का है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1991 को कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार 20 करोड़ रुपए और प्रत्येक उससे अधिक लागत वाली 28 केन्द्रीय परियोजनाएं बिहार राज्य में निर्माणाधीन हैं। इसमें अन्तर-राज्यी परियोजनाएं, जो राज्य से गुजरती हैं जैसे विद्युत संचरण लाइन आदि शामिल नहीं हैं । परियोजनाओं के जिला-वार नाम, मूल स्वीकृत लागत के सन्दर्भ में प्रत्येक परियोजना की लागत में प्रतिशत वृद्धि तथा प्रत्येक परियोजना पूर्ण होने की नवीनतम प्रत्याशित लागत संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1 अप्रैल, 1991, की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में निर्माणाधीन प्रत्येक 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण	जिला	समापन की नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	मूल लागत पर प्रतिशत लागत वृद्धि
1.	कैटलिटिक सुधार इकाई की स्थापना	आई० ओ० सी०	बरोनी	77.95	0.00
2.	कहल गांव एस० टी० पी० पी० स्तर-1	एन० टी० पी० सी०	भागलपुर	1552.38	75.58
3.	भालगोरा यू० जी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	127.00	174.77
4.	दामोदर ओ० सी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	57.04	0.00
5.	झरिया खण्ड-2 ओ० सी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	173.82	55.13
6.	कटरास यू० जी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	91.81	252.57
7.	उत्तरी अमलाबाद यू० जी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	69.48	165.30
8.	पुस्तकी बलिहारी यू० जी०	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	365.96	83.10
9.	मधुबन्द वाशरी	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	163.30	127.12
10.	डी० एण्ड एफ० रोपवेज	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	21.32	32.26
11.	पुस्तकी वाशरी	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	92.17	0 00
12.	पत्थरडीह वाशरी आधुनिकीकरण	बी० सी० सी० एल०	धनबाद	29.43	0.00
13.	पंचेत हील 2 एच०पी०	डी० वी० सी०	धनबाद	54.35	239.05
14.	अक्को (धोरी बे०ट) ओ० सी०	सी० सी० एल०	गिरिडीह	74.92	124.98

1	2	3	4	5	6
15.	बोकारो-बी० 2 टी० पी० पी०	डी० वी० सी०	गिरीडीह	356.25	90.58
16.	राजमहल ओ० सी०	इ० सी० एल०	गोड्डा	62.72	0.00
17.	न्यू कल्याणी, सेल धोरी ओ०सी०	सी० पी० एल०	हजारीबाग	53.13	717.92
18.	केड़ला वाशरी	सी० सी० एल०	हजारीबाग	94.03	191.39
19.	कार्यशाला का आधुनिकीकरण	रेलवे	जमालपुर	64.74	0.00
20.	कैप्टीव पावर संयंत्र	सी० सी० एल०	कथरा	56.79	(—) 3.42
21.	कैप्टीव पावर संयंत्र	बी० सी० सी० एल०	मुन्नीडीह	61.53	25.06
22.	पीपरवार ओ०सी० एकीकृत बेनिफिकेशन	सी० सी० एल०	रांची	542.43	0.00
23.	कोल कारो एच० इ० पी०	एन० एच० पी० सी०	रांची/ सिंहभूम	1249.36	184.00
24.	नरवा पहाड़ तथा तुरमडीह यूरेनियम परियोजना	यू० सी० आई० एल०	सिंहभूम	495.54	0.00
25.	गढ़वा रोड—सोननगर दोहरीकरण चरण-2	रेलवे	बहु-जिला	51.02	4.36
26.	समस्तीपुर-दरभंगा गेज परिवर्तन	रेलवे	बहु-जिला	26.02	0.00
27.	सोननगर-पतरातु विद्युतीकरण	रेलवे	बहु-जिला	110.05	0.00
28.	सिहो-[illegible]लुनगर दोहरीकरण	रेलवे	बहु-जिला	20.32	0.00

नोट :—इस सूची में अन्तर-राज्यी परियोजनाएं, जो राज्य से गुजरती हैं जैसे विद्युत संचरण लाइन, रेलवे लाइन इत्यादि शामिल नहीं हैं।

हांगकांग स्थित स्टार टेलीविजन कम्पनी

[अनुवाद]

5723. डा० सी० सिलवेरा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग की स्टार टेलीविजन कम्पनी ने भारतीय प्रसारण में अपनी शुरूआत करके यहां के प्रसारण को स्पष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दर्शकों को इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए अपने टेलीविजन सैटों में कोई अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) "एशिया सेट" उपग्रह के पद चिह्नों के कन्टूर दक्षिण भारत के कुछ भागों को छोड़कर, सम्पूर्ण भारत को कवर करते हैं।

(ग) और (घ) एशिया सेट के माध्यम से प्रसारित टी० वी० कार्यक्रम भारत के केवल वही दर्शक देख सकते हैं जो टी० वी० संग्रहण सेट के साथ उपयुक्त डिश एन्टिना लगाते हैं। तथापि, संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित लाइसेंस की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विदेशी उपग्रह से दूरदर्शन कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए डिश एन्टिना लगाने की मंजूरी नहीं है।

संस्कृत के विद्वानों के लिए शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

5724. प्रो० प्रेम धूमल : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर और संस्कृत के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) विदेशों में अमरीका, जर्मनी और ब्रिटेन में किन-किन केन्द्रों में कम्प्यूटर और संस्कृत में शोध-कार्य किए जा रहे हैं; और

(ग) उन विद्वानों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के आदान-प्रदान कार्यक्रम के सम्बन्ध में विदेशों का दौरा न किया तथा जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान करने वाले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) अमेरिका, जर्मनी तथा ब्रिटेन के कुछ केन्द्रों के नाम नीचे दिए गए है; जहां कम्प्यूटर तथा संस्कृत के क्षेत्र में अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है :—

(1) सनी बफेलो, संयुक्त राज्य अमेरिका

(2) लुइजियाना राजकीय विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका

(3) मिशिगन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका

(4) लैमर यूनिवर्सिटी स्टेशन, टैक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका

(5) हवाई विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका

(6) इण्डियाना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका

(7) इंस्टीट्यूट केर्न, जर्मनी

(8) आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ग्रेट ब्रिटेन।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्यों को धनराशि

5725. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के लिए निर्धारित और आवंटित की जाने वाली धनराशि अपेक्षित लाभार्थियों को वितरित नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशि को अपेक्षित लाभार्थियों को उचित ढंग से वितरित की जाये, कुछ संसद सदस्यों को मिलाकर कोई और समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रकीय योजना शीर्षों के लिए निधियों को स्थूल रूप से आवंटित/निर्धारित किया जाना है। बीससूत्री कार्यक्रम के तहत विशिष्ट मदों के लिए निधियां उनके अपने क्षेत्रकीय योजना शीर्षों से प्राप्त की गयी है। एस०पी०आई० द्वारा बीस-सूत्री कार्यक्रम की केवल वास्तविक प्रगति की निगरानी की जाती है। भावी लाभग्राहियों के लिए निधियों के प्रवाह के बारे में एम०पी० आई० द्वारा निगरानी नहीं की जा रही है। तथापि, जनवरी-दिसम्बर, 1989 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम(आई० आर० डी० पी०) के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों मे जो 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मद है, यह देखा गया है कि 16 प्रतिशत मामलों में अपात्र परिवारों को सहायता प्रदान की गयी थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आई० आर० डी० पी० के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के सही उपायों को सुझाया हैं। इसी प्रकार 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य लाभोन्मुखी स्कीमों तथा किए गए अथवा किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों से सम्बन्धित जानकारी सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अलीपुर विकास क्षेत्र में भूमि देना

5726. श्री ओ० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीनों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अलीपुर विकास क्षेत्र में भूमि आबंटित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह आबंटन कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) क्या जिन व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई है उन्हें सभी जन सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी विभागों में कम्प्यूटर

5727. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए इलेक्ट्रौनिकी विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की पूर्व अनुमति से ही वैयक्तिक कम्प्यूटर खरीदने का प्रावधान है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रावधान को हटाने का है ताकि सम्बन्धित सरकारी विभाग को योजनाओं के अनुसार स्वदेशी व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के उपयोग से तेजी से कम्प्यूटरीकरण किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर भारद्वाज) : (क) जी, हां।

किसी भी सरकारी विभाग को कम्प्यूटर खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि खरीदा जाने वाला सिस्टम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना आयोग के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर—संचार नैटवर्क राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नैटवर्क (निकनैट) के अनुरूप है। इसका कारण निकनैट के माध्यम से अन्तर्विभागीय पूछताछ सेवा प्रदान करना है, जिसे पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

सम्पूर्ण केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर सरकार के एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में

सूचना को अन्तरित करने में सहायक होने के लिए निकनैट के साथ अनुरूपता की आवश्यकता अनिवार्य है।

अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में चीनी मिलें

[हिन्दी]

5728. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए 31-7-91 तक दो आवेदन पत्र सरकार के विचारार्थ लम्बित हैं। शर्करा उद्योग में लाइसेंस नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा लम्बित आवेदन पत्रों, जिनमें जिला अलीगढ़ के आवेदन पत्र भी शामिल हैं, पर उपरोक्त समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र

5729. **डा० लाल बहादुर रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हाथरस-अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अलीगढ़ में 2 × 3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की एक अनुमोदित स्कीम है। इसके चालू हो जाने पर हाथरस जिले को भी लाभ होगा।

दूसरी ओर, अलीगढ़ और हाथरस में एक-एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्यरत हैं। इन जिलों के कुछ भागों को दिल्ली और आगरा में कार्यरत दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से भी सेवा प्राप्त होती है।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

5730. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1991 के हिन्दुस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की कमी पर चिंता व्यक्त शीर्षक से प्रकाशित सामाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में जीवन रक्षक औषधियों की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) औषध उद्योग संघों जैसे ओ० पी० पी० आई०, इडमा, आदि ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि यदि अन्तंवस्तुओं आदि की लागत में वृद्धि होने के कारण सरकार दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति नहीं देती है तो निकट भविष्य में देश जीवन-रक्षक औषधों की कमी हो सकती है । सरकार को स्थिति की जानकारी है और उपयुक्त कार्यवाही कर रही है ।

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव

[अनुवाद]

5731. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का चार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संस्थान कहां-कहां और कब तक खोले जाएंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात, साफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण नीति, 1986 के अन्तर्गत देश में चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव था । किन्तु, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने के कार्य को कुछ समय के लिए आस्थगित करने का निर्णय किया गया है ।

ग्रामीण श्रमिकों की दुर्दशा

5732. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1991 के "दि हिंदू" में चेक आन इंफ्लेशन एलोन कैन साल्व रूरल पोवर्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण श्रमिकों की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) क्या इन ग्रामीण श्रमिकों के जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ङ) सरकार को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के साथ-साथ वाणिज्य और उद्योग मण्डल के पी० एच० डी० हाउस द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्षों की जानकारी है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु कई

उपाय किये जाने जरूरी हैं। मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण पाना ऐसा ही एक आवश्यक उपाय है। ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उनके लिये पर्याप्त रोजगार तथा आय सृजन की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गरीबों को उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां तथा रोजगार मुहैया कराने हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ठोस प्रयास किये जाते हैं ताकि उनकी आय तथा जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

मद्रास गैस क्रैकर संयंत्र

5733. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में मद्रास गैस क्रेकर संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिंता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में विजिन्जम में समुद्री लहरों का उपयोग

5734. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम जिले में विजिन्जम में समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान। केरल सरकार ने तिरुवनन्तपुरम जिले के विजिन्जम स्थल पर समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। हांलाकि महासागर विकास विभाग (म० वि० वि०) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आई० आई० टी०) को 150 किलोवाट का प्रारम्भिक तरंग ऊर्जा उत्पादन संयंत्र विजिंजम, केरल में अधिष्ठापित करने के लिए एक परियोजना प्रायोजित की है। परियोजना लगभग पूर्ण होने वाली है।

कृषि के विकास के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि

5735. **कुमारी उमा भारती** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि के विकास के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) सरकार ने कृषि को अर्थसक्षम व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) कृषि के विकास के लिए सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वे किसानों को लाभदायक प्रौद्योगिकी विस्तार सेवा, निवेश सामग्री सहायता एवं पैदावार के लिए प्रोत्साहन मूल्य उपलब्ध करा सकें तथा कृषि को एक उपादेय व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से अपेक्षित आधार संरचना के विकास में सक्षम हो सकें। सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि वस्तुओं के लिए वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है तथा सार्वजनिक/सहकारी एजेंसियों के जरिये खरीद का आयोजन भी करती है। ऊंची पैदावार देने वाली तथा रोग प्रतिरोध किस्मों के विकास के जरिये खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तीव्र प्रयास किये गये हैं।

विवरण

वार्षिक योजनाएं 1989-90 से 1991-92 अनुमोदित परिव्यय

कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत*

(लाख रु०)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना		
	1989-90	19990-91	1991-92
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	6353	5500	4236
अरुणाचल प्रदेश	1854	2435	3635
असम	9667	11282	12000
बिहार	13938	14743	14830
गोवा	725	868	1232
गुजरात	8995	9350	12048
हरियाणा	6288	7522	7592
हिमाचल प्रदेश	5672	6426	7496
जम्मू व कश्मीर	5715	7461	7545
कर्नाटक	7798	10076	16149
केरल	6910	8597	13731
मध्य प्रदेश	13423	15120	20172
महाराष्ट्र	15326	14200	21796
मणिपुर	1885	1999	2519
नागालैंड	2052	2202	3035

1	2	3	4
उड़ीसा	9006	16974	10805
पंजाब	8227	6081	9715
राजस्थान	5441	8267	9833
सिक्किम	1198	1295	1427
तमिलनाडु	12371	16029	18796
त्रिपुरा	2959	4113	4625
उत्तर प्रदेश	25234	31868	38230
पश्चिम बंगाल	7273	8466	9084
मेघालय	2291	2567	3887
मिजोरम	1879	1847	2103
जोड़-राज्य	182470	215288	256521
संघ राज्य क्षेत्र			
अण्डमान व निकाबोर द्वीप समूह	679	772	1033
चण्डीगढ़	119	303	368
दादरा व नागर हवेली	342	394	725
दमन व द्वीव	115	144	184
दिल्ली	619	878	760
लक्षद्वीप	275	438	492
पांडिचेरी	599	655	942
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	2748	3584	4504
जोड़-राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	185218	218872	261025

* वानिकी तथा वन्य जीवन को मिलाकर।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नई इक्विटी जारी किया जाना

5736. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग ने नई इक्विटी जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। यह प्रस्ताव वित्तीय संस्थानों को आबंटित किये जाने हेतु नये इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को अवसर देना चाहता हूं जो पीछे की सीटों पर बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के अमरावती जिले का मेहघाट आदिवासी क्षेत्र है, जिसका विकास वन कानून की वजह से रुक गया है। वन अधिनियम के तहत जो कानून बने हैं, उसकी वजह से रास्ते बनाने, पुल और सड़कें बनाने के काम में बाधा आ रही है, जिसकी वजह से यातायात की सुविधाओं से आदिवासी लोग वंचित हो रहे हैं।

आदिवासी जिस जमीन का उपयोग पीढ़ियों से करते आ रहे थे, वन विभाग ने उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया है और अब वे उस जमीन पर न तो खेती कर सकते हैं, न खलिहान बना सकते हैं, न ही कोई झुग्गी-झोंपड़ी बना सकते हैं। उस जमीन पर पेड़ पौधे भी आदिवासी लोग नहीं लगा सकते। इस प्रकार वन अधिनियम से उस क्षेत्र का विकास खत्म हो चुका है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि वहां का रीसर्वे करवाना चाहिए और आदिवासियों द्वारा जिस जमीन का उपयोग पीढ़ियों से और ब्रिटिश काल से किया जा रहा है, उसको अतिक्रमण न माना जाए।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिजली नहीं है, टेलीफोन नहीं हैं, पावर स्टेशन नहीं हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट बन रहा था, जिस पर महाराष्ट्र सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका था, वन अधिनियम के कारण उसका निर्माण भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह के उस क्षेत्र की प्रगति पूरी तरह से रुक गई है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि विकास के जो कार्य वहां पर बन्द कर दिए गए हैं, उनको पुनः शुरू करवाने की ओर सरकार तत्काल ध्यान दे।

यह आदिवासी क्षेत्र दूरदर्शन सुविधा से भी वंचित है। नेहरू जी ने कहा था कि हमें आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करनी है। इस कार्य के लिए वहां पर दूरदर्शन की सुविधा देना अत्यन्त आवश्यक है। इससे भी उस आदिवासी क्षेत्र के विकास और संस्कृति की रक्षा में सहायता मिलेगी।

वन अधिनियम के तहत आदिवासियों को नित्य प्रयोग की चीजें जैसे लकड़ी, मिट्टी, मुरुम, बोल्डर, रेत आदि भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जानवरों के चारे की भी उपलब्धता समाप्त हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करती हूं कि उस क्षेत्र के विकास और आदिवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वन अधिनियम को शिथिल किया जाना आवश्यक है। इस बारे में वन-विभाग और सम्बन्धित विभागों को केन्द्र सरकार निर्देश देने का कष्ट करे, ताकि उस क्षेत्र का विकास और आदिवासियों को नित्यप्रति की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस क्षेत्र में कागज का कारखाना लगाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए इस क्षेत्र में यदि कागज का कारखाना और अन्य छोटे उद्योग लगाए जाएं तो इस क्षेत्र की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है और इस क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह सदस्य से सम्पर्क करें और इस मुद्दे पर चर्चा करें।

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित एक गंभीर मामले की ओर मैं माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज के **इण्डियन एक्सप्रेस** में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सउदी अरब द्वारा पाकिस्तान को 300 अत्याधुनिक टैंक दिए जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आज हम रक्षा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि आप कोई मुद्दा उठा रहे हैं। जब रक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की जाएगी तब मैं आपको इस विषय पर बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बारिश की वजह से किसानों में आर्थिक परिवर्तन आया है और पीछे कांग्रेस सरकार ने जो प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए किसानों को 2.75 रु० प्रति किलो के हिसाब से स्पोर्ट प्राईस दी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसने स्पोर्ट प्राईस 1.30 पैसे प्रति किलो रख दी। उस पर भी एजीटेशन हुआ, तीन किसान भी मर गए। उसके बाद अब एक महीना हो गया है सेब की मार्किटिंग शुरू हुई, हिमाचल सरकार स्पोर्ट प्राईस नहीं दे रही है। उन्होंने यह कहा है कि आधा स्पोर्ट प्राईस भारत सरकार देगी और आधा हिमाचल सरकार देगी। मैं यह जाना चाहता हूं भारत सरकार से और कृषि मन्त्रालय से कि क्या सेब के लिए इन्होंने स्पोर्ट प्राईस देना माना है? अगर माना है तो बहुत जल्दी यह देना चाहिए। किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है और किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है।

जो कल्र्ड फ्रूट है उसको खरीदने वाला कोई नहीं है इस वास्ते मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन्होंने यह बात मानी है तो स्पोर्ट प्राईस जल्दी देनी चाहिए। पहले तो कांग्रेस सरकार ही स्पोर्ट प्राईस दिया करती थी, भारत सरकार नहीं देती थी। मगर अगर भारत सरकार ने अब माना है तो बहुत जल्दी देनी चाहिए। एक महीसा पहले ही हो गया है, दो महीने का सीजन बाकी रह गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बहुत जल्दी इसके बारे में निर्णय लेकर आप प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि वह किसान जो परेशानी में हैं उनको स्पोर्ट प्राईस देकर वहां जो डिपो की स्थापना करनी है वहां स्थापना करे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यन से शासन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सोवियत रूस में चिकित्सा की पढ़ाई के लिए, इन्जीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भर्ती हेतु कई दर्जन फर्जी संस्थाएं इस देश में काम रही हैं। इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। जो भर्ती के इच्छुक हैं, ऐसे विद्यार्थियो से डेढ़ लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये और कहीं कहीं ढाई लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। अभी लखनऊ में ऐसी ही एक संस्था का अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है जिसने ढाई लाख रुपये प्रति विद्यार्थी लेने का विज्ञापन दे रखा था। उसके बाद रूस की एम्बैसी के फर्जी वीजा के कागजात भी पकड़े गए। फर्जी पासपोर्ट को बनाया जाता है वह भी बरामद हुआ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इससे भारत और रूस के सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। या तो सीधे-सीधे भारत सरकार की एजेंसी जो सोवियत रूस के तकनीकी विद्यालय और महा-विद्यालय हैं उनमें भर्ती करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ले या मानव संसाधन विभाग ले या इण्डो सोवियत कल्चरल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी, जो पहले किया करती थी उसके माध्यम से ये रिक्रयूटमेंट्स

करायी जाएं या जो रूस की एम्बैसी भारत में काम करती है उसके द्वारा करायी जाएं। केवल एक पत्र मैं आपके माध्यम से यहां पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है : भारत-सोवियत संस्कृति···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, ऐसे नहीं।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें लिखा है कि डेढ़ लाख से दो लाख रुपया लेकर आइये, आने-जाने का खर्चा आपका होगा। इसके अतिरिक्त जो बिचौलिए हैं उनको भी 50 हजार से 1 लाख रुपया तक देना पड़ता है। मैं जिस इलाके से आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कई लोगों का रिकार्ड मेरे पास है कि उनके अभिभावकों ने अपने घर की जमीन बन्धक रख कर या बेचकर लाखों रुपया दिया है और उनको कहा जा रहा है कि आपको भेजा जाएगा। कोई समय भी नहीं निर्धारित किया। इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ध्यान दे और इस गंभीर विषय को अपने नियन्त्रण में लेकर जो ऐसी एजेंसियां हैं, रूस की सरकार से बात कर के, उनको भंग करें। भारत सरकार या रूस की एम्बैसी इस तरह के कार्य को, भर्ती के कार्य को अपने हाथ में ले। इतना सुझाव दे कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, मैं आपका ध्यान महिलाओं पर किए गए एक और भयंकर अत्याचार की ओर दिलाना चाहती हूं। यह मामला उनमें से एक है, जो पिछले कई दिनों में संसद में शून्य काल में उठाये जा रहे हैं।

कल **इण्डियन एक्सप्रेस** में एक रिपोर्ट थी कि आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के कामरेड्डी कस्बे में सी० एस० आई० महिला होस्टल में अनेक लड़कियों ने यह स्वीकार किया था कि होस्टल के अधीक्षक द्वारा उनके साथ जबरदस्ती की गई। वह पिछले डेढ़ साल से उन लड़कियों को धमकी दे रहा है और वह लड़कियां भी इस दुर्व्यवहार को सहती रहीं, क्योंकि उन्हें संस्थान अथवा होस्टल से बाहर निकाले जाने का डर था। इस कारण से उस शहर में बहुत तनाव रहा। लोग भी इस कारण बहुत आक्रोश में हैं।

लगभग छः लड़कियों की डाक्टरी जांच की गई जिसमें उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ किए जाने का पता चलता है। एक चौदह साल की लड़की गर्भवती हो गई। यह सब घटनाएं घटने के बाद हम यह मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

आपने हम सब लोगों को यह विश्वास दिलाया था···

[अनुवाद]

कि इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की जाएगी।

हमारा मानना है कि यह अतिमहत्वपूर्ण विषय है। इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, और यह प्रतिदिन हो रहा है। पूरे देश में जो घटनाएं घटती हैं वह प्रत्येक समाचार-पत्र प्रकाशित भी नहीं कर पाता है। यह अतिमहत्वपूर्ण है। देश में बार-बार महिलाओं पर अत्याचार की जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आप आधे घटे का समय दें।

मैं चाहती हूं कि आप मन्त्री महोदय अथवा सरकार से इस आधे घंटे की चर्चा करने के लिए कहें तथा इस बारे में हमें बताएं। यह समय दिए जाने पर हम बहुत आभारी होंगे क्योंकि यह अत्यन्त

महत्वपूर्ण मामला है । इसने साबित कर दिया है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं । यहां तक कि ऐसी घटनाएं माननीय प्रधानमन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में भी घट रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा 6.00 बजे के बाद बैठने के लिए तैयार है, तब ठीक है । फिर भी मैं इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा करूंगा और इसकी जानकारी आपको दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : डी० टी० सी० के एक कंडक्टर और ड्राइवर ने तीन दिन पहले एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : होस्टल के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है । अनेक घटनाएं घट रही हैं लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सभा में इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने का सम्बन्ध है, मैं उन पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा करूंगा और बाद में आपको बताऊंगा ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : माननीय सदस्या ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, क्या आप उसको इसी सत्र में ला रहे हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे समय निकालना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

टाईम देखना पड़ेगा ।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : माननीय मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं और वह इसका उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह तैयार है लेकिन इसके लिए हमें समय निकालना होगा ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं । श्रीमती वसुन्धरा ने निजामाबाद जिले के कामारेड्डी कस्बे में घटी घटना का उल्लेख किया हैं जहां वार्डन होस्टल की लड़कियों के साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करता था । केवल यही नहीं, पूर्वी गोदावरी जिले में लक्ष्मी नाम की तेरह वर्षीय लड़की को निःर्वस्त्र कर दिया गया । उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य-मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र में···

एक माननीय सदस्य : यह गलत है ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :···हरिजनों की युवा महिलाओं को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है क्योंकि अत्याचार और शारीरिक छेड़छाड़ की अनेक घटनाएं घट रही हैं ।

नरोला गांव में चौदह वर्ष की हरिजन लड़की का अपहरण कर लिया गया। छः दिन की खोज-बीन के बाद वह लड़की मिली। उसके साथ बलात्कार किया गया था। जिन व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया था, वे अभी भी गांव में आजाद घूम रहे हैं और पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। यह घटनाएं न केवल उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी घट रही हैं। वहां एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद वहां आंदोलन भड़क उठा। पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे दो व्यक्ति मारे गए।

महोदय, ऐसी घटनाएं सब जगह घट रही है। मैं चाहता हूं कि सभा को महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित सभी मामलों पर चर्चा करनी चाहिए और आपको एक ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटें और जहां भी ऐसी घटनाएं हों, वहां उन पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि कुछ महिला सदस्यों ने मुझे लिखा था और इसके लिए समय देने के बारे में मुझसे बात की थी।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हम भी इस बारे में समान रूप से चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए कठिनाई यह है कि हमें कुछ और कार्य भी करने हैं और हमें इसके लिए समय देखना पड़ेगा। यदि सभा देर तक बैठने के लिए तैयार है, तब हम इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन देर तक बैठने के लिए भी सभा की सहमति आवश्यक है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[**हिन्दी**]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष जी, अभी मुकुल साहब ने जो कहा है वह सत्य से परे है। मैं वहीं से आती हूं वहां के डी० एम० से मेरी बात हुई है, आज सुबह बात हुई थी। यह कहा गया कि गीता नाम की लड़की के साथ लोधा राजपूतों ने बलात्कार किया है, यह गलत चीज है, ऐसी कोई भावना नहीं है। गीता और राजू का प्रेम प्रसंग चल रहा था···(**व्यवधान**)···आप सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके पिता ने लोक-लाज के डर से उसे दूसरी जगह भेज दिया और उसकी शादी कर दी। इस तरह का यह केस है। राजू आजकल जेल में है। ये कहते हैं कि पुलिस इन्क्वायरी नहीं कर रही है, यह सही नहीं है, राजू तीन दिन से जेल में है।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होगी न कि वैयक्तिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मेरा कहना है कि यह सभा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कम करने के लिए अपनाई गई नीति पर चर्चा करेगी। इस सभा के लिए इस बात पर चर्चा करना सम्भव नहीं होगा कि एक मामले विशेष में अथवा दूसरे मामले में क्या हुआ।

यदि कुछ सदस्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों पर निर्भर करते हैं और उन्हें यहां पर उठाते हैं तथा कुछ अन्य सदस्य उनके उत्तर देते रहते हैं तब हमें यह नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। अतः, हम कोई मामला विशेष नहीं उठाएंगे बल्कि हम इस बात पर चर्चा

करेंगे कि इन अत्याचारों को कैसे कम किया जा सकता है । मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हम नीति पर चर्चा करेंगे न कि विशेष मामले पर, जैसा कि न्यायालयों में किया जाता है । यह चर्चा तभी लाभदायक होगी और यदि हम एक मामले विशेष पर ही चर्चा करते रहेंगे, तब हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे और चर्चा का परिणाम कुछ नहीं निकलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैंने एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये ।

[**हिन्दी**]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि 24 राष्ट्रीय राजमार्ग जो गाजियाबाद होकर लखनऊ जाता है उसके ऊपर गाजियाबाद जनपद के हापुड़ नगर में, मुरादाबाद में और रामपुर में पिछले पांच वर्षों से बाई पासेज के स्थान इंगित हैं । केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को इसके लिए धन आवंटित किया जाता है, धन नहीं दिए जाने के कारण बाईपासेज नहीं बन पा रहे हैं । जिसके परिणामस्वरूप वहां पर इन स्थानों, हापुड़, मुरादाबाद और रामपुर में कई-कई घंटे तक यातायात जाम रहता है । एक तरफ सरकार लगातार यह प्रचार कर रही है कि ईंधन की एक-एक बूंद बचानी चाहिए और दूसरी ओर सैंकड़ों वाहन घंटों खड़े रहते हैं और इस प्रकार तेल का दुरुपयोग हो रहा है । इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि यहां राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े किये जा रहे हैं और उनके चौड़े करने के साथ-साथ फुटपाथ समाप्त हो रहे हैं । परिणामस्वरूप जितना भी स्लो ट्रैफिक है और मुख्य मार्ग पर चलता है जिनमें साईकिल्ज, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, तांगा और पैदल विशेष रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और तेज वाहनों की चपेट में आकर मर जाते हैं । मान्यवर, इन नेशनल हाईवेज पर अनएथोराईज्ड कब्जे बढ़ रहे हैं जिसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है । मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में ध्यान दे ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रकार की जो दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, उन पर रोक लग सके ।

श्री मनोरन्जन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यह जो महिलाओं पर अत्याचार···

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर तो हो गया । मैंने बोल दिया है कि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ।

श्री मनोरन्जन भक्त : मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूं महिलाओं के ऊपर अत्याचार, जो बलात्कार की बात है, यह कोई एक पार्टी का मामला नहीं है । इस सदन में चर्चा हुई है । अगर मिदनापुर में कोई घटना हुई महिलाओं के ऊपर, वहां पुलिस के लोगों ने जाकर होटल के अन्दर महिलाओं पर बलात्कार किया और उसके बाद वहां की जनता ने जाकर प्रदर्शन किया । उसका मतलब यह नहीं कि यह सी० पी० एम० पार्टी ने जाकर करवाया या जो आन्ध्र प्रदेश में होता है तो यह नहीं कि···

अध्यक्ष महोदय : आप यह सारा डिस्कशन के समय बोल दीजियेगा···

श्री मनोरन्जन भक्त : मैं आपसे अनुमति लेकर ही बोल रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति इसके लिए नहीं दी···

श्री मनोरन्जन भक्त : आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिये । बात यह है कि सदन में हर मैम्बर को आप बराबर का समय देते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को बराबर का समय देता हूं···

श्री मनोरन्जन भक्त : जब आप सब को बराबर देखते हैं, जब दूसरे को अलाऊ किया तो मैंने कौन-सा कसूर किया, आप मुझे अलाऊ नहीं करते हैं···

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि इस पर चर्चा करने जा रहे हैं ।

श्री मनोरन्जन भक्त : इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत खुशी की बात है कि आपने समय पर इसके ऊपर हस्तक्षेप करके आपने बतलाया कि समय निकालकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह बात बहुत कुछ सही है और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम सब को पार्टी से ऊपर उठकर महिलाओं पर जो जुल्म है, हरिजनों पर जो जुल्म होता है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कोई नतीजा निकल सकता है और हम कम से कम इस सदन में कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा कर सकते हैं । देशभर में जहां भी महिलाओं के ऊपर किसी किस्म की बात होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं···

अध्यक्ष महोदय बस, आपने जो बोलना था, बोल दिया ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कच्ची कपास सम्बन्धी आयात-निर्यात नीति की ओर दिलाना चाहता हूं । पिछली सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय में जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी, उसके परिणामस्वरूप बढ़िया किस्म की कपास की कमी हो गई और 1990-91 की भण्डारण क्षमता भी कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गईं । इस स्थिति के कारण उद्योग ने कपास आयात करने की मांग की। यदि आयात की अनुमति दी जाती है, तब इसका प्रभाव अक्तूबर में ही होगा क्योंकि अक्तूबर में नई फसल का मौसम शुरू हो जायेगा । कपास उत्पादकों के हित में इस सरकार की कपास आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

यह बात सच है कि कच्ची कपास की कीमतें बहुत अधिक बढ़ने से बाजार में मन्दी आ गई है। वर्ष 1991-92 में कच्ची कपास के निर्यात की घोषणा जनवरी से पहले नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इस उद्योग में होने वाली सट्टेबाजी से हथकरघा, विद्युत करघा अन्य होजरी को सामान के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा । सट्टेबाजी करने वालों को इस बात का लाभ न उठाने देने के लिए कपास की बाजार कीमतें स्थिर रखने तथा कपास उत्पादकों तथा वस्त्र उद्योग के हित में 1991-92 में कपास के निर्यात की घोषणा देर से करनी चाहिए । अतः, पूरे देश में सभी कपास उत्पादकों का यह मत है कि निर्यात में देरी की जानी चाहिए ।

[**हिन्दी**]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस सदन में हरिजन उत्पीड़न

के ऊपर विचार किया गया। इससे प्रभावित होकर हमारे प्रधानमन्त्री ने सभी प्रदेशों के मुख्यमन्त्रियों को बुलाकर एक मीटिंग की ताकि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको कम किया जाये, नियन्त्रित किया जाए।

मेरा निवेदन यह है कि आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वह आंध्र प्रदेश की महिला रही हो, उसको निर्वस्त्र किया गया हो, चाहे फर्रुखाबाद इण्टर कालेज की प्रधानाचार्य को निर्वस्त्र किया गया हो, चाहे झाड़ू लगाने वाली, उस पर पुलिस ने अत्याचार किया हो, इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को रोकने के लिए प्रधानमन्त्री जी को सभी मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और महिलाओं पर जो इस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे दहेज की वजह से हो रहे हों, चाहे सामाजिक उत्पीड़न हो रहा हो, चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो रहा हो, उसको रोकने के लिए नए सिरे से विचार करना चाहिए और साथ ही मुख्यमन्त्रियों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं ताकि महिलाएं भी समाज में सम्मान के साथ रह सकें।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली 27 तारीख को यहां एक मामला उठाया था हिमाचल प्रदेश के बारे में। वहां पर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। 27 तारीख से सारे हिमाचल प्रदेश में बिजली बन्द है और जो वहां की सरकार है, मैंने यहां रिक्वेस्ट की वाजपेयी जी से और आडवाणी जी से भी कि उनको आप सलाह दो और उनसे बैठकर बात करो। हिमाचल प्रदेश के अन्दर हालत खराब हो गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि यह काम पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह जो आर्मी बैठी है सारे हिमाचल प्रदेश में वहां लोग अपने आपको असहाय पा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मामले कैसे उठा सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार वहां काम करने में फेल हो चुकी है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी, जामनिया एवं गाजीपुर तहसील को दो भागों में बांटती है जिसकी वजह से आवागमन में काफी असुविधा होती है। बरसात के दिनों में तो आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। हालांकि जामनिया तहसील के सामने गंगा नदी के दोनों तटों तक पक्की सड़कें है। यदि इन दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए वहां गंगा नदी पर पक्का पुल बन जाता तो दोनों ओर की जनता को सुविधा तो मिल ही जाती, ये दोनों क्षेत्र सड़क द्वारा दूसरे जिलों से भी जुड़ जाते। ऐसा करने से इस क्षेत्र के विकास को भी बल मिलता।

अतः भूतल परिवहन मन्त्री से हमारी मांग है कि जामनिया तहसील केन्द्र के समीप गंगा नदी पर पक्के पुल के निर्माण पर गम्भीरता से विचार करें तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में इस समय भीषण बाढ़ है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, खास तौर से बक्सर जिला, भोजपुर जिला, पटना जिला,

वैशाली जिला, गोपालगंज जिला, यहां तमाम किसान और मजदूर तबाह हैं। बिहार सरकार के पास जो भी शक्ति है, उसके मुताबिक बिहार सरकार रिलीफ का काम कर रही है, लेकिन मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार के पास अर्थ का बहुत अभाव है, इसलिए मेरा पहला निवेदन यह होगा कि भारत सरकार बिहार सरकार को रिलीफ के मामले में अधिक से अधिक धन दे जिससे बाढ़ का मुकाबला किया जा सके। साथ ही साथ बक्सर-कोइलवर तटबन्ध कट चुका है। अगर और भी अधिक कटाव होगा तो उम्मीद है सैकड़ों गांव गंगा की चपेट में बह जायेंगे। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण विभाग को आदेश दिया जाए ताकि बक्सर-कोइलवर तटबंध की जल्दी मरम्मत कराए जिससे वह आइन्दा टूटे नहीं। मेरा यही निवेदन है भारत सरकार से।

श्री शिव शरण सिंह (वैशाली) अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता-सैनानियों को पेंशन देने की व्यवस्था कर जो सम्मान प्रदान किया है, वह सराहनीय कदम है। प्रारम्भ में सम्मान पेंशन की राशि 500 रुपया प्रतिमाह थी। कुछ दिनों के बाद इस राशि को बढ़ाकर 750 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि इस राशि में आवश्यक वृद्धि करने का प्रयास करें ताकि इनकी असुविधा कुछ हद तक दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री ए० चारलेस (त्रिवेन्द्रम): केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के 7000 से अधिक कर्मचारियों ने, अपनी लम्बे समय से लम्बित पड़ी मांगों को पूरा न करने के विरोध में कल से, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उनकी मांगें हैं कि उन्हें तीन समयबद्ध पदोन्नतियां दी जायें, जिन 18 शहरों में यह योजना चल रही है, वहां प्रत्येक में के० स० स्वा० यो० के अस्पताल खोले जायें।

इन अस्पतालों से लगभग 37 लाख लोगों को लाभ मिलेगा जिनमें सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगी व्यक्ति, संसद सदस्य, भूतपूर्व संसद सदस्य, स्वतन्त्रता सैनानी, पुलिस कार्मिक, पत्रकार तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों के अनेक कर्मचारी शामिल होंगे। अतः, यदि प्रस्तावित हड़ताल को रोका नहीं जाता है, तब यह समाज के बड़े भाग के आम जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी।

अतः, मेरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और देखें कि प्रस्तावित हड़ताल को रोका जा सके।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): अध्यक्ष जी, यों तो बिहार के सभी क्षेत्रों में उपेक्षा की जाती रही है मगर जहां बिहार में पर्यटन विकास के अनन्त अवसर हैं वहां भी खासतौर से सातवीं पंचवर्षीय योजना में, हरियाणा को, जो कि एक छोटा सा प्रदेश है, 3 करोड़ 86 लाख रुपये तथा केरल को 7 करोड़ 39 लाख रुपये दिए गए, वहां बिहार राज्य को मात्र 35 लाख रुपये वर्ष 1991-92 के बजट में दिए गए हैं। आज अखबारों में आया है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मन्त्री, जिन्होंने बिहार में पर्यटन विकास के लिए 5 अरब रुपये से भी अधिक का बजट 1991-92 के लिए बनाकर केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है, परन्तु अभी तक बिहार को एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अभी तक बिहार को एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया है, जिसके विरोध में, बिहार के

...टन मन्त्री, श्री हिन्द केसरी यादव, शीघ्र प्रधानमन्त्री के निवास के सामने आमरण अनशन करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इससे केन्द्र और प्रदेश के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने की सम्भावना है। अत: सरकार को चाहिए कि तनाव की स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिए, पर्यटन मन्त्री को अनशन पर बैठने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि बिहार को पर्यटन विकास के अन्तर्गत अधिक से अधिक सहायता दी जाए, इसका आश्वासन सदन में चाहता हूं।

अनुवाद]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : उड़ीसा केन्द्र पत्ता व्यापार नियन्त्रण अधिनियम, 1961 की धारा — दो के अन्तर्गत केन्दु पत्ते के व्यापार से राज्य सरकार को होने वाली आय में से 50 प्रतिशत राशि समितियों और ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। लेकिन केन्दु पत्तों की बिक्री का वार्षिक लेखा-जोखा अव्यवस्थित होने के कारण उड़ीसा सरकार ने 1973 को आधार वर्ष मानकर, बोलंगीर को एकत्र किए गए राजस्व का 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 1986 तक दिया है। राज्य प्रशासन द्वारा पूरी तरह लापरवाही करने के कारण बोलंगीर जिले में केन्दु पत्ते की बिक्री में वृद्धि होने के बावजूद विकास के लिए राजस्व के अंश में कोई परिवर्तन नहीं आया। राज्य प्रशासन को तुलन-पत्र तैयार करने तथा उचित बकाया राशि को बोलंगीर के लोगों को देने का निर्देश दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, तेल और गैस की खोज की संभावना को लेकर जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बंगाल में खोज कार्य जारी है वहीं बिहार में भी इसकी खोज की जा रही है। वहां एक रिग मशीन है जिससे अब तक वहां 5 कुओं की खुदाई हुई है। खुदाई से पता चला है कि यहां पर तेल है। उसके महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी साजिश की जा रही है कि बिहार में जो एक रिग मशीन काम कर रही है, उस मशीन को वापस मंगवा लिया जाये। भू-सर्वेक्षण का काम पिछले दो वर्षों से बंद है और भेदन स्थल का निर्धारण भी बन्द है। दुसरी ओर बंगाल में 25 वर्षों से काम चल रहा है और वहां तीन रिग मशीनें काम कर रही हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू में भी काम चल रहा है लेकिन बिहार में यह साजिश की जा रही है कि वहां जो एक मशीन है, मरम्मत करने के नाम पर उसे भी वापस ले लिया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बिहार के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार न करे।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना के अन्तर्गत हजारों कर्मचारियों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। उन्हें कहा गया है कि वे 30-9-1991 तक अपने वैकल्पिक सुझाव दे दें कि क्या वे उनकी अगली योजना के तहत काम करने के लिये उत्सुक हैं या नहीं, अन्यथा उन्हें वहां से अलग कर दिया जायेगा। मैं यहां आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि निगम को लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का टर्न-ओवर देने वाले कर्मचारियों को, आज खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अत्यधिक कठिनाई में डाल दिया गया है। और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बात न करके कि वह योजना किस प्रकार की है, उस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, कितने कर्मचारियों को एबजार्ब किया जा सकेगा और कितनों को नहीं, इसलिये कर्मचारियों में इस अनिश्चितता के कारण अपने भविष्य के प्रति बड़ी चिन्ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके बारे में सरकार शीघ्र स्थिति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, समाप्त कर्मचारी संघों ने छह सितम्बर को एक दिन की हड़ताल करने का नोटिस दिया है। उनकी यह मांग है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं करे।

जून के महीने में विश्व बैंक ने इस आशय का एक परिपत्र जारी किया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जाए या राष्ट्रीयकृत बैंकों के एक भाग का निजीकरण कर दिया जाए। मैं विश्व बैंक की उस रिपोर्ट को उद्धृत कर सकता हूं···। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह उद्धृत नहीं कर सकते। हम वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए दस घंटे का समय निश्चित किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं इस रिपोर्ट के संगत भाग को उद्धृत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आचार्य जी, ऐसे नहीं। इस प्रकार से रेगुलर डिस्कशन हो जाता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। विश्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है :

> "बैंक आफ इंटरनेशनल सेंट्लमेंट (बी० आई० एस०) के मानदण्डों के अनुसार आंतरिक पुनर्संरचना और पुनंसंगठन के बाद व्यावसायिक बैंकों को निजी क्षेत्र की सहभागिता से और अधिक लाभप्रद बनाया जाए, और
>
> भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) में निजी सहभागिता की अनुमति दी जाए और आई० सी० आई० सी० आई० को और अधिक निजी क्षेत्र के स्वामित्व की अनुमति दी जाए ताकि स्वायत्तता और व्यापार संभावना को सुदृढ़ बनाया जा सके।"

विश्व बैंक के इन निर्देशों को लागू किया जा रहा है। उन सभी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि वित्त मन्त्री से मिले। लेकिन, 26 अगस्त को वित्त मन्त्री जी।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी इस तरह नहीं। यह सामान्य चर्चा नहीं है। मैंने आपको इसका उल्लेख सारांश में करने को कहा है ताकि सरकार इससे अवगत हो जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उनकी यह मांग है कि कम से कम वित्त मन्त्री सदन में इस आशय का एक वक्तव्य दें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

आफिसर्स एसोसिएशन सहित सभी कर्मचारी संघों द्वारा दिए गए हड़ताल के नोटिस को मद्देनजर रखते हुए···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री ने सभा में इस सम्बन्ध में पहले वक्तव्य दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह मांग करता हूं कि वित्त मन्त्री जी एक वक्तव्य दें और स्पष्ट रूप से बताएं कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। उनका विश्व बैंक के निर्देशानुसार निजीकरण नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक पर चर्चा होने ही वाली है। उस समय आप इसकी चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री ने इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दे दिया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री का वक्तव्य कार्यवाही में शामिल किया जा चुका है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आपने जो कुछ भी कहा है, सरकार उसका जवाब दे रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, प्रधानमन्त्री ने पहले ही वक्तव्य दिया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है और वित्त मन्त्री ने सभी बैंक कर्मचारी संघों, समितियों एवं आफिसर्स एसोसिएशनों से बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप उनसे हड़ताल वापिस लेने की अपील करें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने पहले ही निवेदन किया है। मैंने भी उनसे कहा है कि वे हड़ताल पर न जाएं।

अध्यक्ष महोदय : हां, अब श्री तंग्काबालू···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्यजी, अब आप कृपया बैठ जाएं। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं जो भारत सरकार की ओर से प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री के कथनों को उद्धृत कर रहे हैं। वे भारत सरकार की ओर से बोल रहे हैं कि निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी आप चाहते क्या हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक मुद्दा उठाया···

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं वित्त मन्त्री जी से स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप केवल भाषण ही देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। लेकिन, आपने जो मुद्दा उठाया, उसका स्पष्ट उत्तर आपको दे दिया गया है। आपको पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाना चाहिये था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप उसी मुद्दे पर चर्चा जारी क्यों रखना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं··· ···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी, आपको अन्य सदस्यों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरे सदस्य भी उस सभा के ही सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों की आप सहायता करें। वे भी इस सभा के सदस्य हैं। उन्हें भी अपना विचार व्यक्त करना है।

श्री के० वी० तंग्काबालू : महोदय, मै उत्पाद शुल्क के दायरे से···ठेके के कार्यों को हटाने और इसका निर्धारण केवल वर्धित मूल्य के आधार पर किये जाने सम्बन्धी मुद्दा उठा रहा हूं।

छोटे, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बड़ी निर्माण करने वाली इकाईयों से ठेके पर कार्य मिलता है। ठेके पर कार्य करने वाले उद्योगों को सामग्री/कच्चा माल, उपकरण बड़ी उत्पादक कम्पनियों की ओर से मिलते हैं। ठेके पर कार्य करने वाली इकाईयों इन कार्यों को केवल श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के आधार पर करवाती हैं।

पन्द्रह लाख रुपये तक कर-निर्धारण योग्य कारोबार के मामले में, लघु उद्योगों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया है। अधिकतर लघु उद्योग जो ठेके का कार्य करते हैं, वह कारोबार अकेले एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उत्पाद शुल्क का हिसाब-किताब नहीं रख सकते।

किये गए कारोबार पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण की गणना, सामग्री के मूल्य, जो लघु उद्योगों की अपनी नहीं होती, उसे भी विभाग द्वारा उत्पाद शुल्क के लिए शामिल कर लिया जाता है जब वास्तविक मूल्य इसका केवल चार या पांच प्रतिशत होता है। इससे लघु उद्योगों के विकास पर प्रभाव पड़ता है और इससे वे कठिनाई में रहते हैं। तीन करोड़ छोटे और एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं। उनके द्वारा ठेके पर किये गए कार्यों पर उत्पाद शुल्क हटाकर उन्हें तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि ठेके पर किये जाने वाले कार्यों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया जाए। अन्यथा, उत्पाद शुल्क की गणना के लिए ठेके के मजदूरों द्वारा ठेके पर किये गए कार्यों को ही निर्धारण का आधार माना जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जितेन्द्र नाथ दास।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, एक ही मुद्दा जो मुझे उठाना है वह यह है··· ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मैं निर्मल कान्ति जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुद्दा उठाया गया है। मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं। बैंक कर्मियों के बीच चिंता का कारण यह है कि बजट भाषण में निजी क्षेत्रों के लिए भी पारस्परिक निधि खोलने की बात कही गई है, जो पहले केवल सरकारी क्षेत्र जैसे यू० टी० आई० एन० अन्यों के लिए थी। दूसरी बात यह भी कही गई है कि आई० सी० आई० सी० आई०, जो एक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था है, उसके शेयरों का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है। अल्पकालीन ऋण देने वाली संस्थाएं अर्थात बैंकिंग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। चिंता का यही कारण है। इसलिए, जो आश्वासन अब तक दिये गये हैं, उन्हें और भी स्पष्ट होना चाहिये। इसलिए यह इच्छा व्यक्त की गई है कि पारस्परिक निधि या वित्तीय संस्थाओं के बारे में जो कहा गया है, वह बैंकिंग क्षेत्र पर लागू नहीं होना चाहिए। इस तरह के आश्वासन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी वित्त मन्त्री की अनुपस्थिति में आप एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं और इसका पूरा ब्यौरा उन्हें ही पता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर आपको उपलब्ध है। वित्त विधेयक और अन्य मामलों पर चर्चा के दौरान आपको, इस मुद्दे को उठाने का अवसर मिलेगा। कुछ मुद्दों पर जहां तक मन्त्री जी के लिए सम्भव है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीयकरण खतम करने या निजीकरण का कोई विचार नहीं है। अब आप चाहते हैं कि सभी बातें कार्यवाही में शामिल की जाएं और वह भी तब, जब अन्य लोग भी बोल रहे हों। निर्मल कान्ति जी, हम इस तरह हम सभा की कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकेंगे? क्या आप किसी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उत्तर देगा। क्या आप सम्बन्धित मन्त्री से यह आशा करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट मुद्दे पर वह सरकार की ओर से जवाब दे सकते हैं जिस पर सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है? उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। क्या आप हमें और सभा को केवल जानकारी ही ही देते रहना चाहते हैं? कृपया ऐसा न करें। मैं आपको वित्त मन्त्री जी से मिलने के लिए कह रहा हूं और आप उनसे ही जानकारी प्राप्त करें।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुडी) : अध्यक्ष महोदय, टी० टी० सी० आई० के अन्तर्गत 'लोकसन इस्टेट' की शोचनीय स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टी० टी० सी० आई० ने जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल स्थित 'लोकसम टी इस्टेट'—चाय बागान का 1976 में अधिग्रहण कर लिया था। 1976 से 1991 तक की लम्बी अवधि इस चाय बागान को सक्षम और लाभकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जबकि आसपास के सभी चाय बागान विकसित और लाभकारी बन रहे हैं, टी० टी० सी० आई० द्वारा संचालित उसी चाय बागान को दिनों-दिन भारी घाटा हो रहा है। टी० टी० सी० आई० के उपेक्षापूर्ण और लापरवाह रवैये के कारण यह बिखराव की स्थिति में आ गया है।

स्थानीय प्रबन्धन दो लाख तैयार की हुई चाय पत्तियों को बोरीयों की कमी के कारण भेज नहीं सका। चाय पत्तियों को तोड़ने में 25-26 दिन लगे जबकि इसमें साधारण तौर पर 7-8 दिन लगते हैं। मरम्मत की कमी के कारण ट्रैक्टर चलने की स्थिति में नहीं हैं। पेयजल की कमी सभी जगहों पर हैं। चाय पत्ती तोड़ने वालों को अधिक पत्तियां तोड़ने का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। भविष्यनिधि खाते में मई, जून और जुलाई, 1991 का 2,60,145 रुपये जमा करना बाकी है। अवकाशप्राप्त श्रमिकों को उनकी ग्रैच्युटी और भविष्य निधि की राशि नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों को यात्रा भत्ता एवं

महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आसपास के चाय बागानों की तुलना में उनके बोनस का आधा उन्हें मिल रहा है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस चाय बागान के श्रमिक इतने क्रुद्ध और परेशान हैं, कि इससे कभी भी गम्भीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह हस्तक्षेप करें।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत उसने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजे खोल दिये हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि सोवियत संघ में उत्पन्न हाल की घटनाओं को देखते हुए अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत से देशों के सम्बन्धों में परिवर्तन होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। वैसे सोवियत संघ की घटनाओं का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, कारण कि अर्थव्यवस्था उद्योग, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सोवियत संघ पर ही निर्भर रहता है। इस तरह सोवियत संघ की नाटकीय घटनाओं को देखते हुए भारत को भी अपने देश की विदेश नीति में परिवर्तन करना होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह सभी राजनीतिक पार्टियों से इस मामले में सलाह-मशविरा करके देश की विदेश नीति पर पुनर्विचार करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अपने देश के लगभग दो करोड़ जो बुनकर हैं, उनकी समस्या के बारे में उठाना चाहता हूं। बुनकरों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से बहुत दयनीय हो रही है और खासतौर से ऐसे बुनकर जोकि रेशम का काम करते हैं, रेशम से साड़ी वगैरह बनाते हैं, रेशम का दाम पिछले कुछ महीनों में 300 से साढ़े तीन सौ रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। इसी तरह से जिस सूत का इस्तेमाल बुनकर करते हैं, उनके मूल्य में भी बहुत वृद्धि हो गई है। एक तरफ उनके रेशम और सूत के मूल्य में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ उनका बना हुआ सामान बिक नहीं रहा है। कहने का मतलब यह है कि उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। कई जगहों से रिपोर्ट यह आ रही है कि बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि वे सड़क पर मिट्टी खोदने का काम करने लगे हैं। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है।

अभी वाराणसी में पूरे पूर्वी जिलों के बुनकरों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें 30 हजार बुनकर वहां इकट्ठे थे। उन्होंने भारत सरकार का और राज्य सरकारों का भी इस समस्या की तरफ ध्यान खींचा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मजदूर तबके की तरफ, जिसका हमारे आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में और निर्यात में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है तो सरकार आवश्यक कदम उठाएगी ताकि उचित दामों पर उनको सूत और रेशम दिया जा सके और जो उनका माल बिक नहीं रहा है, उसको बेचने की व्यवस्था की जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में रांची एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी 9 लाख है लेकिन उस शहर में अभी तक बाइपास सडक नहीं बनी है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह बाइपास का नहीं है, इसको वहां पर कारपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट देखती है। मैं आपको बाद में बता दूंगा।

[अनुवाद]

मैं आपसे अपने कक्ष में बात करूंगा।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : अध्यक्ष महोदय, असम के बारक घाटी में विशेषकर करीमगंज और हेलाकंडी जिलों में वनों की कटाई अबाध गति से हो रही है। ऐसा एक ओर तो स्थानीय प्रशासन की ढिलाई के कारण और दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले बेईमान लोगों का मुनाफा कमाने से हो रहा है। यदि वनों की कटाई इसी प्रकार से होती रही तो भविष्य में पर्यावरण पर इसका बहुत असर पड़ेगा। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप नियमित रूप से होता रहेगा और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी और अन्ततः यह एक राष्ट्रीय समस्या बन जाएगी।

क्या माननीय वन संसाधन मन्त्री महोदय वनों की कटाई की समस्या को रोकने हेतु अविलम्ब कदम उठायेंगे और साथ ही वनरोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे ?

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, पाइण्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। हां, बोलिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि एक जो नई परम्परा आपने कायम की है कि जीरो आवर में हर आदमी की बात सुनें तो उसमें क्या क्राइटीरिया आपने अपनाया है ? मैने भी एक आवेदन-पत्र दिया है, मैं बहुत कम बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आपका पाइण्ट आफ आर्डर मैं समझ गया। अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जानने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए आप। जीरो आवर में कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : आज तक हमारी आदत नहीं बनी हुई है लेकिन हाउस में जितना डिस्टर्ब किया जाय, उसी को आप इजाजत बोलने के लिए देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गन्ना किसानों की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है···

अध्यक्ष महोदय : कल एग्रीकल्चर का डिस्कशन हुआ, आज आप गन्ने का मामला उठा रहे हैं तो ऐसा कैसे चलेगा ?

श्री राम नगीना मिश्र : जब मैंने सप्लीमेंटरी पूछा था तो कहा था कि कृषि में गन्ना नहीं आता है, हमको याद है वह सब। हमको आपने रोक दिया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोल दीजिए न।

श्री राम नगीना मिश्र : आप बोलने दें, तब न। रिकार्ड देख लिया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य इलाका है और आश्चर्य है कि एक अरब से अधिक रुपया गन्ना किसानों का बकाया पड़ा हुआ है। खासतौर से देवरिया जनपद, जहां 14 चीनी मिलें हैं, और भी जो चीनी निगम की 35 फैक्टरियां हैं, सबसे अधिक रुपया उनमें बकाया है। खासतौर से मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां पर पडरौना की शुगर फैक्टरी है, जो बी० आई० सी० कम्पनी द्वारा गवर्न होती है। इसी बीच में इलैक्शन के समय में एक नए चेयरमैन बी० आई० सी० के नियुक्त किए गए हैं। पहले का नियम है कि कानपुर शुगर वर्क्स का चेयरमैन अलग होता था और बी० आई० सी० का चेयरमैन अलग होता था।

बी० आई० सी० के चेयरमैन ने कहा कि हम बैंक गारन्टी नहीं देंगे, जबकि शुरू से बैंक गारन्टी बी० आई० सी० देते आए हैं। यहां पर माननीय मन्त्री जी बैठे हुए हैं, इस सन्दर्भ में मन्त्री जी ने अपने सैक्रेटरी को आदेश दिया, लेकिन आश्चर्य है कि मन्त्री जी के आदेश को सैक्रेटरी नहीं मानता है और कहता है, जब तक दोनों के चेयरमैन नहीं होंगे, बैंक गारन्टी नहीं देंगे। आश्चर्य है, वस्त्र मन्त्रालय में मन्त्री जी वास्तव में मन्त्री हैं या सैक्रेटरी मन्त्री हैं। मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि बैंक गारन्टी दिलवाई जाए और अरबों रुपए जो गन्ना किसानों के बकाया हैं, उनका अविलम्ब भारत सरकार और राज्य सरकार भुगतान कराए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

———

12.56 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1991-92 के लिए नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : महोदय, मैं श्री माधवराव सिंधिया की ओर से नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 527/91]

चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1991

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : महोदय, मैं चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1991, जो 24 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 235(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 528/91]

वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : महोदय मैं, खाद्य

प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 529/91]

वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्र सरकार के व्यय के लिए दूरसंचार विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार के व्यय के लिए दूरसंचार विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 530/91]

वर्ष 1991-92 के लिए जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : महोदय, श्री जगदीश टाईटलर जी की ओर से मैं जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 531/91]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1991 तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1991, जो 27 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 428 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 532/91]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (लेखा कार्मिक पद) भर्ती नियम 1990, जो 20 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी "ग" तथा श्रेणी "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 3 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति तथा सदस्यों के वेतन

तथा भत्ते और शर्तें) संशोधन नियम, 1991, जो 29 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 52(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया)संशोधन नियम, 1991, जो 27 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 533/91]

(3) इलैक्ट्रोनिकी विभाग की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 534/91]

(4) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 535/91]

वर्ष 1990 (1990 का संख्या 8) के लिए भारत के नियत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक)—हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, हल्दिया उर्वरक परियोजना तथा वर्ष 1991-92 के लिए रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत वर्ष 1990 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—(1990 का संख्या 8)—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड हल्दिया उर्वरक परियोजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 536/91]

(2) रसायन और उर्वरक मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 537/91]

12.57 म०प०

कार्य मन्त्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 3 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.57 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महानगरों में, विशेष रूप से दिल्ली में, गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (थंजापुर) : महोदय, सभी महानगरों में, विशेषकर दिल्ली में, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की जनसंख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है। सरकार को गरीब लोगों के लिए शिविर बनाकर उन्हें आश्रय देना चाहिए और भोजन पकाने के लिए सार्वजनिक रसोईघर बनाए जाएं और शहर से बाहर शौचालय आदि की सुविधायें प्रदान की जायें जिससे कि राजधानी का रूप संवारा जा सके। इससे शहर के पर्यावरण को सुधारने में भी काफी सहायता मिलेगी।

12.58 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) सेतु समुद्रम नहर परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

डा० पी० राजेश्वरन (रामनाथपुरम) : महोदय, पिछले कई वर्षों से कई क्षेत्रों से यह मांग की जा रही है, कि 'सेतु समुद्रम नहर परियोजना' को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए और इस पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। रक्षा की दृष्टि से भी, नहर परियोजना को, जो देश के दक्षिणी छोर पर लगभग 11,000 फीट तक फैली है, आर्थिक कारणों से नकारा नहीं जा सकता। इस परियोजना में बंगाल की खाड़ी में स्थित मन्नार खाड़ी को समुद्र की सतह के नीचे से जमीन खोद कर पाक खाड़ी से जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि समुद्र का पानी नहर में प्रवाहित हो सके जिसका उपयोग मुख्यत: नौवहन के लिए किया जा सके।

इस परियोजना के कार्यान्वित होने से, यह नहर जहाजों, जलपोतों, यांत्रिक नौकाओं इत्यादि और विशेषरूप से पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे के बन्दरगाहों की ओर जाने वाले मालवाहक जहाजों

जो ट्यूटीकोरिन और पूर्वी तटीय रेखा में अन्य बन्दरगाहों और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में माल ढोते हैं, के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। इस नहर का प्रयोग करने से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी की बचत भी होगी। सिर्फ दूरी की ही नहीं अपितु मूल्यवान ईंधन की भी बचत होगी और चक्करदार मार्ग का प्रयोग न करके समय की भी बचत होगी। श्रीलंका की नौसेना व लिट्टे उग्रवादियों की सम्भाव्य उपस्थिति को देखते हुए और तमिलनाडु तटीय-रेखा से बाहरी तत्वों द्वारा व्यापक स्तर पर की जा रही तस्करी की गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि रक्षा की जरूरतों पर विचार करते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृत करें और इस पर कार्य प्रारम्भ करें।

इसलिए, मैं सरकार से इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) भरतपुर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णेद्र कौर (दीपा) (भरतपुर) : राजस्थान के भरतपुर जिले में इस वर्ष बारिश न होने के कारण अकाल की सी स्थिति बन गई है, जिससे ग्रामीणों एवं किसानों में भय व्याप्त है। भविष्य के लिए उनके परिवार के खाने-पीने की समस्या पैदा हो गई है। भरतपुर जिले में पिछले 4-5 वर्षो से बारिश बहुत कम मात्रा में होने के कारण किसानों को फसल एवं पशुओं को चारा न मिलने की चिन्ता बढ़ रही है। राज्य सरकार को अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा होने के कारण इस जिले की समस्या के समाधान हेतु अति शीघ्र विशेष अनुदाज की आवश्यकता होगी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि भरतपुर की जनता को अकाल की स्थिति से बचाने हेतु अति शीघ्र विशेष सहायता राशि राज्य सरकार को स्वीकृत की जावे, जिससे सरकार द्वारा भरतपुर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू कराया जा सके।

[अनुवाद]

(चार) गुजरात के कैरा जिले के थासरा तालुक में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी (खेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य, में जिला कैरा जिले का थासरा तालुक 15 वर्ष पूर्व, पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था और वह आज तक पिछड़ा हुआ ही है। उस क्षेत्र के सुधार के लिए राज्य या केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं बनाई गई। वहां लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहां की पूरी भूमि का 'लेवल' बहुत ऊंचा है और एक इंच भूमि पर भी सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। नर्मदा परियोजना से, जो पूरी होने वाली है, भी इस भूमि की सिंचाई नहीं होगी। हर तीसरे वर्ष वहां अकाल पड़ता है। यहां का 30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पथरीला है। इस क्षेत्र में कोई बड़ा या छोटा उद्योग नहीं है जो इस क्षेत्र में जीविका प्रदान करे और वित्तीय या रोजगार वृद्धि उत्पन्न कर सके। इसके परिणामस्वरूप जल का स्तर भी काफी नीचा है और पेय जल की भी समस्या है।

मैं सरकार से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन पर विचार करने का और वहां कुछ मुख्य उद्योग स्थापित

करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से इस क्षेत्र को खोज और अध्ययन के लिए और यहां छिपे हुए खजाने को खोदने के लिए भूविज्ञान विभाग को सौंपने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(पांच) **बिहार के चम्पारण जिले में दोन नहर के दक्षिण तटबन्ध को शीघ्र पक्का करने की आवश्यकता**

श्री महेन्द्र बैठा (बगहा) : बिहार राज्य के पूर्व एवं पश्चिम चम्पारण जिला के उत्तरी छोर पर दोन नहर अवस्थित है जो नेपाल सीमा के सन्निकट बालमीकी नगर से घोड़ासहन के समानान्तर 180 कि०मी० लम्बाई में जाती है। भारत में नेपाल के निकटतम सीमा से होकर गुजरने वाली कोई भी कच्ची या पक्की सड़क नहीं है। इसलिए बिहार सरकार एवं केन्द्रीय सरकार ने मिलकर दोन नहर के दक्षिणी किनारे को पक्का करने की स्वीकृति प्रदान की थी जिसकी लम्बाई 180 कि०मी० है। बिहार सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 1-2-80 को स्वीकृति दी गई और काम भी शुरू हुआ लेकिन अभी तक केवल 63 कि०मी० पक्कीकरण किया गया। जो पूर्णतः पूर्वी चम्पारण में पड़ता है। 117 कि०मी० जो प० चम्पारण में पड़ता है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह सड़क सैनिक एवं असैनिक दृष्टिकोण से तथा सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र के आम जनता विशेषकर आदिवासी जनता के विकास के लिए भी अतिआवश्यक है। 117 कि०मी० के उत्तरी एवं मध्य भाग थारू, उरांव एवं पिछड़ी जातियों के निवास स्थल हैं इसे आदिवासी क्षेत्र कहते हैं। इस सड़क के निर्माण से चम्पारण की वन सम्पदा की तस्करी को यातायात की सुविधा से नियंत्रण में किया जा सकेगा एवं कृषि पैदावारों को भी लाने ले जाने में सहूलियत होगी।

अतः देश की सुरक्षा एवं जनहित को देखते हुए दोन नहर के दक्षिणी किनारे को पक्कीकरण करने के लिए सीमा पथ संगठन द्वारा इसका निर्माण करवाने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(छः) **मद्रास में व्यापार मेला परिसर के निर्माण हेतु इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कब्जे वाली भूमि में से कुछ हिस्से को देने के लिए निर्देश देने की आवश्यकता**

डा० राजागोपालन श्रीधरण (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु सरकार मद्रास में एक स्थायी व्यापार मेला परिसर के निर्माण की मांग करती रही है इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार भूमि आवंटित कर चुकी है किन्तु आई० डी० पी० एल०, जिसके कब्जे में इस भूमि का कुछ हिस्सा है, वह जमीन देने को तैयार नहीं हैं, यह भूमि काफी समय से प्रयोग में नहीं आ रही है। यह भूमि गांव नन्दम्बक्कम, सैरायत तालुक, चेन्गलपट्टु एम० जी० आर० जिले में है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह आई० डी० पी० एल० को निर्देश दे कि वह उस भूमि का कब्जा छोड़ दे ताकि वहां एक अलग व्यापार मेला परिसर बनाया जा सके।

(सात) **पश्चिम बंगाल के बेसिन में तट से दूर और तट पर तेल की खुदाई के कार्यों को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता**

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, कुछ वर्ष पूर्व, पश्चिम बंगाल बेसिन में तट से

दूर और तट पर तेल की खुदाई का कार्य शुरू किया गया था किन्तु "बड़े पैमाने व्यापक रूप से दोहन वाणिज्यिक रूप मे लाभप्रद" नहीं पाए जाने के कारण यह कार्य बन्द कर दिया गया था। कुछ अनुभवी भूवैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिम बंगाल लगभग तेल पर तैर रहा है, जिसकी अभी तक खुदाई नहीं हुई है। इन विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कारबोनेट जलाशय का विशाल पेट्रोलियम भंडार और उसके साथ लगा हुआ बंगाल की खाड़ी का तट से दूर भंडार 1984 में खोजा गया था। इस पर तट से दूर आंकड़े अमरीका की तेल कम्पनियों के नातनोज समूह द्वारा एकत्रित किए गए और दक्षिणी भाग के तटीय आंकड़े एक सोवियत दल द्वारा एकत्र किए गए। अध्ययन से 5,000 मीटर की गहराई में कारबोनेट चट्टानों में रन्ध्री तेल की उपस्थिति का पता चला जो लगभग 60 मिलियन वर्ष प्राचीन है। पूर्वोत्तर, दक्षिण-पश्चिम की ओर दक्षिण 24 परगना और नादिया से गुजरने वाली और भारत-बांगला देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक फैले 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र के साथ ये चट्टानी सतहें तेलयुक्त पाई गईं। यह क्षेत्र तेल एवं प्राकृतिक आयोग द्वारा दक्षिण-24 परगना में डायमंड हार्बर के निकट खोदे गए कुंए के पूर्व में 600 मीटर भीतर स्थित है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस विशाल तेल भण्डार की खुदाई करवाए जो कि भारत को विश्व का अग्रतम तेल निर्यातक देश बनाने की सामर्थ्य रखता है।

[हिन्दी]

(आठ) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुराने टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने की आवश्यकता

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बहुत पुराने किस्म का टेलीफोन एक्सचेंज है, इससे हमेशा टेलीफोनों में गड़बड़ी रहती है। कुछ बड़े ग्रामों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जा चुके हैं। अत: सिवनी शहर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज शीघ्र लगाया जाए और सिवनी के सभी बड़े ग्रामों में पुराने एक्सचेंज की जगह इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बनाए जाएं। 1995 तक सभी ग्रामों में दूरसंचार सेवा पहुंचाने के माननीय मंत्री जी की घोषणा के दृष्टिकोण से अभी विभाग द्वारा उत्पादित उपकरण यथेष्ठ नहीं हैं। अत: लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपस्कर के नए उद्योग पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य और "नो इण्डस्ट्री" जिला सिवनी में डाले जावें। इससे लगे हुए 8 जिले हैं, जिनकी और अन्य जिलों की आवश्यकता की पूर्ति इससे अधिक ट्रांसपोर्ट खर्च के बिना हो सकेगी।

[अनुवाद]

1.07 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें संख्या 16 से 22 पर चर्चा व मतदान करेगी। इसके लिए आठ घण्टे निर्धारित किए गए हैं।

सदन में उपस्थित वे माननीय सदस्य, अनुदानों की मांगों पर, जिनके कटौती प्रस्ताव सदस्यों में

परिचालित कर दिए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट में अपनी पर्चियां सभापटल पर दे दें। इन पर्चियों पर उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए ? जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। सिर्फ इन कटौती प्रस्तावों को ही प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

थोड़ी ही देर में, सूचना पट्ट पर उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची प्रदर्शित की जाएगी जिन्हें प्रस्तुत माना गया हैं। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति नजर आती है तो वह कृपया इसे अविलम्ब सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में रक्षा मत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 16 से 22 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992, को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
	रक्षा मंत्रालय				
16.	रक्षा मंत्रालय	554,60,00,000	56,38,00,000	554,59,00,000	56,39,00,000
17.	रक्षा पेंशन	878,84,00,000	...	874,83,00,000	...
18.	रक्षा सेवा सेना	4182,15,00,000		4182,15,00,000	
19.	रक्षा सेवा नौ सेना	457,93,00,000		457,93,00,000	
20.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1060,39,00,000		1060,38,00,000	

1	2	3		4	
21.	रक्षा आयुध निर्माण	350,00,000	...	13,89,00,000	
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3087,46,00,000		2117,31,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	166,12,00,000	3,73,00,000	166,12,00,000	3,73,00,000

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं रक्षा बजट, 1991 पर बोलने के लिए खड़ा हूं, जिस ढंग से रक्षा बजट को हर वर्ष किया जा रहा है, मैं उससे बहुत निराश हूं।

भारी भरकम, अस्पष्ट, निरर्थक किसी घिसी पिटी बातों पर विचार विनिमय होता रहता है और अच्छे-अच्छे प्रस्ताव बनाए जाते हैं किन्तु अन्त में परिणाम निकलता है वही पुराना पारस्परिक गोपनीय और कायरता पूर्ण दृष्टिकोण जो एक भय का वातावरण उत्पन्न कर देता है जहां प्रश्न करना, जांच करना या सुझाव देना और रक्षा व्यय को सुसंगत बनाने का प्रयास करना ऐसा माना जाता है जो देश के हित में नहीं है और जो सम्भव ही नहीं है।

महोदय, मैं 36 वर्ष सेना में रहा हूं और दिल्ली में 3 सेना मुख्यालय में कुछ वर्ष रहा हूं और विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान दृष्टिकोण से किसी का हित नहीं होगा। इनमे देश का हित नहीं होगा, यहां तक कि इसमे सेना या सेवाओं का का भी हित नहीं हो रहा है जिन्हें गोपनीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत समझा जाता है।

रक्षा बजट, आयोजित बजट व्यय का दूसरा सर्वाधिक बड़ा भाग है। यह माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा था। हालांकि, यह दुःखद है कि कुछ दैनिक क्रिया सम्बन्धी बातें बताने के अतिरिक्त उन्होंने हमें और कुछ नहीं बताया। यहां, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करूंगा :

> "इसलिए, हमें अपनी रक्षा सेवाओं की कार्य-कुशलता और युद्धक्षमता का कम किए बिना हमें व्यय को सीमित करना होगा..."

वास्तव में, उन्होंने हमें निजी बजट बढ़ाए बिना रक्षा सेवाओं की कार्यकुशलता और युद्धक्षमता को सुधारने के लिए किसी नई योजना या पहल के बारे में कोई संकेत नहीं किया। यह दुःखद है कि अपने भाषण में रक्षा को उन्होंने राजीव गांधी फाउन्डेशन से भी कम शब्दों में निपटा दिया—कहां 16,350 करोड़ रुपए का मामला 4 और कहां 100 करोड़ रुपए। उन्होंने इसे ऐसे ही निपटा लिया। मुझे आशा है कि रक्षा मन्त्री चिंतन की पुरानी घिसी-पीटी लीक पर नहीं चलेंगे।

मैं कुछ मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा। मेरे विचार से पहली और सर्वाधिक चिन्तनीय बात है वर्तमान आर्थिक प्रबन्ध एवं नियन्त्रण। जिस प्रकार से इस समय वित्तीय नियन्त्रण चलाया जा रहा है वह सिर्फ उत्पादकता विरोधी और व्यर्थ ही नहीं है अपितु वह उस क्षेत्र में अर्थात सेना मुख्यालयों और मन्त्रालयों के बीच काफी बदनीयत और अविश्वास उत्पन्न कर रहा है जहां सौहार्द्र पूर्ण ढंग से कार्य

करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान समय में, वित्त विभाग के लोगों और नौकरशाहों ने सभी प्रबन्ध के सिद्धान्तों के विरुद्ध व्यवस्था में अपने लिए एक पक्की जगह बना ली है। इसके कारण अधिक समय और अधिक धन खर्च हो रहा है। ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक पैसे के प्रयोग पर, जो बजट में स्वीकृत होता है और जिसका लेखा जोखा रखा जाता है उसके प्रयोग पर वित्त विभाग के लोगों का पूरा और असीमित नियन्त्रण है। ऐसी व्यवस्था सिर्फ अस्वाभाविक ही नहीं है बल्कि यह सेना मुख्यालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को भी कम करती है। मेरी विचारधारा के अनुसार यह दो मुख्य समस्याएं उत्पन्न करती है। पहली, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपसी अविश्वास है। आज चाहे मंत्रालय हो या सेना मुख्यालय लोग दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मुकाबले में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। मन्त्रालय के लोग फाइल चाहते हैं और इस प्रकार वे दूसरों पर नियन्त्रण रखते हैं और उससे कहते हैं कि वह अपना कार्य करना नहीं जानते। आज जो लोग देश के सुरक्षा पहलू से से सम्बन्धित नहीं हैं वे उन लोगों के ऊपर निर्णयात्मक स्थिति में बैठे हैं जो उनसे बेहतर ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार का वातावरण, चाहे जो भी सही हो, एक अविश्वास की भावना उत्पन्न कर रहा है, और एक अविश्वास का वातावरण बना रहा है। पूरा वातावरण दूषित हो गया है। मैं नहीं जानता कि जनता या मंत्री और अन्य लोग इससे अवगत हैं। किन्तु मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे विस्तार से इस पर विचार करें और देखें कि व्यवस्था में कितनी अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है जोकि कई बार बिल्कुल अविश्वसनीय होती है। अन्ततोगत्वा, किसे हानि होती है? देश को ही इससे हानि हो रही है। इससे हमारी कार्यक्षमता और कार्य करने की शक्ति, जिसकी आयेदिन चर्चा होती रहती है, उसकी हानि हो रही है। वर्तमान वित्तीय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जनता और सरकार के बीच अविश्वास की दीवार खडी हो गयी है, जबकि सरकार को चाहिए कि जनता को वह विश्वास में लें।

दूसरा मसला यह है कि अधिकार और उत्तरदायित्व में परस्पर समन्वय नहीं है। आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि अगर सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जलसेना के अध्यक्ष कुछ लाख रुपए खर्च करना चाहें, तो उन्हें मंत्रालय के पास जाने की जरूरत होती है। फाईल दिखानी होती है, तब उन्हें पैसे के लिए आदेश मिलते हैं। ये लोग अच्छे लेखपाल हो सकते हैं। लेकिन; ये लोग राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आज निर्णय तो वे लोग करते हैं, जिनके ऊपर कोई जवाबदेही की जिम्मेदारी नहीं होती। मन्त्रालय में और वित्त ब्रांच में ऐसे लोग हैं, जो सारा वित्तीय पात्र नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है, तो उन लोगों की कोई भी जवाबदेही नहीं होती।

इस व्यवस्था के तहत, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, मेरे विचार से, इस तथ्य पर बाकायदा बहस होना चाहिए। मैं कुछेक उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह इस व्यवस्था के कारण अपार धन और समय की बर्बादी हमारी सेवा क्षमता को प्रभावित करती है।

प्रथम, धन का पूरा उपयोग नहीं करना है। एक तरफ तो हम यह कहते रहते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है दूसरी तरफ धन का वर्षों तक पूरा उपयोग नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण तो वे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती। वर्ष 1989-90 के दौरान, हमने धन की कमी के बारे में विचार-विमर्श किया। फिर भी, सेना 20.08 करोड़ रुपये नौसेना 17.81 करोड़ रुपए और आयुध कारखाने 39.25 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 80 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया, जबकि हम हमेशा हाय-तौबा मचाते

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

रहते हैं कि हमारे यहां धन का अभाव है। इसी प्रकार के वित्तीय प्रबन्धन की वजह से आज हमारी सेवाएं प्रभावित होती हैं।

दूसरा मसला टैंकों को आधुनिकीकरण का है। इस पर संसद में कई बार बहस भी हो चुकी है और मैं इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन, आज की स्थिति के दो कारण हैं और ये मेरे द्वारा उठाए गए नहीं हैं और न ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी इसमें रुचि हो, बल्कि नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रपट में इनका उल्लेख किया है। इनका क्या कहना है? अनपेक्षित विलम्ब के दो कारण इन्होंने बताए हैं। पहला —"एकमुश्त मंजूरी की बजाए टुकड़ो में मंजूरी" मैंने पहले भी यह कहा है कि कुछ भी करवाना हो तो पहले फाइल पेश कीजिए? यदि अनुमोदन हो भी जाता है, तो भी आपको फाइल का आश्रय लेना पड़ता है। पुनः इससे सर्वोच्च स्तर तक जाना होता है, तत्पश्चात पुनः निचले स्तर तक इसको आना होता है, ताकि इसका परीक्षण हो सके और इस पर टिप्पणी हो सके। सवाल है कि बोस से क्या मतलब होता है? एक डेस्क अधिकारी अर्थात वह जो फाइल पर टिप्पणी लिखता है, जो फाइल पर थल सेना, नौ सेना और वायुसेना के सुरक्षा प्रस्तावों और सिफारिशों पर टिप्पणी करता है। आप जो व्यवस्था चाहते हैं, वह फाइल पर उल्लेखित होती है। तत्पश्चात् इसका परीक्षण होता है। अन्ततोगत्वा इस पर निर्णय वह अधिकारी देता है, जिसका उक्त क्षेत्रों से कोई मतलब ही नहीं होता।

टैंकों के आधुनिकीकरण में विलम्ब का दूसरा कारण यह है कि 'स्टीरिंक समिति' पहली अक्तूबर, 1985 से अब तक अपनी बैठक नहीं कर सकी है। यह भी अपने आप में एक प्रकार का नियन्त्रण है।

तीसरे उदाहरण हैं नए छोटे हथियार सेना ने वर्ष 1978 में नए प्रकार के, छोटे हथियारों की जरूरत महसूस की। साथ ही नई दूरी तक मार करने वाले हथियारों की भी। इनका अनुमोदन कब दिया गया? यह तय करने में साढ़े चार वर्ष लग गए कि किस प्रकार के बुनियादी हथियारों की खरीदारी होनी है। कारण जो भी हों आज तक ये हथियार उपलब्ध नहीं हो सके हैं, जबकि वर्ष 1978 से अब हम लोग वर्ष 1991 में प्रवेश कर चुके हैं।

दूसरा उदाहरण है कीमतों में बढ़ोत्तरी। मैंने पहले ही कई दफा कहा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी फाइल का एक लम्बा और उबाऊ सिल-सिला आरम्भ करना होता है। मैं एक उदाहरण उपभोक्ता वस्तु से दूंगा। जहां मात्रा, संख्याएं, कार्यविधियां आदि निर्धारित हैं। इसके बावजूद आपको प्रति तीमाही यह बताना होता है कि कितना डालडा कितनी कीमत पर चाहिए। इस मामले को सर्वोच्च स्तर से निचले स्तर तक की उबाऊ यात्रा करनी ही पड़ती है। इसी बीच तीन महीने लग जाते हैं। इन तीन महीनों के बीच कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रति महीना मुद्रास्फीति की दर एक प्रतिशत की गति से बढ़ती जाती है। हाल में, हाईड्रोजेनेटेड तेल की कीमत मामले पर विचार होने तक 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई। इस सौदेबाजी में अगर आपको हजार टन के आस पास खरीदना हो तो आप सोच सकते हैं कि फाइल के आने-जाने में आपको क्या कीमत देनी पड़ी। जबकि कीमत घटाने के लिए किसी भी नई तकनीक का आश्रय नहीं लिया गया है और न ही इसके लिए कोई नए विचार दिए गए हैं।

यह वही चीज है जो पहले भी खरीदी गई थी। लेकिन, अब जब खरीदी गयी, तो बढ़ी हुई कीमत पर।

इसी तरह की हालत निर्माण कार्यों में भी है। जो परियोजना आज से तीन या चार साल पहले मंजूर हुई थी, उसके वित्तीय अनुमोदन के लिए इसे मंत्रालय स्तर पर ले जाना होता है। जो लोग इस परियोजना को बनाते हैं, उन्हें यह पावर देने की बजाए उन लोगों को अधिकार दिये गये है, जो इनमें किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते और जब तक इसका परीक्षण होता है, तब तक लागत मूल्य बढ़ जाने से, कोई भी ठेकेदार इस परियोजना को लेना नहीं चाहता। तब हमें फिर निविदा देनी होती है। इस तरह की लालफीताशाही से परियोजना में देरी होती है और कीमतें भी बढ़ जाती हैं।

बहुत से और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। तब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अभिप्राय पर ध्यान दिया जाएगा। हमें गैर-व्यवसायिक लोगों द्वारा आवश्यक और अर्थहीन परीक्षण प्रक्रिया के चलते बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

मैं केवल रक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों का चयन बहुत ध्यान से किया है और उन्हें चयन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपके नीति-निर्देश दिए हैं; मार्ग-निर्देश दिए हैं; और प्रक्रिया पद्धति निर्धारित की है। बाद में संवीक्षा के लिये आपके पास लेखा परीक्षक हैं और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है, फिर भी आप चाहते हैं कि केवल रोजमर्रा के मामलों के लिए भी वे हमेशा प्रक्रियात्मक विधि से गुजरें।

यह बहुत हैरानी की बात है कि कुछ लाख रुपयों के लिए इन लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते, जबकि आप न केवल सैकड़ों बल्कि हजारों अथवा सम्भवतः लाखों करोड़ों के उपकरण, कर्मचारी किसी को 10 लाख कर्मचारी, किसी को 2 लाख कर्मचारी सौंपने के लिए तैयार हैं। जब यह कर्मचारी इस सब वस्तुओं को संभाल सकते हैं तो यह बात कैसे हो सकती है कि वे कुछ लाख रुपए नहीं संभाल सकते है? यह किस प्रकार की प्रणाली है? इस प्रणाली को सुधारने के लिए आप किस तरह से आधुनिक संकल्पनाओं और प्रबंध तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि वित्तीय प्रबन्ध और नियन्त्रण की यह प्रणाली संतोषजनक नहीं है ओर इसमें अत्यन्त सुधार करने की आवश्यकता है मुख्य स्टाक अधिकारी अथवा स्थल सेनाध्यक्ष अथवा नौ-सेनाध्यक्ष अथवा वायु-सेनाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय को किस प्रकार एक डैस्क अधिकारी रोके रख सकता है? कृपया इस पर विचार करे। यह न केवल सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्षों के सम्मान को कम करता है बल्कि जैसाकि मैंने आपको बताया है इससे हमारे देश को अत्यधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है और हमारी युद्ध क्षमता तथा तैयारी में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह आपके मेजर जरनल के रूप में अनुभव पर आधारित है?

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : मैं 36 वर्ष सेना में रहा हूं स्पष्टतया, मुझे इसमें थोड़ा अनुभव है।

इस सम्बन्ध में, मैं रक्षा मन्त्री को कार्यान्वयन के लिए दो प्रमुख सुझाव देना चाहूंगा।

पहला सुझाव यह है कि राजस्व बजट सेना अध्यक्षों को सौंप दिया जाये। उन्हें बजट में अनुमोदित प्रावधान के अनुसार इसे संभालने दें। नियन्त्रण तथा संतुलन की आपकी अपनी प्रणाली है। लेकिन

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

आपको राजस्व बजट संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आसानी से उन्हें दिया जा सकता है।

दूसरा मैं यह सुझाव देता हूं कि आप एक एकीकृत वित्त प्रणाली लायें जिससे वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित कर्मचारीगण किसी भी राशि के लिए कार्य कर सके तथा उस व्यक्ति को अपना परामर्श दे सके जो दायित्व तथा जिम्मेदारी निभा सके। फिर वे निर्णय नहीं रोकेंगे तथा समय आने पर अपने दायित्व से पीछा नहीं छुड़ाएंगें। हम सब बोफोर्स मामले में वित्त मन्त्रालय के रवैये से परिचित हैं जिसमें यदि कुछ गलत हो जाता है तो कोई दूसरा ही उत्तरदायी है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए कृपया इन लोगों, इन विशेषज्ञों, सलाहकारों को सेनाध्यक्षों के साथ, तथा उनके पी० एस० ओज के साथ सम्मिलित करें तथा उन्हें जहां आप भेजना चाहें वहां भेजें। उन्हें अपनी विशेषज्ञता का सार्थक तरीके से उपयोग करने दें न कि विघटनकारी तरीके से।

मेरा सुझाव न केवल लागत तथा समय के सन्दर्भ में लाभकारी होगा बल्कि इससे अत्यन्त स्वस्थ वातावरण बनेगा। जैसाकि मैंने कहा आज हर जगह एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। इसलिये यदि आपके पास एक ऐसी प्रणाली है जिससे परस्पर विश्वास तथा परस्पर भरोसा पैदा हो, जब लोगों को पता चले कि एक विशेष कार्य के लिए व्यक्तियों का यह समूह उत्तरदायी तथा जिम्मेदार है तो मुझे विश्वास है कि इससे कार्य अधिक अच्छे तरीके से चलेगा।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि हम इस नई विचारधारा की इस प्रणाली, जिससे अनेक वर्षों पूर्व जो कुछ मैकनमरा ने अमरीकी सेना पर किया था, से सबक ले सकते हैं। उन्होंने इस विचारधारा को पूर्णतः नया रूप दिया जोकि एक प्रकार से बहुत ही साहसिक तथा सोच-विचार वाला कार्य होने के साथ-साथ पूर्णतः नया और स्फूर्तिदायक था। यदि हम इस लीक से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें हमने अपने आपको वर्षों से फंसा रखा है तो हमें भी यही करना होगा। हम इस प्रणाली में फंस चुके हैं। हमें इससे बाहर निकलना है। अब, मैं कुछ अन्य मुद्दे पर आऊंगा।

श्रीमान्, आजकल सेनाओं की युद्ध क्षमता की बात करने का फैशन हो गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं, उन्हें कई बार इस बात की जानकारी नहीं होती कि इसमें क्या सम्बद्ध है अथवा इसमें क्या अर्न्तनिहित है। धन की दृष्टि से बजट में वृद्धि से ही हम प्रसन्न तथा संतुष्ट हो जाते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि लागत के बढ़ने से तथा मूल्यों के बढ़ने से वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है। थोड़ा अधिक धन प्रदान करने से आज हमारा देश बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है कि उसने देश की रक्षा के लिए अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया तथा सोचते है कि यहां लागत नियन्त्रण में है, युद्ध क्षमता है, लोगों का मनोबल ऊंचा है और सब कुछ ठीक-ठाक है।

सज्जनों, ऐसा नहीं है। कुछ मशीनें दे देने से अथवा कुछ आयुध प्रणालियां दे देने से ही प्रभावी तरीके से युद्ध नहीं किया जा सकता या सेना के उत्साह में कोई वृद्धि नहीं होती। यह मनुष्य और मशीन के सम्मिश्रण से होता है न कि अकेले ही मनुष्य अथवा मशीन से अपितु मनुष्य और मशीन के सम्मिश्रण का प्रतिफल होता है। युद्ध के निर्णायक क्षण में मनुष्य ही महत्वपूर्ण होता है। अतः यदि आप इन मनुष्य और इसके मनोबल को समझ सकते हैं, कि मनोबल कैसे प्रभावित होता है तब अस्त्र-शस्त्र अच्छे न होने

पर भी वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। आप जानते ही हैं कि पुराने बमवर्षकों ने 1969 और 1971 में किस तरह अच्छा प्रदर्शन किया था अत: मनुष्य ही महत्वपूर्ण होता है। अत: सज्जनों जब आप प्रभावी तरीके से युद्ध करने की बात करे तब आप कृपया जवानों के मनोबल के सम्बन्ध में भी सोचें और उस दृष्टिकोण से विचार भी करें।

मैं आज जवान और उसके मनोबल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से बताना चाहता हूं। हमें यह समझना चाहिए कि आज जवान समाज से अलग नहीं है जहां आप इसे पूर्णरूपेण अनुशासित, ईमानदार स्पष्टवादी तथा युद्ध स्थिति में राष्ट्र निमित्त के लिए तत्पर होने अपेक्षा करते हैं। हम जानते है कि आज के समाज में हम किस वातावरण में जी रहे हैं। आज हर कोई जल्दी से जल्दी धनी हो जाना चाहता है चाहे किसी भी माध्यम से क्यों न हो। जब यह जवान अपने गांव जाता है तब उसे अपना काम करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। उसे भ्रष्टाचार के दलदल से गुजरना पड़ता है। अत: आप उससे हर स्तर पर खरा उतरने की वह अपेक्षा नहीं रख सकते जो वर्षों पहले थी वह भी प्रभावित होता है, वह की समाज से सामाजिक वातावरण से, जिसमें वह रहता है, प्रभावित है।

तब भी हमारे समाज में आशा की कोई किरण है राष्ट्रीय एकता का स्रोत है, तुच्छ वस्तुओं से ऊपर उठने की कोई बात है तो वह इन्हीं सेवाओं में हैं, फौज में है, इन जवानों में है जो देश के हर भाग में रहते हैं। वे साथ रहते हैं, साथ खाते हैं और यदि राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी तो साथ रहते भी हैं। तो हमें वह समझना होगा कि वे भी समाज से प्रभावित होते हैं। अत: हमें उसकी कुछ आवश्यकताओं को, किंचित मानसिक तथा आज के वातावरण से उसकी जो मानसिक शांति वह भी प्रभावित होती है, हमें इसकी भी देखभाल करनी चाहिए।

मैं अब कुछ ऐसे मुद्दे उठाऊंगा जिनसे इन सेवाओं के लोगों का मनोबल गिरता है। यह दुखद सत्य है कि हम अपने जवानों की देखभाल वास्तव में ठीक से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से ये अपनी युवावस्था दुर्गम इलाकों और कठिन परिस्थितियों में राष्ट्र को अर्पित करते हैं हमें इनका आभारी होना चाहिए। युद्ध से पहले, युद्ध के दौरान, देश जवानों को हर तरह का सहयोग प्रदान करता है। उसे हर प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, किन्तु ज्योंही युद्ध समाप्त होता है, समस्याएं समाप्त होती हैं तथा शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित हो जाती है ईश्वर की तरह उसे भी विस्मृत कर दिया जाता है। यह ठीक बात है कि हर युद्ध के उपरान्त जवानों का महत्व कम हो जाता है। यही वह पुरस्कार है जो उन्हें प्राप्त होता है।

इस तरह का दृष्टिकोण ठीक नहीं। हमें युद्ध का सामना लम्बे समय तक नहीं करना पड़ा है, किन्तु जब ऐसा होता है तब रातों रात कोई प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती है। अत: हमें अपने जवानों का देखभाल ठीक से करना चाहिए।

पहला मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा वह है सेवानिवृत्ति के उम्र का इस मुद्दे को अब 'समान पद समान पेंशन' के रूप में लिया है जिस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इस बात को जानते हैं कि ये लोग 30 की उम्र में ही सेवा निवृत्त होना प्रारम्भ कर देते हैं। उस व्यक्ति की दशा की कल्पना कीजिए जो 30 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है। हमारे देश में ही एक स्वस्थ व्यक्ति 70 वर्ष तक जिन्दा रहता है। अब तक इन व्यक्तियों को 35 से 40 वर्षों तक बिना किसी नियोजन के रहना पड़ता है। क्योंकि, जब हम अपने युवा वर्ग को नियोजित नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य इन तथाकथित

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

सेवानिवृत लोगों को नौकरी क्यों देगा, यद्यपि ये 30 वर्ष में ही सेवानिवृत हो गये हैं। यह व्यक्ति दरिद्रता विपन्नता और एकाकी मृत्यु मरता है, जिसके बच्चे कहीं नहीं लगे और ना ही अपने लिए घर बना सका या तो वह 30-40-45 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गया अथवा उस पर सेवानिवृत्त की मुहर लगा दी गई। मैं वैसे गिनती के कुछ व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 50 की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होते हैं बल्कि थल सेना के अधिसंख्य लोगों की बात कर रहा हूं।

यह रिपोर्ट रक्षा सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि प्रतिवर्ष 50 हजार लोग इन सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे है। ये 50 हजार सुप्रशिक्षित तथा स्वनुशासित होते हैं। उनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं किन्तु उनका उपयोग राष्ट्र नहीं कर पाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम क्यों इन प्रशिक्षित और अनुशासित जनशक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। इस पर बहुत तरह के अध्ययन किए गये। सेना-मुख्यालयों ने अनेक प्रकार के सुझाव दिए। किन्तु इन दिनों कोई भी किसी तरह की पहल नहीं करना चाहता और निर्णय नहीं लेना चाहता।

मान्यवर, ये लोग 35-40 वर्षों तक सेवा के लिए उपलब्ध हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि आप इन्हें पुनर्वास दें, आपको अनुशासित कार्मिक भी प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक कि आपकी वित्तीय बचत भी होगी क्योंकि जब ये लोग सरकारी काम या अर्द्ध-सरकारी कार्य में लगते हैं इनके पेंशन की राशि इनके वेतन में जुड़ती हो और कदाचित अन्य बातों के अलावा राष्ट्र की भी बचत होती है।

हम समान रैंक समान पेंशन की बात करते हैं। शायद यह बात भी महत्वहीन होकर रह जायेगी मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि हम इस पर वास्तविकता को ध्यान में रख कर क्यों नहीं सोचते हैं। यह मुद्दा काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यह सब कह रहा हूं। सेवा मुख्यालयों ने ऐसे कई प्रस्ताव रखे हैं, मैं समझता हूं कि मन्त्रालय ने भी ऐसे प्रस्ताव रखे हैं। परन्तु समस्या क्या है? इन मुद्दों को हल क्यों नहीं किया जाता है? हम नये निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? हम आम निर्णयों से ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? मैं यह नहीं समझ पाया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपकी इच्छा यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल सेवा में ज्यादा स्थान आरक्षित किये जायें?

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जवान जो सेना में भर्ती होता है उसके लिए 58 वर्ष की आयु तक भारत सरकार को नौकरी सुनिश्चित करनी चाहिए। यही मैं चाहता हूं। मैं उन अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं जो 35 या 40 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त हो जाते हैं और फिर उन्हें करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है अतः सरकार को यह वायदा करना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति थल सेना या नौसेना या वायु सेना में भर्ती होता है तो सरकार को उसके लिए 58 वर्ष की आयु तक नौकरी सुनिश्चित करनी चाहिए चाहे आप उसे कहीं भी सेवा करने के लिए भेजें। हमें यह समझना चाहिए।

हमारे इस तर्क में कुछ दम होना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कुछ सच्चाई होनी चाहिए। हमारे यहां कई अर्ध-सैनिक बल हैं और कितने ही स्थानों पर तैनात हैं, जहां वे अपनी सेवा दे सकते हैं। आप उनकी विशेषज्ञता का उपयोग कीजिए। एक उचित व्यवस्था का निर्माण कीजिए। आज ऐसी व्यवस्था की कमी है।

अब हम समान रेंक समान पेंशन की बात करेंगे। यह बहुत ही ज्वलन्त विषय है। इस सम्बन्ध में सभा में काफी गर्मा-गर्मी भी रही है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कुछ अन्य उलझनों को स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में गलतफहमियां चल रही हैं। अतः चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें लेकिन जब हम समान रेंक समान पेंशन की बात करते है तो कुछ लोग उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात करते हैं और कोई कहते हैं कि निर्णय का इन्तजार किया जाए।

जब एक व्यक्ति सेवा में आता है तो वह अपनी जवानी दाव पर लगा देता है। लेकिन उसे बिना किसी भी गलती के सेवा-निवृत्त कर दिया जाना है। वह जाता नहीं चाहते हैं लेकिन आप उन्हें 30 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त कर देते हैं। फिर आप उसकी तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो आमतौर पर 58 वर्ष आयु में सेवा-निवृत्त होता है लेकिन यह व्यक्ति तो 30 या 40 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होता है। यह कहा जाता है कि यदि इन लोगों की पेंशन में वृद्धि की जायेगी तो जो व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होते हैं वह भी इसकी मांग करेंगे। यह बहुत ही तर्कहीन बात है। आप इन्हें भी 58 वर्ष में सेवा-निवृत्त करें। मैं समझता हूं कि वह फिर नहीं कहेंगे। वह इसके लिए क्यों कहेंगे? वह तो 58 वर्ष तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

आप कृपया इस व्यक्ति को समझिये। 30 या 35 वर्ष की आयु में वह सेवा-निवृत्त हो रहे हैं। उसके बच्चे जवान होते हैं। जब वह सेना में सेवा कर रहे होते हैं तो उनके पास घर नहीं होता है। आज उन्हें यह शानदार सेवा करते हुए 17 वर्ष हो चुके हैं। इन 17 वर्षों में वह एक घर का भी निर्माण नहीं करा पाये होंगे। जब माता-पिता जाते हैं तो उनके बच्चे उन्हें 'चाचा' कहते हैं। उन्हें तो शायद यह भी पता नहीं होता है कि यह सज्जन जो वर्ष में एक बार घर आते हैं कौन हैं। यह व्यक्ति अपनी घरेलू समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप इस व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से करना चाहते है जो पूरी तरह से इन 30-40 वर्षों के सेवा काल में अपने परिवार के साथ रह रहा है। उन्हें पूरे सेवा-काल में अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत है फिर भी आप तुलना करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। फालतू में ही कोई मुद्दा नहीं उठाईये। यह मेरा अनुरोध है। एक जवान को चाहे आप कुछ भी नाम दें उसे उसका मुनासिब देय पैसा जरूर दीजिए उन्हें एक अच्छी जीवनशैली के साधन उपलब्ध कीजिए ताकि वह कह सकें कि राष्ट्र उनकी परवाह करता है और राष्ट्र उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा है। कृपया उन्हें इस तरह की जीवनशैली के साधन उपलब्ध कीजिए। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।

ये सभी जवान लोग है। उन्हें सेना में प्रशिक्षण दिया गया है। हमने उनके प्रशिक्षण पर इतना अधिक धन खर्च किया है और यह 17 वर्ष का सेवाकाल इस तरह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः, मेरा सुझाव है कि यह समान रेंक समान पेंशन वाली बात दलगत भावनाओं से परे होनी चाहिए। हमें इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। जो भी इसका श्रेय लेना चाहता है उसे यह श्रेय लेने दीजिए।

मैं उन लोगों से भी मिला हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेवा-निवृत्त हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य-विघटन कर दिया गया। उन्हें क्या पेंशन मिल रही है? यह केवल 300 रुपये है अर्थात 10 रुपये एक दिन के क्या यह उचित है? वे दयनीय सेवा-निवृत्त जीवन जी रहे हैं। वे परेशानी में है। वे राष्ट्र से क्षुब्ध और असंतुष्ट हैं।

जब चर्चा हो रही थी तो मैंने यह बात कही थी। मेरा सभा में सभी व्यक्तियों से विनम्र अनुरोध है कि यहां कुछ ही लोगों के लिए अनुशासन की बात की जाती है। कृपया उन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं कीजिये। यदि ये लोग सड़कों पर आ गये तो हमारे राष्ट्र की हालत बिगड़ जायेगी। क्योंकि

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

इसमें तो भूतपूर्व सैनिक ही शामिल नहीं हैं बल्कि सेवारत लोग भी शामिल हैं क्योंकि उन्हें भी कल सेवा-निवृत्त होना है। वह यह अच्छी तरह से जानते है। इसलिए कृपया इन अनुशासित लोगों के हाल ही में सेवा-निवृत्त होने वाले दस्ते को भी अनुशासन से विमुख न होने दें। इससे आप इस राष्ट्र का बहुत अहित ही करेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : लोगों का पिछला समूह ?

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : खैर, महोदय, यह बोधात्मक है। जहां कही भी गड़बड़ी होती है वहां आप एक अनुशासित बल चाहते हैं। आप सेना भेजते हैं। यदि आपके पास कोई और होता है तो आप उसे भी भेजते हैं। (व्यवधान) खैर, मेरी अंग्रेजी भी कमजोर हो सकती है। लेकिन यहां यह कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों का समूह ही अनुशासित है। मेरा अनुरोध यह है कि उन्हें यूनियनबाजी, श्रमिक संगठनों और झण्डेबाजी से तथा सड़क के ऊपर आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

मैं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से यह नहीं कह रहा हूं। मैं तो राष्ट्र के हित में यह कह रहा हूं कि यह अच्छा नहीं है।

अब अगली बात आवास के बारे में है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बोला था। यह पुनः एक बड़ी समस्या है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या रक्षा मन्त्री वास्तव में सेना की इस समस्या से अवगत हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं इस बात को ठीक प्रकार से व्यक्त कर पा रहा हूं लेकिन इस सम्बन्ध में हालत बहुत खराब है। नियमों के अनुसार 100 कर्मचारियों में से 14 कर्मचारी विवाहित कर्मचारियों वाले आवास की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह कब निर्धारित किया गया था? यह ब्रिटिश शासन के दौरान निर्धारित किया गया था। और उस समय सक्रिय सेवा काल कितना था? यह सात वर्ष था। उन दिनों संयुक्त परिवार होते थे, ग्रामीण जीवन था और कोई शहरीकरण नहीं था। लेकिन आज जबकि सारा माहौल बदल चुका है और फिर भी हमारे यहां केवल 14 प्रतिशत ही विवाहित आवास है। और आज तो 14 प्रतिशत विवाहित आवास भी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आवास की उपलब्धता की प्रतिशत क्या है? यह 66 प्रतिशत है। आज शान्ति वाले स्टेशनों पर 8.4 प्रतिशत कर्मचारियों को विवाहित आवास मिलता है। तीन वर्षों के लिए वे सियाचिन क्षेत्र में सेवा करेंगे और अन्य दो या तीन वर्षों तक शान्ति वाले स्टेशनों और कहीं और जगह सेवा करेंगे। जहां तक शान्ति वाले स्टेशनों की बात है 100 में से केवल 8 कर्मचारियों को विवाहित आवास मिलता है। सेना में आज क्या होता है? कमान अधिकारी अपने कर्मचारियों को केवल आठ या दस महीनों के लिए विवाहित आवास दे सकता है फिर परिवारों को वापस भेजना पड़ता है। इसलिए अपने सेवा काल में वह केवल इतने समय के लिए ही अपने परिवार के साथ रह पाता है। खुशकिस्मती से कभी छह वर्षों में एक बार या लगभग एक वर्ष।

इसके अलावा इन कर्मचारियों को आंतरिक सुरक्षा कार्यों पर भेजा जाता है। कभी कहीं बाढ़ आती है और कहीं दंगे होते हैं या कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है तो उसे अपना बिस्तर बांधना होता है और जाना होता है यहां तक कि उन्हें इसके लिए भी समय नहीं मिलता है। जब हम युद्ध की प्रभावशीलता के बारे में बात करते हैं। तो हम ऐसे कर्मचारियों की बात करते हैं और इस तरह की नैतिकता वाले कर्मचारियों की बात करते हैं। इसलिए कृपया इन बातों का ताल-मेल बिठाने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है कि इसमें काफी अधिक व्यय आता है। लेकिन यदि आपको कम से कम इस बात की जानकारी हो तो आप कोई दिशा ग्रहण करेंगे और फिर हमें इस बात की सन्तुष्टि हो सकती है कि इसमें

सुधार का प्रयास चल रहा है। यदि आप यहां सुधार नहीं कर सकते हैं तो आप जहां कर सकते हैं वहां तो सुधार कर सकते हैं। हमें उसे बताना चाहिए कि हम उसकी समस्याओं को समझते हैं। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह बहुत समृद्ध है और उसे ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही वह व्यक्ति है जो आपके लिए जंग जीतता है।

अगली बात सेना का गलत उपयोग करने के बारे में है। सज्जनों, हमारे देश की परम्परा रही है कि चाहे कोई भी सरकार हो, मिली-जुली हो या बगैर मिली-जुली, छोटी सी बात पर भी सेना की सेवाएं ली जाती हैं और इसे सेना सम्भालती है। यदि कोई समस्या आती है तो राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार कहती है कि सेना को जाना चाहिए। यह रवैया कई बार देखा गया है। यह ठीक नहीं है। आप सेना को ऐसे कार्य में लगा रहे हैं जिसके लिए न तो सेना को प्रशिक्षण दिया गया है न ही यह उनके प्रशिक्षण और नैतिकता के लिए अच्छा है। आप उन्हे उस क्षेत्र में फेंक रहे हैं जिसके वे आदी नहीं हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं।

सेना के दो गलत इस्तेमाल किये जाते हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहला तो यह कि आप राजनैतिक गलतियां ठीक करना चाहते हैं, पंजाब में 'ब्लू स्टार' और श्रीलंका में 'आई० पी० के० एफ०' इसके उदाहरण है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और कहूंगा। ठीक है मजबूरियां हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि कोई फैसला करने से पहले आपको काफी सोच विचार कर लेना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये निर्णय युद्ध में लिए गए निर्णय जैसे हैं आप सेना को श्रीलंका जाने के लिए कहते हैं—क्योंकि वहां कोई समस्या है और बगैर यह देखे कि बाद में क्या होगा वहां जाने के लिए कह दिया जाता है। हम वहां डंडे ले गए और बाद में हमें कहा गया कि फलां-फलां चीज ले जाओ। और फिर तो यह एक प्रमुख वचनबद्धता का रूप ले लेती है। इसलिए सशस्त्र सेनाओं के उपयोग की इस प्रकार की राजनैतिक गलती काफी विचार-विमर्श के पश्चात करें न कि लापरवाही से।

सेना का दूसरा गलत उपयोग सिविल अधिकारियों की सहायता करवाना है। ऐसी कई मिसालें हैं लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा जिस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए इस देश में कई वर्षों से बाढ़ आती है। लेकिन आज भी जहां कहीं बाढ़ आती है सेना को हर बार बाढ़ राहत कार्यों के लिए तैनात कर दिया जाता है। राज्य सरकार उन उपकरणों को भी नहीं खरीदती है जिनकी जरूरत होती है। वे अपनी नावें तक नहीं खरीदते हैं क्योंकि सेना अपनी नावें ले आएगी। वे अपने लोगों की भी सहायता नहीं लेते हैं क्योंकि वहां सेना मौजूद है। ऐसा क्यों होता है? आप राज्य सरकार को यह क्यों नहीं कहते हैं कि वह इस सम्बन्ध में अपने संगठन बनाए और उपकरण रखे क्योंकि बाढ़ तो उस क्षेत्र में बार-बार आती रहती है।

वे क्यों सेना के उपकरणों का प्रयोग करना चाहते हैं जोकि केवल युद्ध के लिए हैं? यह रास्ता काफी लम्बे समय से अपनाया जा रहा है। सेना आसानी से उपलब्ध है। सेनाएं वहां जाती हैं और लोगों को बचाती है। उन्हें प्राप्त अनुशासन और प्रशिक्षण के बल पर निष्ठापूर्वक अच्छा कार्य करते हैं और प्रशासन यह महसूस करता है कि जब सेना आसानी से उपलब्ध है तो और लोगों को प्रशिक्षित करने की क्या आवश्यकता है। महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सेना का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह बताया जाना चाहिए कि यदि उनको बार-बार कोई ऐसी समस्याएं आ रही है, तो वे अपना कोई प्रबन्ध करें। अन्यथा, यह उपयुक्त नहीं होगा और यह सेना के प्रति अन्याय है। यह पिछले 44 वर्ष से चल रहा है। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के हैलीकाप्टरों के उतरने के स्थान पर

[श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी]

सुरक्षा जांच के सम्बन्ध में भी यही होता है। सैनिक अभियन्ताओं को अपना कार्य करने को कहा जाता है, लेकिन उनके पास उपकरण नहीं हैं। फिर भी इन्हें कहा जाता है कि किसी तरह काम करो और वे कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन यदि कोई गलती हो जाती है तो उनको जिम्मेवार ठहराया जाता है। उन लोगों को जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया जाता है जो सबसे पहले उस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं ? यदि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और यदि सेना की आवश्यकता प्रायः जब तब पड़ती है तो उन्हें स्वयं इसका प्रबन्ध करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें इसके लिए सही ढंग से तैयार किया जाना चाहिए और उनको अपेक्षित उपकरण तथा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

अनेक ऐसे पहलू हैं जोकि रक्षा सेनाओं के मनोबल को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं इस विषय पर और अधिक नहीं कहना चाहूंगा। एक अन्तिम बात जो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा वह है भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण। आज भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के विषय को राज्य सूची में शामिल किया गया है और इसे महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।

मैं केवल कुछ क्षेत्रों की ऐसी बातों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिससे रक्षा निधि प्रभावित होती है। हम सब जानते हैं कि रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां तक कि सेनाओं को उनकी सहायता के बारे में विशेषकर कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, स्थिति अच्छी नहीं है। कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं होती है। हम 'आकाश' 'पृथ्वी' तथा ऐसी ही कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनते हैं। यहां वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका ध्यान केवल उसी पर केन्द्रित है उस अच्छे कार्य के लिए उनको बहुत प्रचार और शाबाशी मिली है। परन्तु छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए, यदि हमें एक छलावरण जाला अथवा किसी ऐसे ही छोटे उपकरण की आवश्यकता है तो वह हमें वर्षों तक नहीं मिलता है। दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए, जो तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कार्य समय पर होता है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पहलू पर विस्तृत रूप से विचार किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो उनकी कार्यप्रणाली वित्तीय प्रबन्ध, तथा विभिन्न क्षेत्रों में निधि के उपयोग इत्यादि पर के बारे में नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा एक विशेष लेखापरीक्षा करवाई जाए। मैं इस पहलू पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन यदि आवश्यकता हो तो मैं इस पर और आगे ब्योरा दूंगा।

मेरा अगला विषय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा महानिदेशक, आयुद्ध कारखाना के बारे में है। इन पर भी रक्षा कोष का बहुत अधिक भाग खर्च होता है। मेरी आपत्ति केवल इस बात पर है कि सेनाओं द्वारा उन्हें अधिमान्य अदायगियां क्यों की जाती है। कुछ अन्य संगठनों की कुव्यवस्था और कम उत्पादन के लिए सेनाओं को क्यों भुगतान पड़े ? यदि बाजार में मुझे पेंसिल कम दाम पर मिल रही है तो मुझे उसे वहां से खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिस्पर्द्धा होने दो। अब सरकार प्रतिस्पर्द्धा और इसी प्रकार की बातें कर रही है। मुझे उम्मीद है प्रतिस्पर्द्धा के इस पहलू को इस क्षेत्र में भी लाया गया है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा आयुद्ध फैक्टरियों के महानिदेशालय को उत्तरदायी ठहराया जाता है तथा यहां कोई अधिमान्य मूल्य भी नहीं होने चाहिए। मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। इस तरीके से सेनाएं अपना काफी धन बचा सकेंगी। इसके लिए फिर से बहुत से अन्य निवेशों की आवश्यकता है लेकिन यहां मैं उन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहूंगा।

यहां कुछ विविध विषय हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसका गठन 24 अगस्त, 1990 को हुआ था। इसके बाद हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आज सुबह, मैंने 300 टैंकों के मामले को उठाना चाहा था जो कि साऊदी अरब से पाकिस्तान ने प्राप्त किए हैं। यदि हमारे पास कार्यात्मक कार्यकारिणी निकाय होता तो हमने शायद इस बात का पूर्वानुमान लगा लिया होता और उसे उसकी खुफिया रिपोर्टें मिल गई होतीं। लेकिन मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कोई कार्य कर भी रही है अथवा नहीं। मुझे नहीं पता कि सरकार टैंकों की जानकारी है शायद, रक्षा मन्त्री हमारे साथ इस सूचना में भागीदार बनेंगे। क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान टैंक प्राप्त कर रहा है। यदि उन्हें पता था, तो उन्होंने क्या पूर्व-रक्षात्मक उपाय किए ? क्या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की अथवा क्या उन्होंने विरोध प्रकट करने की कोशिश की है, अथवा क्या उन्होंने वह सब कुछ किया है जो उन्हें करना चाहिए था ? यदि वे इस बारे में नहीं जानते हैं तो यह हमारा किस प्रकार का खुफिया तंत्र है, जहां समाचार पत्र तो सूचना प्राप्त कर लेते हैं लेकिन सरकार नहीं प्राप्त कर सकती ? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सजावट के सामान की तरह रखने के लिए नहीं बनाया गया हैं, सिर्फ इतना कहने के लिए कि हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। यहां एक कार्यात्मक संगठन होना चाहिए। निम्न स्तर पर हमारे पास संगठनों की विभिन्नता अवश्य है। लेकिन यहां एक ऐसा निकाय भी होना चाहिए जोकि मुख्य राष्ट्र के प्रमुख मुद्दों पर नजर रखे। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे कार्यात्मक बनाया जाए। हमें सूचित किया जाए कि यह किस स्थिति में है ताकि पता चल सके कि वे क्या कर रहे हैं और उनको क्या कार्य दिया गया है।

अब मैं अरुण सिंह रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या हुआ। मैं समझता हूं कि उस पर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको स्वीकार किया गया है अथवा नहीं। इस रिपोर्ट में क्या मुख्य सुझाव और सिफारिशें हैं? हमें कृपया इस बारे में बताया जाए।

मैं आशा करता हूं कि आठवीं योजना को जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और कार्यान्वित कर दिया जायेगा। जब सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिया गया था तो मैं उस समय सेना में था। यह हमारे लिए बहुत बड़ा मजाक था। हमने दर्जनों विकल्प बनाये लेकिन सेना मुख्यालय और सेवा मुख्यालय ने सिवाय योजना बनाने के कुछ भी नहीं किया। उनकी सारी विशेषज्ञता और समय जो कि युद्ध की तैयारी के प्रयोजन के लिए उपयोग की जानी चाहिए थी—उसे निष्फल योजना की तैयारी के लिए बेकार किया गया। मैं समझता हूं कि यही सब आठवीं योजना के सम्बन्ध में नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि कम से कम सेना को समय पर योजना दें क्योंकि उनकी आयोजना के सम्बन्ध में काफी सोच विचार करना पड़ता है और इससे पहले कि यह सब कार्यान्वित हो काफी समय खत्म हो जाता है।

अन्त में, मैं विश्व राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सोवियत संघ की स्थिति के बारे में ध्यान दिये जाने की जरूरत है। हमें यह देखना चाहिए कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं तो कहूंगा कि यह वह समय है जब हमें चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए। क्योंकि इन मसलों की वजह से काफी पैसा व्यय होता है और यदि हमें अपनी-अपनी आधी समस्याओं के समाधान की भी आशा हो, तो हमें

जरूर प्रयास करना चाहिए ताकि यह धन जिसका वहां इस्तेमाल किया जा रहा है—उसका फायदा कहीं और उठाया जा सके।

अन्त में, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।"

सेना कर्मियों को प्रशिक्षण देते समय संविधान की मूल विशेषताओं जैसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य के सम्बन्ध में बल दिये जाने की आवश्यकता। (8)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाए।"

आवश्यक सेवायें बनाये रखने के अलावा जहां तक सम्भव हो सके प्रशासनिक और असैनिक कार्यों के लिए सेना कर्मियों को तैनात न करने की आवश्यकता। (9)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

विशेषकर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को लाभप्रद स्वनियोजन के लिए संसाधन और धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता। (16)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सेना कर्मियों के लिए एक रेंक-एक पेंशन के सिद्धान्त को स्वीकार करने और उसे लागू करने में असफलता। (19)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रक्षा उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाये जाने की आवश्यकता। (57)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रक्षा सेवाओं के कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता। (58)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रक्षा कर्मियों की आवासीय योजना के लिए और अधिक धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (10)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रक्षा कर्मियों के वेतन तथा पेंशन के बढ़ते हुए बोझ के प्रभाव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता। (11)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बड़ी संख्या में कम आयु में सेवा-निवृत्त होने वाले प्रशिक्षित और अनुशासित रक्षा कर्मियों के उपयोग में लाने के लिए लागत के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता। (12)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बचत की जा सकने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए रक्षा व्यय की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता। (13)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक-एक पेंशन" स्वीकार करने की आवश्यकता। (14)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए "समान रैंक समान पेंशन" योजना लागू करने में असफलता। (15)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

रक्षा कर्मियों के मामले में पेंशन की परिवर्तित राशि 15 वर्षों के बजाव 10 वर्ष के पश्चात बहाल करने की आवश्यकता। (17)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

रक्षा कर्मियों के लिए समान रैंक समान पेंशन का सिद्धान्त स्वीकार करने की आवश्यकता। (18)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

आगरा स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो का विस्तार तथा आधुनिकीकरण किए जाने जाने की आवश्यकता। (26)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

आगरा में आयुध कारखाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (27)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

आगरा स्थित आयुध डिपो तथा सेना बम कार्यशाला के कर्मचारियों के लियें सरकार आवास उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (28)

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

आन्ध्र प्रदेश के इड्डुमयालरम में पूर्ण आयुध कारखाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (29)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में बल्लापुर गांव के उन हरिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता जिनकी भूमि रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए अर्जित की गयी हैं। (30)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

देश की सुरक्षा के लिए एक परमाणु बम बनाये जाने की आवश्यकता। (31)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

आंध्र प्रदेश, में 'डी० एच० ए० आर० ए० टी०', 'आई० एम० ए० आर० टी०', 'बी० डी० एल०' तथा 'एम० आई० डी० एच० ए० एन० आई०' में स्थानीय लोगों को भर्ती किए जाने की आवश्यकता। (32)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में डी० एम० आर० एल०, डी० एल० आर० एल०, बी० आर० एल०, बी० डी० एल०, 'एम० आई० डी० एच० ए० एन० आई', आई० एम० ए० आर० टी० तथा सी० आर० पी० एफ० जैसी विभिन्न स्थापनाओं द्वारा क्षेत्रों के लिए एक छावनी क्षेत्र बनाने की आवश्यकता। (33)

"कि रक्षा आयुध कारखाना शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

हैदराबाद छावनी बोर्ड के अन्तर्गत भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने की आवश्यकता। (34)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सिविल प्रशासन की सहायता करने के लिए बार-बार सेना लगाने से बचे जाने की आवश्यकता। (36)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

राजस्थान में, विशेषकर बून्दी जिले में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार की प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (37)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

सेना को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (38)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

विकलांग रक्षा कर्मियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (39)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

छावनी क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के लिए और अधिक मकान बनाये जाने की आवश्यकता। (40)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

राजस्थान के नाजीराबाद छावनी बोर्ड के सैनिकों को और अधिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (41)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश की रक्षा के लिए परमाणु बम बनाये जाने की आवश्यकता। (42)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये जायें।"

सैनिक कल्याण बोर्डों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता। (43)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश के युवकों को रक्षा दूसरी पंक्ति के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता। (44)

"कि रक्षा सेवाएं—वायु सेना शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 10C रुपये कम किये जाएं।"

भारतीय वायुसेना को 'आवाक्स' से सुसज्जित करने की आवश्यकता। (48)

"कि रक्षा आयुध कारखाने शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

राजस्थान में एक आयुध कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता। (49)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा पेंशनें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'समान रैंक' योजना को लागू करने में असफलता। (45)

"कि रक्षा पेंशनें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सरकार द्वारा 13 अक्तूबर, 1990 को रक्षा पेंशन भोगियों के लिए स्वीकृत तदर्थ पेंशन वृद्धि को बनाये रखने में असफलता। (46)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन योजना लागू करने में असफलता। (59)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा पेंशन में 13 अक्तूबर, 1991 को स्वीकृत की गई तदर्थ वृद्धि को बहाल करने में असफलता। (60)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

भारतीय सशस्त्र सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता। (70)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश की रक्षा के लिए अणु बम्ब का निर्माण करने की आवश्यकता। (71)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

अच्छे सैनिक भर्ती करने के लिए राजस्थान में जवाजा, ब्यावर, टीडागढ़, भीम, अजमेर, नसीराबाद और मसूदा स्थानों पर और अधिक भर्ती मेलों का आयोजित करने की आवश्यकता। (72)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

अजमेर रेजीमेंट और मरकेड़ा बटालियन का पुनर्गठन करने तथा रावत/मेहरात जैसी लड़ाकू जातियों के और अधिक व्यक्तियों की भर्ती करने तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की आवश्यकता। (73)

"कि रक्षा मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

निर्णय लेने में सैनिक अधिकारियों तथा रक्षा विशेषज्ञों को सम्मिलित करने और इस प्रक्रिया में नौकरशाही का हस्तक्षेप कम करने की आवश्यकता। (74)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और रक्षा कर्मियों को समग्र प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (75)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में बढ़ते हुए आतंकवाद, साम्प्रदायिक दंगों और अराजकता को रोकने के लिए सशस्त्र सेनाओं के अन्धाधुन्ध तथा लगातार प्रयोग को रोकने की आवश्यकता। (76)

"कि रक्षा पेंशनें शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" की योजना को कार्यान्वित करने में असफलता।" (77)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

अजमेर, नसीराबाद, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर छावनियों में रक्षा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त 'मेस' सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (78)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

छावनियों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की आवश्यकता। (79)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

छावनी बोर्डों में जन-प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए छावनी बोर्डों के समय पर चुनाव कराये जाने की आवश्यकता। (80)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

देश की सीमाओं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा पट्टी के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को बसाए जाने की आवश्यकता। (81)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

वायु सेना तथा नौसेना को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता। (82)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपए कम किए जायें।"

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कार्यचालन को सुदृढ़ करने तथा सुचारू बनाने और उसके शैक्षणिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता। (83)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले घोषित तथा सभी दलों द्वारा स्वीकृत और काफी लम्बे समय से की जा रही "एक रैंक एक पेंशन" योजना को लागू करने की आवश्यकता। (86)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पाकिस्तान, चीन तथा बंगला देश के साथ हुए युद्धों और श्रीलंका में सैनिक कार्यवाही के दौरान मारे गये, निशक्त अथवा विकलांग हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों को विशेष पेंशन दिए जाने की आवश्यकता। (87)

"कि रक्षा सेवाएं—थल सेना शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्डों को मजबूत बनाने तथा उन्हें अधिक कार्यकुशल सक्रिय, साधन संपन्न तथा वित्तीय रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता। (88)

"कि रक्षा सेवाएं—थल सेना शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

केन्द्रीय/राज्य सरकार विभागों तथा सरकारी उपक्रमों पर भूतपूर्व सैनिकों को उनके आरक्षित कोटे के अनुसार भर्ती करने के लिए दबाव डाले जाने की आवश्यकता। (89)

"कि रक्षा सेवाएं—थल सेना शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

विशेष रूप से राजस्थान के अजमेर मेरकेड़ा और झुंझूनू क्षेत्र भूतपूर्व सैनिक स्वत रोजगार और पुनः रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करने तथा उनके विद्यालय जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां दिए जाने की आवश्यकता। (90)

"कि रक्षा सेवाएं—थल सेना शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

बटालियनों को समाप्त करने के कारण पेंशन योग्य सेवा के पूरी होने से पहले सेना से हटाये जाने वाले असहाय सैनिकों को कल्याण निधि से विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (91)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक-एक पेंशन योजना लागू करने में असफलता। (84)

"कि रक्षा पेंशन शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

सशस्त्र सेनाओं के पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा पेंशन में 13 अक्तूबर, 1990 को स्वीकृत की गई तदर्थ वृद्धि को बहाल करने में असफलता। (85)

राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान मागों का समर्थन करता हूं।

महोदय, पूरा भारत देश अपनी सशस्त्र सेनाओं के प्रति कृतघ्न है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से इन सेवाओं ने हमेशा शानदार कारनामें दिखाये हैं। सशस्त्र सेनाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी देश की सीमाओं का उल्लंघन न करने देना है। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं को असैनिक कार्यों पड़ौसी देशों की सुरक्षा करने, आतंकवाद विरोधी कार्यों में तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए आम जनता की सहायता करने जैसे अनेकों कार्यों में भी लगाया जाता है। तीनों सेवाओं द्वारा यह सभी विविध कार्य अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं आत्म-बलिदान के साथ किये जाते रहे हैं।

ऐसे अवसर आये हैं जबकि भारतीय सेना कभी किसी से पीछे नहीं रही। कुछेक वर्ष पहले मालदीव में हुई लड़ाई में उच्चतम दर्जे की योजना व कारवाही का नमूना दिया। वास्तव में यह, इजराइली सशस्त्र सेनाओं के इन्टीबी पर किये गये बहुचर्चित और बहु-प्रशंसनीय कारनामें की एक यादास्त थी। श्रीलंका में आई०पी०के०एफ० के हाल के आक्रमण में, अधिकारियों तथा जवानों ने केवल साहस तथा अनुकरणीय वीरता का ही परिचय दिया बल्कि अत्याधिक निपुणता के साथ एक कठिन स्थिति पर काबू पा लिया।

इस विषय पर चर्चा करते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि सिविल प्रशासन की सहायतार्थ सशस्त्र सेनाओं को बार-बार प्रयोग में लाये जाने की प्रवृति पर कड़ी रोक लगाई जानी चाहिए। आज, हमारी सशस्त्र सेनाएं पूर्णतया गैर-राजनैतिक हैं। परन्तु गैर-आतंकवादी क्रियाकलापों तथा नागरिक प्रशासन की सहायता में इसको बार-बार उपयोग से इनका राजनीतिकरण हो जाएगा और देश की एकग्रता को सुरक्षित रखने के इनके मुख्य उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इस बात से सहमत होंगे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य स्थानीय पुलिस द्वारा अथवा अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा किया जाना चाहिए सेना को केवल अंतिम उपाय के रूप में बुलाया जाना चाहिये और वह भी जहां तक सम्भव हो, फ्लैग मार्च आयोजित करने के लिए, जिससे किसी ताकत का आभास हो और आम जनता में नैतिकता व विश्वास बना रहे। सेना को नियम के तौर पर सेना को अपने ही नागरिकों से लड़ने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए जैसाकि कभी पहले किया जाता रहा है।

महोदय, विश्व में सत्ता-सन्तुलम के परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी तथा पूर्वी ब्लाकों में की गई अस्त्रों की कटौतों के साथ महाशक्तियों के बीच लम्बी शास्त्रों की होड़ अब समारत हो गयी है। 'नाटों' और 'वारसा' जैसे प्रमुख सैनिक समझौते अब व्यर्थ रह गए हैं। भारत की गुट-

निपेरक्ष नीति का पूर्णतया समर्थन हुआ है । फिर भी नये नये समझौते तो होने हैं। दुनिया के तेज तरार हथियार विक्रेता तथा विभिन्न देशों के ऐसे निर्यात जो हथियारों के निर्माण में लगे हैं अपने इस जान-लेवा हथियारों के लिए नये बाजार तलाशने की दिशा में दबाव डालेंगे और कई रास्ते अपनायेंगे । दक्षिणी पूर्वी एशिया में शक्ति सन्तुलन हमारे लिए किसी कारण हानिकारक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को दोहरी सर्तकता बर्तनी होगी ।

इस संदर्भ में, हमारे नीति नियोजकों को हमारी परमाणु नीति पर कड़ी नजर रखनी होगी । यद्यपि भारत पंचशील के सिद्धान्त पर अडिग है और हमारे शान्ति-प्रिय इरादों को सभी जानते है, तथापि दक्षिणी-पूर्वी एशिया में शान्ति की रक्षा के लिए हमें पर्याप्त उपाय करने होंगे । अब इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता विकसित की है यद्यपि उसके पास निक्षेपण व्यवस्था का अभाव है। लेकिन यह एक चिन्ता का विषय है । इन परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित राय यह है कि हमें भी परमाणु विकल्प अपनाने चाहिए । भारत अब एक विकसित लोकतन्त्र है और हमारे नेताओं में विश्व को ऐसा विश्वास दिलाने की क्षमता होनी चाहिए कि भारत द्वारा परमाणु हथियार रखने से इस क्षेत्र में चिरस्थाई शान्ति कायम रह सकेगी ।

अब मैं कुछ अन्य बातों को लेता हूं । पहली पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में हैं । एक के बाद एक सरकारें इस स्थिति पर काबू पा लेने का प्रयास करती रहीं हैं परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि सफलता बहुत कम ही मिली हैं ।

इस समस्या की जड़ पाकिस्तान में स्थापित आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर है । जब तक हम इन प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट नहीं कर देते तब तक यह समस्या बनी ही रहेगी । मुझे सेना और सेना की आसूचना सेवा का कुछ अनुभव है और मैं सोचता हूं कि पुरानी कहावत कि रक्षा के लिए आक्रमण सबसे अच्छा रास्ता है, आज भी सही है ।

मुझे यह तो पता नहीं है कि मैं कहीं भारत सरकार के किन्हीं रहस्यों को उद्‌घाटित तो नहीं कर रहा चूंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में भेजने से पाकिस्तान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भारत भी अफगानियों को, कराची के पख्तूनियों तथा मुजाहीद्दीनों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दें और उन्हें पाकिस्तान भेजकर वहां अपना अधिकार जमाने लगे ताकि पाकिस्तान को यह आभास हो कि किसी दूसरे देश में दंगे करवाने का क्या अर्थ होता है ।

मैं धनराशि के नियतन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरे विचार से भी खंडूरी जी ने भी इसके बारे में कहा है । जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, अनुसंधान तथा विकास अत्यन्त उपयोगों संगठन है । और मेरे विचार से भारी हथियारों का उत्पादन करने लड़ाकू विमानों एयर क्राफ्ट तथा अपनी नौ-सेना के लिए युद्धपोतों को अपने देश में ही तैयार करना अनिवार्य है ! मैं समझता हूं कि अनुसंधान तथा विकास के लिए नियत की गई धनराशि बहुत ही कम है । हम लड़ाई की बड़ी बड़ी तोपों के बारे में और हल्के-हल्के लड़ाकू विमानों के बारे में सुनते हैं । यदि मैं गलत नहीं तो मैं सोचता हूं कि कम से कम पिछले 15 वर्षों से तो हम इनके बारे में सुनते आए हैं । ऐसी मूलवस्तु जिस पर 15 वर्ष पूर्व की बात की गयी हो, यदि आज उसे बनाया जाता है तो वह पुरानी बनकर रह जायेगी । ऐसी वस्तु जब प्रयोग में आती है तो वह पुरानी रह जाएगी । इसका अर्थ यह है कि लड़ाई की तोपे और हल्के लड़ाकू विमान पूर्णतया पुराने हो जाएंगे; इनके डिजाइन के अनुसन्धान तथा विकास पर किया गया सारा धन व्यर्थ हो

[राव राम सिंह]

जाएगा। सेना में अपने अनुभव के तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि हमें अतिसाधारण तथा मजबूत हथियारों की आवश्यकता है क्योंकि हथियारों के लिए इसके चलाने वालों का महत्व है। हथियार चाहें कितने भी आधुनिक क्यों न हों, यदि हथियार को चलाने वाले सैनिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वह हथियार किसी भी काम का नहीं रहेगा।

1965 की लड़ाई का व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे अनुभव है। मैंने इचोजिअल कैनाल पर आक्रमण किया। मेरे जवानों के पास केवल राइफल्स तथा स्टेनगनें थी और दुश्मन अत्याधुनिक अमरीकी हथियारों से लेस थे। दो ही घण्टे में मैंने उन्हें इचोजिअल कैनाल के पार भगा दिया और पाकिस्तान के पांच गांव और उनके तमाम आधुनिक हथियार कब्जे में ले लिये। मेरे विचार से आज भारत की सेना की शक्ति हमारे जवान तथा हमारे युवा अधिकारी हैं। जब मैं इचोजिअल कैनाल तथा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों पर आक्रमण कर रहा था तथा हमारे जवान अधिकारी ही मोर्चे पर सामने थे। यह लाहौर से पांच मील की दूरी पर हुआ।

अगले दिन मैं कैनाल के पार पड़ी लाइनें को लाने के लिए वहां गया। मैंने अपने अधिकारियों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, "हमारे सभी अधिकारी लाहौर में हैं।" इसलिये मैं सोचता हूं कि हमारी सेना की मुख्य शक्ति हमारे सैनिक है; और साधारण तथा मजबूत किस्म के स्वदेशी हथियारों के निर्माण के साथ-साथ प्रशिक्षण भी साधारण होगा। उनका रख रखाव भी आसान होगा। आज आपके पास एक हथियार तो अमरीका से आ रहा है, दूसरा फ्रांस से आ रहा है, तथा कुछ हथियार रूस से आ रहे हैं। इन हथियारों का रख-रखाव समुचित नहीं है। और न ही इनका प्रशिक्षण समुचित ढंग से चलता है।

आप देख सकते है कि पाकिस्तानी युद्धक टैंक के साथ क्या हुआ। उन टैंकों के चालक दल का कोई भी कर्मी टैंकों के राडार अथवा अन्य उपकरणों का समुचित इस्तेमाल जानता ही नहीं हैं। अतः मेरा विचार है कि हमारा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपना खर्च कम करे और बहुत ही सही कार्य करे। वाकई वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इसके कार्य को नकार नहीं रहा हूं। माननीय रक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं तो कहूंगा कि 'मेन युद्ध टैंक' हम पर थोपे गए किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

वर्तमान में जो टैंक हमारी सना को उपलब्ध है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि यदि ये आगे बढ़ते है तो मार्ग में दरारें पड़ जायेंगी, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन हैं।

2.00 म० प०

दूसरा मसला यह है कि वर्ष 1987 से ही हमारे रक्षा बजट का प्रतिशत कुल बजट की तुलना में कम होता रहा है। जब कि पाकिस्तान का रक्षा बजट धीरे-धीरे बढ़ता रहा है और पाकिस्तान की थलसेना, नौसेना और वायुसेना का आकार-प्रकार पिछले दो-तीन वर्षों में लगभग दुगना हो चुका है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अपने खस्ता हाल में है, जैसाकि वित्त मन्त्री और प्रधानमन्त्री का कहना है। लेकिन क्या देश की सुरक्षा के मामले को हम नजर-अन्दाज कर सकते हैं, खासकर जब हमारा पड़ोसी देश अपनी सैनिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। मैं रक्षा

मन्त्री, वित्त मन्त्री और प्रधानमन्त्री से आग्रह करूंगा कि हमारी सेना और इसकी दो सहयोगी सेनाएं किसी भी परिस्थितियों में उपेक्षित न हों।

जहां तक भारतीय नौ-सेना का सवाल है, मेरा मानना यह है कि हिन्द महासागर के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे सदर्न ओशन में महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए। इस समय हमारे पास दो बेड़े हैं, पश्चिमी बेड़ा और पूर्वी बेड़ा। मेरा विचार यह है कि हमें तीसरे बेड़े की शुरूआत करनी चाहिए। इसे 'दक्षिणी फलीट' का नाम या कोई अन्य नाम जो भी उपयुक्त हो दिया जा सकता है लेकिन जब तक हमारे पास तीसरा बेड़ा नहीं हो जाता है और हिन्द महासागर में इसकी उपस्थिति महसूस नहीं करा दी जाती जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि महाशक्तियों के बीच समझौता हो जाने से हिन्द महासागर में उपस्थिति धीरे-धीरे कम हो जाएगी और वहां किसी का भी बेड़ा न रहे। यदि अमेरिकी और रूसी नौ सेना हिन्द महासागर हट जाती हैं तो वहां शून्यता हो जाएगी जब हम इस शून्यता को नहीं भरने हो सकता है कि कोई अन्य देश वहां आ जाए। मेरा कहना है कि यह जल्द ही पूरा किया जाए। इसका हमें बहुत लाभ होगा।

नौ-सेना के लिए फंड का जो सवाल है, मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। लेकिन मैं इसमें व्यापक परिवर्तन चाहूंगा। हमारे पास दो जलपोत हैं, विक्रान्त और विराट। लेकिन ये दोनों पुराने पड़ चुके हैं। एक जलपोत की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होती है। अगर इसकी मरम्मत करें या जीर्णोद्धार इसमें प्राण फूंकने की कोशिश करें तो शायद 25 से 30 वर्ष यह चल सकता है। जबकि अपना विक्रान्त 48 से 50 वर्ष पुराना है। दरअसल, यह तो लार्ड माऊंटबेटन की कमजोरी थी कि इस जहाज को, वर्ष 1961 में, जब इस जहाज को ब्रिटिश नौ-सेना ने त्याग दिया था, भारत द्वारा यह खरीद लिया गया। लार्ड माऊंटबेटन को इससे भावनात्मक लगाव था। इस प्रकार उन्होंने भारतीय नौ-सेना को इस जलपोत को खरीदने के लिए राजी कर लिया। लेकिन यह तो बहुत ही पुराना जहाज था। इससे भारतीय नौ-सेना को यह बहुत मंहगा पड़ रहा है। यह सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। जनता पर बोझ बना हुआ है। रक्षा जरूरतों को देखते हुए इस जलपोत की कोई जरूरत नहीं है।

आपकी अनुमति से कई और बातें मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वाइस एडमीरल कृष्णन, हमारे एक वरिष्ट नौ-सेना अधिकारी, ने कहा था—

पाकिस्तान की आधुनिक पनडुब्बियों के मुकाबले में। विक्रान्त अरब सागर में किसी प्रकार का परिचालन नहीं कर सकता।

यह तो हमारे वरिष्ठ नौ-सेना अधिकारियों का मानना है कि विक्रान्त किसी की परिचालन के लायक नहीं है। यह तो विक्रान्त के बारे में है।

जलपोत के बारे में अमेरिका के एडमिरल रिकोवर ने अपने सिनेट से कहा था—

> "एक युद्ध में एक जलपोत से दो दिन से ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।"

मात्र दो दिन। एक जलपोत के रख-रखाव में करोड़ों रु० की जरूरत होती है। मेरे विचार से इन जलपोतों के रख-रखाव में प्रतिदिन 5 लाख रुपये प्रत्येक जलपोत की जरूरत होती है। हर जलपोत के लिए हर रोज 5 लाख रु० और इनका कोई उपयोग भी नहीं है। ये तो मात्र दिखाने के लिए हैं। मैं नौ-सेना के अधिकारियों से माफी चाहूंगा इस कटुनिक्त उद्धरण के लिए ये दिखावा मात्र हैं, जिनका

[राव राम सिंह]

प्रदर्शन वार्षिक जन सम्पर्क अभ्यास के दौरान सभी अतिविशिष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर किया जाता है।

वर्ष 1961 में एच० एम० एस० हरक्यूल को, तदुपरान्त विक्रान्त, माऊंटबेटन की वजह से भारत ने खरीदा था। मैं समझता हूं कि विराट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हमारे लिए इसका कोई विशेष उपयोग नहीं था। चूंकि ब्रिटेन इससे मुक्त होना चाहता था अतः इसे भारत के माथे पर मढ़ दिया गया। परन्तु इसको आधुनिक बनाने के लिए भारत को भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। इस रकम से तो गोदावरी जैसे विध्वंसक जहाजी बेड़ा खरीद सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे हमारी नौ-सेना को बेहतर बल मिलेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि उक्त जलपोत का मूल कार्य औपनिवेशिक शक्ति को मदद पहुंचाना था। जहां हवाई जहाज नहीं पहुंच सकता वहां ब्रिटिश उपनिवेशवाद तथा अमेरिकी उपनिवेशवाद के लिए ये जलपोत हवाई जहाजों को पहुंचाते थे और जहां हमारे समुद्रीय हितों का मामला है, जहां हमारा रक्षा मामला का सवाल है, हमारा तटवर्ती सैनिक विमान ईंधन की सुविधा का फायदा लेते हुए शीघ्र ही पहुंच सकता है। अतः मेरा कहना यह है कि इन दोनों जलपोतों को नौ-सेना से निकाल दिया जाए और इसके स्थान पर आधुनिक विध्वंसकों तथा पनडुब्बियों को लाया जा सकता है।

इस मामले में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। यद्यपि प्रतिपक्ष के अपने मित्रों की नीतियों से सहमत नहीं हूं। लेकिन मेजर जनरल खण्डूरी ने जो कहा है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में भारतीय नौ-सेना के लिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम तैयार किया गया था। मैं समझता हूं कि नौ-सेना भारत के लिए न ही जरूरी है और न ही भारत इसका खर्च वहन कर सकता है। हमें तो अपने भौगोलिक जल को सुरक्षित करना, मछली पकड़ने के व्यवसाय तथा हमारे तटों की रक्षा करना है। हमारी विशाल समुद्री सीमा है। लेकिन हमें नौ-सेना की जरूरत नहीं है। जो अटलांटिक तथा प्रशान्त महासागर में रहेगी तथा उस क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करेगी।

महोदय, मिसाईल डिलीवरी व्यवस्था की उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है। आधुनिक युद्ध में; पहली लड़ाई हवाई अधिपत्य के लिए की जाती है। हमें वायुसेना के लिए निधियों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारतीय नौ-सेना ऐसा नहीं समझेगी कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्यों कि मैं थलसेना का एक आदमी हूं। मैं तो अपने अध्ययन और अनुभव के बल पर यह कह कहा हूं। मेरा मानना यह है कि वायुसैना के लिए नियतन बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे पास लड़ाकू विमानों की पर्याप्त संख्या हो सके और इस प्रकार पाकिस्तान को परास्त किया जा सके, भविष्य में होने वाले युद्ध में जो पाकिस्तान हम पर थोप सकता है, इसके लिए जरूरी है कि हम इस लायक हों कि युद्ध के पहले चरण में ही हवाई श्रेष्ठता प्राप्त कर सके तथा इसे सुनिश्चित कर सकें।

संक्षेप में, शांति के लिए अपनी इच्छा स्पष्टतः व्यक्त करते हुए भी, हमें यह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जो कोई हमारे क्षेत्र अथवा हमारी समुद्री सीमा पर बुरी नजर डालेगा उसका मुकाबला करने के लिए हमारी वायुसेना, नौसेना तथा थलसेना सक्षम हैं।

ऐसा नहीं है कि मैं जरूरत से ज्यादा सजग हूं न ही मैं उदासीन ही हूं परन्तु आजकल देशभक्ति की भावना अधिक नहीं है। मेरा यह सपना है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बारे में बात की

जाए तब गौरव तथा सम्मान से की जाए। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उन्हें स्वयं को भारतीय कहलाने में गौरव महसूस करना चाहिए। मेरे विचार से यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारी सशस्त्र सेनायें सशक्त हों। हमारे कूटनीतिक सम्बन्ध इस प्रकार के होने चाहिए कि हम सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान प्राप्त करें। दुर्भाग्यवश मैंने अपनी अनेक विदेश यात्राओं में इस बात का अभाव देखा है। न तो विदेशों में रहने वाले भारतीय स्वयं को भारतीय कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं और न ही मैं यह महसूस करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी पृष्ठभूमि और हमारे इतिहास को देखते हुए जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वह नहीं है और न ही हमें वह गौरव तथा सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए।

अन्त में, अपने सशस्त्र बलों और भूतपूर्व सैनिकों के उत्साह और उनके हित के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। इन बलों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई संगठन नहीं है। वे अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी कोई मांगें नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें बैठकर इन न्यायपूर्ण मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार से हम अपने सशस्त्र बलों को अधिक महत्त्व नहीं देते हैं जोकि गलत है।

सशस्त्र बलों के उत्साह और उनके हितों के बारे में जनरल खण्डूरी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। सब से पहली तथा अतिमहत्वपूर्ण मांग एक-पद-एक पेंशन की है मुझे बताया गया कि इसमें 250 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। मेरे विचार से पेंशन के लिए 900 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक की राशि होनी चाहिए तथा 250 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त नहीं है। किसी भी प्रकार से यह राशि पर्याप्त नहीं है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति तथा कश्मीर आपरेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति अब काफी वृद्ध हो गए हैं। सम्भव है उनमें से काफी की मृत्यु हो चुकी होगी अथवा अगले दस सालों में उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। अत: मैं रक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं—मेरे विचार से रक्षा मंत्री महोदय तो इससे सहमत हैं और वित्त मंत्री महोदय को इसके लिए सहमत करना होगा—कि वह यह देखें कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। मेरे विचार से पहले दो वायदे किए गए थे। मेरे विचार से राजनीतिक नेताओं ने इन लोगों को इनका न्यायपूर्ण हक देने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन नौकरशाही ऐसा करने नहीं दे रही है। मैं आज भी यह कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री उनका हक दिलवाने के पक्ष में है लेकिन नौकरशाही ऐसा नहीं करने दे रही है क्योंकि आज राजनीतिज्ञ नहीं नौकरशाह देश पर शासन कर रहे हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अत: मेरा रक्षा मंत्री महोदय तथा वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि उन्हें नकद भुगतान न करें बल्कि रक्षा बांड दे दें। वित्त मंत्री महोदय ने हमें यह बताया है कि वित्तीय स्थिति दो वर्षों में सुदृढ़ होगी। अत: आप उन्हें रक्षा बांड दे दीजिए जिन्हें वे पांच वर्ष के बाद भुना सकें, उस समय आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी तथा आप उन्हें और अधिक धन भी दे पाएंगे। अत: उन्हें नकद पैसा न दें बल्कि रक्षा बांड दे दें ताकि ये गरीब लोग अपने जीवित रहने इसको भुना सकें तथा यह धन उनके अन्तिम क्रियाकर्म में उपयोग किया जा सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें यह दे दें।

मेरा अगला मुद्दा आवास से सम्बन्धित है। अधिकांश थल सेना सीमा क्षेत्र में तैनात है। कोई भी यह आशा नहीं कर सकता है कि आप उनके लिए सियाचिन ग्लेशियर पर घर बनाएं। लेकिन आमतौर पर एक यूनिट तीन वर्षों के लिए सीमा क्षेत्र में रहती है और अगले तीन वर्षों में शांति क्षेत्र में रहती है। कम से कम उन्हें तब तो आवास दीजिए जब वे शांति वाले क्षेत्र में रहें। अधिकारियों के लिए

[राव राम सिंह]

आवास की स्थिति काफी खराब है लेकिन जवानों के लिए तो यह और भी अधिक खराब है। एक जवान 17 और 18 वर्ष की अवस्था में भर्ती किया जाता है और 35 अथवा 40 वर्ष की आयु में वह सेवा निवृत्त हो जाता है। मुझे विश्वास है कि उन 17 अथवा 20 वर्षों में 90% जवान अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों की छावनियों में आवास उपलब्ध नहीं होता है। अतः मेरा रक्षा मन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वह एक ऐसा अभियान शुरू करें कि छावनियों और शांति वाले क्षेत्रों में तैनात यूनिटों के लिए पर्याप्त आवास बनाए जाएं ताकि कम से कम 50% जवान, जब शांति वाले क्षेत्रों में तीन वर्षों के लिए आएं, तो अपने परिवार के साथ रह सकें।

मेरा अगला मुद्दा सशस्त्र बलों के जवानों के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। प्रत्येक सेना अधिकारी का घर तीन जगहों में बंटा होता है। वह स्वयं एक जगह रहता है, उसकी पत्नी दूसरी जगह रहती हैं और उसके बच्चे छात्रावास में रहते हैं। लेकिन अधिकांश सेना के अधिकारियों और जवानों के बच्चे स्कूल में शिक्षा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं कोई आवास उपलब्ध नहीं रहता है। अतः मेरा सुझाव है कि और सैनिक स्कूल खोले जाएं। मेरे विचार से आपको प्रत्येक जिले में एक या दो सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि सेना के अधिकारियों तथा जवानों के बच्चे पर्याप्त शिक्षा पाने की उम्मीद कर सकें।

मेरा अगला मुद्दा बहुत छोटा सा है। यह वरीयता क्रम के बारे में है। इसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगता है। उदाहरण के लिए पुराने समय में जिले में एक पुलिस उपायुक्त अथवा पुलिस अधीक्षक वरीयता क्रम में जिसकी सूची सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती थी, सेना में मेजर के बराबर माना जाता था। अब हमारे नौकरशाह कहते हैं "यह सेना के व्यक्ति जंगली है।" अतः उन्हें वरीयता क्रम में इतना ऊंचा दर्जा पाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः एक पुलिस उपायुक्त अथवा पुलिस अधीक्षक लेफ्टीनेंट कर्नल, फिर कर्नल तथा फिर ब्रिगेडियर और इसी प्रकार उच्चतर स्तर के बराबर माना जाता था। अतः मेरा रक्षा मन्त्री महोदय से पुनः यह अनुरोध है कि इस वरीयता क्रम की जांच करने के लिए एक दल गठित किया जाये।

दूसरे लेफ्टीनेंट के रूप में जब मैं छुट्टी पर जाता था तब पुलिस उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक मेरी अगवानी के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते थे। यदि आज कोई जनरल छुट्टी पर जाता है और यदि वह किसी थानेदार अथवा तहसीलदार के पास जाये तो तहसीलदार कहेगा अच्छा बाहर बैठ जाओ आधे घण्टे के लिए। उसके बाद देखेंगे कि टाइम है या नहीं।

[अनुवाद]

यह सेना के अधिकारियों तथा वरिष्ठ जवानों का अपमान है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। ये लोग हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं और कठिन जीवन बिता रहे हैं।

हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी सियाचिन ग्लेशियर गये थे और मैं भी वहां था। वहां जीवन इतना अधिक कठिन है कि कोई भी वस्तु धरती पर पहुंचने से पहले ही जम जाती है, वहां सब कुछ जमा रहता है। सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने शौचालयों को भी गरम रखने की व्यवस्था की है। अतः यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि—

[हिन्दी]

एक आदमी चला गया तो वह बाहर नहीं निकलता था।

[अनुवाद]

क्योंकि अन्दर वातावरण गर्म होता था। अतः वह बाहर नहीं आता।

अतः इस सभा के माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जब भी सेना के कार्मिक और भूतपूर्व सैनिक आएं तो कृपया उन्हें विशेष प्राथमिकता दें और उनके हितों का ध्यान रखें। यदि उन्हें एक बोरी सीमेंट भी चाहिए होता है तो उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है और कोई उनकी बात नहीं सुनता है।

[हिन्दी]

साहब 15 दिन की छुट्टी है, कम से कम 5 बोरी सीमेंट दिलवा दो ताकि कुछ बना दूं।

[अनुवाद]

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि विधायिका में भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण किया जाये, जब मैं भूतपूर्व अधिकारियों की लीग का उपाध्यक्ष था तब भी मैंने इस मुद्दे के लिए संघर्ष किया था। मेरे विचार से हमारे नेता राजीव गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया था और एक भूतपूर्व सैनिक को राज्य सभा में मनोनीत किया गया था। लेकिन जब उस सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया तब इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अतः इस मुद्दे के बारे में मेरा अनुरोध है कि पूरा सदन इसका समर्थन करे कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों को राज्य विधान सभाओं और राज्य सभा में स्थान देने का प्रावधान होना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा सशस्त्र बलों में भर्ती के बारे में है। सशस्त्र बल इस देश की मुख्यधारा का एक भाग हैं।

[हिन्दी]

करप्शन जबर्दस्त तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, उसका सर्विसेज में भी इफेक्ट आ रहा है।

[अनुवाद]

भर्ती में इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि--

[हिन्दी]

वह भर्ती दफ्तर में जाता है और कुछ देर बाद एजेंट आकर कहता है कि दस हजार रुपया लाओ, फिर भर्ती करेंगे।

[अनुवाद]

मेरा सुझाव अति साधारण है। भर्ती मेले आयोजित करें। एक सप्ताह पहले बोल दें कि आगरा में भर्ती मेला होगा। दस भर्ती अधिकारी तथा दस चिकित्सा अधिकारी वहां भेज दिए जाएं ताकि उन्हें पैसा मांगने का अवसर ही न मिले। वे वहां एकत्रित हजारों पुरुषों की छाती, वजन तथा लम्बाई नाप लें और सौ या जितने भी व्यक्ति चाहिएं उतनों की तुरन्त भर्ती कर रेलवे वारन्ट देकर उनकी यूनिटों में भेज दिया जाये ताकि किसी को पैसा मांगने का अवसर ही न मिले।

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : एक और प्रथा भी प्रचलित है जोकि बेहतर प्रणाली है जिसे रेजीमेंटल भर्ती पार्टियां कहा जाता था। उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। पता नहीं किस कारण समाप्त किया गया है। वे उत्कृष्ट लोग चुन सकते हैं और वे चाहते हैं कि उत्कृष्ट लोग चुने जाएं। अब यह सब समाप्त कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इसे समाप्त क्यों कर दिया है।

राव राम सिंह : इसे समाप्त नहीं किया गया है। हुआ यह है कि कुल आवश्यकता का यह केवल 10% या ऐसा ही कुछ रह गया है।

एक माननीय सदस्य : 5%।

राव राम सिंह : 5% या ऐसा ही कुछ। लेकिन उन्हें कुल आवश्यकता का 15% दिया जा सकता है। यदि मैं मराठा यूनिट का नेतृत्व करता हूं, जिसका नेतृत्व मैंने किया था तब मैं अपनी बटालियन के लिए मराठा ही भर्ती करूंगा और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि साहसी दिखने वाले व्यक्तियों को भर्ती करूं। मेरे विचार से मैंने भर्ती के दो तरीके बताये हैं—एक भर्ती मेले और दूसरा विभिन्न रेजीमेंटल केन्द्रों में और अधिक प्रतिशत देना ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार व्यक्ति भर्ती कर लें।

मेरा अन्तिम मुद्दा चिकित्सा सुविधाओं, विशेषरूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं के बारे में है। आर्मी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या इतनी सीमित होती है कि यह कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। जब एक भूतपूर्व सैनिक आर्मी अस्पताल में जाता है तो उसे कहा जाता है कि—

[हिन्दी]

"कोई विस्तर खाली नहीं है जाओ।"

[अनुवाद]

अतः मेरा अनुरोध है कि जहां अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं—आपके पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं—वहां छोटे अस्पताल शुरू किए जाएं जहां उन्हें अस्पताल की पर्याप्त सुविधाएं दी जा सकें।

मैंने पहले भी अपील की थी और अन्त में भी मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दें। मुझे यह देखकर खुशी है कि अन्त में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे विचार से यह अच्छी बात है। लेकिन यह केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि उनके कल्याण के लिए भी होना चाहिए···**(व्यवधान)**

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : महोदय, यह अचानक नहीं हुआ है। यह बात तो हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में थी यहां तक कि पहले वाले में भी।

राव राम सिंह : मैं एक उद्धरण से समाप्त करना चाहूंगा। कश्मीर में 1947-48 में दैनिक कार्यवाही के दौरान मैं बहुत ही मशहूर सिपाही ब्रिगेडियर उस्मान के साथ सेवारत था। वह मेरे लिए एक तरह से धर्म पिता थे। यह बात जघाड़ और नौशेरा क्षेत्र की है। ब्रिगेडियर उस्मान के मस्तिष्क में एक विचार था। वह हमेशा शत्रु के पीछे की तरफ जाने की योजना बनाते थे और शत्रु के गोदाम पर हमला करते थे। तथा हमारे यहां कई लोग हताहत हो जाते थे। इसलिए एक दिन मैंने उन्हें कहा

हमें यहां क्या उपलब्धि होती है, इतने अधिक लोग हताहत होते हैं ? हम थोड़ा रुक कर हमला क्यों नहीं करते हैं ? उन्हें हमला करने दें और फिर हम उन्हें करारा जवाब देंगे । फिर ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था :

"कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के बलिदान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए विषम परिस्थितियों को झेलते हुये इससे अच्छी सम्मानजनक मृत्यु कैसे प्राप्त कर सकता है ।"

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो हमारे नये रक्षा मन्त्री श्री शरद पवार का स्वागत करूंगा जिन्होंने रक्षा मन्त्रालय का पदभार ग्रहण किया है तथा जिन्हें इस सम्बन्ध में काफी प्रशासनिक अनुभव है तथा उनका ओजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व तो सर्वविदित है ही । जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है उन्होंने विभिन्न यूनिटों का दौरा किया तथा अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा किया । वह उन दुर्गम क्षेत्रों में भी गए जहां हमारे जवान हमारी सुरक्षा तथा हमारे देश की प्रतिरक्षा को बरकरार रखने के लिए तैनात हैं ।

हम इस समय रक्षा मन्त्रालय की मांगें पर चर्चा कर रहे हैं जबकि हमारी सीमाएं बहुत संवेदनशील और नाजुक स्थिति में आती जा रही है विशेषरूप से पाकिस्तान के साथ ।

सभा में पेश की गयी वार्षिक रिपोर्ट पुरानी लगती है । इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना था कि उसमें कम से कम कुछ वे नवीन बातें भी होनी चाहिए थीं जो घटित हुई हैं । यदि आप इसका दूसरा भाग भी पढ़ें जिसमें "रक्षा मन्त्रालय और रक्षा योजना के संगठन सम्बन्धी ढांचे और कार्यों" के बारे में कहा गया है, तो पहले पैराग्राफ में निम्नलिखित बातें कही गयी हैं :

"रक्षा मन्त्री जोकि मन्त्रालय के मुखिया होते हैं उन्हें अपने कार्यों को निभाने में रक्षा राज्य मन्त्री सहायता देते हैं । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और डा० राजा रमन्ना ने 10 नवम्बर, 1990 को क्रमशः रक्षा मन्त्री और राज्य मन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया । उसके पश्चात प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने रक्षा मन्त्री का कार्यभार सम्भाला हुआ है ।"

आज श्री शरद पवार रक्षा मन्त्रालय का कार्यभार नहीं सम्भाल रहे हैं बल्कि श्री चन्द्रशेखर रक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाले हुये हैं । यही रिपोर्ट में कहा गया है । उन्होंने कम से कम कुछ बातों के संदर्भ में रिपोर्ट को पूर्ण करना चाहिए था । उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये ।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह तो एक दोस्ताना व्यवहार है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं तो कहूंगा कि आज रक्षा मन्त्रालय को एक नयी रक्षा नीति बनानी चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण में होने वाले परिवर्तन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ताकतों की सह-सम्बद्धता में होने वाले बदलाव को देखते हुए हम शीत युद्ध में पहले के समय में चले जाएंगे । यह शीत युद्ध का युग नहीं है । यह वह युग भी नहीं है जहां दो महाशक्तियां एक-दूसरे का मुकाबला कर रही हैं और एक प्रकार की परमाणु प्रतिस्पर्धा भी चल रही है जिससे समस्त मानवता भयभीत है । यह एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है । आज, आशा की जाती है कि विश्व स्तर पर ज्यादा टकराव नहीं होगा और तनाव भी कम होगा । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति है । लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भिन्न स्थिति है, मैं समझता हूं कि यह सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है । पाकिस्तान के शासकों के कारण, जोकि टकराव वाली नीति अपनाए हुए हैं, हमें हमेशा यह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मान के चलना चाहिए कि जब कभी पाकिस्तानी शासक किसी घरेलू समस्या का सामनाकरते हैं तो वे हमेशा कश्मीर के मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आते हैं तथा अपनी घरेलू समस्या से निपटने के लिए अपने देश में भारत विरोधी प्रचार करते हैं और यही आज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि रक्षा मन्त्री शुरू में ही वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त हवाला दे देते।

मैं आज सुबह बी० बी० सी० सुन रहा था और बी० बी० सी० का कहना है कि पाकिस्तान से हाल ही में मुकाबला करते हुए 30 भारतीय सिपाही मारे गये। मैं रक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूं कि सच क्या है? हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में पाकिस्तानी सशस्त्र बल हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, यही नहीं बल्कि उन्होंने कतिपय चौकियों पर हमला किया तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षित जम्मू और काश्मीर के उग्रवादियों और आतंकवादियों को भारत में घुस-पैठ करवाने के प्रयास किये तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षित इनकी संख्या 5000 से भी अधिक मानी जा रही है और ये भारत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए भेजे जाएंगे। यह उन आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश है ताकि वे भारतीय क्षेत्र में घुस सकें।

एक माननीय सदस्य : आपका क्या सुझाव है?

श्री चन्द्रजीत यादव : थोड़ा इन्तजार कीजिये। मैंने अभी शुरू किया है।

अतः मेरा कहना है कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन महोदय, मैंने देखा है कि पाकिस्तान के रवैये के बारे में सरकार का मूल्यांकन भ्रामक होता है। यही काफी नहीं है कि हम अपने सशस्त्र बलों, वायुसेना और नौसेना को शक्तिशाली बनाएं और स्थिति से निपटें। देश की रक्षा और सुरक्षा आज कूटनीतिक मसला बन गया है। यदि हम कूटनीतिक रूप से असफल रहते हैं, यदि हम विश्व को यह नहीं बताते हैं कि हम सही हैं और हमारे विरोधी गलत है तो हम अपनी प्रति रक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी खाड़ी के देशों में हुआ है वह हमारे लिए शिक्षा है। अमरीका और इसके मित्र देश विश्व को इस विश्वास में ला सके कि इराक गलत है इराक ने छोटे पड़ोसी देश पर हमला किया अतः वहां सेना भेजना और इराक पर हमला करना न्याय युद्ध था। यह युद्ध छोटे राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को बरकरार रखने के लिए लड़ा गया, यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार था अब इस रिपोर्ट के आठवें पैराग्राफ में यह कहा गया है कि पाकिस्तान का विकसित देशों से सैन्य हार्डवेयर और प्रौद्योगिक खरीदना जारी है तथा यह इसका वैधानिक प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से कही ज्यादा है। यह हम सदियों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना मजबूत कर रहा है, यह अपने देश की अपनी रक्षा आवश्यकता से हटकर आयुद्ध खरीद रहा है। हमें पाकिस्तान को यह कहने का कोई अख्तियार नहीं हैं कि आपकी इतनी आवश्यकता है और आप इससे परे नहीं जा सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी बात सुनेगा? भारत-पाकिस्तान को यह आदेश नहीं दे सकता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, पाकिस्तान को कितना खरीदना चाहिए और कितना पाकिस्तान को नहीं खरीदना चाहिए। आपकी बातों को कोई भी नहीं मानेगा। जब आप खरीददारी करते जाते हैं, जब आप अपनी सेना को आधुनिक बना रहे है तो आप पड़ोसी देश को यह नहीं कह सकते है कि वह एक निश्चित सीमा से अधिक न खरीदे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

"इसके अलावा ये गुप्त रूप से परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं तथा प्रक्षेपास्त्र तथा प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के प्रयास जारी है। इस तरह कहा जाता है कि यह चीन से सहायता प्राप्त कर रहा है।"

यदि यह हमारी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को सहायता दी जा रही है और इन गुप्त गतिविधियों में चीन से सहायता मिल रही है और यह चीन से प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहा है तो यह आवश्यक है कि रिपोर्ट का अगला भाग देखा जाये। इसमें कहा गया है :

"भारत चीन सम्बन्धों के काफी सुधार हुआ है।"

मैं रक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने यह मामला चीन की सरकार से उठाया है। हम बात कर रहे हैं और हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरह जब पाकिस्तान आतंकवादियों को सीमा पार से सहायता देने की कोशिश कर रहा है, जम्मू और कश्मीर में हमारे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और जब स्वतन्त्रता के बाद पाकिस्तान के अधिकांश जीवनकाल में सेना के जनरलों का शासन रहा है तो चीन प्रक्षेपास्त्र और प्रौद्योगिकी क्यों सप्लाई कर रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने यह मामला चीनी सरकार से उठाया है या नहीं।

रिपोर्ट के अगले पैराग्राफ में कहा गया है :

"चीन का पीपल्स लीबरेशन आर्मी का आधुनिकीकरण करना जारी रखना इसलिए विशेष महत्व रखता है कि इसने पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के साथ मिलकर उच्च सैन्य प्रौद्योगिकी और संयुक्त उद्यम शुरू किया है। हमारे निकटतम पड़ोसी देशों को सशस्त्रों की बिक्री करने से क्षेत्रीय तनाव कम होने की प्रक्रिया में बाधा आयी है।"

यह तो चीन के बारे में एक अन्य ही प्रकार की टिप्पणी है। चीन हमारे पड़ोसी देश को शस्त्रों की सप्लाई कर रहा है और वे अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आखिर वे किससे युद्ध करेंगे ? क्या यह पाकिस्तान और चीन के साथ होगी। अब आपका मूल्यांकन यह है कि ये दोनों देश पूर्व आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा वे अपनी परमाणु शस्त्र प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। हम रक्षा मंत्री से एक स्पष्ट नीति चाहते हैं कि परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के बारे में हमारी नीति क्या है। सभी जानते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, शान्ति चाहते हैं। लेकिन क्या हम इन देशों की अनदेखी कर सकते हैं ? वे किसी स्थिति विशेष में हमें समस्या पैदा कर सकते हैं। हमारी इस सम्बन्ध मे क्या तैयारी है ?

महोदय, यह सर्वविदित है कि भारत का रक्षा संघ आधारभूत रूप से सोवियत संघ की सहायता से बना है। मेरी जानकारी के मुताबिक हमारा 70 से 85 प्रतिशत आयुध लड़ाकू जहाज, टैंक और सैन्य प्रौद्योगिकी सोवियत सहायता पर निर्भर है। अतः सोवियत संघ में टूट रहा है। सोवियत संघ समस्याओं का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री जी जो कुछ भी हम पिछले दो या तीन महीनों से सुन रहे हैं वह बहुत परेशान करने वाला है कि हमारे विदेश मन्त्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ श्री मिखाईल गोर्बाचेव के खिलाफ निरन्तर प्रचार चलाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वे हमें पिछले दो वर्षों से सहायता नहीं दे रहे हैं वे हमारे प्रति बहुत ही अधिक दुर्भावना रखते हैं।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

"वे विमानों, टैंकों और अन्य महत्वपूर्ण सामानों के लिए कल पुर्जे प्राप्त करने में हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं।" हमारे एक मित्र देश जिसमें रक्षा व्यवस्था का ढांचा तैयार करने में शुरू से सही हमें सहायता दी है उसके विरुद्ध ऐसा अभियान चलाना ठीक नहीं है। क्या आप यह समझते हैं कि इस तरह का अभियान हमारे लिए समस्याएं खड़ी नहीं करेगा ?

मुझे यह बताया गया है कि यदि हमें आवश्यक कल पुर्जों को बदलने के लिए उन्हें सोवियत संघ से खरीदना पड़े तो इसमें एक लाख करोड़ रुपये लगेंगे। और सोवियत संघ की भी अपनी आर्थिक कठिनाईयां हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने शायद कहा था : "कृपया मेरी सहायता करें। पूरी खरीद उदार खाते के नाम पर नहीं करें। बल्कि आंशिक भुगतान करें और अन्य बकायों का भी आंशिक भुगतान करें। आप यह रकम विदेशी मुद्रा में ही देने का प्रयास करेंगे। जब वह हमें मित्रवत व्यवहार से इस भुगतान के लिए कह रहे थे तो हम उन परिस्थितियों का अनुचित उपयोग उनके विरुद्ध ही करने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इस तरह का अभियान चलाया जाना खतरनाक है।

मेरी जानकारी के अनुसार, जब सोवियत संघ में नए राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे, जब थोड़े से लोगों ने वहां तख्ता पलटने की कोशिश की तो मास्को स्थित हमारे राजदूत ने हमारे रक्षा मंत्री को यह सन्देश दिया "कि यह तख्तापलट सफल होने जा रहा है। सेना बहुत ही दृढ़ता से कार्य कर रही है। सैनिक कार्रवाई जारी रहेगी। तख्ता पलट के बाद नए रक्षा मन्त्री को कृपया बधाई सन्देश भेजें।" शायद मन्त्री जी ने ऐसा सन्देश न भेजकर बुद्धिमानी की। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जहां तक हमारी रक्षा तैयारियों का सम्बन्ध है इस तरह के गलत अनुमान और नौकरशाही व्यवस्था का यह दृष्टिकोण हमारे लिये बहुत महंगा पड़ सकता है।

मैं यह रक्षा मन्त्री से जानना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका से हम मित्रवत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करते रहे हैं। हमने कभी यह नहीं समझा कि अमरीका से हमारी कोई शत्रुता है। लेकिन चूंकि हम नव-स्वतन्त्र देशों के हितों की नीति पर चल रहे है तथा हम गुट-निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक हैं, हमने नये स्वतन्त्र राष्ट्रों के निर्माण में सहायता देने का प्रयास किया है, संयुक्त राष्ट्र अमरीका हमारा कभी भी मित्र नहीं रहा है और वे जानबूझकर अलोकतांत्रिक एवं सैनिक शक्तियों की सहायता करते रहे हैं। विगत वर्ष अमरीका ने पाकिस्तान को 575.9 मिलियन डालर की सहायता दी जिसमें 230 मिलियन डालर की सैनिक सहायता दी गई। क्या हम इन मुद्दों को अमरीका और अन्य देशों के सामने उठाते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावों को कम किया जा रहा है ? मास्को में सामरिक शस्त्रों को कम करने सम्बन्धी सन्धि जैसे समझौते किए गए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव कम होना है। ऐसे समय में एक पड़ोसी देश को इतनी अधिक सहायता दिये जाने से चिंता होती है। मेरे विचार से अमरीका अब भी दोहरी भूमिका निभा रहा है। वे केवल कहने मात्र के लिये हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वे यह कहेंगे कि कश्मीरी उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना उन्हें ठीक नहीं लगता और वे इस प्रशिक्षण के विरुद्ध है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा युद्ध का माहौल तैयार करने का वे विरोध करते हैं। लेकिन, दूसरी ओर जब वास्तव में सहायता देने की बात होती है तो वे पाकिस्तान को डालर और आधुनिक हथियारों की सहायता देते है। दूसरे देशों की मार्फत भी वे अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करते हैं।

पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। यह खतरनाक स्थिति है।

मेरे विचार में हमारी सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह विफल रही है और अपने हित में कोई विश्वमत तैयार नहीं कर पाई ताकि इस मुद्दे पर कोई पाकिस्तान को कोई सहयोग न दे।

लोगों को यह आभास हो रहा है कि हम सेना के बल पर ही कश्मीर पर अपना नियन्त्रण बनाए हुए हैं। यह हमारे लिए ठीक नहीं है। जब गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना को हस्तक्षेप करना होता हैं और सीमा की देखरेख का कार्य भी सेना को करना होता है। लेकिन कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सेना का कार्य नहीं है। सेना को बहुत ही विषम परिस्थिति में बुलाया जाना चाहिये। मुझे यह भय है कि सेना को तैनात करने की मांग बढ़ती जा रही है। राज्य सरकारें भी हर कदम पर चाहे वह सांप्रदायिक दंगों को रोकने का मामला हो। या किसी भी कानून और व्यवस्था को नियन्त्रित करने का मामला हो या राज्य में कोई आन्दोलन चल रहा हो, तब उन्हें राज्य की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा एजेंसियों की सहायता के लिए सेना बुलाने को निवेदन करना ही आसान लगता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इसे कम किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था की स्थितियों पर ध्यान रखने के लिए एक अलग एजेंसी होनी चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में हमेशा खतरा बना रहता है। खतरा यह है कि कश्मीर जैसे स्थानों पर यदि सेना हमेशा तैनात रहती है तो इस स्थिति का कुछ शक्तियों द्वारा धर्म के नाम पर अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया जा सकता हैं और वे कह सकते हैं, "देखिए। आम लोगों से सेना को कोई सहानुभूति नहीं है।" इस तरह धर्म के नाम पर जनता को सेना के खिलाफ भड़काया जा सकता है। और वह अच्छी बात नहीं होगी।

इसलिए, मैं रक्षा मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह मुख्यमन्त्रियों के साथ यह मुद्दा उठाएं और उन्हें यह बता दें कि राज्यों की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने वाली एजेंसियों की सहायता के लिए बार-बार सेना नहीं भेजी जाएगी। सेना केवल अतिविशिष्ट स्थितियों में ही भेजी जानी चाहिए।

हमारी रक्षा नीतियों के बारे में एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाए जाने का समय आ गया है। इस देश में रक्षा कभी दलगत राजनीतिक का मुद्दा नहीं बना है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति रही है। जब चीन अथवा पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया। केवल सेना की सहायता से ही हम कोई युद्ध नहीं लड़ सकते और न ही कोई युद्ध जीत ही सकते हैं। निस्सन्देह, हमारी सेना की एक महान और उज्जवल परम्परा रही है। हमारे जवानों ने स्वयं को सबसे अच्छा सैनिक प्रमाणित किया है। हमारी सेना गैर-राजनीतिक रही है वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज एक बार फिर यह समय आ गया है कि हम राष्ट्रीय सहमति के आधार पर एक नई रणनीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आपने कोई नई नीति तैयार नहीं की है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय आप कोई नई नीति हमें बताएंगे। रिपोर्ट की अन्तिम पंक्ति में कहा गया है :

> "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय माहौल के कारण एक सुविचारित नीति तैयार करने की आवश्यकता है।'

वह सुविचारित नीति क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय आप हमें ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में इस क्षेत्र में और हमारे पड़ोसी देशों के साथ,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस विशेष स्थिति से निपटने के लिए हमारी नीति के बारे में कुछ विचार व्यक्त करेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है। मैं सतझता हूं कि आपके रक्षा मन्त्री के पद पर बने रहने के दौरान जब दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तब इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अभी इन बातों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। सभा को बहकावे में रखा गया है। मैं आशा हूं कि कि वर्तमान रक्षा मन्त्री अपने पद पर बने रहेंगे। (**व्यवधान**)

महोदय, एक दूसरी बात भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत कुछ पहले ही कहा जा चुका है।

मुझे खेद है कि जब श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी बोल रहे थे तो उस समय मैं यहां नहीं था। मैं समझता हूं कि श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी ने समान पद-समान पेंशन का मुद्दा उठाया होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जो अवकाशप्राप्त सैनिकों और वर्तमान कार्य सैनिकों को भी विचलित कर रहा है। मैं समझरता हूं कि इससे पूरा सदन सहमत होगा कि हमें अपने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का भी पूरा ख्याल रखना होगा क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक चर्चा की गई है। कुछ निर्णय भी लिए गए थे। सूबेदार के स्तर तक समान पद-समान पेंशन के विचार को स्वीकार कर लिया गया है। सैनिक अधिकारियों के मामले पर भी विचार किया गया है। सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए हमें यह कार्य करना होगा। यह अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री ने भी इस मांग के महत्व को समझा है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श भी शुरू कर दिए हैं। मेरे विचार में रक्षा मन्त्री को इस सम्बन्ध में बिना समय गंवाए घोषणा कर देनी चाहिये। चर्चा का उत्तर देने के क्रम में कम-से-कम सहयोग देने के अपने इरादे को रक्षा मन्त्री द्वारा व्यक्त कर दिया जाना चाहिए। जो निर्णय लिए जा चुके हैं कम-से-कम उनकी घोषणा तो की ही जा सकती है। इस बात का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि जिस सरकार ने यह निर्णय लिया था वह आज सत्ता में है या नहीं। बल्कि वह एक सरकार थी और उस सरकार ने देश के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया था। इसलिए उस निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिये। हो सकता है कि अधिकारियों और जवानों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए कोई अन्य तरीका खोज लिया जाए। इस सम्बन्ध में हमें सर्वसम्मत निर्णय लेना चाहिए। मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अवश्य किया जाना चाहिए।

अन्त में, राव राम सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं विशेषकर आवास सुविधा से सम्बन्धित मुद्दा उन्होंने उठाया था। अधिकांश समय सामान्य प्रशासन जवानों की समस्याओं के प्रति उदासीन रहती है। राज्य सरकारों को दिये गये कई निदेशों एवं निर्देशों के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया जाता है। यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई भी सेवारत जवान अपनी पारिवारिक समस्या जैसे जमीन सम्बन्धी समस्या का सामना कर रहा हो, उन पर कोई अत्याचार हो रहा हो, उनके साथ अन्याय हो रहा हो तो उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कोई जवान सीमा पर तैनात है, यदि वह सक्रिय सेवा में है और तब यदि उसके सामने हमेशा कोई समस्या है, यदि उसके परिवार को तंग किया जा रहा है, किसी के द्वारा उसकी जमीन को छीना जा रहा है तो सामान्य प्रक्रिया में उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

वह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे विचार में राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। सभी मुख्यमन्त्रियों से वह निवेदन किया जाना चाहिए कि वे उन मुद्दों पर तुरन्त कार्रवाई करे जिसका सम्बन्ध जवानों की पारिवारिक समस्याओं से है।

मैं अपना भाषण यह कहकर समाप्त करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उन सैनिक अधिकारियों और जवानों को, जिन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए उत्सर्ग कर दिया है उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। उचित सम्मान उन्हें नहीं दिया जा रहा है। कुछ चक्र और सम्मान दे दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है। आप कितने चक्र प्रदान करते है? मैं जानता हूं कि मेरे ही जिले के एक ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के दौरान अपना जीवन दे दिया। एक श्री सौदागर सिंह ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। लेकिन उनकी याद में न तो कोई स्मारक या उनके नाम पर न तो कोई स्कूल या कालेज ही स्थापित किया गया। उन्होंने महान बलिदान दिया है। मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐसा तरीका खोज निकालना चाहिए कि ऐसे सैनिक अधिकारियों और जवानों, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, का सम्मान किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि रक्षा मन्त्री इस समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक ध्यान देंगे जिसके बारे में हम सभी बहुत चिंतित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

विगत कुछ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में तेजी से परिवर्तन आए हैं और हम इन परिवर्तनों से अवगत भी हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विगत तीन युद्ध दो बड़ी शक्तियों के बीच लड़े गए। लेकिन अब वह स्थिति नहीं हैं। इसलिए स्वतन्त्र भारत के इतिहास में हमें कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसका हमें आज सामना करना पड़ रहा है। विगत में दो बड़ी शक्तियों के माहौल में हम अपने विश्वासनीय मित्र सोवियत संघ पर विश्वास कर सकते थे जिससे हमें अभियान चलाने के लिए सहयोग, अस्त्र-शस्त्र और नैतिक व भौतिक सहायता मिलने की आशा थी। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है और किसी भी राष्ट्रीय खतरे का सामना करने के लिए अब हम पूरी तरह अकेले रह गए हैं। इसीलिए, आज हमें आत्म निर्भरता, उपकरणों के स्वदेशीकरण और ऐसी क्षमता को उत्पन्न करने पर बल देना होगा ताकि हम अपने आक्रमक को या जो भी हमारी सीमा पर बुरी नजर डालता है उसे नाकों चने चबवा सकें।

उस परिस्थिति में, जब हम पाकिस्तान के बारे में विचार करते हैं तो हमें उसकी मजबूरियों को महसूस करना चाहिए। यह देश ऐसा क्यों और क्या कर रहा है? इस पर हमें अवश्य गौर करना चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान का उद्भव राष्ट्रीयता की गलत अवधारणा पर हुआ था कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते। दो राष्ट्र सिद्धान्त का यही अर्थ है।

इस प्रकार पाकिस्तान का उदय हुआ। और इसलिए पाकिस्तान की बुनियाद द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त पर टिकी है। इसीकारण पाकिस्तान जो कुछ भी करता है वह इसी नजरिये से करता हैं। आज पाकिस्तान स्वयं एक अखण्ड राष्ट्र नहीं है पाकिस्तान के अनेक भागों में नागरिक आन्दोलन, जनजातीगत-झगड़े-फिसाद और शिया-सुन्नी दंगे हो रहे हैं और सबसे मुख्य बात तो यह है कि अभी तक पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ने भली-भांति जड़ें नहीं पकड़ी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो कुछ

[श्री सुधीर सावन्त]

भी करेगा वह द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त की इसी बुनियाद के आधार पर करेगा। इसीलिए भारत के सन्दर्भ में भी, वह कभी भी अपने यहां हिन्दुओं और मुसलमानों को संगठित नहीं होने देगा।

3.00 म० प०

पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों को विभाजित रखना है, ताकि भारत संगठित न हो सके और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में न उभर सके, जिससे कि पाकिस्तान की बुनियाद को, उसके द्वि-राष्ट्रीय सिद्धांत को खतरा न पहुंचे। अन्यथा पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और यह विखंडित हो जायेगा और यही कारण है कि आज हम सब देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्धित हमारे मित्र इस मुद्दे की गम्भीरता को महसूस करें।

तीन वर्ष पहले तक मैंने राज जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में कभी नहीं सुना था और आज यह मुद्दा बहुत ही जोरों से उभर कर सामने आया है। तीन वर्ष पहले जम्मू और कश्मीर की स्थिति खराब नहीं थी। वर्ष 1987 में, मैं जम्मू और कश्मीर में सेवारत था। लेकिन बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि और कश्मीर मुद्दे में गूढ़ सम्बन्ध है।

3.01 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

मैं सभा का ध्यान कश्मीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज इस सभा में हमारी रक्षा को ऐसी पवित्र गाय समझा जाता है जिसे हाथ लगाना वर्जित है लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये ही सब मुद्दे हैं। क्योंकि यदि हिन्दु और मुसलमान संगठित होते हैं, तभी हमारे प्रिय नेता श्री राजीव जी के सपनों के सुदृढ़ अखंड और आधुनिक राष्ट्र का उदय होगा। और इसलिए इस देश को संगठित करने के लिए तथा एक शक्तिशाली और अखंड भारत के निर्माण के लिए हिन्दु, मुसलमान सिख तथा इस देश के समस्त जातीय समूहों और सभी विभाजित शक्तियों को एकजुट करने हेतु आपको हरसंभव प्रयास करना होगा। यह हमारे रक्षा तन्त्र का प्रथम उद्देश्य है।

जब हम राम की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस राष्ट्र में सबसे बड़े रामभक्त हनुमान हुए हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि राम कहां हैं तो उन्होंने अपने ही सीने को चीर कर दिखाया कि राम यहां हैं। इसलिए राम किसी मन्दिर में नहीं है। राम अत्यधिक पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में राम ने ही राम-राज्य स्थापित किया था। और राम-राज्य क्या है? राम राज्य का अर्थ है खाना, पानी आवास और वस्त्र प्रदान करना; राम राज्य अनुकम्पा, प्यार, भाईचारा है; राम राज्य विधि का शासन है। उसमें यही सत्र दिया जाता है? राम-राज्य की शासन प्रणाली का स्पष्ट वर्णन हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, मौलिक सिद्धांतों के अन्तर्गत किया गया है। उनसे आपको पता चल सकता है कि कैसे इस देश में राम-राज्य की स्थापना की जाये और इस कारण इस देश में प्रत्येक भारतीय का धर्म भारत का संविधान हो सकता है और हमें इसका आदर करना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): भगवान का नाम आप जितनी बार लेंगे, आपका कल्याण ही होगा। **(व्यवधान)**

श्री सुधीर सावन्त : आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रूल आफ ला नाम की जो चीज है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, आप बोल दें, कोर्ट का हम नहीं मानेंगे (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अभी तक मेरा 'ालन-पोषण सशस्त्र बलों की धर्म निरपेक्ष परम्पराओं में हुआ है। यह परम्परा इस राष्ट्र की अखंडता के लिए तथा एक सुदृढ़ रक्षा संरचना हेतु आवश्यक है। यही कारण है कि मैं यहां इस विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सीमा की तो रक्षा हो नहीं रही।

श्री सुधीर सावंत : सीमा की रक्षा करने के लिए फौज समर्थ है, आपकी उसमें जरूरत नहीं है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

मैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं। हमें धार्मिक भेदभाव और जातीय भावनाओं से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए और इस प्रकार से ही हम इस देश की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं क्यों विदेशी ताकतें इस राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने की तथा इसे विघटित करने की कोशिश कर रही हैं। आज खतरा देश के बाहर से नहीं बल्कि देश के अन्दर से ही है और इसीलिए मैं यहां जोर देने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब आप सुरक्षा नीति तैयार करते हैं तो आपको न केवल बाहरी खतरों को ध्यान में रखना होगा, बल्कि उन आन्तरिक खतरों का भी ध्यान रखना होगा, जोकि इस राष्ट्र को विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज इस देश में कौनसा मंच इन सब मुद्दों की जांच कर रहा है। आज के इस बहु-ध्रुवीय विश्व के परिपेक्ष में, जहां कि विभिन्न राष्ट्र को ि घटित करने की कोशिश कर रही है, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो ऐसी लघु कालिक तथा दीर्घ कालिक सुरक्षा नीति तैयार करने हेतु, जिसे कि प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सके, कौन सा मंच इन सभी परिस्थितियों की जांच कर रहा है?

हमने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में सुना है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में यह लिखा गया है कि इस परिषद का गठन हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि वह सभी परिस्थितियों को सम्भाल पायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है, लेकिन इसे और भी व्यापक होना चाहिए। इस परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था सिर्फ सैनिकों का कार्य नहीं है। किसी भी देश की सुरक्षा विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न मंत्रालयों का कार्य है, जिन्हें एक साथ मिल कर सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। इस कारण हमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन के सम्पूर्ण मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि इससे राष्ट्र का हित हो सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सम्बन्ध में एक और बात यह ध्यान देने वाली है कि किस प्रकार से हमारी सुरक्षा योजना, सुरक्षा नीति तैयार की जाती है? यह बात महत्वपूर्ण है। आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के वास्तविक मूल्यांकन की है। यह मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है? अच्छे अन्वेषण द्वारा रोजमर्रा की समस्याओं पर भली-भांति विचार करके अथवा अर्थव्यवस्था तथा

[श्री सुधीर सावन्त]

विज्ञान, भविष्य में विज्ञान द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब बातों का अच्छे ढंग से अनुमान लगा कर यह मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः जब हम अन्वेषण की बात करते हैं तो यह मूल्यांकन कहां रहता है? मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं दुःख पूर्वक कहूंगा कि आज देश में विविध प्रकार की खुफियां एजेंसियां हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं और अधिकांश समय वे गलतफहमी का शिकार होकर कार्य करती है। मैं नहीं समझता कि आज जो परिस्थिति है, आज खुफिया एजेंसियों की जो स्थिति है, वह एक अच्छी नीति तैयार करने हेतु नीति निर्धारक संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सराहनीय योगदान देगी।

विभिन्न खुमिया एजेंसियों के बीच बहुत ही अधिक प्रतिस्पर्धा है, उनमें आपस में आगे बढ़ने की होड़ लगी है, जिसके कारण वास्तविक आसूचनायें जिनकी आवश्यकता नीति निर्धारकों को है, उन तक वास्तविक रूप में और उचित समय पर नहीं पहुंच पाती है।

इस कारण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करते समय हमें अपनी सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का इस प्रकार से पुनर्गठन करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लाभ पहुंच सके। मैं यहां यह सिफारिश करूंगा कि खुमिया कार्यों का निरीक्षण करने हेतु इस सभा की एक समिति गठित की जानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका में खुफिया कार्यों पर निगरानी हेतु एक प्रवर समिति है। अन्य देशों में भी यह व्यवस्था अपनायी गयी है। क्योंकि जहां समन्वय की आवश्यकता है, वहां यह सभा अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है।

सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण के सम्बन्ध में बहुत बातें की जाती रही हैं। इनका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इसके साथ ही सशस्त्र बलों का राजनैतिक मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए। क्योंकि आखिर इन सब का सार क्या है? इनका सार हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तैयारी और उनका निर्धारण करना है, हमारी राष्ट्रीय योजनाओं की तैयारी करना है और हमारे सैन्य बलों को एक लक्ष्य प्रदान करना है। केवल तब ही इस लक्ष्य को आधार बना कर हम अपने सामजिक योजनाओं को तैयार कर सकते हैं और फिर इस राष्ट्र की सुरक्षा हेतु आवश्यक सैन्य शक्ति का विकास कर सकते हैं। क्या इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं। लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध बहुत ही पुराने हैं और इनमें नया कुछ भी नहीं है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है, जोकि बहुत ही उत्साहवर्द्धक संकेत है। हम आशा करते हैं कि आज जो विवाद है उसे मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाया जा सकता है।

आखिर चीन और भारत के बीच क्या समस्या थी? वर्ष 1962 का युद्ध क्यों हुआ था? इस मौलिक मुद्दे पर कि भारतीय सीमा क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा कर लेने के पश्चात भी क्या भारत और चीन के बीच वार्ता यथा-स्थिति या उससे पूर्व की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। हमने यह रुख अपनाया था कि हमें युद्ध से पहले की स्थिति के आधार बनाना चाहिए जबकि चीन ने इस बात पर जोर दिया था कि वार्ता सिर्फ अब जो स्थिति है, उसके आधार पर ही हो सकती है। युद्ध इसी कारण हुआ था

मैंने उस समय संसद में विभिन्न नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दिये गए भाषणों का अध्ययन किया। यह स्मरणीय है कि लोगों ने कहा था कि हम अन्तिम क्षण तक लड़ेंगे और भारतीय सीमा क्षेत्र की एक इन्च भूमि भी नहीं देंगे। उस समय विपक्ष ने एक अहंकार भरा रवैया अपनाया इसने जवाहर लाल नेहरू पर दबाव डाला और हमने अहंकार भरा रवैया अपनाया इसी कारण 1962 का युद्ध छिड़ा। इस प्रकार सुरक्षा से सम्बन्धित गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों का परिणाम विध्वंसात्मक हो सकता है। इसलिए इस बात पर हम सहमत हैं कि जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करें तो हमारे बीच मतैक्य होना चाहिए।

श्री राम कापसे : चीन के साथ युद्ध के दौरान आपने विपक्ष की भूमिका का वर्णन किया है। मैं आपके सुझाव जानना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, एक सामान्य सी बात है जिसे मैं पहले ही कह चुका हूं। शायद आपने इसे सुना नहीं। मैं कह रहा था कि जब दोनों देशों के मध्य बातचीत का प्रश्न उठता है। उस समय हमें यथा-स्थिति या उससे पूर्व की स्थिति का राग नहीं अलापना चाहिए। हमें खुले रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। यदि चीन युद्ध के समय ही, सही वक्त पर इस मुद्दे पर चर्चा की जाती तो यह युद्ध होता ही नहीं। और उस समय बहादुरी से लड़ते हुए अनेक सैनिकों ने जो अपने जीवन का बलिदान दिया था उसकी नौबत नहीं आती।

इसलिए मैं कह रहा था कि जब इस सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है, तो उसे जिम्मेदारी के साथ और राष्ट्रीय सहमति को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। सुरक्षा सम्बन्धी किसी भी मामले में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो यह बात अतिआवश्यक है। इस समय सभी राजनीतिक दलों से मेरा यही अनुरोध है।

अब रक्षा सेनाओं की बात लें। वहां हर बात इतनी अच्छी नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए मैं अभी ही सेवामुक्त हुआ हूं। यदि सभा के समक्ष मैंने तथ्यों को पेश नहीं किया तो मैं अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा पाऊंगा। ···**(व्यवधान)**···शासकीय गुप्त बात अधिनियम निश्चित रूप से हमारी सीमा तय करता है। लेकिन आज समस्या क्या है? इस नए वातावरण में, नयी विश्व-व्यवस्था में, नये प्रकार के खतरों में, नयी परिस्थितियों में हमें यह देखना चाहिए कि हम इस नए वातावरण को अपना पा रहे हैं अथवा नहीं। क्या कुछ हुआ है? दुर्भाग्यवश, हमारे सशस्त्र-बल ब्रिटिश ढंग पर आधारित हैं। आज सशस्त्र-बलों की बुनियादी बातें प्रवृत्ति और संस्कृति बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की सी होकर रह गयी है।

यदि आप सेना की किसी यूनिट में जाएं, तो पाएंगे कि कई बातों में और बातचीत में अंग्रेजी का प्रभाव है। यह किसी का दोष नहीं है। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते। किन्तु यह सेना में है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदलना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें देश की सुरक्षा की जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढालना होगा। उदाहरण के तौर पर ड्रिल को लें। सेना में 'ड्रिल' की क्या आवश्यकता है? पुराने दिनों वे युद्ध व्यूह रचना के अनुसार लड़े जाते थे। व्यूह रचना होती थी। वे एक उचित क्रम में दुश्मन की ओर बढ़ते थे। इसीलिए सेना में 'ड्रिल' का प्रारंभ हुआ। हमारे यहां यह अभी भी जारी है। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप सभी रीतियों का पालन कर सकते हैं। किन्तु, हमें इसे अधिक नहीं करना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं की इस समारोह संबंधी रीति को कम कर देना चाहिए! इसलिए, हमें अपने मूलभूत ढांचे से पुनः संगठित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा। सिर्फ तभी हम एक विश्वसनीय

[श्री सुधीर सावन्त]

रक्षा तंत्र बना सकते हैं। जिसमें अपेक्षित बल हो और जो आधुनिक हो। यहां मैं इस बात पर बल दूंगा कि रक्षा सेनाओं में, हमारे पास उत्तम सैनिक हैं, श्रेष्ठ कनिष्ठ अधिकारी हैं और ऐसी मानव शक्ति है, जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार है और इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। किन्तु यही मत मैं राजनीति के बारे में नहीं कह सकता। अभी तक जो युद्ध लड़े गए हैं, हम उनके इतिहास पर एक दृष्टि डालें। 1960 में प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक कनिष्ठ अधिकारी आखिरी क्षण तक और आखिरी गोली रहने तक लड़ा। किन्तु रणनीति में हम असफल रहे। 1965 में, मैं उस एक यूनिट में था, जिसे सुबह टैंकों ने घेर लिया और भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए और 50 प्रतिशत सैनिक बिना किसी गलती के बंदी बना लिए गए। यह इस कारण हुआ कि उन्होंने रात भर निगरानी रखकर रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। उनमें कोई आपसी ताल-मेल नहीं था, कोई योजना नहीं थी और सुबह टैंक आए नहीं और इसलिए पाकिस्तानी टैंकों ने यूनिट को घेर लिया। कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। 1965 में, चम्ब क्षेत्र में, हम हार गए। किन्तु, यह गत्यावरोध था। हम हारे इसलिए नहीं चूंकि दूसरा पक्ष भी रणनीति में हमारी ही तरह था। 1971 के युद्ध में, हम जीत गए। किन्तु यहां हमें एक पहलू पर ध्यान देना होगा। हम बांग्लादेश पर विचार करें। उनकी सेनाओं का प्रदर्शन प्रशंसनीय था। इस पर, मुझे एक संदेह है। बांग्लादेश की लड़ाई जब समाप्त हुई क्या वह उससे एक सप्ताह पूर्व समाप्त नहीं हो सकती थी? क्या शुरू से ही ढाका को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए लक्ष्य माना गया था। हमने कई दिशाओं से आक्रमण किया। और इसीलिए, मेरे विचार से लड़ाई लम्बी खींच गई। युद्धकौशल का अर्थ होता है कि हमें सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना है और उनका इस प्रकार उपयोग करना है कि यथासम्भव न्यूनतम समय में विजय प्राप्त हो और मृतकों की संख्या यथासम्भव न्यूनतम रहे। युद्धकौशल का अर्थ यही होता है। 1971 में, चम्ब क्षेत्र में, सेनाएं जानती ही नहीं थी कि उन्हें क्या करना है। हमारी टुकड़ी को मनोवर तवी के पार लगा दिया गया और इसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया जबकि ब्रिगेड ने सुरक्षा की तैयारी नहीं की थी। क्या हुआ? पाकिस्तान ने आक्रमण किया और चम्ब क्षेत्र में हमें पराजय मिली और फौज को वापस लौटना पड़ा। इस प्रक्रिया में, सेनाध्यक्ष से लेकर डिवीजनल कमाण्डर और ब्रिगेड कमाण्डर भी शामिल थे। उस क्षेत्र के लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई। इसीलिए, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अन्यथा, हमारी सेनाओं ने अच्छा कार्य किया होता। किन्तु, जहां तक रणनीति का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं। 'इण्डिया टूडे' में श्री सुन्दरजी ने भी कहा था कि अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी···* 'इण्डिया टूडे' में श्री सुन्दरजी ने यह वक्तव्य दिया था। अगर यह स्थिति है, तो हमें पुनः आकलन करना होगा कि स्थिति ऐसी क्यों है।

सभापति महोदय : श्री सुधीर, मेरे विचार से आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से इसे कार्यवाही वृत्तान्त में इन शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री सुधीर सावंत : सभापति महोदय, मुझे खेद है। किन्तु मैं समझता हूं कि यह···का हिस्सा है···

(व्यवधान)

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : कई अधिकारी अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं और कई अधिकारी निष्क्रिय होते हैं।

श्री सुधीम सावंत : मैं एक सेनाध्यक्ष की बात से उद्धृत कर रहा हूं जोकि एक सेवानिवृत्त थल सेनाध्यक्ष हैं। किन्तु यह सत्य हो सकता है या नहीं। किन्तु मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे प्रत्येक रक्षा परिषद में होने का सौभाग्य मिला और मैं समझता हूं कि हमारे सारे सेनाध्यक्षों का हवाला देना उनकी मानहानि करना है……*

सभापति महोदय : इसीलिए, मैंने इसे कार्यवाही में से निकालने का निर्देश दिया है।

श्री फ्रैंक एंथनी : महोदय, आपको इस अभिव्यक्ति को कार्यवाही में से निकाल देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वह सिर्फ उद्धरण दे रहे थे।

श्री सुधीर सावंत : यह मेरा मत नहीं था। मैं एक सेवानिवृत्त थल सेनाध्यक्ष का उद्धरण दे रहा था। एक थल सेनाध्यक्ष ऐसा क्यों कहता है? मैं खराब रणनीति की बात कर रहा था और इसीलिए मुझे सेवानिवृत्त थल सेनाध्यक्ष का उद्धरण देना पड़ा।

श्री राम कापसे : क्या सेनाध्यक्षों की भूमिका पर यहां इस प्रकार से चर्चा होनी चाहिए। आप कृपया इस मामले पर ध्यान दें…

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को पूरा अधिकार है कि वह जो चाहता है वह बोले।

श्री सुधीर सावंत : यह सदन में वाक्-स्वातंत्र्य का प्रश्न है…

श्री राम कापसे : मैं पूरे मामले पर सभापति की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप निर्णय करें कि क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस समय सभापति होने के नाते, मैं अपनी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने पहले ही उस भाग को कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया है।

श्री सुधीर सावंत : मैंने यह सब क्यों कहा? मैं दुःखद स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता था। मैं यहां कनिष्ठ अधिकारियों और सामान्य सैनिकों की आवाज उठाना चाहता था। मैं एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मेजर के पद पर सेवानिवृत्त हुआ था। सेना में, मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। मेरा सेना का अनुभव इतना नहीं था कि वह मुझे एक असंतुष्ट अधिकारी बनाता। मैंने सभी प्रशिक्षण पूरे किए मैं डी०एस०एस०सी० में था और अगली पदोन्नति लेने को तैयार था मैं एक असंतुष्ठ अधिकारी की भांति नहीं बोल रहा। किन्तु मैं स्थिति की यथार्थता प्रस्तुत करना चाहता हूं। सियाचिन अभियान तीन ब्रिगेडियरों की कमान में हुआ था। ब्रिगेडियर जल मास्टर को मेजर जनरल नहीं बनाया गया। ब्रिगेडियर नोग्या भी एक श्रेष्ठ अधिकारी थे। बाना चौकी पर उनकी कमान में कब्जा किया गया था। 1971 के बाद सिर्फ बाना आपरेशन के लिए परमवीर चक्र दिया गया। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा लगातार किये गये आक्रमणों का विरोध किया गया। सारा क्षेत्र बदल दिया गया। आपको सियाचिन

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री सुधीर सावन्त]

के खराब मौसम का ज्ञान होना चाहिये। जब टनों बर्फ गिरती हैं तो यह जवानों के शरीर को टुकड़ों में काट देती हैं और हमें अन्तिम संस्कार के लिये इन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है। सियाचिन में यह स्थिति है इस स्थिति में हमारी सेनाएं रहती हैं। इसीलिए, उनके लिए एक योग्य कमाण्डर होना चाहिए जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह समर्थ अधिकारी जिसे उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में था और पर्याप्त योग्य था, उसे अगले पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। मैं तीन ब्रिगेडियर कमाण्डरों की बात कर रहा था। और तीसरे ब्रिगेडिया नानावती थे। उस अधिकारी ने दुर्गम क्षेत्रों में और सैन्य संचालन में अपनी सेवाएं अर्पित की। किन्तु वे एन०डी० सी० में नहीं आ पाए···

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपको यहां कोई नामोल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री सुधीर सावंत : मैं इन सब बातों को उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि आज किस प्रकार का वरिष्ठ स्तरीय ढांचा विद्यमान है और क्या होना चाहिए। ये तीनों कमाण्डर···

सभापति महोदय : कृपया नामों का उल्लेख न करें।

श्री अमल दत्त : वह इन अधिकारियों के बारे में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं कर रहे। वह उन पर दोष नहीं लगा रहे···

सभापति महोदय : वह उन पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे। वास्तव में, वह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा, कि इसकी अनुमति देने में कोई नुकसान नहीं है···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हमें नियमों से परिचित होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह थलसेना की पदोन्नति नीति से सम्बन्धित है।

श्री अमल दत्त : मैं इस मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे यह माननीय मित्र अधिकारियों की आलोचना नहीं कर रहे। बल्कि, वह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनका नाम लेने का उन्हें पूरा अधिकार है। इस पर उन्हें रोकना नहीं चाहिए। नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्व सूचना तभी देनी होती है जब आप आलोचना करते हैं या करना चाहते हैं। यहां, उन्हें अनुमति मिलनी चाहिए।

श्री सुधीर सावंत : मैंने यह बात इसलिए उठाई है क्योंकि एक अधिकारी जिसने दुर्गम क्षेत्रों में कार्य किया हो और जिसे शत्रु और प्रकृति दोनों की चुनौतियों का सामना करना पड़े और उनसे लड़ना हो, उसे पदोन्नति के योग्य नहीं माना जाता। किन्तु यदि वही अधिकारी पठानकोट, पुणे या सिकन्दराबाद जैसे सुगम क्षेत्रों में कार्यरत हो तो उसे अगले पद पर पदोन्नत कर दिया जाता हैं। इसका क्या औचित्य है ? यह क्यों हो रहा है ? इसीलिए मेरा मत है कि सम्पूर्ण पदोन्नति नीति पर पुनर्विचार करना होगा। आज, सशस्त्र सेनाओं में मुझे सर्वप्रथम अपने अधिकारी को प्रसन्न करना होता है और सिर्फ तभी मैं पदोन्नति की आशा कर सकता हूं। अगर मैं सीधा चलूं। और अगर मैं ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य निभाना चाहूं तो मुझे अगली पदोन्नति नहीं मिल सकती। आज भारतीय सेना के युवा अधिकारियों के मस्तिष्क में यह मनोवैज्ञानिक भय व्याप्त है। क्या हम इस भय को दूर करेंगे ? इसीलिए, मैंने पूछा कि सेना में राजनैतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। एक राजनैतिक निर्देश की आवश्यकता है या

नहीं। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सदन पर है। क्या हम इस मामले पर विचार नहीं करेंगे? जैसाकि राव राम सिंह जी ने भी कहा है। अगर मुझे कोई शिकायत है तो मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना होगा। फिर यह क्रम आगे चलेगा। सेना में एक सी०ए०बी० है जिसमें सिर्फ सैन्य अधिकारी होते हैं। मैं कहूंगा कि जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है, सी०ए० बी० का रूप बदलना होगा और सिविल अधिकारियों को इस संघ में शामिल करना होगा।

जब हम सुधार की बात करते हैं तो……

श्री फ्रैंक एंथनी : मेरे मित्र ने जो कहा है उन पर मैं उन्हें बधाई नहीं दूंगा। "जैसाकि समाचार पत्रों में कहा गया, कृष्णा मेनन को रक्षा मन्त्री के पद से हटाने के लिए मैं जिम्मेदार था।" आपने मेरे भाषण में से ले लिया। मैं 1962 से उन्हें दोषी मानता था क्योंकि वह रक्षा मन्त्री थे जो अत्यन्त उदार थे। वे नाम लिखा करते थे और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया करते थे। उन्होंने अब तक के सबसे खराब सेनाध्यक्ष को कमान सौंपने की गलती की और सेना को हतोत्साहित किया। अन्यथा हम आसानी से उन्हें हरा सकते थे या धूल चटा सकते थे।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : श्री एंथनी, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं, तो मैं निश्चय ही आपको बोलने का समय दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री फ्रैंक एंथनी : महोदय, उस समय उन्होंने मुझे दोष दिया था, किन्तु अब वह सारी व्यवस्था को दोष दे रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत मैं सिर्फ दोषों को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहा हूं। सेना में काफी विशेषताएं भी हैं उनको भी मैं बताऊंगा। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमें विचार करना होगा और इन दोषों को दूर करने के लिए एक नीति तैयार करनी होगी।

सशस्त्र सेनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किन्तु राजनैतिक निर्देश अवश्य होना चाहिए। आज यह हो रहा है कि यदि आप एक होटल प्रबन्धक के समान अच्छे तौर तरीके जानते हैं आप अच्छी अंग्रेजी जानते है, आप 'मैंड माडल' पर बोल सकते हैं आप सामाजिक रूप से स्वयं को अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं तो आप पदोन्नति के योग्य हैं। आज यह स्थिति नहीं है जो पहले थी। आज अधिकारी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। बेशक वे देशभक्त हैं उनका दृष्टिकोण सामान्य है किन्तु मेरा आग्रह यह है कि प्रतिभा को अधिमानता दी जानी चाहिए और सिर्फ प्रतिभा के आधार पर ही पदोन्नति नीति बनानी चाहिए क्योंकि इससे एक सैनिक के मनोबल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

हथियार से अधिक महत्वपूर्ण है हथियार चलाने वाला व्यक्ति। हम कोई भी हथियार बना सकते हैं, किन्तु यदि वह व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, वह सन्तुष्ट नहीं है, तो वह अपना जीवन बलिदान नहीं करेगा हम यहां बलिदान की बात कर रहे हैं, प्रबन्ध की नहीं। हमें कमान्डर चाहिए, प्रबन्धक नहीं।

हमें ऐसे कमाण्डरों की आवश्यकता है जो युद्ध में सेना का नेतृत्व कर सकें तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। हमें ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत हैं। अधिकारी वर्ग ही सेना में ऐसा उत्साह जगा सकता है। इसीलिए मैंने मांग की थी कि सम्पूर्ण रक्षा ढांचे पर पुनर्विचार किया जाए ताकि आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम सेना में वह विशेष प्रकार का उत्साह उत्पन्न कर सकें।

[श्री सुधीर सावन्त]

अब मैं पैदल सेवा के सिपाहियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब हम सेना की बात करते हैं, सिपाहियों की बात करते हैं, तो ये पैदल सेना के सिपाही ही होते हैं जो इस समय सीमाओं पर लड़ रहे हैं। अतः सीमाओं पर कौन लड़ रहा है ? यह पूरी सेना नहीं है बल्कि यह बेचारा पैदल चलने वाला सिपाही है जो सीमा पर खड़ा हुआ है तथा लड़ रहा है। इस समय पैदल सेना के किसी जवान को एक शान्त क्षेत्र पर दो वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाता। उन दो वर्षों के दौरान क्या उसकी नियुक्ति दिल्ली अथवा पुणे में की जायेगी ? वह क्या करता है ? वह व्यायाम करता है। उसे उस स्थान विशेष की कानून और व्यवस्था की स्थिति की देख-रेख करने के लिए तैनात किया जाता है अतएव किसी पैदल सिपाही को राहत नहीं दी जाती। वह अपना परिवार अपने साथ नहीं रख सकता। सियाचिन की सीमा पर लड़ने वाले सिपाही के लिए हम क्या कर रहे हैं ? क्या उसके लिए किसी विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है ? स्वेच्छा से आगे आने का ही मामला लीजिए। भारतीय सैनिक अकादमी में पिछले पन्द्रह वर्षों में आप देखेंगे कि पांच प्रतिशत से भी कम अधिकारियों ने पैदल सेना के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। ऐसा क्यों है ? क्योंकि युद्ध की दृष्टि से इनका महत्व सबसे अधिक है। सिपाहियों को टैंकों सहित शत्रु पर अपनी राइफलों से हमला करना होता है। उन्हें अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ? क्या उनके लिए किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था हमने की है ? उनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसीलिए मेरा यह सुझाव है कि इन्फेंटरी कामबेट एलाउन्सेस देना तुरन्त किया जाना चाहिये। हमें उन व्यक्तियों को यह भत्ता देना चाहिये जो वास्तव में काम कर रहे हैं।

एक व्यक्ति जो सप्लाई डिपो में कार्यरत है तथा वह व्यक्ति जो पैदल सेना में है, उसे समान सुविधायें, वेतन तथा भत्ता मिलता है। परन्तु आप उन व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का प्रोत्साहन देने का विचार कर रहे हैं जो वास्तव में लड़ाई लड़ रहे है ? आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन सभी का पुर्निधारण करना चाहिये तथा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस बारे में विचार करना चाहिये। ऐसा इसलिये है क्योंकि देश की रक्षा का सम्बन्ध केवल सेना से ही नहीं है। हमें कुछेक मुद्दों पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। इन मुद्दों पर अरुण सिंह समिति द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। परन्तु जब मैंने विचारार्थ विषयों को देखा तो यह पाया कि जिस सम्बन्ध में मैं बात कर रहा हूं, उसकी पूर्ति इससे नहीं होती है। मैं तो इसकी सम्पूर्ण पुनरीक्षा करने की बात कर रहा हूं। अरुण सिंह समिति में तो केवल कुछ ही समस्याओं पर विचार किया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसका सम्पूर्ण विश्लेषण किया जाये। ऐसा किया जाना चाहिये तथा एक उचित रक्षा ढांचा विकसित किया जाना चाहिये। इस समय रक्षा बलों के लिये बजट में आवंटन किस प्रकार किया जाता है ? हम बजट में रक्षा के लिये कुछेक निश्चित राशि आबंटित कर रहे हैं। तत्पश्चात् बलों द्वारा और मांगें की जाती हैं। और फिर जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसे कुछ भागों में वितरित कर दिया जाता है। रक्षा के मामले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाना चाहिये। क्योंकि केवल धन से ही रक्षा के ढांचे को व्यवहार्य नही बनाया जा सकता।

इस बात की भी आलोचना की जाती है कि रक्षा व्यय में कटौती नहीं की जानी चाहिये। हमें ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिये। रक्षा-व्यय में कटौती क्यों नहीं की जानी चाहिये ? यदि ऐसा संभव है तो इसमें कटौती की जा सकती है। हमें उस पर गौर करना चाहिये।

सभापति महोदय : सावन्त जी, आपने पहले ही चालीस मिनट ले लिये हैं। अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री सुधीर सावन्त : मैं बस थोड़ी देर में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि एक उच्चतर स्तर के रक्षा ढांचे का निर्माण करने के लिये उपलब्ध कार्य शैली, उपलब्ध संसाधनों से परिपूर्ण एक संगठन गठित करने की आवश्यकता है न कि यह कि रक्षा-व्यय में कटौती की जाये।

हमें निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिये :

(1) हमारे देश में ऐसी सेना की आवश्यकता है जिसमें सभी युवाव्यक्ति हों। इस समय पैदल बटालियन के कमान्डिग आफीसर 42 वर्ष से भी अधिक उम्र के हैं। मेरी बटालियन जो सियाचिन गई थी उसके कमांडिग आफीसर पैंतालीस वर्ष के थे। आप इतनी उम्र के व्यक्ति से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह सियाचिन जैसी ऊंचाई वाले स्थानों पर जाये और युद्ध लड़ें। अतः आपको ऐसी सेना की आवश्यकता है जिसमें युवा व्यक्ति हों तथा हमारे यहां ऐसी सेना की आवश्यकता नहीं है जिसमें सभी अधिक उम्र के व्यक्ति हों।

(2) हमारी सेना छोटी होनी चाहिए परन्तु रिजर्व मे अधिक संख्या मे जवान होने चाहिए जिसका हम आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें एक ऐसी रिजर्व सेना होनी चाहिये जो एक निश्चित समय सीमा के अन्दर सीमाओं पर प्रभावी, कारगर नतीजा दे सके। इसका निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा।

(3) आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सेना में जवानों की संख्या अधिक हो परन्तु अधिकारी कम संख्या में हों। इस समय दस लाख सैनिकों में पैदल, सशस्त्र कोर तथा बख्तरबन्द फौज मिला कर हमारे सशस्त्र बलों का केवल पच्चीस प्रतिशत ही बन पाता है।

उनमें से अधिकांश वहां हैं। उसमें आयुद्ध डिपो भी, ई०एम०ई० तथा मैडिकल कोर इत्यादि भी शामिल हैं। अतएव हमें इस ओर ध्यान देना है। जब आप रक्षा बजट में कटौती करने के बारे में विचार करें, उस समय आपको इस बारे में भी विचार करना चाहिये कि क्या ये सारी सेवायें आवश्यक हैं।

आज आप दसवीं पास को जवान भर्ती कर रहे हैं। आपको सेना में शैक्षणिक सेवाओं की आवश्यकता क्यों है ? जहां तक सेना में शैक्षणिक कोर का सम्बन्ध है, मैंने देखा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय अकादमी के युवा अधिकारियों तथा जवानों को हिन्दी में पढ़ाते हैं तथा वह शिक्षा दसवीं के स्तर की है। वे उन्हें नक्शा पढ़ना भी सिखाते हैं। नक्शा पढ़ाना एक ऐसा विषय है जिसे यूनिट में ही व्यावसायिक अधिकारियों अथवा सैन्य दलों द्वारा ही सिखाया जा सकता है, उसके लिए उन्हें सेना के शैक्षणिक कोर से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) रक्षा क्षेत्र पर नाममात्र के लिए पेंशन का भार होना चाहिए परन्तु उन पर पेंशन भार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस समय यह 900 करोड़ रुपए है। अब वे मांग कर रहे हैं कि एक पद के लिए एक ही पेंशन दी जानी चाहिए। उनकी मांग उचित है परन्तु भार बढ़ता ही जा रहा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं ? अतएव यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए।

[श्री सुधीर सावन्त]

(8) सशस्त्र बलों में एक ही पद पर अधिक दिन बने रहने स्थिति को अधिक देर तक नहीं चलने दिया जा सकता। सशस्त्र बलों में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता जिसके स्थान पर किसी दूसरे को पदोन्नति की गयी हो क्योंकि एक सिपाही को यदि लेंस नायक भी नहीं बनाया जाता है, तो सेना में उसकी रुचि ही नहीं रहेगी। क्या आप ऐसे व्यक्ति से जिसकी सेना के विरुद्ध अनेक शिकायतें हों, उससे आप यह आशा करते हैं कि वह अपना जीवन बलिदान कर देगा ? आप उससे उसका जीवन बलिदान करने की आशा कैसे करते हैं ? अतएव सशस्त्र बलों में ठहराव की स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता, हम अधिक उम्र के जवानों वाली सेना के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी सेना में 34 अथवा 35 वर्षीय कमांडिंग आफीसर होने चाहिए जो फौज के साथ दौड़ सकें। सशस्त्र बलों में हमें ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। हमें केवल युवा सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए बूढ़े व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं हैं।

आपको एक दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सेना में पदोन्नति पाने के योग्य न हों, परन्तु वही व्यक्ति किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी में प्रबन्धक बन सकता है। मैं इस क्षेत्र पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि हमें एक निश्चित पद्धति विकसित करनी है तथा मेरा यह सुझाव है कि सरकारी सेवा, मे कार्यरत सभी व्यक्ति चाहे वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, अर्द्ध सैनिक बल अथवा पुलिस बल के हों, इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में भरती होना चाहिए, उन्हें पहले सेना में अवश्य होना चाहिए। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी कुछ समय के लिए सेना में कार्य करना चाहिए। विश्व भर में ऐसा किया जाता है। सोवियत संघ में सर्वप्रथम किसी व्यक्ति को सेना में भरती किया जाता है तथा उसके पश्चात् ही उसे किसी स्थान पर काम करने के लिए भेजा जाता है।

सभापति महोदय : तब तो सभी श्रेष्ट अधिकारी जायेंगे तथा प्रबन्धक बन जायेंगे ?

श्री सुधीर सावन्त : इसका कारण यह है कि इस समय सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी है तथा यह कमी केवल कैप्टन स्तर के पदों पर ही है, वरिष्ठ पदों पर यह कमी नहीं है क्योंकि उसमें ठहराव है तथा अब आप कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। सेना में पांच वर्षों तक भरती रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य बल में भरती के लिए जाता है। तो उसमें क्या हानि है ? उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण तथा प्रेरणा मिलती है, जबकि सेना में काम करते हुए उसने अनेक स्थान भी देखे होंगे। इससे राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा मिलता है।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक समिति गठित की जानी चाहिए तथा आपको इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए तथा यह निर्णय करना चाहिए कि क्या हमें अपनी सेना में और अधिक युवा व्यक्तियों को भरती करना चाहिए अथवा इसे वैसा ही रहने दें जैसी कि वह इस समय है।

ब्रिटिश शासन के दौरान एक व्यक्ति को सेना में सात वर्ष तथा रिजर्व में आठ वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी।

सभापति महोदय : आपने पचास मिनट ले लिए है ? कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुधीर सावन्त : जब हम अपने सशस्त्र बल, सुरक्षा बलों का पुनर्गठन कर रहे हैं, हम पुनः विभिन्न दूसरे पहलुओं पर विचार करने लगते हैं। सप्लाई कोर भी है जो सेना में राशन की सप्लाई करती है। पांच वर्षों के लिए ठेका दिया जाता है तथा ठेकेदार अनाज सप्लाई करता है। इस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सेना में अनाज की सप्लाई क्यों नहीं की जाती ? आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए जो पहले सेना में रह चुके हैं। यह कोई आदेश नहीं है। मैं इस मुद्दे पर केवल एक सुझाव दे रहा हूं। वे सप्लाई कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश के कोने-कोने में पहुंच गयी है तब यह सेना में भी राशन की सप्लाई कर सकती है, हमें सप्लाई करने के दूसरे वैकल्पिक तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए। इतनी छोटी पैदल सेना के लिए हमारे यहां ऐसी सप्लाई फोर्म नहीं चल सकती। हमें इसमें कमी करने की दिशा में विचार करना चाहिए तथा इस विषय में सभी मन्त्रालयों के विषय में हमें समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अब मैं चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य मन्त्रालय इसमें रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है ? वहां आर्मी हास्पिटल हैं जिनमें चिकित्सक कार्यरत हैं जो कि इससे पूर्व सेना में ही थे तथा उनमें देखभाल करने वाले सहायक भी हैं जो कि इससे पूर्व सेना से थे। वे दिल्ली में ही ठहरे हुए हैं। वे रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। वे सशस्त्र बलों की देखभाल कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए कोई ऐसा विभाग क्यों नहीं हो सकता ?

अब मैं यह कहूंगा कि सेना की ई० एम० ई०, इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इन्जीनियरिंग विंग जो सेना के वाहनों में मरम्मत का कार्य करती है, उसके बारे में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सिविल सेक्टर में एक ऐसा संगठन हो जो सेना के मारुति जिप्सी वाहनों की मरम्मत का कार्य कर सके ? वे यह कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं ? इस कार्य को करने के लिए हमारे यहां एक विशिष्ट संगठन ही क्यों होना चाहिए ?

यह संगठन विशेष जिसके पास सभी संसाधन हैं तथा जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, युद्ध के समय काम आ सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कार्यरत लोग युद्ध के समय सशस्त्र सेनाओं में कार्य कर सकते हैं।

जहां तक डाक सेवा का सम्बन्ध है, सशस्त्र सेनाओं की काफी बड़ी डाक सेवा है तथा इनके सी० बी० पी० ओ० कलकत्ता में बैठते हैं।

यदि आप इनके कर्मचारियों की संख्या पर गौर करें तो पायेंगे कि यहां कितनी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। क्या हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जिसके द्वारा वर्तमान डाक नेटवर्क इस देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच सके ?

जहां तक आसूचना सेवाओं की बात है, सेना आसूचना अन्य प्रत्याश्रित संगठन नहीं चाहेगा। उनकी भूमिका सीमित है और वे सक्षम नहीं है। देश में अन्य विभिन्न अभिकरण मौजूद हैं तथा सभा की एक प्रवर समिति को इन बातों पर गौर करना चाहिए तथा आसूचना गतिविधि को पुनर्संगठित करने तथा उन पर निगरानी करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि वहां काफी अधिक पैसा बिना हिसाब के खर्च किया जा रहा है। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। इसीलिए हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए।

मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं और यह लगता है कि मुझे केवल कुछ ही मुद्दे रखने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुधीर सावंत : मैं अब समान रैंक समान पेंशन वाला मुद्दा लूंगा।

सभापति महोदय : अन्तिम मुद्दा।

श्री सुधीर सावंत : समान रैंक समान पेंशन इसके द्वारा इन पेंशनधारियों को अन्य सेवाओं के पेंशनधारियों के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत : क्यों नहीं ?

श्री सुधीर सावंत : संविधान के अनुच्छेद-14 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है और इसमें समानता की बात की गयी है। लेकिन यह समानता भी उन लोगों के मध्य जोकि समान परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। यह सार्वभौलिक समानता की बात नहीं है। आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बराबरी ब्राह्मण के साथ नहीं कर सकते हैं। आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते है। इसी वजह से हमने संविधान में संशोधन किया, हमने संविधान में सुधार किया।

अत: अनुच्छेद 14 बहुत स्पष्ट है। संविधान बहुत स्पष्ट है। हमें सशस्त्र बलों के कर्मियों पर निकट से गौर करना चाहिए और उन हालातों पर गौर करना चाहिए जिनका वे सामना करते हैं। उन्हें अपनी जवानी का प्रमुख हिस्सा अपने परिवारों से दूर बिताना पड़ता है जहां कि देश का कोई भी सिविल का आदमी नहीं जाता है। सियाचिन में एक कौवा भी नहीं उड़ता है लेकिन हमारे सशस्त्र बल विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। भारतीय सेना के जवान वहां जाते हैं और अपने अंग और जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं तथा इसमें उनमें अन्य क्षेत्रों के लोगों से भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। हमें इन हालातों पर गौर करना चाहिए और तुरन्त मांगी गयी पेंशन दे देनी चाहिए। इसके बारे में दो राय नहीं है।

जो कुछ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने किया था, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत : क्यों ?

श्री सुधीर सावंत : उन्होंने केवल तदर्थ राशि ही दी है। इससे भूतपूर्व सैनिकों की मांग पूरी नहीं होती है। यह तो केवल खैरात दी गयी है। हम खैरात नहीं चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं और न्याय तभी मिल सकता है जब आप समान रैंक समान पेंशन के सिद्धांत को माने और कुछ नहीं। हमें तदर्थ अनुदान नहीं चाहिए।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आप यह भी नहीं कर रहे हैं। यह खैरात नहीं है। कोई भी हमारे सेना के अधिकारियों को खैरात नहीं दे सकता है। सरकार उनकी मांग पूरी करना चाहती है। यह कहना बेइज्जती की बात होगी कि हम अपने अधिकारियो, अपने जवानों को खैरात दे रहे हैं। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं।

श्री सुधीर सावंत : माननीय रक्षा मन्त्री भूतपूर्व सैनिकों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। वह इस देश के पहले मुख्यमन्त्री थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य विघटन से प्रभावित लोगों को 300 रुपये की पेंशन देना शुरू किया था। और कहीं भी ऐसा नहीं किया गया था। मुझे विश्वास है कि आज उनकी चिन्ता का मुख्य विषय यह है कि जवानों को उनका हक कैसे दिलाया जाये। मैं समझता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सभी उपाय करेंगे। वह महाराष्ट्र सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों

के लिए एक विभाग शुरू किया। और इसीलिए अब भूतपूर्व सैनिकों का भविष्य अच्छे हाथों में है और हमें विश्वास है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धैर्य से सुना और मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री राजागोपाल नायडू रामासामी।

श्री अमल दत्त : महोदय, अब हमारी बारी है।

सभापति महोदय : उन्होंने पिछले सभापति को अनुरोध किया था कि उन्हें अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें कहीं जाना है और मुझसे पहले सभापति मेरे लिए एक दिशानिर्देश छोड़ गये हैं कि मैं उन्हें अनुमति दूं। मैं जानता हूं कि अब आपकी बारी है।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरिया कुलम) : माननीय सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनैत्र कड़गम की तरफ से मुझे रक्षा मंत्रालय को वर्ष 1991-92 से संबद्ध अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा में भाग लेते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, इस वर्ष रक्षा बजट में 4 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। यह वृद्धि बहुत ही अपर्याप्त है। बढ़ते हुए सुरक्षा खतरों से जझने के लिए आधुनिकीकरण और आधुनिक हथियारों को प्राप्त करना आवश्यक है। अतः इस आबंटन में काफी अधिक वृद्धि होनी चाहिए।

महोदय, सुरक्षा सम्बन्धी मसलों पर विचार करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। इस सभा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या यह परिषद अभी है या नहीं। अभी तक तो परिषद में प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री वित्त मन्त्री, गृह मन्त्री और विदेश मन्त्री सदस्य के रूप में होते थे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को परिषद के सदस्य के रूप में सम्मिलित करें। केवल वे ही परिषद को व्यावसायिक तक तकनीकी परामर्श दे सकते हैं।

महोदय, अमरीका में रक्षा बलों के संयुक्त प्रमुख होते हैं। हमें भी वरिष्ठ सेना प्रमुख को हमारे रक्षा बलों के संयुक्त प्रमुख के रूप में नामांकित करना चाहिए। इससे थलसेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अच्छा समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा।

महोदय, समय आ गया है कि हम अपना रक्षा उत्पादन बढ़ायें। मैं रक्षा मन्त्री के उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने रक्षा उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी ताकि अन्य राष्ट्रों को भी इसका निर्यात किया जा सके। इससे निश्चित रूप से हमारे देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

हमारे सुरक्षा खतरों में भी कई गुणी वृद्धि हुई है। हमारे रक्षा बलों की हिमालय की सीमा पर पारम्परिक रूप से ज्यादा तैनाती से हमारी रक्षा सम्बन्धी तैयारी संतोषजनक नहीं है।

युवा प्रधानमन्त्री की निर्मम हत्या अभी तक हमारे दिमाग पर अंकित है। द्राविड़ मुनैत्र कड़गम के शासन के दौरान लिट्टे के जो शिविर लगाये गये थे श्रीलंका और हिन्द महासागर में जो अमरीकी बेस बनाये थे उन्होंने हमारे रक्षा व्यवस्था को काफी बदल दिया है। द्राविड़ मुनैत्र कड़गम जिसने लिट्टे को हमारे देश में घिनौने अपराध करने में सहायता दी और उकसाया को हमारे ओजस्वी नेता पुरातची

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

थालावी ने नेस्तनाबूत किया। और आज भी तमिलों के हितों, चाहे यह उग्रवादियों से तमिलों की सुरक्षा के लिए हों या कावेरी जल की बात हो, की पुरात्ची थालावी ने पुरजोर हिमायत की है।

अतः आज की स्थिति को देखते हुए हमारी मांग है कि तमिलनाडु को जम्मू कश्मीर की भांति विशेष दर्जा दिया जाए। यह विशेष दर्जा उग्रवादियों से पिंड छुड़ाने तथा शान्ति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए लाजमी है जोकि डी०एम०के० के पिछले दो वर्षों के शासन के दौरान नष्ट हो गयी थी।

यह आम बात हो गयी है कि हमारा नागरिक प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना को फ्लैग मार्च करने को कहता है। नागरिक प्रशासन को ठीक रखने के लिए सेना की सहायता लेने की प्रवृत्ति के बढ़ने के खतरनाक परिणाम होंगे। सेना की यह धारणा न बन जाये कि केवल सेना ही इस देश को संकट से उबार सकती है। अतः हमें अपनी पुलिस बलों को आधुनिक बनाना चाहिए और उन्हें कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

इसी संदर्भ में तमिलनाडु सरकार ने अपने पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए चरणों में 120 करोड़ रुपयों की मांग की है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को स्वीकृत करने की बात को प्राथमिकता दी जाए।

यह कहना व्यंगात्मक होगा कि सीमा-सुरक्षा बल जिसे भारत की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया जाता है उसकी दक्षिणी सीमाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई भूमिका नहीं है। भारत के दक्षिणी छोर पर श्रीलंका के साथ भूमि सेतु है जिसका उपयोग लिट्टे उग्रवादियों द्वारा आसानी से मुख्य भूमि पर पहुंचने के वास्ते किया जाता है। आज सीमा सुरक्षा की अनुपस्थिति में और केन्द्र के समर्थन के बगैर पुरात्ची थालवी भारत को उग्रवादियों के विरूद्ध कुशल प्रशासनिक उपायों के द्वारा बचाने की कोशिश में लगे हैं। अतः मेरी मांग है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के संग अन्य जुड़े हुए भूमि सम्पर्कों पर सीमाओं की रक्षा के लिए उग्रवादियों के खिलाफ सीमा-सुरक्षा कार्य बल तैनात किया जाए।

मेरी मांग है कि दक्षिण भारत में हमारे तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक विशेष नौसैनिक गश्ती दल तैनात किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि समुद्रम परियोजना को अविलम्ब पूरा करने के लिए सरकार को याद दिलाने की जरूरत है। इस परियोजना को पूरा करने में बरती गयी लापरवाही की हमारे देश को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस सरकार को सतर्क कर देना चाहता हूं कि इस मामले में ढील-ढाल नहीं होनी चाहिए। समुद्रम परियोजना हर हाल में जल्दी पूरी की जानी चाहिए। हमारे रक्षा आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पुरात्ची थालावी ने उस वक्त दूर-दर्शिता बरती थी जब उन्होंने मांग की थी कि हमें अपना सामरिक महत्व का द्वीप कतचाथीवू वापस ले लेना चाहिए जोकि 16 वर्ष पहले श्रीलंका को स्थानान्तरित कर दिया गया था। यह द्वीप सामरिक महत्व का है और इसे श्रीलंका को इस वायदे विशेष के तहत सौंप दिया गया था कि हमारे मछली पकड़ने के अधिकार में दखल नहीं दिया जायेगा। श्रीलंका की सरकार ने हमारी नावें जब्त करके और हमारे मछुआरों को बन्दी बना कर हमें धोखा दिया है। जिस तरह से हमारे मछुआरों को पीड़ित किया गया है उस पर विस्तार में जाने से कोई फायदा नहीं है। अतः यह जरूरी है कि इस सन्धि को समाप्त करके श्रीलंका से कतचाथीवू द्वीप वापस ले लिया जाए। अभी दो दिन पहले श्रीलंका की नौसेना ने कतचाथीवू के निकट हमारे मछुआरों पर गोलियां चलायीं। हमारी नेता पुरात्ची थालावी ने केन्द्र से अनुरोध किया

था कि वह श्रीलंका की सरकार से मुआवजे की मांग करें। मेरा रक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस मामले में तुरन्त कार्यवाही शुरू करें।

भारतीय आसूचना संगठन युवा प्रधानमन्त्री का सफाया करने सम्बन्धी लिट्टे की योजना की चेतावनी देने में एकदम असफल रहे हैं। सरकार को लिट्टे और ईजरायली मोसाद के मध्य बढ़ते सहयोग को देखते हुए अब जाग जाना चाहिए। लिट्टे के उल्फा और पंजाब के उग्रवादियों से भी सम्बन्ध हैं। वह देश में स्वतन्त्र रूप से कैसे कार्य कर पा रहे हैं? अत: मेरी मांग है कि इन्टरपोल की भांति एक अन्तर राज्यीय पुलिस परिषद का गठन किया जाये जोकि रक्षा बलों के साथ समन्वय कार्य करे ताकि सारे भारत में उग्रवादियों के मुक्त रूप से आने जाने पर प्रतिबन्ध लग सके।

यह प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा करने वाले लोग पैदा करे। अत: जो भी यहां पैदा होते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। इस अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण से हमारी युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव की, जिम्मेदारी की, अनुशासन की भावना जागृत होगी तथा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यही राष्ट्रीय एकता का मार्ग है। जो छात्र योग्य हों और देश की सेवा करना चाहते हों उन्हें एक अच्छे सैनिक के रूप में निखारने के लिए विशेष सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि आप युवावस्था में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करेंगे तो सभी संकुचित भावनायें अपने आप ही दब जायेंगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के वास्ते एक कानून बनाया जाए।

हमारे रक्षा बलों पर काफी अधिक पैसा खर्च किया जाता है। चाहे कुछ हो हमारे रक्षा कर्मी बोर्ड से परे हैं। तथापि उसमें भी कुछ अवांछित तत्व शामिल हैं। वे कागज पर पुल बनाते हैं और उन्हें बाढ़ में बह गया दिखा देते हैं। इस तरह करोड़ों रुपयों का राजस्व हड़प लिया जाता है। अत: मेरा रक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में उचित जांच करायें। मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि हर तिमाही में रक्षा परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा करायें ताकि इससे पहले कि पुल बाढ़ में बह जायें उन्हें लेखा परीक्षा दल को दिखा दिया जाए।

4.00 म०प०

देश की क्षेत्रीय अखंडता हमारे जवानों के हाथों में है। कड़कड़ाती ठण्ड, भारी वर्षा, भूस्खलन, मलेरिया जहरीले कीड़ों के डंक, तथा दूसरी विपरीत परिस्थितयों ने हमारे जवानो के हौसले बढ़ाए ही है। उनकी अपने परिवारों तथा प्रियजनों से जुदाई उन्हें अपने देश की साहसपूर्ण ढंग से रक्षा करने में प्रोत्साहन का काम करती है। क्या उन्हें ऐसे अकेले छोड़ दिया जाना चाहिए? उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है कि उनके परिवारो की अच्छी प्रकार से देखभाल न की जाए। उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है कि उन्हें उनके हक से बंचित किया जाए? मैं जोरदार ढंग से यह मांग करता हूं कि आर्थिक पहलू पर गौर किए बगैर उनकी एक रैंक एक पेंशन की मांग को स्वीकार किया जाए। सरकार को सैनिक परिवारों को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को मुफ्त अथवा रियायती दर पर राशन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। सैनिकों के सेवा काल में सरकार द्वारा उनके लिए अपनी ओर से 50% निर्माण खर्च वहन करके घर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को वरीयता दी जानी चाहिए।

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इन सभी सुझावों पर गौर करेंगे तथा अपने उत्तर के दौरान इनका जवाब देंगे।

विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मेरे जैसे अन्जान व्यक्ति के लिए रक्षा बजट चर्चा पर बोलना काफी कठिन है जबकि मेरे से पूर्व के सभी वक्ता अथवा उनमें से अधिकतर वक्ता इस विषय के जानकार हैं। वे इस सम्बन्ध में काफी कुछ बोल सकते थे क्योंकि उन्होंने रक्षा सेवाओं को पास से देखा है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इनमें बहुत सी खामियां देखी हैं जबकि मुझे प्रकाशित सामग्री पर आधारित जानकारी है—समाचार पत्र, पत्रिका, सरकारी रिपोर्ट इत्यादि जो कि अधिकतर पुरानी होती है। जो समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है, वह उन लोगों द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है जो कि कोई विशेष प्रकार का हथियार बेचना चाहते हैं। उस सामग्री के आधार पर चयन करना मुश्किल हो जाता है। तथा मुश्किल और भी बढ़ जाती है जबकि रक्षा मंत्रालय पूर्ण गोपनीयता के आधार पर कार्य करना चाहता है। मैं नहीं समझ सकता कि यह गोपनीयता क्यों रखी जा रही है। इसका स्पष्टीकरण इसके अतिरिक्त कभी नहीं दिया गया कि शायद यह ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के लम्बे समय में रखी जाती थी तथा उसे बताया गया है कि ब्रिटिश में कुछ हद तक अभी भी इस मामले में गोपनीयता रखी जाती है। हम बहुत से देशों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते हैं क्योंकि इसके लिए भाषा की समस्या है, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, अमरीका में कांग्रेस के सदस्यों तथा सीनेट के सदस्यों को कोई भी जानकारी देने से इन्कार नहीं किया जाता। जनप्रतिनिधियों से रक्षा सम्बन्धी गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है। परन्तु इस देश में जन-प्रतिनिधियों से ही रक्षा सम्बन्धी मामलों में गोपनीयता नहीं रखी जाती है, जो कि केवल मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों तक ही सीमित रहती है बल्कि जब मैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष था तो मुझे नियंत्रक तथा महालेखपरीक्षक ने बताया कि उन्हें भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। उन्हें रक्षा विभाग की लेखा परीक्षा करनी होती है तथा उन्हें यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। एक मामले में तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा तथा रक्षा सचिव को यह पूछना पड़ा कि उन्हें नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को यह सामग्री उपलब्ध करवाने में क्या आपत्तियां थीं। उन्होंने कुछ शर्तें लगाईं जैसे कि रक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक कमरे में कार्य करना जहां कि सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय किए होंगे तथा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक कार्यालक के कर्मचारियों को ये शर्तें मान्य नहीं थीं। अन्त में बेशक मैं सचिव को समझाने तथा उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने पर राजी करने में सफल हो गया। यह संविभ्रम है। मेरे विचार में कुछ हद तक इसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जोकि अपने फायदे के लिए रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं तथा यह चाहते हैं कि नीतियों में कोई परिवर्तन न हो। वास्तव में कोई नीति है ही नहीं। वास्तव में रक्षा विभाग में जितना तदर्थवाद के आधार पर कार्य किया जाता है उतना किसी और मन्त्रालय में नहीं। इनकी कोई नीति नहीं है यह बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम रक्षा बजट पर चर्चा कर रहे हैं जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें कि कैसे पैसा आएगा तथा खर्च किया जायेगा, कितने पैसे की आवश्यकता है तथा कितना पैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है इत्यादि, तो ऐसी चर्चा में कोई भी यह नहीं बोल रहा कि कितना पैसा उपलब्ध करवाया गया है तथा कितने की वास्तव में आवश्यकता है। बेशक इसके लिए एक बहाना यह भी है कि हमें गोपनीयता के कारण इसकी जानकारी नहीं मिलती। हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या तैयारी हैं, हमारे प्रतिद्वन्द्वी देशों की हथियार क्षमता तथा सैनिक क्षमता कितनी है, इन सब बातों को गोपनीय रखा जाता है।

वास्तव में हम यह भी नहीं जानते कि हमारे राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्य क्या है। क्या हमारी रक्षा सेवाओं को केवल हमारी क्षेत्रीय सीमाओं की रक्षा करनी है अथवा समुद्र तट, भौगोलिक जल क्षेत्र की सुरक्षा भी करनी है जो कि लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र की भी रक्षा करनी है। आकाशीय सीमाओं की वे किस हद तक रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारे सुरक्षा उद्देश्य क्या हैं? अगर इन्हें परिभाषित नहीं किया जाता तो बड़ी मुश्किल सामने आ सकती हैं। यह केवल जमीनी तथा समुद्री उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि मूल्य व्यवस्था, जीवन शैली, संरक्षण, विकास तथा फैलाव से भी जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय नीति क्या है? उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया गया है। नीति अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, फिर भी एक रक्षा प्रणाली होनी ही चाहिए। यह बिना किसी निदेशों के तदर्थवाद के आधार पर चल रही है। इसका सारा भार सरकारी राजस्व पर पड़ता है ऐसी परिस्थितियों में मांगें लगातार बढ़ती रहती है। नीति के अभाव में प्रत्येक आधुनिकतम हथियारों से लैस होना चाहता है अथवा कम से कम उन हथियारों को प्राप्त करना चाहता है जो कि उनके प्रतिद्वन्द्वियों के पास हैं।

कई बार हम उन्हें उन क्षेत्रों की ओर जाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं जहां कि वे अन्यथा नहीं जाते। यह बड़े गर्व की बात है कि वर्ष 1974 में भारत ने राजस्थान के रेगिस्तान में एक परीक्षण किया। यह बहुत पहले की बात है। व्यवहारिक रूप में हम इसके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। परन्तु दूसरे लोग नहीं भूले हैं। अभी भी अगर उससे अधिक का नहीं तो उसी शक्ति का परमाणु अस्त्र बनाने के लिए चोरी छिपे अथवा खुले आम अनुसन्धान तथा विकास में व्यस्त हैं। क्या विश्व के दूसरे देश जो कि भारत सरकार तथा इसके रक्षा विभाग की प्रत्येक नीति की प्रशंसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने इसके प्रतिद्वन्द्वियों को इस रास्ते को अपनाने के लिए बाध्य किया है। हथियार प्राप्त करने की नीति लोगों को इस सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी दिए बगैर अपनाई जाती है। वायुसेना, थलसेना, नौसेना की संख्या कितनी है? हमारे प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में हमारी रक्षा सेनाओं की क्षमता कितनी है?

ऐसा किसी नीति के अभाव के कारण किया जाता है जो कि दिखावा मात्र है। ब्रिटिश लोगों का यह कहना था कि बिना किसी नीति के वे हेराफेरी से संसार को जीतने में सफल हो सके। यह 17वीं, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी की बात है जबकि वे संसार के अधिकतर हिस्से को जीतने में सफल रहे। परन्तु इसी नीति के अभाव के कारण 20वीं शताब्दी में वे एक तीसरे दर्जे की शक्ति बन कर रह गए। क्या हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? जो हम अन्यथा प्राप्त कर सकते हैं, उससे पीछे हटते हुए क्या उसी नीति को अपनाएं। इसका क्या अर्थ है? नीति की आवश्यकता क्यों है? हमारी कोई सुरक्षा नीति नहीं है। हमारी कोई निश्चित सुरक्षा नीति नहीं है। हमें अपने उद्देश्यों का पता नहीं है। हम विभिन्न बलों को उनके कर्त्तव्य भी नहीं बता सकते तथा सेनाओ की सहायक संस्थाओं जैसे कि आयुद्ध कारखाने, सार्वजनिक उपक्रम, अनुसंधान एवं विकास स्कंध को भी उनके कार्य बताने में अक्षम हैं। क्यों? रक्षा नीति सामारिक नीति को निर्धारित करती है तथा सामारिक नीति तकनीकी नीति को निर्धारित करती है तथा तकनीकी नीति के आधार पर हम अनुसन्धान तथा विकास स्कंध को कार्य सौंपा जाता है।

हमने ऐसा कभी नहीं किया। अनुसंधान तथा विकास विभाग में कार्य करने वाले लोग भी इसके लिए दोषी हैं क्योंकि उन्होंने यह कभी नहीं कहा है कि उनके पास सरकार द्वारा दिए गए कोई निश्चित दिशानिर्देश अथवा नीति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आर० एण्ड डी० विभाग क्या करता है? सेना

[श्री अमल दत्त]

उसके बारे में सोचती है जो कि पश्चिमी देशों में पुराना हो चुका है तथा जिसके सम्बन्ध में पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है तथा जिसके बारे में विवरण उपलब्ध होता है।

अब फिर उनका यह कहना होता है कि 'ठीक है, हम भी यही चाहते हैं।' इसका क्या उद्देश्य है ? इससे हमें सहायता कैसे मिलेगी ? इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। परन्तु उन्होंने ऐसा करना आरम्भ कर दिया है, तथा हल्के लड़ाक विमान के विकास में इसके दुखद परिणाम सामने आ गए हैं। महोदय, आप भी अच्छी तरह जानते हैं तथा आपने हल्का लड़ाकू विमान के बारे में कुछ चर्चा भी की थी। एम० बी० टी० के विकास का क्या हुआ ? 1972 में यह निर्णय लिया गया था तथा 1974 में लगभग 15 लाख रु० के साथ आर० एण्ड डी० विभाग ने यह कार्य आरम्भ किया था। अब यह राशि 17 गुणा बढ़ गई है। यह राशि 1988 में ही 17 गुणा हो गई थी। लोक लेखा समिति ने 1988 में इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी।

इस रिपोर्ट में यह सब चर्चा की गई है। एम० बी० टी० अभी तक भी विकसित नहीं हो पाया है। जब तक हम इसे विकसित करने में सफल होंगे तब तक हमें टैंकों की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि उस समय तक स्वचालित प्रक्षेपास्त्र प्रणाली टैंकों को अप्रभावी बनाने में सफल हो जाएगी। आपके टैंक किसी काम के नहीं रहेंगे। स्वचालित बम भी आ जाएंगे। हो सकता है। आर० एण्ड डी० द्वारा किए गए इस विलम्ब से भारत को लाभ हो तथा टैंकों के उत्पादन पर आने वाला खर्च बच जाए (व्यवधान) इसलिए, एक नीति की आवश्यकता है क्योंकि आज लड़ाई की प्रकृति बदल चुकी है। हमें पंजाब तथा कश्मीर में लड़ाई का सामना कर रहे हैं। जैसाकि हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह तथा हमारी परामर्शदात्री समिति में कहा जाता था कि हमारे प्रतिद्वन्द्वी सस्ती लड़ाई जोकि उन्होंने हमारी सीमाओं पर छेड़ रखी है उसके अन्तर्गत वे हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध राष्ट्र के विरुद्ध तथा इस राष्ट्र के लोगों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये लगाते हैं। अब इस नीति पर कौन ध्यान देगा ? आज की स्थिति में नीति क्या होगी ? युद्ध की प्रकृति बदल गई है। आंतरिक सुरक्षा तथा बाह्य सुरक्षा के अर्थ भी काफी अस्पष्ट हो गए हैं। तथा जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं उनके कारण विभिन्न सेवाओं के आपसी अन्तर भी गिरते नजर आ रहे हैं। कई प्रकार के आक्रमण होते हैं तथा कई प्रकार की सुरक्षा नौ सेना तथा हवाई सेना द्वारा अपनाई जाती है।

महोदय, मैं आपके द्वारा दिए गए कथन का भी हवाला देना चाहूंगा कि आज के युद्ध में 'एयर-क्राफ्ट कैरियर' बेकार हो गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में लगभग तीन-चार वर्ष पहले हमने एक 'एयर क्राफ्ट कैरियर' लिया है तथा ब्रिटेन से खरीदे उस 'एयरक्राफ्ट कैरियर' के साज-सज्जा पर हमने एक बड़ी राशि लगाई जिसे वे सेवानिवृत्त करने वाले थे। अब नीति के अभाव के कारण ही ऐसे धन खर्च किया गया आज हम T-72 टैंकों का उत्पादन किए जा रहा है जो कि हमने 3-4 वर्ष पहले आरंभ किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उनका कोई उपयोग होगा। किस प्रकार की युद्ध प्रकृति की कल्पना की जा रही है कि जिसमें यह टैंक उपयोगी होंगे ? मुझे यह भी बताया गया है। कि छोटे हथियार, बन्दूकें, ए० के० 47 रायफलें जो कि बाकी देशों की सेनाओं यहां तक कि आतंकवादियों के पास भी हैं, वे हमारी सेना के पास नहीं है। इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो कि 1990 में गठित की गई थी, एक महीने में बेकार हो गई हैं क्योंकि सरकार असफल रही तथा प्रत्येक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया।

इसका अभी तक पुनर्गठन नहीं किया गया है । मेरे विचार में यह कार्य सरकार को सबसे पहले करना चाहिए इसे तुरन्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन करना चाहिए । 35 सदस्यीय एक सलाहकार बोर्ड है जिसके बिना कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है । अगर उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाई जाए तो वे विचारधारा तथा क्रियान्वयन की दृष्टि से भारतीय रक्षा को काफी सुधरा हुआ रूप प्रदान कर सकते हैं । लागत भी कम होगी तथा कम लागत पर सुरक्षा सुदृढ़ की जा सकेगी ।

अब हमारे माननीय मित्र श्री सावंत का यह कहना है कि हमारी सेना का अभी भी ब्रिटिश उपनिदेशवादी दृष्टिकोण है । मेरे विचार में सेना विशेषकर जवान नहीं बल्कि सेना के अधिकारी अपने आपको दूसरों से कुछ अलग दिखाने में गर्व महसूस करते हैं । सैनिक अधिकारी दूसरे मध्यवर्गीय लोगों की अपेक्षा अच्छे जीवन स्तर पर गर्व महसूस करते हैं। ब्रिटिश लोग राजनैतिक कारणों से इस विशिष्टतावाद की नीति को अपनाते थे तथा इसके कुछ सकारात्मक कारण थे । अगर वे अलग हैं तो उन्हें आश्चर्य से देखा जायेगा, उनकी प्रतिष्ठा को अच्छी प्रकार बरकरार रखा जाएगा तथा वास्तव में उन्हें लोगों का सामना नहीं करना पड़ता है । परन्तु हमारे मामले में, हमारे लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, एक मुश्किल यह है कि लोग उनको अपने में से एक नहीं मानते परन्तु दूसरी बात यह है कि विभिन्न सेवाओं का भी आपस में कोई समन्वय है ।

सेना की सभी डिविजनों में अनन्यता व्याप्त है और इससे उनमें यह आपसी होड़ बढ़ती है कि कौन सी डिविजन कितने हथियार प्राप्त कर पाती है । अतः तदर्थवार सेवाओं की आपकी होड़ की वजह से आज स्थिति यह हो गई है कि प्रत्येक सेवा में अब स्वयं के लिए उत्तम हथियारों की मांग बढ़ रही है। अधिकतर ऐसे हथियारों का आयात करना पड़ता है । कभी-कभी लोग कहते हैं कि ये सभी जनरल और एडमिरल बच्चों की भांति हैं। बाजार में जो कुछ भी छोटे-मोटे इलेक्ट्रनिक खिलौने आते हैं, बच्चे इसके लिए दौड़ पड़ते हैं। जनरल और एडमिरलों की भी यही हालत है। हथियार यानी उनके लिए खिलौने हैं । ज्यों ही बाजार में नये किस्म के हथियार आते हैं, ये सभी ऐसे दौड़ पड़ते हैं, यानी बच्चे खिलौने के लिए दौड़ रहे हों। इस तरह की विलासिता को भारत वहन नहीं कर सकता। वास्तव में कभी-कभी तो अनोखी स्थिति में इस तरह की बात होती है । हमने विमान खरीद लिये हैं । वर्ष 1982 के बाद हमने मिग विमानों के अतिरिक्त जगुआर के 7 स्कवाड्रन और मिराज के 2 स्कवाड्रन खरीदे हैं । मुझे नहीं मालूम कि इसमें से कितने विमानों का निर्माण भारत में हुआ है । लेकिन हमने विमानों के कुल 35 स्कवाड्रन प्राप्त कर लिए हैं । इस तरह के समाचार और सूचनाएं पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्रों में छपती रहती हैं। ये अधिकृत सूचनाएं नहीं कही जा सकती । लेकिन यह तथ्य है कि हमारी आवश्यकता के केवल 70% पायलट हमें उपलब्ध हैं, 30% नहीं। इसका कारण यह है कि हमारे पास सुविधाओं का इतना अभाव है कि हम पायलटों को प्रशिक्षण भी नहीं दे सकते । पायलटों को जेट स्तर के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने की बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है । आखिर ये पायलट ही तो बाम्बर और फाईटर विमान उड़ायेंगे । इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं । यह स्थिति आज से नहीं बल्कि लम्बे अरसे से है । अनगिनत असफलताओं के बावजूद हमें अपनी क्षमता में विश्वास है। हम कहते हैं कि हम स्वदेश में ही बना लेंगे । वर्ष 1989 से ही यह चर्चा होती रही है और अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया गया है। अतः यह हमारी तकनीकी क्षमता का सवाल नहीं है । बल्कि सवाल हमारे फैसला करने का है । यह भी स्पष्ट नहीं है। परिणामस्वरूप, हम क्या कर रहे हैं। विमान हैंगर्स में या शैल्टर्स में ही रहेंगे । ये उड़ नहीं सकते, क्योंकि पायलट तो हैं ही नहीं । यही सब कुछ हो रहा है। अनन्यता की वजह से गैर-सैनिक आयोजना और रक्षा आयोजना में समन्वय का अभाव है । रक्षा-आयोजना तो है ही नहीं । यह मेरी पहली दलील है । जो कुछ भी हमारे पास है, जिस भी हथियार का ज्ञान

[श्री अमल दत्त]

हमें प्राप्त है, हमें इसका निर्माण जारी रखना चाहिए और हम ऐसा करते भी रहे हैं लम्बे अरसे से। यहां भी हम गैर-सैनिक और रक्षा क्षेत्रों में अपेक्षित समन्वय नहीं कर पाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है। समन्वय का इतना अभाव है कि यदि कुछ चीजें सरकारी क्षेत्रों में बनती हैं, बाहरी क्षेत्रों में नहीं, तो हमें यह भी नहीं मालूम कि कौनसी चीज कब निर्माण के लिए रक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक उपक्रम को दी जाएगी। सार्वजनिक उपक्रम को एक विशेष हथियार के कितने कल-पुर्जे बनाने होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि इसका प्रत्येक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही तैयार होना है। कुछ हिस्से तो बाहर से भी खरीदे जाते हैं। कितनी खरीदारी होनी है, इसकी कोई नीति नहीं है। यही कारण है कि हमें एक निश्चित नीति की जरूरत है। हमें व्यावहारिक नीति चाहिए। हमें तकनीकी नीति चाहिए। हमें अनुसंधान की और विकास की नीति चाहिए। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है।

हमें रक्षा के मामले में व्यवस्थित समझ विकसित करनी है। और यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद से ही हो सकता है। जिसमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विचार कर सुरक्षा व्यवस्था को सुचारूपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय ने इस तथ्य को ध्यान में रख लिया है कि इस संगठन का जन्म अभी होने वाला है।

मैंने पहले ही रक्षा बलों की अपेक्षित आवश्यकता के बारे में बताया है। हमें जरूरत से ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप होगा और इसका परिणाम होगा दूसरे पक्ष को उत्तेजित करना। वर्ष 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का मैं हवाला दे चुका हूं। दूसरा उदाहरण, जो मेरे ध्यान में उभर रहा है, ऐसी पन-डुब्बियों के खरीदने के बारे में है, जो पानी में बहुत देर तक रह सकें। इसकी इस क्षमता की टक्कर की कोई पनडुब्बी हमारे पास नहीं थी। मैं साधारण पनडुब्बी और नाभिकीय पनडुब्बी दोनों की बातें कर रहा हूं। हमने जर्मन पनडुब्बी खरीदी हैं और फिर सोवियत पनडुब्बी भी ली है। कुछ ही समय में हमने 11 पनडुब्बियां खरीद लीं। पाकिस्तान की नौ-सेना बहुत ही कमजोर है। नौ-सेना के मामले में इसकी कहीं गिनती नहीं है। वह सम्भवतः कराची का पत्तन की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। और हम अपनी नौ-सेना की शक्ति का विस्तार करते जा रहे हैं यह कहते हुए कि इसे 'ब्ल्यू वाटर' का दर्जा ले लेना चाहिए। इस नौ-सेना से हम किसका मुकाबला करने जा रहे हैं पाकिस्तान हमारी नौ-सेना से टकरा नहीं सकता। उसकी वर्तमान स्थिति यही कहती है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान में यह भावना पनपेगी कि वह भी अपनी नौ-सेना का विकास करे। बगैर-समझे-बूझे हम यही तो कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की दुर्भावनाओं को नहीं उभार रहा हूं। लेकिन सही सोच और समझ के अभाव में यही तो होगा कि हमारी कार्रवाई की दूसरी शक्ति द्वारा प्रतिक्रिया होगी। अतः नाभिकीय पनडुब्बी एक दूसरा उदाहरण है। हमने तीन सालों के लिए सोवियत नाभिकीय पनडुब्बी को पट्टे पर प्राप्त किया था। इसने हमारी नौ-सेना की पिपासा को और भी बढ़ावा दिया: हमने दूसरी बार भी पट्टे पर लेना चाहा। हम इस पर बात-चीत कर रहे हैं। यही मुझे ज्ञात हुआ है। पाकिस्तान चीन से नाभिकीय पनडुब्बी को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। एक पनडुब्बी से उनका क्या होगा यह मुझे मालूम नहीं। तब यह भी तो बात है कि हमने नयी-नयी पनडुब्बियां प्राप्त की हैं, इसकी तो प्रतिक्रिया होती ही है। हमने भी तो उनकी गतिविधियों की प्रतिक्रिया इसी प्रकार व्यक्त की हैं। प्रतिक्रिया एक से एक हथियार खरीदते चले गए।

वायुसेना के मामले में हमने जो कुछ किया है वह उल्लेखनीय है। हमने पाकिस्तान के लड़ाकू पोतों की तुलना में अपने लड़ाकू पोतों की संख्या दोगुनी कर ली है। पाकिस्तान के पास 450 लड़ाकू

विमान हैं जबकि भारत के पास 830 हैं। इस तरह की सूचनाएं समाचारपत्र में शायद ही छपती हैं। कुछ ऐसी लॉबी काम कर रही है, जो भारत में जनचेतना जागरूक कर यह कोशिश कर रही हैं कि भारत को कुछ और विमान अवश्य खरीदने चाहिए। इस तरह की बातें चल रही है। वर्ष 1982-83 में जब मिराज की खरीदारी की गई थी, तब समाचार-पत्रों में इस आशय के कई आलेख छपे थे कि भारत को मिराज क्यों खरीदना चाहिए। नहीं तो, भारत की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में होगी। मुझे कहा गया है कि वर्ष 1978 में भी, जगुआर के खरीदने के पहले इसी तरह लॉबी सक्रिय थी। (**व्यवधान**) पर भारतीय वायुसेना में कुछ बुनियादी कमियां हैं जो दूर की जानी चाहिए।

प्रथम, मैंने पायलट की कमी की बात कही। 30 प्रतिशत और पायलटों की जरूरत है। फिर एडवांस जेट ट्रेनर के अभाव की बात, जो इससे जुड़ी हुई है।

तब फिर इलेक्ट्रोनिय काऊंटर-मेजर क्षमता की बात। जहां तक इलेक्ट्रोनिक युद्ध की बात है, यह हमारी पहली कमजोरी है। हम अपने राडारों को फोकस करेंगे और राडार के बीमा का प्रयोग मिसाइल अथवा बम दागने के लिए करेंगे इस क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं। यद्यपि लोग सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रशंसा करते रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। जब मैं लोक लेखा समिति का सभापति था, तो उक्त संगठन की कुछ गतिविधियों की हमें जानकारी हुई थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे सुझावों को पूरा नहीं किया है। इस समिति ने, विशेषरूप से आधुनिक युद्धक टैंक और कुछ अन्य हथियारों के विकास के परिप्रेक्ष्य में, उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की थी।

हमारे पास गाइडिड मिसाइल्स, राकेट और मिग विमानों के फालतू पुर्जों की कमी है। इनके लिए हमने एक बार सोवियत संघ से अनुरोध किया था। आज हमारे युद्ध-सामग्री भंडार का 75 प्रतिशत भाग हमें सोवियत संघ से प्राप्त हुआ है। हमें फालतू पुर्जो और ऐसी ही कुछ वस्तुओं के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है और फिर भी हमने मिग विमानों के निर्माण-कार्य को बन्द कर दिया, जो कि वर्ष 1989 में नासिक में निर्मित हो रहे थे। हमने निश्चय ही वह विमान विकसित कर लिया होता, यदि हम कहीं और से अपेक्षित विमान प्रौद्योगिकी खरीद लेते और आज चीन पाकिस्तान को ऐसे ही विकसित विमान सप्लाई कर रहा है। या इसके लिए कोई समझौता वार्ता चल रही है। हम अभी अन्वेषण करने की कोशिश ही कर रहे हैं। हमारी वायु सेना अब 'हाक्स' अथवा 'अल्फा' जेट विमान प्राप्त करने के लिए आतुर है। 'हाक्स' ब्रिटेन से और 'अल्फा' जेट फ्रांस अथवा जर्मनी से खरीदने का विचार है। ऐसे 100 विमानों को खरीदने पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह शायद पिछले वर्ष का अनुमान था जब तक हम इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेंगे, यह लागत 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। लेकिन इससे काफी लोगों का हित सधता है, क्योंकि उन्हें और अधिक लाभ होगा मुझे बताया गया है कि नारथ्रोपे से संयंत्रों की कोई पेशकश है, जिन्होंने ए०जी०टी० के निर्माण को बन्द कर दिया है। क्योंकि इसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होगा, इसलिए इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया। यदि कोई मूल्य नहीं चुकाना है। तो कमीशन भी नहीं मिलेगा।

हम 'एल०सी०ए०' को विकसित करने के काम में लगे हुए हैं। मैं अब यह कहता हूं कि एरोनाटिकल डेवेलपमेंट एजेंसी, जोकि एल०सी०ए० विकसित कर रही है, वह रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह यहां तक कि यह रक्षा प्रतिष्ठान भी नहीं है मुझे बताया गया है कि यह पंजीकृत सोसाइटी है। एरोनाटिकल डेवेलपमेंट एजेंसी द्वारा खर्च किया गया धन रक्षा बजट में भी नहीं दिखाया जाता है। इसी

[श्री अमल दत्त]

प्रकार यहां हैलीकाप्टरों के विकास के लिए एक अन्य एजेंसी है। वह धन भी रक्षा बजट में नहीं दिखाया जाता है। वास्तव में, यहां ऐसे अनेक रक्षा-सम्बन्धी खर्चे हैं, जोकि रक्षा बजट में नहीं आते हैं। बल्कि जो आंकड़े बजट में दिए जाते हैं वे भी प्रायः गलत ही होते हैं। आज हम रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पांच अथवा छः अनुदान हैं, और इनका जोड़ रक्षा बजट के जोड़ से कहीं अधिक आता है। अतः वास्तव में 'एल०सी०ए०' के विकास के लिए पहले ही भारी धनराशि खर्च की जा चुकी है लेकिन हुआ यह है कि हम संक्षेप में इतना भी नहीं समझा पा रहे हैं कि इस 'एल०सी०ए०' का क्या होने जा रहा है। ऐसी परियोजना के लिए हमें मदद लेनी होगी। हमें 'डासाल्ट' जैसी विदेशी विशेषज्ञ फर्मों से अनुरोध करना होगा। मेरे विचार से, 'डासाल्ट' जर्मन फर्म है, जिससे हमें परियोजना के निर्माण को पूरा करने के लिए मदद लेनी है। फिर हमें इसके विस्तृत डिजाइन को देखना है। हमने पहले सोचा था कि इसमें जी०टी०आर०ई० गैस टरबाईन अनुसंधान संस्थापना द्वारा विकसित भारतीय विकसित इंजिन होगा। हमने सोचा था कि वह इंजिन उपयुक्त रहेगा। लेकिन अब यह पता चला है कि उस इंजिन से काम नहीं चलेगा। एरोनाटिकल डेवेलपमेंट एजेंसी ने यू०एस०ए० की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी जी०ई० से एफ-404 इंजिन खरीदने का निर्णय लिया है। अतः वे कहते हैं कि इस एफ-404 इंजिन-युक्त प्रोटो-टाइप विमान 1995 में उड़ाए जाएंगे। अतः सन 2000 ई० में कभी हम 'जी०टी०एक्स०' इंजिन विकसित कर पायेंगे, तब यह एफ-404 का स्थान ले लेंगे। कितना आश्चर्यजनक। कितना अनिश्चित अनुसंधान है यह।

महोदय, यह सारे काम 'एल०सी०ए०' बनाने के लिए किए जा रहे हैं। यह कम भार का है। इसमें धातु का प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें मिश्रित सामग्री का प्रयोग होता है। अतः उसके लिये हमने नार-थाप के बारे में विचार किया। इस प्रणाली के लिये लीयर सीगलर और बेंडिक्स से अनुरोध किया गया। जो कुछ भी हम परीक्षण कर रहे हैं, उससे अभी विमान नहीं उड़ने लगेगा। हम उनका संयुक्त राज्य एयर-फोर्स के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर परीक्षण करेंगे। आश्चर्यजनक। लेकिन यह भारतीय है, आप कहेंगे। सब कुछ बाहर से लेने, परीक्षण बाहर करने, जानकारी तथा तकनीक बाहर से लेने के बावजूद इसे हम भारतीय कहेंगे। इसी प्रकार हमें बहुत सी कमियों को पूरा करना है। मैं समझता हूं कि शायद नये मंत्री अपनी काम करने की तेजी से इसे काफी कम समय में कर पायेंगे, ताकि हमारी रक्षा तैयारी को आगे और कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन फिर हमें पंजाब, कश्मीर, असम, तमिलनाडु और श्री लंका की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना होगा। इन सभी क्षेत्रों में एक अलग तरीके की लड़ाई है और शायद अब रक्षा मंत्रालय का ध्यान इस तरह की लड़ाई से जूझने की ओर मोड़ेंगे, ताकि हम कुछ शक्ति प्राप्त कर सकें और यही सुरक्षा की भी मांग है।

सभापति महोदय : श्री अमल दत्त आप पहले ही 35 मिनट ले चुके हैं।

श्री अमल दत्त : मैं तीन घण्टे से इन्तजार भी कर रहा था। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को केवल 30 मिनट का समय ही दिया गया है।

श्री अमल दत्त : वह तो ठीक है। क्या मैं नौसेना की बात छोड़ दूं। मैं नौसेना को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय ने नौसेना के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्हें नौसेना के प्रति विशेष लगाव है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह किसी की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं।

श्री अमल दत्त : जी, हां। वास्तव में कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां शरद पवार जी के लिए कोई स्टंटमैन था। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्टंटमैन, उन लोगों की तरह जो बम्बई के सिनेमा में लड़ाई करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मल दत्त : काफी वर्षों से सरकार से अधिक धनराशि की मांग करते रहने के बाद, नौसेना को आज अधिक धन-राशि प्राप्त हो पाई है। वह यह राशि पिछले दशक में प्राप्त कर पाई है। यदि हम पिछले दशक के सभी बजटों का औसत लें, तो यह कुल बजट का 8.9 प्रतिशत बैठता है। यह 1970 के दशक में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 1980 के दशक मे 12 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

सभापति महोदय : क्या यह कुल रक्षा बजट की प्रतिशतता है?

श्री अमल दत्त : यह कुल रक्षा बजट की प्रतिशतता है। इस संदर्भ में रक्षा बजट का अर्थ है, तीनों सेनाओं का बजट और इसके अलावा कुछ नहीं। पिछले वर्ष 1989-90 में, नौसेना को 13.4 प्रतिशत हिस्सा मिला था। फिर इसकी प्रतिशतता में कुछ कमी हो गई लगती है। वर्ष 1980-90 से इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब नौसेना का विचार, अधिक बड़े पोतों को खरीदने का है। यही वह बात है जिसका माननीय मन्त्री जी ने समर्थन किया है अथवा जिसके बारे में बताया है। इसमें से 60 प्रतिशत धनराशि बड़े-बड़े पोतों को खरीदने पर खर्च की जाएगी। नौसेना 60-40 का अनुपात प्राप्त करना चाहती है। लेकिन वह सम्भवतः धन के मामले में नहीं होगा। वह अनुपात पोतों की संख्या के मामले में हो सकता है। बड़े पोतों पर खर्च की गई राशि, छोटे पोतों पर खर्च की गई राशि से क्यों अधिक है। इसका क्या उद्देश्य है? क्या नौसेना का लक्ष्य पाकिस्तान जैसे विरोधियों का मुकाबला करने के अतिरिक्त किन्हीं दूसरे ऐसे विरोधियों का मुकाबला करने का भी है, जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उदाहरण के लिए, दिये गो गरेशिया।

श्री अमल दत्त : जी, हां, प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास इसे चलाये रखने की क्षमता है? परन्तु यदि हमारे पास ऐसी क्षमता न भी हो, तो भी हम समूचे विश्व में अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। परन्तु इस अस्तित्व को कैसे बनाये रखा जा सकता है? यदि हम बड़े-बड़े पोतों को खरीदते हैं तो इससे यह होता है कि उन्हें कम मात्रा में खरीद पाते हैं। या तो हमारे पास कम स्थानों पर बड़े-बड़े पोत हों, जैसाकि हमारे पास है, अथवा हम छोटे-छोटे आकार के पोत अधिक संख्या में अधिक स्थानों पर रख सकते हैं। इनमें से अच्छा कौन-सा है। क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? यद्यपि हमारे पास गश्ती पोत हैं परन्तु छोटे-छोटे पोत ही सम्भवतः समुद्र के योग्य हैं। यदि वे 200 पोत समुद्र में चौकसी करते रहे तो क्या बीस लाख वर्ग किलोमीटर के हमारे आर्थिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को दूर रखना बेहतर नहीं होगा? मुझे पता नहीं है कि वे ऐसा किस प्रकार करेंगे। परन्तु फिर भी बड़े-बड़े पोतों की अपेक्षा अधिक संख्या में छोटे-छोटे पोतों से हम अपना अच्छा अस्तित्व बनाये रख सकते हैं। इस बात पर अच्छी तरह से विचार और पुनर्विचार किया जाना चाहिए और आप मुझे भी सलाहकार के रूप में बुला सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके कोई समर्थक नहीं हैं।

श्री अमल दत्त : इसके लिए कोई समर्थक मेरे पास आयेगा। अधिक संख्या में पोतों के निर्माण की कोई नीति नहीं है। एक पोत के पूरा होते ही वे लोग यह सोचना प्रारम्भ कर देते हैं कि आगे क्या किया जाये। पीछे 1989 में मजगांव के अपने दौरे में मैंने यह सब कुछ देखा है। उस विशेष पनडुब्बी, जिसके लिए तमाम किस्म की तैयारी की गई थी, का कार्य खत्म हो जाने पर लोग वास्तव में बड़े ही चिन्तित थे कि अब क्या होगा। परन्तु फिर भी संयोगवश, कल-पुर्जों अथवा अन्य किसी चीज की कमी के कारण इसका निर्माण-कार्य अभी भी चल रहा है। अतः अभी तक उन्हें अनावश्यक घोषित नहीं किया गया।

जैसाकि मैंने कहा है, अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) सामरिक नीति के अन्तर्गत आता है जोकि प्रौद्योगिकी नीति को दिशा-निर्देश देता है जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधान और विकास की नीति बनती है। लेकिन हमारे यहां कोई अनुसंधान और विकास कार्य नहीं हो रहा है। इसे प्राप्त होने वाली सहायता और उसके पास जो कर्मचारी हैं उनसे यह थोड़ा बहुत कार्य करता आ रहा है। उन्हें जो भी काम करने के लिए कहा जाता है, वे उसे ही करते हैं। शुरूआत में वे अत्यन्त कम राशि के खर्च की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस पर कम राशि खर्च होगी और बहुत थोड़ा समय लगेगा। आप आश्चर्य करेंगे कि किसी काम को करने के लिए जब वे कहते हैं कि इसमें 2 वर्ष लगेंगे तो उसे वे 12 वर्षों तक भी पूरा नहीं कर पाते। और यदि वे 2 वर्ष न कहें तो कोई भी उन्हें काम नहीं सौंपेगा। एक आम बात जो मैंने देखी वह यह है कि उनके धन सम्बन्धी प्राक्कलन में 15 गुना की वृद्धि हुई और समय-सीमा के प्राक्कलनों में सात-आठ गुना की वृद्धि हुई। परमाणु ऊर्जा द्वारा भी यही प्रणाली अपनायी जाती है लेकिन फिर भी हमें उनका इतना अधिक अपमान नहीं करना है।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) की 47 प्रयोगशालायें हैं जिनमें 34,000 वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी-विद कार्यरत हैं।

सभापति महोदय : 34,000।

श्री अमल दत्त : कुछ इसी तरह है जोकि अत्यधिक संख्या में हैं। भारत की सार्वजनिक निधि में से आर० एण्ड डी० बजट का 25% डी० आर० डी० ओ० द्वारा खर्च किया जाता है। इसका परिणाम क्या है ? यह प्रश्न मैंने प्रायः किया है। लगभग दो या तीन वर्ष पूर्व मुझे इसका उत्तर मिला या किसी समय एक बार एक रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया था कि डी० आर० डी०ए० की प्रौद्योगिकी का अनुसरण करने से उन्होंने लगभग 2500 रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया है। लेकिन 2500 रुपये के मूल्य में अतिरिक्त योगदान क्या है ? यह उत्पादन बाजार से खरीदे गये इस्पात तथा अन्य सामान से बना सामान की कोई विशेष चीज तैयार की गई और खरीदे गए सामान की कीमत उसके साथ जोड़ दी गई और यही इनका योगदान रहा। इस प्रकार, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि अपने योगदान का किस प्रकार से आकलन किया जाना है। अतः हम इस स्थिति में हैं। इससे पहले प्रत्येक बजट वाद-विवाद में, अपने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अनुभव से मैं भी समर्थन करता था कि आर० एण्ड डी० का बजट अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा सूचना के अन्य स्रोतों में से देखकर किया करता था। लेकिन जब मुझे यह अनुभव हुआ तो मैंने यह हिदायत दी कि डी० आर० डी० ओ० के अपने बजट में इस समय कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इसे अपना कार्य व्यवस्थित करना चाहिए; इनके पास बहुत सा कार्य बाकी है। डी० आर० डी० ओ० की नीति विशेषतः उनकी कार्मिक नीति के बारे में मैंने मन्त्रियों को बहुत लम्बे-लम्बे पत्र लिखे हैं। मन्त्री महोदय शायद पिछली फाइलें नहीं मंगवायेंगे।

मेरे विचार से सांसदों के कागजात और पत्र अलग फाइलों में रखे जाते हैं और यदि आप मेरी फाइल मंगवायें तो आप उसमें मेरे लम्बे-लम्बे पत्रों को देखेंगे या फिर मैं उनकी फोटोस्टेट प्रतियां आपको भेज दूंगा। इस तरह से, डी० आर० डी० ओ० की नीति के आधार पर ऐसा होता रहा जोकि अब बदलना होगा। मैं अब उसके और विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि वैसा करने पर मैं कुछ व्यक्तियों का नाम लूंगा जो कि उचित नहीं है।

सभापति महोदय : आप समय-सीमा से बाहर जा रहे हैं।

श्री अमल दत्त : मैं केवल एक या दो मिनट ही लूंगा। बिना किसी नीति के तथा अन्य किसी बात, जो मुख्य कार्य यह कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि विकासाधीन प्रौद्योगिकी तथा विश्व में कहीं भी विकसित हुई प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त की जाये और उस जानकारी से सेवाओं को अद्यतन रखा जाये। यह प्रमुख कार्य है और इसे किसी वस्तु के बिना किया जा सकता है। इसके लिए किसी नीति की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य को नहीं कर रहा है। यह होता रहा है कि जब कभी उन्हें कुछ करने के लिए कहा गया अथवा जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे कुछ कर सकते हैं, तो यह इधर-उधर देखने लगते हैं कि क्या कोई वस्तु उपलब्ध है। वे उस सामग्री को प्राप्त करते है, उसे भारत में लाकर संशोधित कर देते हैं और ओर उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि उन्होंने स्वयं ही बनायी हो। ऐसा कई मामलों में देखा गया है।

यहां तक कि अग्नि मिजाइल भी अमरीका से लायी गई प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह अमरीका के छठे दशक के राकेट के आकार की थी जोकि बेकार हो चुकी थी। इसका नोज-कोन, ब्रेन और मुख्य इन्जन जर्मन वायु अन्तरिक्ष (एरोस्पेस) अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया था। जर्मन वायु अन्तरिक्ष अनुसंधान प्रतिष्ठान में यह कार्य किया था और डी० आर० डी० ओ० ने किसी प्रकार हमसे हमे छिपाये रखा। यह बहुत से आयातित कल-पुर्जों पर आधारित था। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इसे स्पष्ट करेंगे। यह केवल अमरीका के ही नहीं बल्कि जर्मनी और जापान के भी हैं। यह सभी इसमें लगे हैं। बहुत बड़े-बड़े उत्पादक संघ हैं जो कि इन कल-पुर्जों के निर्यात पर नियन्त्रण रखते हैं।

इसलिए उन्हें बिना बताए कि हम उससे क्या लेंगे वह हमने ले लिया है। 47 रक्षा प्रयोगशालाओं के नाम पर हमने थोड़ा-थोडा सभी से लिया है। उन्हें एक स्थान पर एकत्र कर प्रक्षेपास्त्र तैयार कर लिया। अब वे चालाक हो गए हैं और उन्होंने इस वस्तुओं को भारत में निर्यात करने पर रोक लगा दी है और अब हमारे पास दूसरे प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित करने का कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता पर मुझे ऐसा ही बताया गया है। मन्त्री जी कृपया इसे स्पष्ट करें।

दूसरी बात भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में है। उसके बिना हम कोई रक्षा सम्बन्धी चर्चा पूरी नहीं कर सकते। भूतपूर्व सैनिकों की समस्या विकराल हो गई है। जितना ही अधिक समय बीतता जाएगा, समस्या और भी गम्भीर होती जाएगी। जैसाकि आप जानते हैं कि 1973 या 1975 तक हमारी सैनिक शक्ति पांच लाख थी। अब दो चरण में यह 1.1 मिलियन तक पहुंच गई है। जो सेना की नौकरी से निवृत हो चुके हैं—भूतपूर्व सैनिकों की संख्या अभी उतनी नहीं है जितनी भविष्य में होने वाली है। यहां तक कि भूतपूर्व सैनिकों की इस छोटी सी संख्या की भी सरकार देखभाल नहीं कर सकती है। यदि सरकार दी जाने वाली सुविधाओं और अवसरों को नहीं बढ़ाती है और जितनी राशि उन पर खर्च की जानी चाहिए वह नहीं की जाती है तो 1992 या 1993 तक जो मांग भूतपूर्व सैनिकों की होगी

उसे पूरा करने का कोई रास्ता नहीं होगा और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी और आज की तुलना में यह दुगुनी हो जाएगी ।

मैं जानता हूं, मैं भी कुछ ऐसी ही संगठनों से जुड़ा रहा हूं । अधिकांशतः ये भूतपूर्व सैनिक निजी सुरक्षा कार्मिक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं । आजकल कम्पनियां भी इन्हें किराए पर रखते हैं । ये किराए पर लिए सुरक्षाकर्मी प्रायः भूतपूर्व सैनिक होते हैं । इस तरह की नौकरियों को उन्हें स्वीकार करना होता है । एक बात जो बहुत ही विचित्र है वह यह कि यह जानते हुए भी कि ये लोग 35 या 40 वर्ष की आयु में नौकरी से बाहर आ जाएंगे सरकार उन्हें किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं दे रही है । इसलिए एक ही कार्य जो वह कर सकते वह है सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करना । मैं समझता हूं कि सरकार के लिए, यह एकदम अक्षम्य है कि उस उम्र के सैनिकों को बिना किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिए, जो सामान्य नागरिक जीवन बिताने के लिए उपयुक्त हो, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है ।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : नौकरियां कहां है ? उन्हें प्रशिक्ष तो दिया जाता है लेकिन नौकरियां हैं ही नहीं ।

श्री अमल दत्त : उन्हें गलत प्रशिक्षण दिया जा रहा है । आवास और पेंशन जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा । अब पेंशन का मामला कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है । राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पहले ही एक नीति तैयार की है जिसका मैं समर्थन करता हूं । उस नीति को तुरन्त लागू किया जाना है । इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समिति बनाई जानी चाहिए । इन पहलुओं के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों सहित वर्तमान सैनिकों के कल्याण के लिए क्या-क्या किया जा सकता है उसे देखना होगा क्योंकि हम इस कहानी को जानते हैं कि शांति वाले क्षेत्र में आने के बाद सैनिकों के पास रहने का स्थान भी नहीं होता है । यह जीने का तरीका नहीं है । जब शांति वाले स्थान पर वह होते है तो उनके लिए अपने परिवार के साथ रहने योग्य स्थान मिलना चाहिये । यह अवसर उन्हें अवश्य मिलना चाहिए । इन सभी बातों पर समिति को ध्यान देना होगा ।

एक नौजवान सेना (यंगर आर्मी) तैयार करने के सम्बन्ध में मेजर सुधीर सावन्त के विचारों का मैं समर्थन करता हूं । नौजवान सेना के गठन के सम्बन्ध में उन्होंने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए । वास्तव में दुनिया के सभी देशों में ऐसा है । इस उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह होगी यह समिति के निदेश पद के अन्तर्गत होगा । वास्तव में इसे उन सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए । कि हम उस नीति पर कायम रहें जिसे हम तीस चालीस वर्ष पहले अपना सकते थे, या विश्व के हर क्षेत्र हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए जहां लोगों को सियाचिन जैसे स्थानों और राजस्थान के मरुभूमि में लड़ना पड़ता है तो क्या इस दृष्टि से उनमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ।

अन्त में मेरा यह कहना है कि इस सेवा के लिए सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जाना है और इस पर बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता है । वे सभी समस्याएं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं उसका कारण यह है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, रक्षा नीति और इन सबों के बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया है । इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जल्द से जल्द पुनर्गठन किया जाए । इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाब-ए-मोहतरिम चेयरमैन साहब, मैं डिफेंस की डिमाण्ड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हर जमाने दौर में, हर मुल्क ने अपनी हिफाजत के लिए बेहतरीन

से बेहतरीन फोर्स को रखा है क्योंकि आल्हा दर्जे की फोर्स पर ही मुल्क की बका और उसकी सलामती डिपेंड करती है। मुझे पूरा यकीन है कि एक वास्ट एक्सपीरियेंस्ड और सलाईयत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर की सरपरस्ती में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब और उनके सहयोगी मिनिस्टर साहब, उनके आल्हा आफिसर और दूसरे आल्हा जवानों के जेरे निगरानी हमारी डिफेंस की तमाम जरूरयात पूरी हो सकेंगी, ऐसा मेरा मानना है।

सबसे पहले मैं, यहां दत्ता साहब और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायी हैं, उनके सम्बन्ध में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। हाउस के बीच में, फोर्स के आल्हा अफसरान के बारे में बातें करना, मैं समझता हूं कि कोई अच्छी परम्परा नहीं है क्योंकि यदि कोई जनरल है तो वह एक दिन में ही जनरल के औहदे तक नहीं पहुंच गया बल्कि उसे बड़े इम्तहान से, बड़ी जिद्दो जहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ही वह उस ओहदे पर पहुंचता है। वहां कोई खुशकिस्मत इंसान ही पहुंच पाता है इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। हमें अपने मुल्क के तमाम जनरल्स पर गर्व है। उनके जेरे निगरानी हमारी आल्हा फोर्स का जो मियार है।

दुनिया की बेहतरीन फौजों में हमारा मुकाम है। हमारी तमाम फौजों पर, तमाम अफसरान पर जितना गर्व किया जाए, उतना कम है।

मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हमारा आर्मर्ड कोर है, जिसके अन्तर्गत हमारे विभिन्न टैंक—जैसे टी-72, टी-55, पैटर्न टैंक इस्तेमाल होते हैं, हमें उनके सम्बन्ध में अपनी टर्मिनोलौजी में जरूर कुछ तबदीली करनी होगी क्योंकि ज्यादातर इंक्विपमैंट्स हमारे रशियन है। क्या रशियन ईक्विपमैंट्स के स्पेयर्स हमें आसानी से मिल सकेंगे, इस बारे में ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो बेहतरीन टैंक-अर्जुन टैंक-बनने जा रहा है, वह दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से एक हैं परन्तु उस टैंक के इंजिन की प्रोडक्शन में जो टाइम लग रहा है, वह वाकई में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी यदि कोई नया टैंक आया है तो उसके इंजिन को बनाने में 10-12 साल जरूर लगे हैं, ऐसा मेरा ख्याल है, लेकिन अर्जुन टैंक के इंजिन को बनाने में, तैयार करने में यदि हम इतना टाइम लगायेंगे और जब अर्जुन टैंक तैयार होकर मैदान में आयेगा, उस समय तक वह पीछे रह जायेगा, दुनिया में दूसरे टैंक उस समय तक ईजाद हो जायेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम अर्जुन टैंक पर ही डिपेंड न करें बल्कि ऐसे इंजिन को तैयार करने पर जोर दें जो आगे आने वाली हमारी जरूरयात का मुकाबला करने में सक्षम हो। जितने हमारे दूसरे टैंक हैं—टी-55, टी-72, उन्हें भी हम बना रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपना ज्यादा जोर, जो टैंक हम हिन्दुस्तान में बना रहे हैं—विजयन्ता टैंक—उसी पर लगायें। अपनी जरूरत के मुताबिक हम उसे तैयार कर सकते है।

मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हमारी टैंक टर्मिनोलौजी है, उसमें भी ऐसा बन्दोबस्त हो ताकि हम हाई पावर इन्फ्रा-रेड लाइट का उसमें इस्तेमाल कर सकें ताकि रात के समय हम उन ईक्विपमैंटस के माध्यम से दुश्मन को रेंगेज कर सके, ऐसी टैक्नोलौजी हम उसके अन्दर एडोप्ट करें। जितना स्पेयर पैट्रोल या डीजल हमें चाहिये, वह टैंक के बाहर, बैरल बांध कर, उसमें चले। वह एक्सटर्नल बैरल इस तरह की हो कि स्माल आर्म्ड फायर प्रोटेक्टेड हो और आवश्यकता के अनुसार उनका मौडिफिकेशन किया जा सके। हमारा जो टैंक क्रूज है, उसमें जो डांगरी पहनते हैं, वह ऐसी हो कि फायरप्रूफ डांगरी हो। अगर कहीं टैंक हिट भी हो तो वे एकदम आग न पकड़ सकें और वे क्रूज को बचा सकें।

मैं आपसे अपील करूंगा कि एक डाग मास्क इस्तेमाल करते हैं, इन छोटी छोटी चीजों पर गौर करना चाहिए, ताकि हमारे जवान के, जो टैंक इस्तेमाल करते है, उनके मोरेल पर इफैक्ट कर सके। मैं

[श्री अयूब खां]

आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी आल्हा काबूलियत को मद्दे नजर रखते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं जो फौज को, चाहे वह आर्म्ड कोर हो, आर्म्ड डिवीजन हो, जरूरत होती हैं। जैसे पहले जमाने में हमारी एचलोन होती थीं। एक टैंक कालम मूव करेगा, तो उसके साथ कुछ एचलोन मूव करेंगी। अगर वे एचलोन वी विहीकल में मूव कर रही हैं, तो वे एचलोन कभी कैचअप नही कर सकेंगी। मेरा आपसे आग्रह है कि उन टैंकों के साथ जो एचलोन वी विहीकल्स की हों, तो वे वी विहीकल्स में न होकर ट्रैक विहीकल्स में हों, ताकि उसके साथ एम्यूनिशन और उनकी जरूरियात की चीजें, रिपेयर का सामान पहुंचा सकें। साथ ही साथ उन्हीं के बीच में जितने भी सपोर्टिन्ग आर्म्ड जैसे माइंस ट्रायलर्स वगैरह हैं, वे होने चाहिए। हर स्क्वेड्रन के साथ माइन्स ट्रोलर्स का बन्दोबस्त हो सके, तो अच्छा रहेगा, ताकि जब हमें गड्डन अटैक करना पड़े, स्पीडी अटैक करना पड़े, तो हमें माइन्स ट्रोलर को पीछे न लाकर, हमें वेट न करना पड़े।

मैं आपसे आग्रह करूंगा, खास कर के जो मित्र हमारे सामने बैठे हुए हैं उनसे कि जब किसी आब्जैक्ट को लेना पड़ता है, तो एक माइन्स फील्ड दुश्मन का पीछे होता है, तो उस माइन्स फील्ड को जो जवान हमला करके पार करने के लिए जाता है, उसको मालूम है कि इस माइन्स फील्ड में हमारी 20 से 30 परसेंट तक केजुअलटी होनी हैं, उसके बावजूद वह जवान उसके ऊपर से गुजरता है और दुश्मन की उस पोस्ट को कैप्चर करता है, लेकिन वह क्या चीज है, जो उसको प्रेरित करती है कि इस तरह से अपनी मौत का ख्याल रखते हुए भी वह मैदान में उतरता और फतह हासिल करता है। उसकी जन्मभूमि उस को याद दिलाती है, उसको मादरे वतन की मोहब्बत याद दिलाती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है—

"जननी जने तो सूर जन कै दाता के सूर
नहीं तो रीझो बांझड़ी व्यर्थ गंवाए नूर"

अगर खुदा किसी को इंसान पैदा करे, तो अपनी मादरे वतन की खिदमत करने के लिए पैदा करे और इस तरह से सोचे कि मेरी एक-एक हरकत को वह मालिक देखता है।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस हुआ, उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी में फौजी अफसरान मौजूद हैं, फौज एक ऐसा दस्ता है, जहां धर्मनिर्पेक्षता का एक उसूल है। हर फौज में एक मंदिर होती है और उस मन्दिर में सब जाते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है कि वह मन्दिर क्यों जाता है। बल्कि गौरव से जाते हैं जिससे कि हमारे जवान का मोरेल अप हो सके। अरे, हम भी तो राम को मानने वाले हैं, हम भी राम का आदर करते हैं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, इनका टैंक किस तरफ जा रहा है?

श्री अयूब खां : मैं अलग नहीं जा रहा हूं। फौज पर ही बोल रहा हूं। आपको तो तारीफ करनी चाहिए। मैं तो राम की तारीफ कर रहा हूं।

आप बेफिक्र रहिए, जब मैं चुनाव लड रहा था, तो मेरे साथ चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं पाकिस्तान पर हमला करूंगा, तो मैंने कहा कि यह तो वोट लेने के बाद हमला करेगा, मैं तो वह आदमी हूं जिसने पाकिस्तान के टैंकों को अपने सीने पर झेला है। जब पाकिस्तान के टैंक हमारे मुल्क की सरहद में दाखिल हो रहे थे, तो हमने उन टैंकों

को कब्रिस्तान बनाया और हमने उसे दुनिया को दिखाया है, हमने साबित किया कि किस तरह से हिन्दुस्तानी आदमियों ने उन टैंकों को कागज के फूलों की तरह से उड़ा दिया। यह हमारी जन्मभूमि है। यह मादरे वतन हमें बताता है।

(व्यधान)

हम बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, हमने प्रैक्टीकल कर के दिखाया है। बोलने के लिए, तो आप बोलते हैं। मादरे वतन हमें तालीम देता है। हमने तो साबित करके दिखाया है. इसके बावजूद आप क्या चाहते हैं ?

महोदय, मैं आपसे अपील करूंगा कि फौज एक ऐसा दस्ता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। जो मैंने आज टैंक के सम्बन्ध में सुझाव दिए हैं कि हमारी टैंक टरमिनोलोजी में जरूर तब्दली हो, हमारे अच्छे टैंकों में बेहतरीन किस्म की गन लगें और उसमें अच्छे किस्म के फायरिंग इक्विपमेंट हों इन्फ्रा रेज इक्विपमेंट ऐसा हो जिसको रात के समय हम इंगेज कर सकें क्योंकि अब जो भी लड़ाई होगी, वह दिन के समय कभी नहीं होगी, रात को ही होगी, तो उस टाइम उसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट हों जिनमे हम रात को भी बखूबी देख सकें।

5.00 म० प०

आखिर में एक्स-सर्विसमैन की बात करना चाहता हूं। हमारे मुल्क में पचपन हजार सैनिक, जवान और जे०सी०ओ० रैंक के लोग हर साल रिटायर होते हैं और आफिसर 900 से 1000 तक रिटायर होते हैं। मुझे अफसोस है कि एक जवान जो 17 साल की उम्र में भर्ती होता है और 37 साल की उम्र में पेंशन पर आ जाए तो वह किस तरह से सड़क पर मारा-मारा फिरेगा। अब वक्त आ गया है कि हमें एक ऐसी पालिसी बनानी चाहिए कि जब जवान रिटायरमेंट के करीब हो तो उसको पैरलल सर्विस फौज में रहते हुए मिले ताकि वह चपरासी, गेटकीपर या वाचमैन के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। वह अपनी जिन्दगी का बेहतरीन हिस्सा मुल्क की खिदमद में गुजारता है और मुल्क की खिदमत अपना फर्ज समझकर करता है। जब वह फौज से वापिस आता हैं तोर-दर धक्के खाता है। इससे पहले दकि वह फौज से रिटायर हो उसको पैरलल सर्विस मिलनी चाहिए। पैरलल सर्विस पुलिस में मिल सकती हैं। ऐसा बन्दोबस्त किया जाना चाहिए कि उसे उसकी जरूरत के मुताबिक सर्विस मिले।

मैं झुंझनू क्षेत्र से आता हूं। झुंझनू ऐसा जिला है जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में आते हैं। मेरा आग्रह है कि आपके द्वारा एक फौज मेला लगे ताकि आपको अच्छे लोग मिल सकें। वहां पर आपको छः फुट के नौजवान मिलेंगे, पढ़े-लिखे नौजवान मिलेंगे। ऐसा फौज भर्ती मेला लगाएं और जिले के गौरव को बढ़ाने के लिए एक सैनिक स्कूल का बन्दोबस्त हो सके ताकि उनके बच्चे तालीम ले सकें। भर्ती सिस्टम में भयंकर करप्शन है। उसे रोकना हमारा फर्ज है।

5.02 म० प०

[अनुवाद]

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्या पीठासीन हुईं]

[हिन्दी]

मोहतरमा साहिबा जो अभी चेयर में आई हैं मुझे उम्मीद है कि उनकी सरपरस्ती में मेरी बातें

[श्री अयूब खां]

गौर से सुनी जाएंगी और उनकी डाररैक्शन में मिनिस्टर साहब अहमियत देंगे।

मैंने सुना है कि जो जिलेवाइज भर्ती आफिस थे उनको मिलिट्री स्टेशन के पास ट्रांसफर किया जाता है। एक जिले में एक फौजी भर्ती आफिस होता है खासकर मेरे झुंझनू क्षेत्र में। खबर मिली है कि उसको ट्रांसफर करके किसी मिलिट्री स्टेशन में भेज रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो वह जिले के लिए नाइंसाफी होगी। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई और तरीका अख्तियार करें जैसे भर्ती मेला लगवाएं या कुछ ऐसा करें जिससे लोग इसमें करप्शन न कर सकें। वास्तव में भर्ती में काफी करप्शन है।

डा० जी० एल० कनोजिया (लखीमपुर खेरी) : सभापति महोदया, सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजने दें।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है।

श्री अयूब खान, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : सभापति महोदय, मैं फौजी भर्ती आफिस के बारे में बोल रहा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है और उसको दूर करने के लिए और कोई तरीका अख्तियार हो न कि उस आफिस को शिफ्ट कर दिया जाए, खास कर मैं अपने झुंझनू की बात कर रहा हूं।

अभी-अभी इराक और अमरीका के बीच जो वार हुआ है, उससे हमें सबक लेना चाहिए और उस टैक्नालजी के मुताबिक हमको अपनी फौज तैयार करनी चाहिए। हमारी एयरफोर्स इस काबिल हो कि कोई भी दुश्मन का प्लेन उसके आगे टिक न सके और उसे वह दबा दे। हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। किस तरह हम अपनी इनफैंटरी को मजबूत करें, किस तरह आर्मी रेजिमेंट को मजबूत करें इसको हम देखें।

अभी हमारे पी०ए०सी० के चेयरमैन श्री अमल दत्ता जी बोल रहे थे। अब वह चले गए हैं। वह कह रहे थे कि हमारी फौज की सिकरेसी आउट नहीं होती हैं। अगर वह आउट होने लगी तो मुल्क की हिफाजत कहां जाएगी। जो बातें वह बता रहे थे, उनको वह मजाक में ले रहे थे। वह उन हथियारों का जिक्र कर रहे थे जो मुल्क की हिफाजत और उसकी सरहदों पर लगा हुआ है। उस पर उन्होंने टोंटिंग कसी कि वे काबिल हैं या नहीं? खरीदे हुए हथियारों का आदर करना हमारा फर्ज है। अगर हम उनका आदर नहीं करेंगे तो दुश्मन इस बात से खुश होगा। 1965 की लड़ाई में जबकि पाकिस्तान के पास पैटंट टैंक था उस समय खाली हमारे पास सरमन टैंक थे हमारी फौज में हमारे जवानों को यह कहते हुए सुना था कि यह दान का टैंक है, कभी कामयाब नहीं हो सकता और वह वाकई में कामयाब नहीं हुआ। जो भी हथियार हमारे पास हों चाहे वह बफर्स गन हैं या दूसरे खरीदे हुए गन हों, मेरा आग्रह है कि उन पर पार्लियामेंट में इस तरह से डिसकसशन न हो। इससे दुश्मन को फायदा होता है और फौजियों के मनोबल में भी कमी आती है। हमारी सिकरेसी में ही फौज की काबलियत का दारोमदार है।

डी०आर०डी०ओ० हमारी आर्डनेंस फैक्ट्रीं का जो काम है वह सराहनीय है। बहुत मेहनत के बाद हमने ऐसी टेक्नालोजी अख्तियार की है। शायद कभी दुनिया के बेहतरीन मुल्कों के मुकाबले में हम अवश्य आ सकेंगे। "पृथ्वी" "आकाश" ऐसी-ऐसी मिसाइल हमने बनाई हैं लेकिन मेरा आपसे आग्रह होगा कि हम इस दौर का मुकाबला करने के लिए, जमाने की इस रेस में बराबर खड़ा होने के लिए न्यूक्लियर टैक्नालोजी हासिल करना हर हालत में लाजमी है। हमारा पड़ोसी मुल्क चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर उनके पास वह टैक्नालोजी है और हमारे पास नहीं है तो हमारे फौज के मारल पर बहुत बुरा एफेक्ट पड़ता है और इतना ही नहीं हमारे देशवासियों पर भी इसका एफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे पास एटम एनर्जी नहीं है और दूसरे देश के पास है तो यह हमारी आजादी की रक्षा की एक जमानत बनती है और मुल्क की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। हमें इस बात पर अवश्य ही गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम नई टैक्नालौजी अख्तियार करें और ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे हमारे पड़ोसी देश हमारी तरफ गलत आंख से न देख सके।

महोदया 1965 और 1971 की लड़ाई मैंने देखी थी। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर घर का कोई आदमी फौज में न हो। 1971 की लड़ाई मे हम तीनों भाई लड़े थे। यह हमारा पैदाइशी और खानदानी हक है। मुल्क की खिदमत करना हम गौरव समझते हैं। हम ऐसे नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या किसी की बात सुनने के लिए करते हैं।

अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने मादरे वतन की खिदमत करना अपना ईमान और धर्म समझते हैं। मैं अपील करूंगा कि उस इलाके के विकास के सम्बन्ध में, जहां से इतने फौजी मुल्क की खिदमत के लिए लगे हैं, उसमें सैनिक स्कूल जरूर खुले। फौजी भर्ती मेले जरूर खुले और वहां पर इस तरह का बन्दोबस्त जरूर हो ताकि उनको कम से कम यह महसूस हो कि जहां से इतने फौजी आते हैं, वहां का ख्याल भी अच्छे ढंग से किया जा रहा है।

हमारी फौज के अन्दर भी जो पुराना ढांचा है, जिसकी बात अभी चल रही थी, उसके अन्दर जरूर देखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर आज एक थानेदार एक एस०पी० को अरैस्ट कर सकता है, एक डी०आई०जी० को अरैस्ट कर सकता है, एक थानेदार होते हुए भी, क्योंकि, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है, हमारी फौज में भी कुछ ऐसी चीजें फौज के द्वारा होनी चाहिए ताकि हम लोग भी उन पर थोपें, बल्कि फौज के सीनियर अफसरान को मालूम करके बताएं कि ऐसी चीज लाएं जिसमें कुछ परिवर्तन हो सके तो ऐसा जरूर करना चाहिए।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस मुल्क में मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे पहले तो 5 साल की कम्पलसरी फौजी ट्रेनिंग हर आदमी, हर व्यक्ति को, जिसकी उम्र 18 साल की हो, मिले ताकि वह आदमी किसी भी सर्विस में जाने से पहले कुछ न कुछ फौज की ट्रेनिंग ले तब वह किसी सर्विस में जा सके, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम सब ट्रेनिंग लेंगे तो हमें बहुत बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ने पर भी तैयार फौज मिल सकती है। हमारी फौज के अन्दर लेडीज की महिलाओं की भी भर्ती हो, जैसे हमारी मोहतरम चेयरमैन साहब बैठी हैं, ऐसी काबिल लेडीज अगर फौज में जायेंगी तो उनकी रहनुमाई में हमारा देश काफी तरक्की करेगा। (**व्यवधान**)

जनाब मोहतरमा साहिबा, मैं कुछ सुझाव दूंगा। अभी तक हमारी फौज में जो छोटी-छोटी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कुकिंग फैसिलिटीज हैं, फौजी जवानों को, जो छोटी यूनिट में है, कम्पनी या स्क्वाड्रन में है, कुकिंग के लिए पुराने जमाने का सैकिण्ड वर्ल्ड वार के

[श्री अयूब खां]

जमाने का एक ओइल कुकर रहता है, जिससे वह खाना पकाते है तो क्यों नहीं उनको प्रोपर गाड़ी मिले, जिसमें वह गैस का चूल्हा जला सकें, बड़े-बड़े पतीले हों, जो गाड़ियों में चलें और मूवमेंट की हालत में ही उनका खाना बने और ताजा और अच्छा खाना जवानों को मिल सके। मुझे गौरव है अपने उन जवानों पर जो मैदाने जंग में लड़ते हैं और इस तरह लड़ते हैं कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरा आपसे गुनना है कि आप इन चीजों पर गौर करेंगे।

आखिर में मेरे झुंझुनू जिले के लिए मैंने जो दो तीन बातें बताई है, इन पर जरूर ख्याल रखें। एक्स सर्विसमैन के लिए जो वन रैंक वन पेंशन की बात है, अगर हम वन रैंक वन पैंशन नहीं दे पायेंगे तो यह बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसी बजट के अन्दर हमें वन रैंक वन पैंशन की सहूलियत को हर हालत में एनाउंस करना चाहिए ताकि कोई भी आदमी इस प्रकार से डिसिप्लिन फोर्स को गुमराह न कर सके। जिस दिन यहां पार्लियामेंट में बात आई थी, हमारे कुछ नेता लोग वहां पहुचे, जहां धरना दिया हुआ था, तो उन्होंने वहां पार्टी स्वार्थ की बातें कीं। मेरी गुजारिश है कि आप एक्स सर्विसमैन या फौज के मामले में पार्टी पोलिटिक्स को न लायें, ऐसा हम सभी को सोचना चाहिए। हम यह सोचें कि उनके सम्मान की खातिर वन रैंक वन पेंशन की स्वीकृति दें। अगर हमारे पास फाइनेंस की कमी है, बाज, तो हम यह वादा करें, आज यह एनाउंसमैंट हो जाए, चाहे उनको पेमेण्ट दो तीन साल बाद हो। उनके एकाउण्टस में यह पैसा जमा हो ताकि उनको यह थर्डन न आए कि आज हम पैसा नहीं दे सकते हैं लेकिन एनाउण्समैंट जरूर हो कि हम वन रैंक वन पैंशन उनको देने वाले हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : तीन साल बाद यह सरकार रहे, तब न।

श्री अयूब खां : जिस तरह से हम स्वतन्त्रता सेनानियों को रेलवे का फ्री पास देते हैं, मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हाइली डैकोरेटेड सोल्जर्स को भी रेलवे का फ्री पास मिले, उस वक्त तक, जब तक वे जीवित हैं ताकि वह लोग भी जो, जिन्होंने परमवीर चक्र लिया हो, महावीर चक्र या वीर चक्र लिया हो, वह आदमी जाये और उसको कोई सम्मान न मिले, उनका हम लोग सम्मान न करें और हंसी में टाल दें······

यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। हमें चाहिये कि उन हाईली डैकोरेटेड आनर का हम आनर करें, ताकि उनको रेलवे के अन्दर फ्री-पासेज की सहूलियत मिल सके। इसमें पैसे की गर्ज नहीं है, एक सम्मान की दृष्टि से कि हम उनको इतना सम्मान दें, ताकि हमारे जवान, हमारे फौज के आला आफिसरों की हौंसला अफजाई हो सके। हम सचिंग-आफ-एनिमी के लिये लेजर बीमा डालते हैं। हमारे पास अगर ऐसी टैक्नालाजी हो कि हम बीम में इलैक्ट्रिक करन्ट डाल सकें, तो हम दुश्मन को ज्यादा कैज्युअलटीज देने के लिए उसका एक्युरेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हमारी एडवान्स टैक्नालाजी होनी चाहिये।

मेरा आपसे यही आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आला काबिल डिफेंस मिनिस्टर साहेबान और उनकी टीम के रहते हुए हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो सकेगी। हमारे आला आफिसर्स और हमारे बेहतरीन किस्म के आला चीफ्स की रहनुमाई में हमारे हवा, पानी और जमीन की सरहदों की हिफाजत पक्के तौर पर, जमानत के तौर पर हो सकेगी।

आखिर में, मेरा आग्रह है कि फौज को हम गलत जगह पर बार-बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल न करें। फौज का अपना एक अलग करैक्टर है, एक अलग कलचर है, उसका एक अलग गौरव है, अगर हम उसको पुलिस की जगह इस्तेमाल करने लगे तो फौज का गौरव चला जाएगा। उसको मेंटेन

करने के लिए, उस गौरव को बनाए रखने के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिये उस गौरव को बनायें और उनको गलत जगह बार-बार सिविल की मदद के लिए इस्तेमाल में न लायें।

मैं मोहतरमा साहिबा का बहुत मशकूर हूं कि आप इस चेयर पर आ सकीं और आपके माध्यम से मेरी बातों पर जरूर गौर हो सकेगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की परम्परा के अनुसार रक्षा बजट पर चर्चा के दौरान आपकी अनुमति से मैं चर्चा के बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा क्योंकि मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है और अंशतः सुरक्षा की स्थिति तथा रक्षा आयोजना और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इस मंत्रालय का दृष्टिकोण स्पष्ट करना है।

हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय रक्षा मंत्री कल शाम इस चर्चा का विस्तारपूर्वक उत्तर देंगे। वह उच्च नीति संबंधी मामलों और देश के सामने आने वाली धमकियों जैसे संवेदनशील मुद्दों और महत्वपूर्ण रक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जवाब देंगे।

इस सभा में हम सभी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हैं, रक्षा मामलों में हमारे और सरकार के बीच दृष्टिकोणों का अन्तर है तथा विशेषकर रक्षा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मुद्दों पर मतभेद है। लेकिन हमेशा से और आज भी सैनिकों के प्रति स्नेह और सम्मान के मुद्दे पर चाहे वे सियाचीन ग्लेशियर में हो या रेगिस्तान में चाहे वे सुदूर समुद्र में हों या हवाई युद्ध में संलग्न हों उनके प्रति सभी सदस्यों के विचारों में साम्य है।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी, रक्षा मंत्री, श्री शरद पवारजी ने पदभार संभालने के बाद, पिछले दो महीनों में, हमारे देश के सियाचिन तथा अन्य सुदूरतम मोर्चों का दौरा किया, जहां हमारे सैनिक युद्ध की तैयारी में सन्नद्ध हैं तथा उन्होंने नौसेना के अभ्यास में भी भाग लिया। वह रक्षा उत्पादक इकाइयों में हमारे श्रमिकों और अनुसंधान और विकास इकाइयों में हमारे वैज्ञानिकों के पास भी गये जो हमारे रक्षा प्रयासों में काफी सहयोग दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव तथा अन्य अधिकांश माननीय सदस्यों ने विश्व में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों की ओर उचित संकेत किया है जिनके कारण रक्षा की दृष्टि से विश्व की स्थिति में बदलाव आया है।

महोदया, हम विश्व में कम हो रहे तनावों से परिचित हैं तथा गार्बाचोव जैसे नेताओं के युगान्तकारी कार्यों की वजह से आणविक युद्ध की कम होती हुई संभावना से अवगत हैं। किन्तु, जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमें भू-राजनैतिक क्षेत्रीय स्थिति और हमारे बिल्कुल समीप के वातावरण के धमकीपूर्ण स्थिति का सामना करना होगा जोकि अत्यन्त गंभीर हैं। हम इस खतरे से परिचित हैं।

हम पाकिस्तान की आणविक क्षमता से भी परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि जिस दर से पाकिस्तान स्वयं को शस्त्र सुसज्जित कर रहा है, किस तरीके से वे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से नवीनतम हथियार ले रहे हैं और यह भी सूचना है कि वे सऊदी अरब से ईराकी टैंक ले रहे हैं। हम सभी हमारे देश में जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब को अस्थिर बनाने में उसकी भूमिका से भलीभांति परिचित हैं। हम चीन की सैन्य गतिविधियों से भी परिचित हैं।

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

मैं विस्तार मे बात नहीं करना चाहता किन्तु, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि देश जिम सामरिक एवं प्राद्यौगिक वातावरण का सामना कर रहा है, उसका एक अत्यन्त विस्तृत और व्यवस्थित आकलन रक्षा योजना तथा विदेश मंत्रालय सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह अभी विस्तृत विचार-विमर्श के स्तर पर है। इस दस्तावेज को अंतिम रूप देने के पश्चात्, यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी रक्षा के मुख्य उद्देश्यों और योजना नीति के निर्धारण का आधार बनेगा।

मैं श्री चन्द्रजीत यादव की गलती सुधारना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि हमारी प्रशासनिक रिपोर्ट दोषपूर्ण थी। मैं उनमे सविनय कहूंगा कि जो प्रशासनिक रिपोर्ट वितरित की गई है वह 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से संबंधित है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर रक्षा मन्त्री थे। इसलिए, सिर्फ उसी तरह से हम प्रशासनिक रिपोर्ट में सत्यता ला सकते हैं।

इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर मुझे हाल ही में सोवियत संघ जाने का और भारत-सोवियत संघ रक्षा सहयोग पर एक बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। यह वहां हुए तख्ता-पलट से दो तीन दिन पहले की बात है। हमने काफी उपयोगी चर्चा की और मुझे यह कहते हुए खुशी है। कि अतिरिक्त पुर्जों और संयंत्रों की आपूर्ति तथा नए कार्यक्रम शुरू करने संबंधी 13 या 14 मुख्य मुद्दे, जिन पर सोवियत संघ से चर्चा होनी थी। उनमें से दस से अधिक मुद्दे संतोषपूर्ण ढंग से सुलझ गए और उन पर औपचारिक बातचीत हुई। चर्चा अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण तथा फलोत्पादक रही।

सभापति महोदया, मैं आपको व आपके माध्यम मे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत-सोवियत मित्रता और सहयोग, स्वतन्त्रता से भी पूर्व के समय से, पिछले 40 से 45 वर्षों से हमारे राष्ट्रीय नेताओं और पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई दृढ़ नींव पर बने हैं। यह सहयोग जारी रहेगा।

जहां तक हमारे हथियार, संयंत्रों या प्रौद्योगिकी का संबंध है, मैं यह नहीं कहूंगा कि हम सोवियत संघ पर निर्भर हैं। किन्तु, मैं कहूंगा कि यह सहयोग आपसी आदर पर आधारित है। यह दो सरकारों की मित्रता नहीं है। यह दो देशों की जनता की मित्रता है जो एक बिलियन लोगों को या संपूर्ण मानवता के एक बटा पांचवे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें पूरा विश्वास है और सोवियत संघ से भी हमें यही संकेत मिल रहा है : कि वर्षों से हमने जो सहयोग विकसित किया है, उस संपूर्ण सहयोग पर भारत-सोवियत संघ मित्रता कायम रहेगी और भारत-सोवियत रक्षा सहयोग इसका एक अखण्ड हिस्सा होगा। भारत अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करेगा और रक्षा मंत्रालय ऐसे कदम उठाएगा, जिससे यह सहयोग दृढ़ हो और सोवियत संघ से भी हम इसी प्रकार के आदान-प्रदान की आशा रखते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम विश्व की ओर अपने खुले नहीं रखेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी सेनाओं के लिए शस्त्र, संयंत्र लेने और अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता से संबंधित अपनी रक्षा की तैयारियों में किसी प्रकार का समझोता करेंगे। हम किसी भी स्तर पर अपनी रक्षा की तैयारियों में समझौता नहीं करेंगे।

सभापति महोदया, हम सभी रक्षा बजट की सीमाओं से अवगत हैं। यह देश के संपूर्ण बजट की सीमाओं का एक अंग है। इस वर्ष 1990-91 के संशोधित बजट प्राक्कलन के अनुसार रक्षा बजट लगभग 3.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यह रक्षा व्यय समिति जो रक्षा व्यय कम करने या सुसंगत बनाने के लिए गठित की गई थी, द्वारा सुझाई गई राशि से कम है। यह इस मंत्रालय के अधीन संस्थाओं

और सेना द्वारा की गई मांगों से काफी कम है। आप यह भी जानते हैं कि यह कोई गोपनीय बात नहीं है और यह सूचना विश्व की प्रमाणिक रक्षा पत्रिकाओं में उपलब्ध है कि पाकिस्तान, द्वारा किया जाने वाला रक्षा व्यय या युद्ध तैयारियों में किया जाने वाला व्यय, किसी भी सूचक से देखें ता देश के कुल सरकारी खर्च में इसका अंश या देश की कुल प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, भारत की तुलना में यह राशि दुगने से भी अधिक है। किन्तु, हमारी अपनी सीमाएं हैं, जैसाकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है। हमें कम की गई 16,350 करोड़ रुपए की उपलब्ध विदेशी मुद्रा से और अपरिवर्तनीय मुद्रा में काम चलाना होगा। कोई अन्य विकल्प नहीं है। किन्तु, मैं कहना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेनाओं की कई शाखाएं अपनी व्यवस्था को सही करने में गंभीरता से लगी हुई हैं: जो व्यर्थ खर्च में कमी करने, कार्यदक्षता बढ़ाने और प्रत्येक रुपए के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में जुटी हुई हैं। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों की कार्यसूची मेरे पास है। इसके कुछ हिस्से, जहां हम अपने व्यय मे कटौती कर रहे हैं, वे गोपनीय हैं। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। किन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा सेनाएं सहयोग कर रही हैं। वे इस देश में वित्तीय संकट की गंभीरता को समझ रही हैं और वे यह प्रयास कर रही हैं कि जहां तक इस देश की सैन्य सज्जा का संबंध है, वे रुपए की अधिकतम कीमत वसूलने का प्रयास कर रही हैं।

आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप हम बचत पर जोर दे रहे हैं। हम संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने काप्रयास कर रहे हैं विशेषकर, रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण पर बल दे रहे हैं। हम अपनी विभिन्न योजनाओं का प्राथमिकता क्रम पुनः निर्धारित कर रहे हैं और यहां भी सैन्य-सज्जा पर विशेष बल है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के बारे में काफी कुछ कहा गया है। सभी रक्षा पर होने वाली चर्चाओं में, हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की आलोचना होती है। हम इस संस्थान के कामकाज की समीक्षा करते रहते है। हम कभी-कभी आंतरिक आलोचना भी करते हैं। किन्तु, मुझे आश्चर्य है कि जिन वरिष्ठ सदस्यों ने रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की आलोचना की, उन्होंने किसी विकल्प का सुझाव नहीं दिया। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि हमें···(**व्यवधान**)···

श्री अमल दत्त : मैंने कहा है कि कार्मिक नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने विशेषरूप से यह कहा है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वह यह कहना चाहते हैं कि हमें अपनी स्वदेशी अनुसंधान क्षमता के विकास में और विलम्ब करना चाहिए। आधुनिक युद्ध में हमें आधुनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। अब से वर्षों बाद भी क्या हमें सिर्फ विदेशी पुर्जों पर ही निर्भर रहना होगा? उसमें विलम्ब हुआ है।

श्री अमल दत्त : हमने जो कहा है, उसे आप विकृत मत दीजिए। हम शायद आपसे भी अधिक स्वदेशी विकास चाहते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : ठीक है।

सभापति महोदय : आपको इस हस्तक्षेप के जरिए अपनी बात समाप्त करने के लिए कितना समय चाहिए?

श्री एस० कृष्ण कुमार : लगभग बीस मिनट।

सभापति महोदय : कृपया एक क्षण के लिए बैठ जाएं। मुझे सर्वसम्मति लेने दें क्योंकि यह आधे घंटे की चर्चा का समय है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि आधे घंटे की चर्चा, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद की जाए।

कई माननीय सदस्य : हां। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना हस्तक्षेप भाषण दस या पन्द्रह मिनट में समाप्त कर दें।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय नष्ट न करें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य, श्री अमल दत्त की बातों की यथार्थता की जांच नहीं कर रहा। किन्तु, उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान के बारे में जो बातें कही हैं, उनमें से कुछ सत्य नहीं हैं। जैसे कि वे 'अग्नि' के बारे में कर रहे थे कि इसकी डिजाइन जर्मन है। यह गलत है। जर्मनी के पास लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्र नहीं है। 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र छोड़ने के तुरन्त बाद भ्रामक सूचना फैल गई। हमें जानना चाहिए कि यह गलत सूचना कहा से आती है। हम स्पष्टतः कहना चाहेंगे कि यह जर्मन की नहीं है। यह देश में विकसित एक नई प्रौद्योगिकी है। यह सूचना गलत है। मैं उनके भाषण की अन्य गलत बातों का भी उल्लेख कर सकता हूं। इसीलिए, मैंने उस बात पर उनके नाम का उल्लेख किया।

मैं सक्षेप मे रक्षा अनुसंधान संस्थान के कार्य का निरूपण करना चाहूंगा (**व्यवधान**) मुझे एम० बी०टी० 'अर्जुन' के बारे में जानकारी है। (**व्यवधान**) माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। इन गर्मियों में राजस्थान में एम०बी०टी० 'अर्जुन' के सफल परीक्षण किए गए हैं। इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर थल सेना, अब, उत्पादन पूर्ण स्तर पर, कई एम०बी०टी० 'अर्जुन' का पूर्ति आदेश दे रही है। एम०बी०टी० अर्जुन के घटनाक्रम की यह स्थिति है।

श्री अमल दत्त : आदेश दे रही है से आपका क्या तात्पर्य है? (**व्यवधान**) अर्थात् आपने अभी तक आदेश नहीं दिए हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हम आदेश देने वाले हैं।

श्री अमल दत्त : पिछले दो वर्षों से परीक्षण हो रहे हैं और उन्होंने अभी तक आदेश देने से मना किया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : देश में मुख्य युद्ध पोत को बनाने में लगा समय जर्मनी के लेपर्ड II या अमेरिका के एम०आई० 'एबरैम' बनाने में लगे समय से कम होगा···(**व्यवधान**) हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास के प्रयास अवश्यंभावी और अपरिहार्य हैं। हम सभी इसमें हुई देरी से परिचित हैं। किन्तु, अन्य कोई उपाय नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : आप यह तुलना क्यों कर रहे है? इस तुलना की कोई जरूरत नहीं है··· (**व्यवधान**)···आप यह जानकारी क्यों दे रहे हैं? (**व्यवधान**)

श्री एस० कृष्ण कुमार : रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, जो 1984 में बनाया गया था, वह काफी अच्छा कार्य कर रहा है। उसने हमें एक सक्षम एवं मजबूत रक्षा उत्पादन ढांचा प्रदान किया है। सिर्फ आयुध कारखाने ही 3000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन कर रहे हैं। आठ रक्षा उत्पादन इकाइयां, जिनमें मझगांव डाक भी है। पिछले वर्ष तक घाटे में चल रहा था, और अब लाभ कमा रहे हैं। मानवीय शक्ति की दृष्टि से, हमारे आयुध कारखानों की क्षमता उपयोगिता 100 प्रतिशत से अधिक है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने विभाग की उपलब्धियों को उद्घाटित करना है।

अब हमने नागरिक क्षेत्रों में सप्लाई को बढ़ा दिया है। हमने पहली बार लगभग 90 करोड़ रुपए निर्यात द्वारा प्राप्त किये हैं। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 114 करोड़ रुपए है। युद्ध-सामग्री का निर्यात करने के क्षेत्र में भारत काफी पीछे है। इस वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए के निर्यात के बारे में हम पहले ही बातचीत कर रहे हैं। प्रति मजदूर हमारी उत्पादन लागत दुगुने से भी अधिक हो गई है।

श्री अमल दत्त : इस 120 करोड़ रुपए में कितनी और लागत आयेगी? क्या आप हमें बता सकते हैं?

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बीच में मत टोकिए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 90 प्रतिशत से भी अधिक स्वदेशीकरण हो रहा है। **(व्यवधान)**

हमारे मुख्य बलों अर्थात् वायु सेना, नौ सेना तथा थल सेना के अतिरिक्त अन्य दूसरे संगठन जैसे तटरक्षक इत्यादि के बारे में जिक्र न करना अनुचित होगा। तटरक्षक ने अपने व्यय में काफी अधिक कटौती कर दी है। उदाहरण के लिए यदि हम इस वर्ष सीमा-शुल्क की ओर देखें तो पायेंगे कि 300 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य के निषिद्ध माल को तटरक्षक द्वारा पकड़ा गया है तथा यह राशि उस राशि से कहीं अधिक है जोकि हम तटरक्षक पर व्यय कर रहे हैं। यह एक नवीन संगठन है जिसका द्रुत गति से विस्तार हो रहा है।

नैशनल कैडेट कोर जैसे संगठन भी हैं। हमने अभी हाल ही में 'एन०सी०सी०' की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है तथा इसके कार्य-क्षेत्र में सुधार किया है। अब सभी नदोदय विद्यालयों में 'एन०सी०सी०' की यूनिटें होंगी। हमने प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया है। हमने राष्ट्रीय एकता शिविरों की संख्या भी बढ़ा दी है। हमने कैडेटों की संख्या में भी प्रति वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि की है आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हमारा यही सब करने का विचार है। मैं इन संगठनों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्यथा गलती से इन संगठनों का उल्लेख नहीं हो पायेगा ...**(व्यवधान)**

नीति सम्बन्धी मामले, जैसे समान **पद तथा पेंशन** में सभा के विभिन्न वर्गों में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां वह संक्षिप्त कारण है जिसके कारण रक्षा मंत्री जी इस सभा से चले गये हैं। इस समय भी वह इसी सम्बन्ध में किसी बैठक में सम्मिलित होने जा रहे है तथा मुझे विश्वास है कि जहां तक भूतपूर्व-सैनिकों का सवाल है इस बारे में एक समाधान निकल आयेगा जो सभी के ही पक्ष में तथा सन्तोषजनक होगा।

हमें हर क्षेत्र में अपने देश की अत्यधिक गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस मामले में वास्तविक आंकड़े 200 करोड़ रुपए नहीं है जैसाकि किसी सदस्य द्वारा उद्धृत किया

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

गया है। इच्छा से अथवा अनिच्छा से इसका विस्तार नागरिक क्षेत्र तक किया जाना है तथा कुछ प्राक्कलों के अनुसार इसमें कुल व्यय 1,200 करोड़ रुपए तक प्रति वर्ष आएगा। ये ही कुछ गम्भीर कठिनाइयां हैं जिनके रहते हमें यह कार्य करना है।

महोदया, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती करने का निर्णय लिया है। नौ सेना की योजना को पहले ही स्वीकृति दी चुकी है। कुछेक पदों पर महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। जहां तक थल सेना तथा वायु सेना का सवाल है उनकी योजनायें विचाराधीन हैं।

मुझे कुछ सदस्यों जैसे कर्नल रामसिंह, कर्नल अयूब खां इत्यादि द्वारा उठाये गये अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देने में अति प्रसन्नता होती परन्तु मुझे दिया गया समय समाप्त हो चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी कल इसका व्यापक उत्तर देंगे। मैं अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय इस दिशा में अपने यथासंभव उपाय कर रहा है कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा सहित बजट में हमारे लिए जितनी राशि आवंटित की जाती है उसका सर्वोत्तम सम्भव तरीके से उपयोग किया जाये ताकि इस देश को रक्षा के पहलू से अधिक से अधिक तैयार किया जा सके तथा इस बजट की ज्यादा से ज्यादा राशि को आधुनिकीकरण में व्यय किया जा सके। हम दूसरे क्षेत्रों में मितव्ययिता बरतने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि युद्ध प्रौद्योगिकी, मनोबल तथा साहस के आधार पर ही जीते जाते हैं। हम एक बार पुनः अपने सशस्त्र बलों के जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने हमेशा अपने जीवन का बलिदान किया है तथा जो अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करना चाह रहे हैं।

आवास, कल्याण तथा अन्य दूसरे सभी क्षेत्रों में अपने साधनों के अन्तर्गत जो संभव हो सकता था, हमने उसमें से अधिक से अधिक दिया है। उदाहरण के लिए आवास के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए में से 179 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमें आवास के लिए रक्षा मंत्रालय से इतना ही प्राप्त हो सकता था। हम अत्यधिक गम्भीर वित्तीय संकट में काम कर रहे हैं। हम इन परिस्थितियों में अपनी ओर से यथासम्भव सर्वोत्तम उपाय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : सभापति महोदया, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उत्पादित किये गये कुछ उपकरणों की लागत इतनी अधिक हो गई है कि सेना ने इन उपकरणों के लिए आर्डर देने से इंकार कर दिया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : लागत में कमी आना तथा इसकी उत्पादकता तथा उपयोग में वृद्धि होना एक सतत प्रक्रिया है। महोदया, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समय नागरिक क्षेत्र के लिये बड़ी संख्या में आर्डरों में कमी आ रही है तथा आयुध कारखानों और रक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता को बिना प्रभावित किये हुए नागरिक क्षेत्र के लिए आर्डरों की संख्या में कमी आने के साथ-साथ स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में बहुत अच्छी प्रगति हुई है।

5.46 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

पेप्सी खाद्य परियोजना का कार्य-निष्पादन

सभापति महोदय : अब सभा पेप्सी खाद्य परियोजना के कार्य-निष्पादन पर आधे घंटे की चर्चा करेगी तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा इसकी शुरूआत की जायेगी ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदया, इस सदन में 3 नवम्बर, 1988 को उस वक्त के मिनिस्टर फार फूड प्रोसेसिंग श्री जगदीश टाईटलर ने निवेदन किया था। उस निवेदन में पैप्सी फूड के हिन्दुस्तान में आने के रास्ते का एलान करते हुए उन्होंने यह कहा था कि

[अनुवाद]

इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

1. कृषि अनुसंधान केन्द्र;

2. आलू अनाज प्रसंस्करण एकक;

3. फल तथा वनस्पति प्रसंस्करण एकक; और

4. शीतल पेय सांद्रित निर्माण एकक ।

[हिन्दी]

आगे उन्होंने उसी दस्तावेज में जो सरकार का बयान था, यह कहा था कि इस प्राजेक्ट के बदौलत जो देश में, विशेषकर पंजाब में भारी विकास होना है और वह विकास खेती और खेती से जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होना है । इसके साथ ही उन्होंने यह ऐलान किया था जिसे उन्हीं के शब्दों में अंग्रेजी में पढ़ूंगा :

[अनुवाद]

किसी भी वर्ष में शीतलपेय सांद्रित निर्माता कम्पनियों की कुल बिक्री कम्पनी के उस वर्ष की कुल बिक्री के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाती है । दूसरे, व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के समय से ही इस परियोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष दस वर्ष तक की अवधि के लिए अपनी कुल बिक्री का पचास प्रतिशत निर्यात किया जायेगा जिसमें से चालीस प्रतिशत निर्यात कम्पनी के स्व-निर्मित उत्पादों में से किया जायेगा तथा दस प्रतिशत निर्यात दूसरी कम्पनियों द्वारा निर्मित चुने हुए उत्पादों में से किया जायेगा । तीसरे, देशी माल की बिक्री के लिए विदेशी कम्पनियों के नाम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

[हिन्दी]

सभापति महोदया, हम लोग यह बहस यहां छेड़ रहे हैं । हम मन्त्री महोदय से जानना चाहते है कि इनमें से कौन सी बात पैप्सी फूड्स ने पूरी की है और उन्होंने उस निवेदन को पिछले ढाई-तीन महीनों में इस सदन के अन्दर अथवा दूसरे सदन में दिए हुए बयान के आधार पर, अगर मैं कहूं कि जहां तक एग्रो-इंडस्ट्री, एग्रो रिसर्च सैंटर का सवाल है, यह कुछ नहीं हुआ है, इसका नामो-निशां नहीं

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

है तो ठीक होगा । जहां तक इस कम्पनी द्वारा 40 प्रतिशत निर्यात करने की बात है, इसके टर्न ओवर की बात है, तो इस कंपनी द्वारा बनायी हुई कोई का निर्यात नहीं हो रहा है और जहां 25 प्रतिशत से अधिक यह कंपनी अपने कुल व्यवहार में सौफ्ट ड्रिंक्स नहीं बनाएगी तो 27 प्रतिशत से अब तक पूरा उसको तोड़कर जहां तक जा सकता है, वहां जा रहा है, जा चुके हैं और उन्हें रोकने की बात सरकार के हाथ में नजर नहीं आती है ।

अगर बात यहीं तक रहती तो मैं समझ सकता हूं । मैं यह देख रहा हूं कि ये कंपनी आज सरकार को चुनौती देकर बैठी है । जब इनके निर्यात के प्रश्न को छेड़ा गया और यहां अभी चंद दिन पहले राज्य सभा में 29 तारीख को दिए हुए प्रश्न का मन्त्री महोदय का जवाब लिया गया, इन्होंने कहा है कि ।

[अनुवाद]

कंपनी ने वर्ष 1990-91 के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात करना आरम्भ किया है :—

समुद्री उत्पाद	58,49000 रुपये
चाय	58,95,000 रुपये
चावल	5,45,90,000 रुपये
काजू, काली मिर्च इत्यादि	2,98,99,000 रुपये

[हिन्दी]

कुल मिला कर 9,62,33000 । कहा लैटर आफ इंटेन्ट, लाइसेंस और सारी सरकार के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त उस कंपनी के सामने रखी हुई आपकी शर्त, और कंपनी ने उनको स्वीकार करके इस देश में आने का फैसला किया था, वह फैसला, और आज उनका जो व्यवहार है, और उनका जो काम इस देश में चल रहा है, इन दोनों का आप सही तालमेल जोड़ सकते हैं ? आज सुबह मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा कि अभी चर्चा चल रही है कि टोटल टर्नओवर का अर्थ क्या है । चूंकि कंपनी ने इनको चुनौती देकर कहा है कि टोटल टर्नओवर का मतलब, हिन्दुस्तान से हम लोहा भी निर्यात करें तो वह भी पैप्सी कंपनी के टोटल टर्नओवर में आ जाएगा । वह इस देश से किसी भी चीज को निर्यात कर सकते हैं । वह यह कहते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया है और इसमें जो धांधली चल रही है उस पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, चूंकि आधे घंटे की चर्चा है । मुझे मालूम है कि आज के पहले इस देश की कई कंपनियां निर्यात करती थीं, उनके साथ इस कंपनी ने सौदा किया है और उस सौदे में उनकी तरफ से न केवल पैप्सी कंपनी माल विदेश भेजने का काम कर रही है और उसमें जो दो नम्बरी का हिसाब-किताब इस कंपनी का होता है वह अलग है, जिसकी जांच आपको अलग से करनी पड़ेगी ।

सभापति जी, इसके साथ जो ब्रांड नेम की बात थी, आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में ऐसे कई विदेशी नाम हैं लेकिन पिछले कई एक जमाने से जो नियम बनाए, जो कानून बनाए और कहा गया कि विदेशी नाम हिंदुस्तान में नहीं चलेगा तो वही शर्त इस कंपनी के सामने रखने का काम हुआ था । इन्होंने बताया था कि आप अपने नाम को "लहर" करके रखो । अब "लहर" बोतल में लिखा तो जा रहा है लेकिन लोगों के सामने "लहर" की तस्वीर नहीं आ रही है, वह पैप्सी की है ।

मुझे इन नामों से कोई नफरत नहीं है, न मुझे इनके नाम के बारे में कोई बहस छेड़नी है। लेकिन नाम का महत्व यह रहता है कि जब कोई भी कंपनी सारे विश्व भर मे केवल अपने प्रचार-प्रसार के चलते लोगों के बीच में चलने वाली कोई भी चीज हो, और उसमें भी कोई कंज्यूमर चीज हो, और अपनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को लेकर वह हिंदुस्तान में अपनी हैसियत को बनाने का काम जब करती हो तो हमारे देश के जो छोटे उद्योग हैं, हमारे देश के छोटे लोग हैं, जो उस प्रकार का प्रचार-प्रसार करने में असमर्थ होते हैं तो वे घाटे में पड़ जाते हैं। वरना ये सब पेय में क्या है? क्या है पैप्सी कोला में? पानी हमारी धरती का, हमारे कुंओं का, जो चीनी मिलाते हैं, वह हमारे कारखाने की, कुछ रंग वगैरह जहां-तहां से मिलाते होंगे और उसके साथ फ्लेवर देने वाली कोई चीज लगाते होंगे, इसमें और है क्या? कोका कोला को भी जब सवाल आया था—क्या है आपका फार्मूला? बोले नहीं। बोले—वह सीक्रेट है। एक प्रकार की माइथालाजी बनाई जाती है कि अटलांटा के किसी बैंक के अन्डर ग्राउन्ड के लाकर में उनकी सीक्रेट है। ये उनका जवाब है और दुनिया के अखबारों में ये चीज छप जाती है लोगों के मानस पर ऐसी बात का निर्माण करने के लिए कि कोई एक विशेष चीज डालने का काम ये अमरीकी लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर कर रहे हैं। क्या विशेष था? कोका कोला में कोई विशेषता नहीं थी और पैप्सी कोला में कोई विशेषता नहीं है।

लेकिन नाम है, प्रचार करने का साधन है और पैसा है। फिर हर तरह के, हर रास्ते को इस्तेमाल करने की इन अमेरिकी कम्पनियों में, लोगों में वृद्धि है। पेप्सी कोला वही कम्पनी है जिसने दक्षिण अमेरिका के चिली देश में वहां के चुने हुए राष्ट्रपति-ऐलेन डे का खून करने में और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने में अपना योगदान दिया, काम किया था। सारा विश्व इस बात को जानता है, दुनिया भर को जानकारी है। फिर भी यह कम्पनी और उसका प्रचार यहां है।

मैं यहां आपकी लगाई हुई शर्त की याद दिलाना चाहता हूं जो जगदीश टाईटलर साहब ने नवम्बर, 1988 में इसी सदन में एक बात कही थी। आज आपको ही चुनौती देने का काम यह कम्पनी कर रही है, तो आपका इस मामले में क्या रेस्पौंस है, यह मैं आज मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा।

सभापति जी, जब मैं सरकार में था, रेल मन्त्री था, इस मुद्दे पर चूंकि हमारी कुछ ठोस राय थी, सरकार में रहते हुए, सरकार के भीतर और सरकार के बाहर, इस कम्पनी के सारे व्यवहार पर, इस देश में उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस मुद्दे पर हम बोलते नहीं थे। जब हमारे सामने इस कम्पनी के बारे में सारे तथ्य आये तो उन तथ्यों के आधार पर हमने कहा था कि यह कम्पनी एक चीट है—आई काल दिस कम्पनी ए चीट···(**व्यवधान**)···हां, सरकार में रहकर, हमने इस कम्पनी को चीट कहा था। उसको लेकर, इस कम्पनी ने हमारे खिलाफ बड़ा भारी हल्ला किया और कहा कि ये कई ऐसी बातें कह रहे हैं जो बेबुनियाद हैं। लेकिन आज मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पेप्सी कोला ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देते वक्त जो बातें कही थीं कि 22 करोड़ रुपये में हम अपने इस पूरे व्यापार को खड़ा करेंगे, और उन्होंने तीन प्रकार की वस्तुएं निर्माण करने की बात कही थी, ऐलान किया था: एक साफ्ट ड्रिंक था, दूसरा फूट एण्ड वैजिटेबल प्रोसैसिंग था और तीसरा जिसे हम जंक्ड फूड कहते हैं और आप उसे प्रौसैस्ड फूट बोलते हैं: इन तीनों चीजों को बनाने के लिये, तीन अलग-अलग कारखाने खड़े करने के लिए कुल 22 करोड़ रुपये की लागत खर्च का ऐलान हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी मुद्रा होनी थी, कुछ अपने देश के भीतर ही, यहां कुछ मशीनरी वगैरह उन्हें खरीदनी थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जहां 22 करोड़ रुपये में ये कारखाने खड़े होने थे, क्या आज तक 75 करोड़ रुपया इस कम्पनी का खर्च नहीं हुआ है? क्या यह बात भी सही

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

नहीं है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया यानी आई०एफ०सी०आई० के एक अधिकारी ने, मैं यहां किसी अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी खोज होनी चाहिये, वह खोज केवल आपके मंत्रालय से ही नहीं होनी चाहिए, वह खोज पुलिस विभाग से होनी चाहिये, फौजदारी विभाग में होनी चाहिये और क्या यह यह सही नहीं है कि आई०एफ०सी० आई० के द्वारा 43 करोड़ रुपये का कर्ज इस कम्पनी को बिना किसी प्रकार के दस्तावेजों की जांच किये हुए, देने का काम हुआ था। उस पैसे का क्या हुआ।

मैं इस बात को हाउस में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने 22 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान में अपने काम में यहां लगा दिया, 22 करोड़ रुपया लगाने पर, विदेशों से कुछ पूंजी, और देश के भीतर की पूंजी, क्योंकि इसमें टाटा का भी हाथ है, वोल्टाज का, और इसमें पंजाब एग्रो कार्पोरेशन का भी हाथ है, इन दोनों की भी थोड़ी सी पूंजी है, पैप्सी कोला का हिस्सा तो 39.9 प्रतिशत या 40 प्रतिशत समझ लीजिए, इतना है, बाकी इन दोनों कम्पनियों का हिस्सा, जो तथाकथित सरकारी और निजी, इन दोनों की भी पूंजी है, जो पूंजी इन लोगों ने लगाई, उस पूंजी को सबसे पहले इस कम्पनी ने निकाल दिया और अमेरिका से जो पूंजी आयी थी, उसे अमेरिका भेज दिया। इसके अलावा जितनी पूंजी अमेरिका ले जा सकते थे, उस पैसे को अमेरिका ले जाने का काम किया यानी कारखाने का काम शुरू होने के पहले, लगाई हुई पूंजी की वसूली, पेप्सी कोला और इन दोनों कम्पनियों ने मिलकर की, घूस देने के लिए। घूस देने के लिए, और वह भी विदेश में घूस देने के लिए, 25 करोड़ रुपये को विदेश ले जाने का काम किया और अपने हाथ धो लेने का काम इन्होंने कर दिया। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को यहां पर कह रहा हूं और मामला यहीं नहीं रूकता, यह कम्पनी सभापति महोदया इतनी नादान है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब यह तो इतना गम्भीर मामला है, इसकी अन्तर्राष्ट्रीय पहुंच है, इस-लिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप आज ही अपना भाषण जारी रखना चाहते है अथवा कल?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी इसको आज ही पूरा करना है वरना मुझे उस कम्पनी पर भरोसा नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इन सभी मामलों में प्रश्न पूछे जाते है न कि भाषण दिए जायें। यदि ऐसा किया जाता है, तो संभवतः हम अत्यन्त संक्षेप में कह सकते हैं तथा आज ही चर्चा समाप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हम शाम 6-30 बजे तक इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदया, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा।

इस कम्पनी ने ऐसा काम किया है और यह बात सरकार में रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए हमने देश के सामने लाने का काम किया था, आज उसका सुबूत मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस कम्पनी ने ऐसी विदेशी चीजों को खरीदा और ऐसी कम्पनियों से खरीदा जो इन्हीं की सबसिडियरी कम्पनी है। अपनी बनाई हुई, बोगस कम्पनियां थीं जिनको शरम कम्पनियां कहते है। जो मशीनरी ये लाए, कुल मिलाकर 6,88,473 डालर की विदेशी मशीनरी ये अमरीका से लाए और इसको लाने का काम इस कम्पनी के द्वारा किया गया जिसका नाम है "फ्रंच वैरल फूड्स इनकारपोरेटेड।" इसके बारे में इस सदन में प्रश्न हो चुके हैं, मगर जवाब मंत्री जी से नहीं आया था। मंत्री जी से इतना ही जवाब आया था कि जांच हो रही है। मैंने जब पिछली बार, जिस प्रश्न को यह आधे घंटे की बहस हो रही है, उस वक्त जब मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने इस देश को इस तरह से लूटने का काम किया है, और क्या आपने उसकी कोई जांच की है, तो आपने इतना ही कहा था कि हां, डायरेक्टोरेट आफ इन्फोर्समेंट के जरिए जांच हो रही है। मगर सरकार के पास इसके सुबूत पहले से रहे और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को इस बारे में जो ठोस कदम उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया। 6,88,473 डालर 1988-89 के दाम के आधार पर ये मशीन लाए। उस मशीन का अमरीका में दाम 1990 में 3,86,474 डालर था, यानी 31,997 डालर विदेशी मुद्रा में ओवर इनवाईसिंग कराके, इन्होंने इस देश को लूटा और एक ऐसी कम्पनी के द्वारा, जिसके बारे में कुछ लोगों ने जब जांच कराई, तो पता चला और यह उन्हीं के आफीसरों की तरफ से एक निवेदन आया था कि यह फ्रंच वैरल फूड्स इनकारपोरेटेड, यह पैप्सी कोला की ही शरम (सबसिडियरी) कम्पनी है। इसका जो चीफ एक्जीक्यूटिव है, फ्रैंड रेनल्ड, यह व्यक्ति पैप्सी कोला में 1982 से नौकर है। इसके जो वाइस प्रेसीडेंट हैं डानर कृष्चीवान, ये 1976 से पैप्सी कोला ग्रुप के मैनेजर हैं और जो डायरेक्टर हैं फिल डिप्लीस ये पैप्सी कोला के 1980 से आज तक एक अफसर रहे हैं।

सभापति महोदया, इस कम्पनी की आथाराइज्ड कैपीटल एक हजार डालर है, इस कम्पनी का बैंक में शून्य पैसा है, इस कम्पनी का अकाउंट्स पेई में शून्य पैसा है, इस कम्पनी का मुनाफा शून्य है, लेकिन 1988 में इसकी सेल्स रही 70 लाख डालर और प्रपोज्ड सेल्स थी और 1988 में इसकी प्रोजेक्टेड सेल्स 8 मिलियन 200, यानी 82 डालर। बोगस कम्पनी।

इस बोगस कम्पनी के द्वारा तीन लाख डालर अधिक पैसा हिन्दुस्तान से अमरीका ले आकर मशीनरी लाने का काम हुआ। इसका सबूत सरकार के सामने रहते हुए सरकार ने किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया। इसलिए आपका कहना ठीक है कि इस पर लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है। कुछ तथ्य हैं उनको आपके सामने रखना जरूरी था। हम आज सरकार से केवल दो-तीन बातों को ठोस रूप से पूछना चाहते हैं। अमरीका के सियासत उद्योग मल्टी नेशनल्स के बारे में हमारी जो भी राय हो लेकिन अमरीका में एक बात है कि उस देश के लोग बेईमानी करने वाले राष्ट्रपति को भी नौकरी से हटा देते हैं। जिस पैप्सी कोला कम्पनी ने हिन्दुस्तान का 25 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा में बोगस रसीद बनाकर अमरीका ले जाने का काम किया, अंडर इनवायसिंग, ओवर इनवायसिंग का धंधा करवाकर इस देश को लूटने का काम किया।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

क्या भारत सरकार तत्काल इस मसले को अमरीका के भीतर भी पैप्सी कोला पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। हिन्दुस्तान के किन-किन लोगों का पैसा यहां से वहां गया, किन-किन बैंकों में एकाउंट है, कौन-कौन से एकाउंट्स देने का काम हुआ है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए तैयार है। अपनी तरफ से हिन्दुस्तान के भीतर सी०बी०आई० के द्वारा और सरकार के अन्य जांच विभागों के द्वारा और जरूरत हो तो सदन की किसी भी कमेटी के द्वारा, उस कम्पनी ने किसी प्रकार की चोरी की है, लूट की है, इसकी जांच के लिए तैयार हैं। कम्पनी के किए हुए वायदे या तो कम्पनी पूरा करे या हिन्दुस्तान से निकल जाए, भारत के उप राष्ट्रपति ने चंद दिनों पहले राज्य सभा में कहा था। क्या आप कम्पनी को इस तरह से कहने के लिए तैयार हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदया, परिवर्तन के लिए मैं सीधे प्रश्न पर ही आज आना चाहूंगी।

सर्वप्रथम, चूंकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय प्रशासकीय मंत्रालय है अतः खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जी ने इस पर स्वयं कार्रवाई करने के स्थान पर इसे विधि विभाग के पास किस कारणवश भेजा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें इसका एक समाधान बता रही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, बिलकुल नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि यह सर्वविदित है कि पैप्सी ने अपने उत्पादन का चालीस प्रतिशत भी निर्यात नहीं किया है, तो स्वाभाविक रूप से कुल बिक्री का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने इस मामले को वाणिज्य विभाग के पास भेजने के स्थान पर अपने ही विभाग में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की ? माननीय मन्त्री जी ने पैप्सी को शीतल पेय का उत्पादन करने मे क्यों नहीं रोका ? **(व्यवधान)**

तीसरे, सीधे इस पर कार्रवाई करने के स्थान पर आप शीतल पेय के उत्पादन पर रोक क्यों नहीं लगा सकते ? (**व्यवधान**)

चौथे, लहर के सम्बन्ध में प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वास्तव में किन कारणों से आप बड़े पैमाने पर लहर को नहीं आने दे रहे हैं तथा उसके स्थान पर पैप्सी को स्थान दे रहे हैं जोकि अत्यन्त बदनाम है।

पांचवें, कृषि अनुसंधान केन्द्र जोकि इस सम्पूर्ण परियोजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, पैप्सी द्वारा अभी तक उसके हितों की भी रक्षा नहीं की गयी है। केवल एक अकेले उसी आधार पर ही आपने किस कारण वश पैप्सी का उत्पादन रोक दिया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अत्यन्त गोपनीय है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें कहने दीजिए कि यह सर्वाधिक गोपनीय है।

यह सुविदित तथ्य है कि पैप्सी शीतल पेय में कुछ हानिकारक तत्व हैं। अतएव इस सुव्यापक तथ्य के बावजूद भी सरकार पैप्सी को अपना उत्पादन जारी रखने की अनुमति कैसी दे रही है ?

मैं इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदया, मैं केवल दो ही बातें कहना चाहूंगा कि इसकी जितनी चर्चा हुई है और सरकार ने इस बारे में जो कमेटी गठित की, उसने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद इस कम्पनी को चालू रखना और चलाये रखना कहां तक लाजमी है ? जिन उद्देश्यों के लिए इन कंपनी का गठन किया गया था क्या उसके मुताबिक कोई भी काम या एक भी काम उसने किया हो तो आप हमें बताएं । उसने कहा कि 25 हजार नवयुवकों को रोजगार मिलेगा और जो क्वश्चन का उत्तर दिया गया है उसमें 850 की संख्या बतायी गई है । मैं एक ही बात कहना चाहता हू क्योंकि जार्ज साहब ने बहुत कुछ कह दिया है. इस सब के बाद इस देश ने इस प्रकार की कम्पनियों को बहुत भुगताया है और हमारी आजादी की लड़ाई की शुरुआत भी इस बात से हुई । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को आपने देखा हैं । उसके बाद भी जब अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लोग कह रहे हैं, तीसरी दुनिया के देशों को इस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बचना चाहिए, फिर क्या कारण है कि इसको आप लाए और इसको अपने देश के सिर पर थोपना चाहते हैं ।

क्या वास्तव में जो बातें पेप्सी कम्पनी ने कही हैं अगर कोई काम उसके हिसाब से नहीं किया है तो क्यों इसको आगे चलाने का विचार है ? मन्त्री जी इसके बारे में स्पष्ट राय दें और फिर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाये ।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदया, जैसा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनाया जा रहा है उसी प्रकार की यह कंपनी भारत में विवाद को प्रदर्शित कर रही है । 17 जुलाई को मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया था, उसकी तरफ मैं उनका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया हैं :

[अनुवाद]

"अधिक बीजकों के बारे में हमें शिकायत प्राप्त हुई है । यह मामला पहले ही प्रवर्त्तन निदेशालय, वित्त मन्त्रालय को भेज दिया गया···।"

[हिन्दी]

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डायरेक्टर आफ एनफोर्समेंट को मामला रैफर किया, उसकी तरफ से क्या उत्तर आया है अथवा किसी प्रकार का इस कंपनी के विरुद्ध मामला बनता है या कोई कारंवाई फौरी तौर पर हो रही है या नहीं ? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा जैसा कि आपने आज के अपने उत्तर में बताया है कि टर्न-ओवर शब्द को कंपनी ने अपने मनमाने ढंग से परिभाषित किया है । उसे मनमाने ढंग से परिभाषित करना और जिन चीजों का अनुबन्ध नहीं था, उनको सम्मिलित करके जैसाकि जार्ज साहब ने कहा, उनको बाहर भेजा और भारी मात्रा में बिदेशी मुद्रा इसके द्वारा भेजी गई मैं जानना चाहता हूं कि इस शब्द को परिभाषित करने की दृष्टि से आपने उसे विधि मन्त्रालय को कब दिया ? तब से लेकर अब तक इतनी अवधि बीत जाने के बाद इस टर्नओवर पर ठीक ढंग से व्याख्या की जा सकी या नहीं ? क्या उसके संदर्भ में उस प्राथमिक अनुबंध को देखने की कृपा करेंगे जिसके द्वारा आपने इस कंपनी को लैटर आफ इन्टैंट जारी किया था ? उसके बाद कंपनी ने क्या कार्य प्रारम्भ किया था क्योंकि उसने बार-बार शर्तों का उल्लंघन किया है । न केवल उसने शर्तों का उल्लंघन किया है बल्कि सरकार के सामने एक प्रकार से चुनौती इस समय खड़ी है और उसने किसी भी प्रकार का चाहे कृषि अनुसन्धान के बारे हो या कृषि उत्पादित वस्तुओं की प्रोसेसिंग के बारे हो, रोजगार के बारे हो या अन्य किसी बारे में हो, उसने किसी प्रकार के अनुबन्ध का पालन नहीं किया अपितु उसने यहां से विदेशी मुद्रा अर्जित कर बाहर भेजने का निश्चित रूप से कार्य किया है । मन्त्री महोदय विधि मन्त्रालय से कब तक

राय प्राप्त कर लेंगे ? डायरेक्टर आफ एनफोर्समेंट ने क्या कार्रवाई की है इसके बारे में भी मन्त्री जी बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, इस सभा में अनेक बार हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि पेप्सी कोला कंपनी आशय पत्र का उल्लंघन करेगी क्योंकि हमें इसका अनुभव है। तृतीय विश्व के देशों को इन बहुराष्ट्रीय कंपनी का अनुभव है। हमें चिली में बहुराष्ट्रीय कंपनी का अनुभव है। अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी तृतीय विश्व के देशों का शोषण किया है। यहां भी जब आशय पत्र को स्वीकृति दी गई थी और लाइसेंस दिया गया था तब भी हमने इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का विरोध किया था। जब इस सभा में इस नई औद्योगिक नीति पर चर्चा की जा रही थी तब हमने उदार नीति अपनाते हुए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने यहां आमंत्रित करने पर आशंका व्यक्त की थी।

कम्पनी ने उस समय जर्म-प्लाजमा, मिश्रित बीजों की आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा तथा फलों के रस और गूदे का निर्यात करके पंजाब में कृषि—औद्योगिक विकास करने का वायदा किया था। अब यह क्या कर रही है ? इसने केवल सस्ती दरों पर उपलब्ध खाद का प्रयोग करके उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा टमाटर की खेती का विकास किया है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने क्या करने का वायदा किया था ? हमें यह बताया गया था कि एक जांच समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। वह रिपोर्ट इस कम्पनी के विरुद्ध थी। हम जानना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है ? इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी ? जब इस कम्पनी के विरुद्ध शिकायत की गई थी तब मन्त्रालय ने एक समिति गठित की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। बाद में कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया था। कम्पनी ने उसका भी उल्लंघन किया। सरकार असहाय है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनी ने मन्त्रालय द्वारा जारी कारण-बताओ नोटिस का उल्लंघन किया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करें। एक रिपोर्ट यह है कि वाणिज्य मन्त्रालय के निर्यात निकाय ने पेप्सी का समर्थन किया था और उसने आशय पत्र में एक खण्ड को समाप्त करने की मांग की जो विदेशी मुद्रा निर्धारित करने के बारे में था। कृषि उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के अध्यक्ष भी 1992 के वित्तीय वर्ष तक पेप्सी पर रोक लगाना चाहते हैं ताकि यह अपने निर्यात दायित्वों को पूरा कर सके। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह बात सही है अथवा नहीं ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : मेरा प्रश्न भी था, मैंने लिखकर भी दिया है, मुझे आप आधा मिनट एलाउ करें।

सभापति महोदय : मैं जानती हूं लेकिन आपका नाम नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : मैंने भी अपना नाम दिया है। क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देती हूं तब मुझे औरों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मन्त्री महोदय बोलें।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सबसे पहले मैं आधे घण्टे की चर्चा द्वारा माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। जो कुछ हुआ, सरकार ने उस पर जो कार्यवाही की तथा इससे सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में मुझे विस्तार से बोलने का अवसर मिला है।

महोदया, हमें आधे घंटे की चर्चा की सूचना मिली है। माननीय सदस्य ने जो स्पष्टीकरण सूचना दी है उस पर मैं बाद में बोलूंगा। श्री फर्नान्डीज ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वह 3 नवम्बर, 1988 को इस सभा में श्री जगदीश टाईटलर ने जो वक्तव्य दिया था, उस पर आधारित हैं। उनके द्वारा यह वक्तव्य उस समय परियोजना के भिन्न-भिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित अन्तर-मंत्रालीयीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

उस रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों को आशय पत्र के साथ विदेशी सहयोग समझौते में भी शामिल किया गया था।

परियोजना का इतिहास यह था कि पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को आशय पत्र दिया गया था। तत्पश्चात पंजाब एग्रो ने आशय पत्र पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। वोल्टाज, पंजाब एग्रो के साथ-साथ पेप्सी कम्पनी आशय पत्र में निर्धारित कुछ मानकों और शर्तों के लिए सहमत हो गई।

महोदया, मुझे यहां कुछ स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया लेकिन उस समय, 1985 में, शीतल पेय जल उद्योग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लाइसेंस न होने हुए भी उन्होंने आशय पत्र के लिए आवेदन दिया जो उन्हें दे दिया गया था। उसके साथ उन्होंने विदेशी सहयोग समझौता भी लगा दिया। हमने स्वीकृति दे दी। लेकिन समझौता पेप्सी कम्पनी, पंजाब एग्रो तथा वोल्टाज के बीच हुआ था।

माननीय सदस्य श्री फर्नान्डीज ने जो सभी मुद्दे उठाए थे मैंने उनका न केवल इस सदन में बल्कि दूसरे सदन में भी उत्तर दे दिया है। आशय पत्र के साथ-साथ विदेशी सहयोग समझौते में उपबंधित शर्तों एवं नियमों के उल्लंघन के प्रश्न के बारे में मेरा यह कहना है कि एक अधिकारी दल ने 26 और 27 दिसम्बर, 1990 को पेप्सी संयंत्र का दौरा किया था। इस दल में निदेशक (खाद्य, सब्जी उत्पाद), ए० डी० जी० (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद) तथा खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय के उपसचिव थे। उनके निष्कर्षों के आधार पर हमने कार्यवाही की। उनके निष्कर्ष निम्न प्रकार से थे :

1. कि पेप्सी ने स्वयं विनिर्मित माल का 40% निर्यात करने के कोई प्रयास नहीं किए थे।

2. शीतल पेय जलों का बिक्री लाभ कम हो गया था।

3. कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

उनके यही तीन निष्कर्ष थे। इस आधार पर हमने सम्बन्धित मन्त्रालय को यह मामला सौंपा।

[श्री गिरिधर गोमांगों]

मैं कारण बताओ नोटिस के मामले पर बाद में बात करूंगा। निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अध्यधीन आशय पत्र दिया गया था। दो प्रकार के नियम एवं शर्तें हैं—एक साधारण है और अन्य विशेष हैं। जब पेप्सी कम्पनी ने अपनी फैक्ट्री यहां स्थापित करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तब उसने सभी पहलुओं की जांच की थी और समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह समझौता विशेष आशय पत्र पर आधारित था—यह इस अर्थ में विशेष है कि इन कम्पनियों, जो पहले से देश में है और जिनकी संख्या 66 है, में से जहां हमें विदेशी सहयोग, निवेश तथा इक्विटी शेयर प्राप्त हैं उनमें से एक पेप्सी कम्पनी भी है—हमने जो विशेष शर्तें निर्धारित की थीं पेप्सी कम्पनी ने उनके आधार पर ही परियोजना को स्वीकार किया। वह यह थीं कि उत्पाद का पहला 40% भाग निर्यात किया जाए, उन्होंने जो तीन यूनिट स्थापित किए हैं उनमें ही उत्पादन अथवा विनिर्माण करना होगा। 10% चुनिदा सूची में से लिए जाएं। यह पहली शर्त है। दूसरे, यदि वे देश से बाहर एक रुपये की भी विदेशी मुद्रा भेजते हैं तब उन्हें पांच रुपये वापिस लाने होंगे, अर्थात इसका अनुपात 1 : 5 का है। यह अति कठित शर्त है।

आशय पत्र में जो अन्य शर्तें रखी गई हैं वह भी काफी कठिन हैं। लेकिन इन कठिन शर्तों को भी मानने के लिए वे तैयार हो गए। अब मैं यह बताऊंगा कि अधिकारियों के दल के दौरे के क्या निष्कर्ष थे। एक मुद्दा यह था कि शीतल पेय जल के सांद्र का उत्पादन कम्पनी के उस वर्ष के कुल उत्पादन के 25% से अधिक न हो। इसके बारे में आज सभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में भी बताया था। कितना उत्पादन हुआ है? आम मामले में उत्पादन की एक स्वीकृत परिभाषा है। लेकिन इस मामले में उत्पादन का अर्थ विशेष शर्तें हैं। अतः जैसाकि मैंने सुबह स्पष्ट किया था कि उनका यह कहना था कि उत्पादन में वे सभी उत्पाद शामिल किए जाने चाहिएं जिनका वे निर्यात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आप वही वस्तु निर्यात करें जो आप चाहते हैं लेकिन आपको अपनी फैक्ट्री में विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद का 40 प्रतिशत निर्यात करना होगा जैसे शीतल पेय जल कंसीट्रेट, प्रसंस्कृत आलू, खाद्यान्न तथा प्रसंस्कृत फल/सब्जियां। उन्हें उसका 40 प्रतिशत निर्यात करना है। अतः हमारे मतभेद हो गए। जब कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इससे सम्बन्धित मन्त्रालय है फिर भी हमने यह मामला वाणिज्य मन्त्री को सौंप दिया क्योंकि वे निर्यात से सम्बन्धित मन्त्रालय है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने निर्यात सम्बन्धी दायित्व पूरे किए गए हैं या नहीं। उन्होंने इसे पूरा नहीं किया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरा प्रश्न यह है कि आपने इस उल्लंघन के कारण पेप्सी का का उत्पादन वन्द क्यों नहीं किया?

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं उस बारे में भी बात कर रहा हूं। हमें इसे वाणिज्य मन्त्रालय को भेजना पड़ा। उन्होंने इसे आशय पत्र के उपबन्धों में अनुसार पूरा नहीं किया। यदि आप मुझसे सीधा-सादा प्रश्न पूछते हैं तब मै इसका उत्तर दूंगा 'नहीं', उन्होंने आशय पत्र के अनुसार दायित्व पूरे नहीं किए अतः अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं समझौते का विधिक पहलू स्वीकृत करा लूं (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : श्रीमन, देखिए जैसे आपने यहां पर बात कही, बहुत स्पष्ट कही। आपने कहा कि 40 परसेंट अपनी बनाई हुई चीज और लेटर आफ इनटेंट आपका है। उसमें आपने यह लिखा है—

[अनुवाद]

अन्यों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की चुनिंदा सूची में से 10 प्रतिशत।

[हिन्दी]

जब इतनी स्पष्टता इस लेटर आफ इनटेंट और लाइसेंस में है तो फिर कम्पनी ने आज जो बात छेड़ी है कि टर्नओवर का मतलब कोश्चनेबल है। आज सुबह के जवाब में आपने यह कहा कि इस पर हम अभी ला मिनिस्टरी से जांच-पड़ताल वगैरह कर रहे हैं। इसमें जांच-पड़ताल वगैरह में आपको नहीं पड़ना चाहिए, आपको कम्पनी को सीधा कहना चाहिए, बहुत सरल अंग्रेजी में, आप भी बहुत खूबसूरत अंग्रेजी बोल रहे हैं। इसमें बहुत सरल अंग्रेजी में लिखा है।

40% आपका और 10% दूसरों का और आज जब कम्पनी बोलती है कि नहीं 40% क्या 50 प्रतिशत, इस पर हमारा प्रश्न-चिन्ह है। उनको कहिए कि यह कोई प्रश्न नहीं है, जब इसमें लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इसमें कोई सन्देह है?

श्री गिरिधर गोमांगो : नहीं, मैं आपको इसका स्पष्ट उत्तर नही दे सकता हू क्योंकि उन्होंने वाणिज्य मन्त्रालय के साथ समझोता किया था। अतः वे इसकी जांच करें।

सभापति महोदय : आप इसका उत्तर देने में और कितना समय लेंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : आपको अपनी स्थिति बताने के लिए यह सही अवसर है। (**व्यवधान**) मुझे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ समय भी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : हां, हा। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अतः कृपया आप बोलते जाइए क्योंकि माननीय सदस्य भी सहमत हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : हमने देखा कि उन्होंने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया। मन्त्रालय का विचार है कि उन्हें तीन यूनिटों में विनिर्मित उत्पादों का ही निर्यात करना चाहिए जिनके लिए आशय पत्र में स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। अतः हमने इस मामले को वाणिज्य मन्त्रालय को भेज दिया। एक कारण बताओ सूचना जारी की गई है जिसकी जाच की जा रही है। इस बारे में मन्त्रालय के विचार बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने मन्त्रालय के समक्ष जो संविदा प्रस्तुत की है वह बिल्कुल भिन्न है। अतः हमारा यह कहना है कि हम आशय पत्र के उपबंधों का पालन करें। हम इसकी भिन्न व्याख्या नहीं करेंगे। वाणिज्य मन्त्रालय को एक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आशय पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उन्हें अपने उत्पादित उत्पादों का 40 प्रतिशत निर्यात करना चाहिए। क्या उन्होंने इसे पूरा किया है या नहीं? हम जानते हैं कि उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है फिर हमें वाणिज्य मन्त्रालय से संपर्क करना होगा क्योंकि उस मन्त्रालय को यह निर्णय लेना है कि क्या आशय पत्र के अनुसार उन्होंने अपने दायित्वों को पूरा किया है अथवा नहीं।

उन्हें अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करना था। हमारे देश में आने वाली विदेशी मुद्रा उस मुद्रा के पांचवें हिस्से से कम नहीं होगी जितनी मुद्रा दस वर्ष की अवधि में देश से बाहर जाएगी।

आपने जो मुद्दा एक दिन उठाया था उसके बारे में यह है कि शीतल पेय जल का कंसीट्रेट और सामग्री बनाने के लिए आवश्यक सामान का आयात नहीं किया जाएगा। मैंने यह कहा था कि आशय पत्र के अनुसार इसकी अनुमति नहीं थी। फिर भी इस सम्बन्ध में एक खंड है कि जो कच्चा माल और रसायन अपने देश में उपलब्ध नहीं है उसके आयात की समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार अनुमति दी जा सकती है।

तब फिर देशी सामान की बिक्री के लिए किसी विदेशी कम्पनी का नाम देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। हमने यह निर्णय भी किया है। देशी सामान की बिक्री में उन्होंने मिश्रित नाम-लहर पेप्सी दिया है। लहर भी होगी तथा पेप्सी भी होगी। उनके अक्षरों का कितना आकार होगा, उसका कितना भाग दिखाई देगा और कितना नहीं दिखाई देगा, हमें यही देखना है। सर्वोच्च स्तर पर सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उन्हें उसका पालन करना है, उस समय, जब उन्होंने मिश्रित नाम रखने की सहमति प्रकट की थी, तब यह निर्णय मेरा नहीं था। उन्हें 'लहर' तथा 'पेप्सी' दोनों नाम इस्तेमाल करने हैं।

इसके पश्चात् कम्पनी को उत्पादन की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी तथा पहले से बेहतर किस्मों का विकास करने के लिए एक कृषि-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करनी थी। उन्होंने एक कृषि-अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए पहले ही पहल शुरू कर दी है। कृषि-अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए पंजाब एग्रो तथा पेप्सिको एग्रो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने एक कृषि-अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए शुरू कर दी है।

निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहियें। परियोजना के वास्तविक निर्यात सम्बन्धी कार्य-निष्पादन में शीतल पेय सांद्र का निर्यात भी शामिल होगा। कोई भी दूसरे उत्पाद का निर्यात कर सकता है। परन्तु, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना है ताकि देशी माल का उत्पादन करने और निर्यात लक्ष्य के दृष्टिकोण से भी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। कृषि पर आधारित उद्योग का विकास कृषि विकास पर आधारित है जो कि उस समय सरकार का विचार था। इसके आशय पत्र तथा मेरे पूर्व सहयोगी श्री जगदीश टाईटलर द्वारा दिये गए वक्तव्य में भी यही संकेत दिया गया था।

दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है, वह उल्लंघन के सम्बन्ध में है। आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन एक मुद्दा है तथा उत्पादों का निर्यात दूसरा मुद्दा है। इसमें विस्तारपूर्वक बताया जायेगा। पेप्सी के अनुसार टर्नओवर 15.46 करोड़ रु० है तथा 9.62 करोड़ रु० का निर्यात किया जाता है पेप्सी द्वारा निर्यात के लिए जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है। उनका पहले ही उल्लेख कर दिया गया है आशय पत्र की शर्तों के अन्तर्गत समुद्री, उत्पाद, चाय, चावल तथा मसाले नहीं आते। अतएव आशय-पत्र में इन उत्पादों का जिक्र नहीं किया गया है। महोदया, अतः आशय पत्र की शर्तों के अनुसार केवल इन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा संसाधित आलू, अनाज खाद्य, संसाधित खाद्य, वनस्पति उत्पाद तथा शीतल पेय सांद्र इत्यादि। जैसाकि मैंने अभी बताया है, कम्पनी तथा वाणिज्य मन्त्रालय दोनों को इन वस्तुओं के शामिल किए जाने के बारे में सूचना दे दी गई है तथा मैंने पहले ही विधि तथा न्याय मंत्रालय से आवश्यक कानूनी परामर्श प्राप्त कर लिया है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इस मामले को विधि तथा वाणिज्य मंत्रालय के पास क्यों भेज रहा हूं···(**व्यवधान**)···

श्रीमती गीता मुखर्जी : तब फिर आपने शर्तों का उल्लंघन करने के पश्चात् भी उत्पादन रोकने का आदेश क्यों नहीं दिया ? (**व्यवधान**)

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए केवल खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ही पत्र जारी नहीं किया है। वाणिज्य, वित्त उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालयों के अधिकारियों ने एक साथ बैठकर इसकी शर्तों का निर्धारण किया है। अन्तर मन्त्रालय समिति की बैठक परसों होगी। ···(**व्यवधान**)···उस समय ही इस पर सर्वसम्मति हो गई थी केवल मैं ही लाइसेंस जारी नहीं करूंगा। इसे उद्योग मन्त्रालय में भी भेजा जाना है। मेरी इसमें कुछ भूमिका है परन्तु, मैं स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता। यहां पर मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि उस अन्तर मन्त्रालय समिति की संस्कृतियों के आधार पर ही इस परियोजना को आरम्भ किया गया था जिसने इन सभी पक्षों की जांच की है, जिसमें यह भी शामिल है कि आशय पत्र में सहयोग समझौते के बारे में शर्तों का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं तथा यह भी कि क्या अन्य दूसरी शर्तों को पूरा किया गया है अथवा नहीं। मेरे मन्त्रालय द्वारा ही इन सभी पत्रों की सिफारिश की गई थी तथा परसों होने वाली अन्तर मन्त्रालय समिति की बैठक इन सब बातों की विस्तार से जांच पड़ताल करेगी···(**व्यवधान**) मैं स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकता। अन्तरमन्त्रालय समिति आशय पत्र की शर्तों की जांच करेगी तथा यह भी देखेगी कि आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों को लागू किया गया है अथवा नहीं तथा यह भी देखेगी कि हम अपनी जगह ठीक है अथवा गलत। इन सभी पक्षों के अर्थ की जांच तथा इसका निर्णय परसों होने वाली अन्तर मंत्रालय समिति की बैठक में किया जायेगा। समिति की जो भी सिफारिशें होंगी, वह मुझे प्राप्त हो जायेंगी। परन्तु आशय-पत्र का अर्थ वही रहेगा, जब तक कि इसमें परिवर्तन न किया जाये। अभी अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अभी हाल ही में औद्योगिक नीति तथा आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन किया गया है। परन्तु, उसमें उन उद्योगों के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया गया है जिनकी स्थापना काफी पहले ही की जा चुकी है। अतएव आशय पत्र का अर्थ वही रहेगा क्योंकि हमने उस भाग को छेड़ा नहीं है।

अतः, जिस समय मैं उस विषय पर बोल रहा था, तब राज्य सभा के सभापति द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करने की मुझे अनुमति दी जाये। पीठासीन अधिकारी ने मुझ से कहा कि मैं कम्पनी को आशय पत्र की शर्तें पूरी करने अथवा इसे छोड़ने का आदेश दूं। हमारा इरादा नहीं है। उन्हें आशय पत्र के अनुसार सभी शर्तों को पूरा करना है। यदि उन्हें पूरा नहीं किया जायेगा, तब इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब यह निर्णय भी कर लिया जाये कि उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। मैं यहां पर बता दूं कि मैंने प्रशासकीय कार्रवाई पहले ही करनी शुरू कर दी है। पिछले दो वर्षों से इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस मुद्दे को अब पुनः केवल इसीलिए उठाया गया है क्योंकि मैंने सभा में यह उत्तर दिया है कि यह जानकारी के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं अपने वक्तव्य से पीछे नहीं मुड़ रहा हूं केवल मेरे उत्तर के आधार पर ही माननीय सदस्यों ने सारे प्रश्न पूछे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जो इस परियोजना से सम्बद्ध हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय इस परियोजना को कृषि का विकास करने, रोजगार देने, तथा निर्यात के लिए अच्छी किस्म की कछेक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बनाया गया था।

अब मैं टर्नओवर के विषय में कुछ कहूंगा। मैंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि मैं कंपनी के कथन से सहमत हूं। मैंने सुबह भी यही कहा था कि आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों से मैं सहमत हूं। आशय पत्र के अनुसार शीतल पेय सांद्र निर्माता का टर्नओवर पच्चीस प्रतिशत के अन्दर होना चाहिए। उस समय कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह पच्चीस प्रतिशत से भी नीचे था। जब हमने केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क अधिकारियों से इसकी जांच करने का अनुरोध किया, तब यह पाया गया कि टर्नओवर 40 अथवा 50 प्रतिशत से भी ऊपर था। जब हमने कम्पनी से प्रश्न किया तो उनकी पहले दी गई सूचना गलत थी तथा इसमें संशोधन किया जायेगा। अब यदि किसी अन्य की गलती पाई जाती है, तो उसके लिए भी मैं क्यों जवाबदेह बनूं ? इस समय इस प्रश्न पर उन्होंने स्वीकार किया है कि टर्नओवर 25% ही होगा उसी आधार पर मन्त्रालय ने उत्तर दिया था कि वह केवल आशय-पत्र की शर्तों को ही मानेगा।

कई माननीय सदस्यों ने विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने तथा इसके प्राप्त होने और उसी से सम्बन्धित विषयों के बारे में कुछेक प्रश्न पूछे थे, जिनका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : 'फेरा' का उल्लंघन किये जाने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे तीन काफी विशिष्ट प्रश्न हैं। आई० एफ० सी० आई० ने बिना किसी तथ्य की जांच के जो उसे करनी चाहिए थी 43 करोड़ रु० दे दिए हैं। आप इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? आप उस धन के बारे में क्या कारंवाई करने का विचार कर रहे हैं जिसे या तो इस नकली कम्पनी के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया है तथा इस आयातित मशीनरी के अत्यधिक मूल्य के बीजक बनाये गए हैं अथवा आई० एफ० सी० आई० से इस धन के निकलने के पश्चात् इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। क्या आप अमरीकी सरकार को यह बताने के लिए तैयार है कि यहां की एक कम्पनी भारत में आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा उस सम्बन्ध में वे उसके खिलाफ कौनसी कारंवाई करेंगे ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप चाहते हैं कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाये।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदया, हम वित्त मन्त्रालय से आई० एफ० सी० आई० के मामले की जांच करने के लिए कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अपनी सिफारिश सहित।

श्री गिरिधर गोमांगो : जी हां, केवल इस मामले की जांच ही नहीं बल्कि मैं यह सिफारिश भी करूंगा कि अधिक मूल्य के बीजक के सम्बन्ध में भी कुछ पता लगाया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप सभा की किसी समिति का गठन क्यों नहीं करते ? **(व्यवधान)**

श्री गिरिधर गोमांगो : नहीं, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को उत्तर दे रहा हूं। अन्तर मन्त्रालय समिति की बैठक परसों होगी। अमरीकी सीमा शुल्क विभाग ने हमें सूचना दी है कि सप्लायर कम्पनी एक पंजीकृत निगम है। यह सक्रिय है। परन्तु यह विद्यमान है। ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अमरीकी जांच-पड़ताल अधिकारी अभी भी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। हम उनकी अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। मैंने कम्पनी के अधिकारियों के नाम बताये हैं। मैंने आपको उस कम्पनी का तुलन-पत्र भी दिया है।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह पेप्सी की कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : आप मन्त्री थे। आप प्रक्रिया जानते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मेरे पास जो भी सूचना है, वह मैं आप सबको बता रहा हूं। परन्तु मैं

आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता। आपने जो भी मुद्दे उठाये हैं मैं उनकी जांच कर सकता हूं कि वे मुद्दे इससे सम्बन्धित हैं अथवा नहीं। परन्तु मैं यकायक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता।

माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इसका महत्वपूर्ण भाग यह है कि इस परिचर्चा के प्रस्तुतकर्ता श्री फर्नान्डीज ने एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दी थी। इससे यह प्रकट होता है कि पेप्सी कम्पनी को अनुमति देने का निर्णय गलत था। यदि वह समझते हैं कि यह गलत है, तो अवश्य ही उन्होंने इसे गलत समझा होगा। परन्तु, इसका उत्तर टालमटोल वाला नहीं था। इससे राजनीतिक इच्छा के अभाव का संकेत नहीं मिलता यह राजनैतिक इच्छा का प्रश्न नहीं है यह प्रशासकीय इच्छा का सवाल है। वह प्रशासकीय इच्छा कौनसी है ? प्रशासकीय इच्छा यह है कि उन्हें शर्तें पूरी करनी हैं। मैं भी उससे सहमत हूं बशर्ते कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत सभी पक्षों को पूरा किया जाये।

केन्द्र में जिस किसी भी दल की सरकार सत्तारूढ़ रही है, उसकी नीति सर्वदा देश का विकास की रही है। सरकार का विचार इस उद्योग की स्थापना करने का था। हमने नेक इरादों सहित इस कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने कई गलत कार्य किए थे तथा उन्हें ठीक कर लिया गया है। इसके कुल 66 उद्योग हैं। वे केवल इसी कम्पनी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि अभी यही सरकार केन्द्र में बनी रहेगी अतः, मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी हमारे सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे और इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। क्या ऐसा ही होगा ?

श्री गिरिधर गोमांगो : मै यह पहले ही कह चुका हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बीच, उनके द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल असंतोषजनक है। वे इसका उत्तर तैयार कर लें।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने हमारे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। यद्यपि पेप्सी कंपनी ने सभी नियमों का उल्लंघन किया है फिर भी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतएव हम इसके विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

6.49 म० प०

[**इस समय श्री बसुदेव** आचार्य **और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।**]

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.50 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 5 सितम्बर, 1991/14 भाद्र, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिंटवैल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज, दिल्ली।

पी. एल. एस. 48/4/38/91 (एन०)
225

© प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक प्रिन्टवेल प्रिंटर्स, 126, पटपड़गंज, दिल्ली-110091 द्वारा मुद्रित